राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] ग्यारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

गुरुवार,

23 सितम्बर,1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रिछपाल पाल सिंह मिर्धा।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के लम्बित घरेलू विद्युत कनेक्शन

35. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कुल कितने घरेलू कनेक्शन अब तक बकाया हैं ? संख्या सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों में करीब 2000 घरेलू कनेक्शन अब तक बकाया हैं ? यदि हां, तो इन्हें कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील डेगाना के कई घरेलू कनेक्शन चाहने वाले उपभोक्ताओं ने डिमाण्ड नोटिस की राशि वर्ष 1993-94 से ही जमा करा रखी है ? यदि हां, तो इतने पुराने कनेक्शन लम्बित रहने का क्या कारण है ? अब कब तक उक्त पुराने बकाया कनेक्शनों को जारी कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जिला नागौर में घरेलू कनेक्शन हेतु 31 जुलाई, 1999 तक कुल 24364 आवेदन-पत्र लम्बित हैं। जिनका तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) तहसील डेगाना में वर्तमान में लगभग 4484 आवेदकों को घरेलू कनेक्शन देना विचाराधीन है। जिनको वरीयता एवं सामान की उपलब्धि के अनुसार कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

(3) जी हां। आवेदकों के आपसी विवाद व मैचिंग सामान उपलब्ध न होने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके लेकिन आवेदकों द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर

(डा. चन्द्रभान)

सामान की उपलब्धि के अनुसार उक्त बकाया कनेक्शन 31 दिसम्बर, 1999 के अन्त तक चालू कर दिये जायेंगे। (विवरण के लिये परिशिष्ट–1 देखें)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्षजी, खण्ड–2 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि तहसील डेगाना में 4484 घरेलू कनेक्शन के आवेदन लम्बित है, क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इनके डिमाण्ड नोट कब जमा हुए हैं और किन–किन तारीखों में जमा हुए ?

नम्बर–2, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि कंजूमर द्वारा कई तरह की औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई। कंजूमर द्वारा आवेदन करने के बाद में कोई औपचारिक कमी रह जाती है तो क्या बोर्ड द्वारा उसका भी डिमाण्ड नोट जारी कर दिया जाता है ? क्या ऐसे डिमाण्ड नोट आपने जारी किये हैं ? किये हैं तो कितने किये हैं ? उनके कितने घरेलू कनेक्शन लम्बित है या उनको कनेक्शन दिया है ?

नम्बर–3, सबसे ज्यादा घरेलू कनेक्शन लम्बित हैं तहसील डेगाना में, इसका क्या कारण रहा ? पूरे नागौर जिले में 24364 कनेक्शन आप बकाया बता रहे हैं और सबसे ज्यादा 4484 डेगाना में बता रहे हैं, क्या मेरे पर ही आपकी विशेष कृपा रही इसलिये ज्यादा कनेक्शन बाकी रहे ? इनका आप जवाब दें ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एक सप्लीमेन्ट्री सवाल किया है कि ये जो 4484 कनेक्शन लम्बित हैं इनमें किस–किस के डिमाण्ड नोट कब–कब जारी हुए, किन–किन के डिमाण्ड नोट की राशि जमा हो गई, इसका तो इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। हां, यह जरूर है कि माननीय सदस्य ने खण्ड–3 में यह पूछा है कि डिमाण्ड नोटिस की राशि वर्ष 1993–94 से ही जमा करा रखी है । यदि हां, तो इतने पुराने कनेक्शन लम्बित रहने का क्या कारण है और कब तक इन पुराने बकाया कनेक्शन को जारी कर देंगे।

सन् 1993–94 के, अध्यक्ष महोदय, करीब ढाई सौ कनेक्शन बकाया है जिनके डिमाण्ड नोट के पैसे जमा है । इसमें दिक्कत यह रही है कि कुछ कनेक्शन में तो आपसी विवाद है और कुछ जगह पर सामान की कमी है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इन ढाई सौ में से 67 कनेक्शन की लाइन खींचने का काम पूरा हो गया है और उन्हें सितम्बर के अन्तिम सप्ताह तक कनेक्शन दिये जायेंगे बाकी जो मैंने कहा, बाकी लोगों को सामान की उपलब्धि होगी और जो विवाद है वे सुलझ जायेंगे उसके बाद दे देंगे। आपने जो विवाद की बात कही, होता क्या है, अध्यक्ष महोदय, कई बार हम तो लाइन खींचने के आदेश, निर्देश यहां से दे देते है लेकिन लोगों में गांव में

(डा. चन्द्रभान)

आपस में विवाद खड़े हो जाते हैं, उनके कारण लाइन नहीं खिंच पाते है। इस कारण से कई बार दिक्कत आती है। औपचारिकताओं की जो बात है, हालांकि "एल" फार्म का सरलीकरण हमने किया है लेकिन फिर भी एक दिक्कत है जिसको आप सब लोग जानते है। कई बार फिटिंग वगैरह नहीं कराते है, उसके कारण भी दिक्कत आती है।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं न केवल डेगाना में और नागौर में बल्कि पूरे प्रदेश में घरेलू कनेक्शन जो लम्बित है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा और सदन को सूचित करना चाहूंगा कि ग्रामिण इलाके में और शहरी इलाके में ऐसे लोगों की संख्या चार लाख से ज्यादा है। इन चार लाख लोगों को कनेक्शन देने के सम्बंध में अभी विद्युत मण्डल ने एक कार्य योजना तैयार की है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 31 मार्च, 2000 तक इसी वित्तीय वर्ष में यह चार–साढ़े चार लाख का बैकलाग हम पूरा कर देंगे तथा और भी लोग जो एप्लाई करेंगे उन सबको भी हम कनेक्शन देंगे। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए सदस्य है उनको खुशी होनी चाहिये, इन्होंने अपने मैनीफेस्टो में एक बात लिखी थी पिछले विधान सभा चुनाव में कि कनेक्शन देने की विधि का हम सरलीकरण करेंगे। खैर, आपको तो यह मौका नहीं मिला लेकिन हमने सरलीकरण कर दिया है अब घरेलू कनेक्शन ग्रामीण इलाके में जो लेना चाहेगा उसके लिये कोई डिमाण्ड नोट, कोई एस्टीमेंट की औपचारिकताएं नहीं होगीं। 1200 रुपये जमा कराओ उसको हम कनेक्शन देंगे और शहरी क्षेत्र में 1500 रुपये जमा कराओं, उन्हें कनेक्शन देंगे। इनमें कच्ची बस्तियों को भी हम लोगों ने इन्क्लूड कर लिया है।

जहां तक माननीय सदस्य ने एक बात कही है, मैं मानता हूँ कि डेगाना में ऐसे कनेक्शनों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि डेगाना में ही ज्यादा है। मकराना में इनकी संख्या ढाई हजार है, नावां में इनकी संख्या साढे तीन हजार है, जायल में इनकी संख्या तीन हजार दो सौ बियालिस है। लेकिन मैं आपकी चिंता से सहमति प्रकट करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूँ और न केवल आपको ही विश्वास दिलाता हूं बल्कि सदन के सभी सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये चार –साढ़े चार लाख जो घरेलू कनेक्शन बाकी है इनको हर हालत में 31 मार्च, 2000 तक दे दिये जायेंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल और करूंगा। माननीय मंत्रीजी ने घोषणा और भाषण देकर टेबल तो बजवा दी, लेकिन 1993-94 के जो कनेक्शन बाकी है उनके लिये हम कह रहे है, वे कनेक्शन भी नहीं हो रहे है। माननीय

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि सब डिवीजन में गांवों में जो कनेक्शन की प्रायोरिटी रखी, क्या वह एक समान रखी ? उस प्रायोरिटी में एक गांव में तो, अध्यक्ष महोदय, 1993 का कनेक्शन बाकी है, उसको तो कनेक्शन मिल जाए और 98 वालों को कनेक्शन नहीं मिले, क्या यह आप समानता रखेंगे ? पहले नहीं रखी तो क्यों नहीं रखी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा भी एक है, एक साथ ही जवाब दे देना।

डा. चन्द्रभान : नहीं--नहीं, एक साथ तो जवाब आ नहीं सकता। एक साथ जवाब नहीं आ सकता।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो सक्षम हैं एक साथ जवाब देने में। आप तो बड़े विद्वान आदमी है।

डा. चन्द्रभान : आप सभी सक्षम है। अध्यक्ष महोदय, मैं डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य को फिर आश्वस्त करता हूं कि आपके जो 1993-94 के कनेक्शन लम्बित है, इन्हें हर हालत में 31 दिसम्बर, 1999 तक कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे जो आपने कहा अलग--अलग क्षेत्रों में, यह बात आपकी सही है। इस सवाल से इसका कोई सम्बंध नहीं है वैसे, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से लोग एप्लाई करते हैं कनेक्शन और फिर जिस तरह से हम रिलीज करते हैं उसके लिये सही बात है कि पंचायत समितिवार एक वरीयता का क्रम बना रखा है। वह एग्रीकल्चर सैक्टर में भी है और डोमेस्टिक में भी है। उसी वरीयता क्रम के आधार पर कई इलाके ऐसे भी होते हैं जहां कनेक्शन मांगने वाले कम होते हैं और कई इलाके ऐसे भी होते है जहां कनेक्शन मांगने वाले ज्यादा होते हैं। उसके आधार पर वरीयता का क्रम हम लोग रखते हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, मुझे छह महीने का मौका दीजिए, एक भी घरेलू कनेक्शन बकाया नहीं रहेगा राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, नागौर में सब डिवीजनवाइज जो बकाया कनेक्शन हैं 93 से ये तो वे हैं जिनकी सिक्योरिटी जमा है, लेकिन ऐसे कनेक्शनों की आप डेट बताइये जो पैंडिंग हैं, वे कौनसे ईयर से पेंडिंग हैं ? आप जो बता रहे हैं सब डिवीजनवाइज नहीं होती, डी.एन. में प्रोयोरिटी गांव वाइज होती है तो कौनसे ईयर से अभी तक बकाया है, जिनके डिमांड नोटिस जारी नहीं हुए ? दूसरा आप कह रहे हैं कि कनेक्शन हम दे देंगे। केवल भाषण से तो दे सकते हैं लेकिन बोर्ड में आज न पोल है न तार है, न इंसुलेटर है । लाइन डैमेज होती है उसको चलाने के लिये ही नहीं है तो आप कहां से दे देंगे ? केवल भाषण से दे देंगे तो मैं कह नही सकता, बाकी हो नहीं सकता। जहा तक आपकी घरेलू कनेक्शनो के लिये नीति घोषित

(श्री अमराराम)

है, मंत्रीजी, आप यह और कर दें कि कितनी भी दूरी पर कनेक्शन हो, अगर चार पोल लगेंगे तो भी आप 1200 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में लेंगे। यह घोषणा कर दें। आपने यह कहा है कि 200 मीटर से ज्यादा दूरी होगी उनसे 100 मीटर के आठ हजार रुपये लेंगे कि घरेलू कनेक्शनं ग्रामीण क्षेत्र में 1200 रुपये में हर ग्रामीण को दे दिया जाएगा, यह केवल प्रचार हैं, भ्रामक है। 200 मीटर के बाद में आठ हजार रुपये पर पोल के हिसाब से लिये जाएंगे। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं, मोलासर में आपका एईएन आफिस है जिसमें किसानों से आडिट के नाम पर 76 लाख रुपये निकाले हैं आपने। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : इस सवाल से इसका क्या सम्बंध है ? अध्यक्ष महोदय, इनका जो एप्रिहैन्शन है कि हम ये कनेक्शन दे नहीं पाएंगे, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। जब हम लोगों ने यह घोषणा की थी कि हम किसानों को आठ घण्टे बिजली देंगे... (व्यवधान) आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस प्रकार से आप आठ घण्टे बिजली दे रहे हैं, आप ऐसा ही करोगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : दो घण्टे भी बिजली नहीं मिलती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घण्टे लाईट आती है। ये घोषणा करते हैं फालतू की। यह आठ घण्टे की बात करते हैं। आठ–आठ दिन हो जाते हैं, माननीय अध्यक्ष, एक घण्टे लाइट नहीं आती, ये आठ घंटे की बात करते हैं।

डा. चन्द्रमान : आप सुनिये तो सही।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आठ घण्टे बिजली के लिये कह रहें हैं, चार घण्टे से ज्यादा नहीं मिल रही है। (व्यवधान) यह बात सर्वथा ही गलत है।

डा. चन्द्रमान : आप सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, दो घण्टे बिजली आ रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तीन–तीन महीने तक बिजली नहीं मिली। (व्यवधान) कनेक्शन की बात कह रहे हैं, 9 महीने से डिमाण्ड भरे हुए हैं, एक भी कनेक्शन नहीं किया। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : 9 महीने से डिमाण्ड नोटिस भरे हुए हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रमान : अब आप सुनिए तो सही। (व्यवधान)

श्री रमजान खान (पुष्कर) : (व्यवधान) छह महीने के अंदर काश्तकारों को घरेलू कनेक्शन दे दिया जाएगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि कई डिमाण्ड नोटिस 65 हजार से लेकर 85 हजार रुपये तक आये हैं, उनका क्या करोगे ? क्या गरीब 65 हजार रुपये दे पाएगा गांवों के अंदर ? इसका

(श्री रमजान खान)

क्या जवाब है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति नहीं दी है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं सबका जवाब दूंगा। आप जरा शांत रहिये फिर 25 को भी देंगे। आप मुझको कम्प्लीट तो करने दीजिए। राजेन्द्र जी, अब इनके सवाल का तो जवाब तो दे दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे अलाउ किया है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जवाब के बाद अलाउ किया है।

डा. चन्द्रभान : ऐसा है, एक कह रहा है कि दो घण्टे मिल रही है, पीछे से एक जना कह रहा है, सामने से आ रहे हैं मारवाड़... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक माननीय सदस्य, यह कहो।

डा. चन्द्रभान : एक माननीय सदस्य कह रहे है हैं कि दो घण्टा मारवाड़ जंक्शन से आने वाले, खारची से आने वाले–माननीय सदस्य कह रहे हैं कि चार घण्टा, एक माननीय सदस्य अभी कहेंगे छह घण्टा। अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि रबी की फसल के वक्त जब राजस्थान के किसानों को बिजली की जरूरत थी, नियमित रूप से लगातार आठ घण्टे बिजली दी गयी, जिसको आप सब लोगों ने भी स्वीकार किया।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल असत्य बयान है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं, आप अच्छी तरह यह समझते हैं कि आर.ए.पी.पी. की दो यूनिट काम नहीं कर रही है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : (अटरू) दो–दो, तीन–तीन घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली हैं। (व्यवधान) राजस्थान के किसानों के साथ इन्होंने क्या किया है ? फसलें सूखी की सूखी रह गयीं, खेतों में पानी का इन्तजार करते रहें, बिजली का इन्तजार करते रहें। (व्यवधान) लोग परेशान हो गये। कितनी फसल उपजी ? जहां 10-10 बीघा उपजती थी....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह कोई तरीका नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनजी दिलावर, आप हमेशा बीच में इन्टरवीन करके सदन में अव्यवस्था मत फैलाइयें।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब दूंगा मैं। धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उसे आरोप भी कह सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि पिछले साल हमें तो बहुत कम वक्त मिला था, चार महीने का वक्त मिला था, आप तो 45 गांव

(डा. चन्द्रभान)

विद्युतीकृत करके गये थे, हमने 750 का कोटा पूरा किया। आपने तो एक लाख लोगों को घरेलू कनेक्शन दिये थे, हमने सवा दो लाख लोगों को कनेक्शन दिया 31 मार्च, 1999 तक और अप्रेल से सितम्बर तक। आप जानते हो कि शुरू के समय में कनेक्शन करने में दिक्कत आती है, बजट का एलोकेशन होता है, दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं फिर भी आज की तारीख तक 57,249 घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। पूरे राजस्थान में जो 4,26,755 कनेक्शन बकाया हैं, ये पिछले 10 साल से बकाया हैं, कोई एक साल से बकाया नहीं हैं। मैं मानता हूं इस बात को ....(व्यवधान)

श्री रमजान खान : 75 हजार, 80 हजार रुपये के डिमाण्ड नोटिस घरेलू कनेक्शनों के लिये आ रहे हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप कहां की बात कर रहे हैं ? एग्रीकल्चर से इसको मिक्स मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : 65 हजार रुपये, 75 हजार रुपये गरीब आदमी कहां से देगा ?

श्री हीरासिंह चौहान : पीड़ी के बाड़े में एक लाख का कनेक्शन दिया है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : इस सवाल से इसका क्या मतलब है ? इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान) ठीक है, होंगे। ऐसा तो नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 19 साल से पैंडिंग है। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : घरेलू कनेक्शन में जिसके सात खम्भे लगेंगे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य मुझसे पूछ रहे हैं कि कौनसे जिले में, कौनसी तहसील में, कौनसे गांव में कब–कब से कनेक्शन लम्बित हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : नागौर की बता दें आप तो।

डा. चन्द्रभान : नागौर का इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो सवाल आप पूछ रहें हैं पूछ ले लेकिन पूरे सवाल को देख लें। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : 1200 रूपये को आप क्लीयर करें, सात खम्भों पर क्या 1200 रुपये लगेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नागौर का पूछ रहा हूं, राजस्थान का नहीं पूछ रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है इसका। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैं बकाया का

(श्री अमराराम)

पूछ रहा था। कब से बकाया हैं, यह पूछा है मैंने ?

डा. चन्द्रभान : नहीं, बकाया का इसमें दिया है। (व्यवधान) नहीं–नहीं, इसमें नहीं है। इसमें यह पूछा गया है कि जिला नागौर में कुल कितने घरेलू कनेक्शन अब तक बकाया हैं, संख्या सूचित करें।

श्री अमराराम (धोद) : कितने साल से बकाया हैं, यही तो पूछ रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : पूरे नागौर जिले में 24 हजार 364 कनेक्शन बकाया हैं और तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। कब–कब से बकाया है, यह इस सवाल में नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कब–कब से बकाया हैं, यही तो पूछा है। 19 साल से बकाया हैं। अभी 1980 से ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप फिर इस सवाल को सुनिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आज तक डिमाण्ड नोटिस नहीं निकाला 19 साल में, इससे रेलेवेंट कैसे नहीं है ? यही पूछ रहा हूं, घरेलू कनेक्शन पैंडिंग कब से है, मैं एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को आप देखिये। (व्यवधान) नहीं, सवाल को देखिये आप।

श्री अध्यक्ष : सवाल नागौर जिले का है और खास तौर से डेगाना क्षेत्र का है, उस सम्बन्ध में पूछा है। अब 80 से है या कब से है, यह कोई ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पैंडिंग पूछा है।

श्री अध्यक्ष : पैंडिंग चार लाख बता दिया उन्होंने।

श्री अमराराम (धोद) : डेगाना का बता दें आप और इसमें नागौर का पूरा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बता दिया है इन्होंने डेगाना का।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा पढ़कर सुनाता हूं सवाल को।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री अमराराम (धोद) : जिनके डिमाण्ड नोटिस जमा हैं...(व्यवधान) जिनके बकाया डिमाण्ड नोटिस भी नहीं निकाले, उनके लिये पूछ रहा हूं कौनसे ईयर से है। डेगाना का बता दें आप। डेगाना में तीन ए.ईएन. आफिस हैं।

डा. चन्द्रभान : जिला नागौर में कुल कितने घरेलू कनेक्शन अब तक बकाया हैं ? 24,364 बकाया हैं। कब से बकाया हैं ? यह नहीं पूछा है।

श्री अमराराम (धोद) : किस ईयर से बकाया हैं, यह मैं पूछ रहा हूं। सप्लीमेंट्री किस बात के लिये है ? सप्लीमेंट्री इसी बात के लिये है कि घरेलू कनेक्शन कौनसे ईयर से बाकी हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मंत्री महोदय, आपने सदन को अवगत कराया कि राजस्थान में 4 लाख 26 हजार घरेलू कनेक्शन बाकी हैं और 56 हजार कनेक्शन जब से आप मंत्री बने हैं तब से आपने करके बड़ा तीर मार लिया। मैं इस पर तो नहीं जाऊंगा परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि आपने अभी नीति को संशोधित किया है, पहले जो घरेलू कनेक्शन गांव के व्यक्तियों को 200 और 300 रुपये के बीच में डिमाण्ड नोटिस में मिल जाता था, अब आपने 1200 रुपये कर दिया। मैं पूछना चाहूंगा कि जितने लम्बित आवेदन–पत्र हैं इन आवेदन–पत्रों का जो डिमाण्ड नोटिस निकलेगा वह आपकी नयी नीति के अनुरूप निकलेगा या पुराने समय में डिमाण्ड नोटिस जिस नीति के आधार पर, जिस रेट के आधार पर उस गरीब व्यक्ति ने जमा कराया उसके हिसाब से निकलेगा ?

दूसरा, मंत्री महोदय, आपको याद होगा कि आपने बजट के अन्दर बड़ी मेजे थपथपायी थीं जब आपने एक तिथि बतायी थी कि राजस्थान में जितने भी पैंडिंग घरेलू कनेक्शन हैं हम उस तारीख तक पूरा कर देंगे। अब आप दो हजार तक चले गये।

तीसरा, आप कहते हैं कि आपने किसान को 8 घण्टे बिजली दी, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बिजली दी उसमें कितनी बिजली आपने स्वयं उत्पादित की और कितनी बिजली क्रय करके दी ? किन–किन जिलों में 8 घण्टे बिजली दे दी, यह बता दें आप।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न के दायरे में नहीं आता है, जनरल क्वेश्चन है।

श्री दुर्गा प्रसाद : (व्यवधान) आप साथ ही दे दें, मंत्रीजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी दुर्गा प्रसादजी।

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह कहा कि हम घरेलू लम्बित कनेक्शन दो हजार तक पूरे कर देंगे, मेरा निवेदन है कि कुछ गांवों में बिजली बहुत पहले दे दी गयी थी और वहां पर बिजली की लाइन चोरी हो गयी। मेरे चुनाव क्षेत्र में कमालपुरा एक ऐसा गांव है जहां पर करीब तीन साल पहले बिजली की लाइन चोरी हो गयी। मैं बार–बार ए.ईएन. से बात कर रहा हूं, एक्स.ईएन. से कहता हूं, एस.ई. से कहता हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले तीन साल से बिजली के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। वहां पर बिजली पहुंच गयी है, तीन साल पहले पहुंच गयी है लेकिन लाइन चोरी हो गयी, खम्भे गिर गये, उनको नहीं लगाया जा रहा है। क्या मंत्रीजी इस तरफ भी ध्यान देंगे।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि

(डा. चन्द्रभान)

57 हजार 239 कनेक्शन मेरे मंत्रीत्वकाल में दिये गये हैं, ये तो एक अप्रेल से लेकर आज तक दिये गये हैं और एक दिसम्बर से लेकर 31 मार्च तक सवा लाख और दिये हैं, उनको भी काउन्ट कर लो इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे थे उसमें।

डा. चन्द्रभान : नहीं, हमने रिलीज किये हैं, आपने नहीं किये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस दिन हमने शासन छोड़ा उस दिन करके गये थे उसमें से 86 हजार कनेक्शन तो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान मत डालिये, आप बहुत सीनियर व शिष्ट सदस्य हैं सदन के।

डा. चन्द्रभान : 1 लाख 82 हजार कनेक्शन पिछले 9 महीने में दिये गये हैं इस कांग्रेस के शासनकाल में।

दूसरा, आपने कहा कि यह जो नीति है यह कब से लागू होगी, जब यह नीति हमने बनायी है 12 सितम्बर को तो 12 सितम्बर के बाद में ही लागू होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पुराने आवेदकों पर लागू नहीं होगी ?

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये तो सही। पुराने आवेदकों पर लागू है। पुराने जो सवा चार लाख आवेदक हैं इन सब पर यह लागू है। इनमें से जिन लोगों ने डिमाण्ड नोट के पैसे जमा करा दिये, किसी ने 1993-94 में करा दिये, किसी ने 1995-96 में करा दिये, आपने तो कनेक्शन दिये नहीं उनको, उनके जो डिमाण्ड नोट जमा हैं उसी रेट के आधार पर कनेक्शन दिये जाएंगे। 12 सितम्बर के बाद जो 1200 रुपये गांव में और 1500 रुपये शहर में जमा कराएगा उसको कनेक्शन दिये जाएंगे और जो सवा चार लाख हैं उन लोगों को यह छूट होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, दूरी बता दो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक गांव में अगर पांच किलोमीटर दूर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, अभी ऊर्जा मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया है कि ये जो पैंडिंग कनेक्शन हैं ये कुछ सामान की उपलब्धता नहीं होने के कारण नहीं दिये जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से दो सवाल पूछना चाहूंगा। आपने 12.9.1999 को एक परिपत्र जारी किया, एक आदेश जारी किया उसमें आपने कहा कि मीटरों के कारण और मीटर बक्सों के कारण जिन उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं वे अगर स्वयं अपने मीटर लगा लें तो उनको कनेक्शन दे दिये जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब स्थिति है, जब बिजली बोर्ड को ही मीटर बक्से नहीं मिल रहे हैं, सामान अनुपलब्ध है तो इंडिवीजुअल आदमी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कहां से लेकर आएगा ? इस आदेश की क्या सार्थकता है ? दूसरा आपने एक बात यह कही है कि जिन लाइनों को पूरा नहीं किया गया है अगर उनका खर्चा 50 हजार रुपये तक ही आयेगा तो हम उसको पूरा करा देंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह कब तक पूरा करा देंगे ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, एक तो यह भ्रांति है, इसको मैं जरा दूर कर देता हूं। यह जो मीटर की बात आपने कही है, यह उपभोक्ता को एक आप्शन दिया गया है। वह चाहे तो बाजार से स्वयं अपना मीटर खरीद सकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अवेलेबल हैं क्या बाजार में ?

डा. चन्द्रभान : अवेलेबल हैं। (व्यवधान) आप सुनिये तो सही। इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बाकायदा आर.एस.ई.बी. की सील उस पर होगी, वह मारकेट में अवेलेबल होगा। उपभोक्ता चाहे तो स्वयं उस मीटर को खरीद कर सार–संभाल कर सकता है। आर.एस.ई.बी. ऐसे उपभोक्ताओं से मीटर का किराया नहीं लेगी। परन्तु माल लीजिए, उपभोक्ता स्वयं का नहीं लेना चाहता है तो आर.एस.ई.बी. बकायदा मीटर लगाएंगी। वह आर.एस.ई.बी. से भी परचेज कर सकता है मीटर और नहीं परचेज करना चाहे तो आर.एस.ई.बी. मीटर लगाएंगी और उसका किराया उससे वसूल करेगी। यह आप्शन है। यह आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया।

दूसरा, 50 हजार रुपये वाली बात है। अध्यक्ष महोदय, अभी गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कई गांवों का विद्युतीकरण तो कर दिया लेकिन आंधी से, तुफान से या कहीं बिजली की लाइन चोरी हो गयी तो वहां विद्युत तंत्र मौजूद नहीं है। ऐसे गांवों के लिए हमने एक व्यवस्था की है कि उन गांवों में दोबारा से विद्युत की सप्लाई को व्यवस्थित किया जाए। इसके लिये ऐसे गांव जहां पर 50 हजार रुपये ही लाइन का खर्चा आता है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेकर उनमें यह व्यवस्था कर दी जाए। जिनमें 50 हजार से भी ज्यादा का खर्चा आएगा उसके लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं।

श्री दूर्गा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, वहां तीन साल से बिजली नहीं आ रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : 50 हजार वाले कब तक कर देंगे ? 50 हजार का जो खर्चा है उनको कब तक पूरा कर देंगे ? बाकी तो आपने कह दिया कि 31 मार्च, 2000 तक करेंगे, यह 50 हजार का कब तक कर देंगे ?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार से निवेदन कर रहा हूं, केवल एक सवाल। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं। (व्यवधान) एक प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

पर आधा घण्टा ले लिया है। अब कोई अनुपूरक सवाल पूछने की अनुमति नहीं देता। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : यह 1200 मीटर वाली जो दूरी है इसके बारे में...(व्यवधान) मंत्री महोदय, कुछ नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री ज्ञान चन्द पारख। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : 1200 रुपये में दस खम्भे लगेंगे तो आप कनेक्शन दे देंगे ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय काफी महत्त्वपूर्ण सवाल है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ देखें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : 1200 रुपये में 10 खम्भे लगेंगे तो भी आप कनेक्शन दे देंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री ज्ञानचन्द पारख। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : 1200 रुपये का तो तय किया है, क्या 5 खम्भे लगेंगे ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें तो आप कभी मौका नहीं देते, हम पीछे बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। गांव के लोग कन्फ्यूज्ड़ हैं, 1200 रुपये लेकर आप कनेक्शन गांवों में दे देंगे क्या ?

श्री कन्हैया लाल : यह दूरी के बारे में है, जो घरेलू कनेक्शन दिये गये 1200 रुपये में। मैं कह रहा हूं किसी काश्तकार के अगर घरेलू कनेक्शन लेने में 5 खम्भे लगते हैं तो क्या उनको भी 1200 रुपये में दिया जाएगा कनेक्शन, मंत्री महोदय, यह स्पष्ट करें ?

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, 10 खम्भे लगेंगे, 5 लगेंगे तो भी दे देंगे क्या ?, (व्यवधान)

प्रश्न संख्या–36

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री ज्ञानचन्द पारख।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री कन्हैया लाल : यह 1200 रुपये में क्या 5 खम्भे लगेंगे घरेलू कनेक्शन लेने में ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : तो भी दे देंगे क्या ?

श्री कन्हैया लाल : यह तो आप गुमराह कर रहे हैं। मतलब 1200 रुपये में दे रहे हैं, यह गलत है, मंत्री महोदय। आप 5 खम्भे वाले को 1200 रुपये में नहीं दे रहे हो, दो खम्भे वाले को 1200 रुपये में नहीं दे रहे हो और आज यहां सदन में गुमराह कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप

(श्री अध्यक्ष)

बैठिये। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल नहीं। गुमराह किया गया है। 1200 रुपये में कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। ये बिलकुल असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप व्यवधान मत डालिये, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है।

श्री कन्हैया लाल : अगर किसी के दो खम्भे लग रहे हैं उसको 1200 रुपये में घरेलू कनेक्शन दे देंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह तरीका नहीं है। आप नीचे बैठिये।

श्री कन्हैया लाल : 1200 रुपये में कनेक्शन देंगे हम; यह गुमराह कर रहे हैं सदन को एक तरह से। दो खम्भे वालों का देंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : सदन में थोड़ी व्यवस्था रखिये।

कल बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारा प्रश्न नहीं आ सकता है, माहिर आजादजी यह बात कह रहे थे। आधा घण्टा एक क्वेश्चन ने ले लिया फिर आपके सामने बिल आ रहा है, दिन भर उसमें चर्चा होगी, उसमें यहां प्रश्न पूछ सकते हैं।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मोहन लाल बारूपाल और श्री हरजीराम बुरड़क।

आवासन मण्डल के अधिकारियों की जोधपुर यात्रा पर व्यय

37. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) एवं **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या नगरीय विकास एवं आसासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अप्रेल, 1999 से अगस्त, 1999 तक राजस्थान आवासन मण्डल के किन–किन अधिकारियों ने जोधपुर की यात्राएं किस प्रयोजन के लिए कीं तथा उक्त यात्राओं में कितना–कितना यात्रा व्यय हुआ ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में गत वर्ष की यात्राओं का विवरण भी सदन मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) मण्डल के विभिन्न अधिकारियों द्वारा दिनांक 1.4.1999 से 31.8.1999 तक की गयी यात्रा का विवरण मय प्रयोजन एवं व्यय के परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। कुल व्यय रुपये 51317.19 मात्र।

(2)मण्डल के विभिन्न अधिकारियों द्वारा दिनांक 1.4.1998 से 31.8.1998 तक की गयी यात्रा का विवरण मय प्रयोजन एवं व्यय के परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछने का आशय यह था कि

(श्री हरजीराम बुरड़क)

राज्य सरकार के निगम, मण्डल और कम्पनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जिस प्रकार से यात्राओं पर या अन्य कार्यों पर खर्च किया जा रहा है इस पर राज्य सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। अभी वित्त मंत्रालय ने कटौती के संकेत दिये हैं उसके उपरान्त भी राज्य सरकार के विभागों, इनके कार्य कलापों में और खर्चों में बहुत बड़ा अन्तर है। इसलिये मैंने यह प्रश्न पूछा था। इसमें तो यात्राओं के कारण दिये गये हैं। इसमें जो खर्चा किया गया है इससे यह साफ होता है। अगर राज्य सरकार का डिपार्टमैंट इस तरह की कोई यात्रा करता है तो इसमें सौ तरह के आब्जेक्शंस होते, लेकिन इन मण्डलों, निगमों में किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है। आज कोई भी निगम चाहे तो अपने चपरासी को बम्बई की यात्रा हवाई जहाज से करवा सकता है लेकिन चीफ सैक्रेटरी नहीं करवा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था और फिजूल खर्ची हो रही है, इससे ये घाटे में चले जाएंगे। जैसा कि आवासन मण्डल और आवास विकास संस्थान का हाल है, इसी प्रकार के हो जाएंगे। इसलिये मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इनके खर्चों पर आप नियंत्रण रखें। इनके जो नियम अलग से बना रखें है यात्राओं के लिए, उनमें आप नियंत्रण करके कम से कम राज्य सरकार के बराबर तो करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। नहीं, आप इसको लम्बा मत करिये। आपने पूरा भाषण देना शुरू कर दिया। आप प्रश्न पूछिये न।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह भाषण नहीं है, यह महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पढ़कर आया करो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लिखा हुआ लाया हूं। आप पढ़ दो इसे। जनता ने आपको इस काबिल तो रखा नहीं कि आप जवाब पढ़ो। जवाब तो हम पढ़ने के लिए बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समय आने दो, सात तारीख आने दो, फिर बताएंगे आपको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सात तारीख को क्या तूफान आ जाएगा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सात तारीख के बाद ...(व्यवधान) पर पीछे की बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है वह आगे मिलेगी। अध्यक्षजी वहां उस कोने में मिलेंगे मुख्य मंत्रीजी वाले कोने में।

श्री रामस्वरूप : सात तारीख को +++ चिन्ता मत करो। जनता ने साफ कर दिया है आपको।

श्री अध्यक्ष : माननीय संदस्य। आर्डर प्लीज। मंत्रीजी।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि खण्ड–1 में पूछा गया है, कुलमिलाकर इन पांच महीनों में 1.4.99 से लेकर 31.8.99 तक जोधपुर की यात्राओं पर जो मण्डल के अधिकारियों द्वारा खर्च किया गया है वह सिर्फ 51 हजार रुपया खर्च किया गया है। जैसा आपने खण्ड–2 में पूछा था, 1.4.98 से 31.8.98 तक जो टोटल खर्चा हुआ था सिर्फ जोधपुर डिवीजन का वह 41 हजार रुपया हुआ था। सिर्फ 10 हजार रुपया बढ़ा है और दस हजार रुपया भी इसलिए बढ़ा है क्योंकि नयी–नयी योजनाएं उस डिवीजन में मण्डल द्वारा हाथ में ली गयी हैं। मण्डल की योजनाओं की क्रियान्विति के लिए आफिसर जाएगा ही जाएगा। जाएगा तो आठ–दस हजार रुपया अगर ज्यादा हुआ है तो मेरे खयाल से कोई ऐसी विशेष बात नहीं है।

दूसरी बात आपने यह कही कि मंण्डल के अधिकारियों के खर्चो के ऊपर राज्य सरकार की पाबन्दी नहीं रहती। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के नियम और इस प्रकार की सोच सरकार बना रही है जिससे कि मण्डल के अधिकारी जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं करें।

प्रश्न संख्या–38

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री नारायण सिंहजी। नहीं हैं।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामसिंह कस्वां।

सादुलपुर (चूरू) में प्रस्तावित ग्रिड सब–स्टेशन

39. **श्री रामसिंह** कस्वां (सादुलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू में बिजली आपूर्ति में अवरोध रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) गत पांच वर्षो में उक्त जिले में 132/33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कितने स्वीकृत हुए हैं जिनमें से कितनों का निर्माण कर लिया गया है और कितना का शेष है जिनका निर्माण कब तक करा दिया जाएगा ? अब तक निर्माण नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सादुलपुर (चूरू) उप खण्ड के ग्राम रामपुरा, नूहन्द–नेशल में 33 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशन की आवश्यकता है ? यदि हां, तो सरकार कब तक स्वीकृत करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जी नहीं। चूरू जिले में विद्युत आपूर्ति में कोई अवरोध नहीं है। प्राकृतिक व तकनीकी व्यवधानों को छोड़ कर उपलब्धि के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) गत पांच वर्षो में चूरू जिले में 132/33 के.वी. के पांच ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत किये गये, जिनमें से सरदारशहर, डूंगरगढ़ एवं बीदासर क्रमशः 24.3.96,

(ऊर्जा मंत्री)

30.3.96 तथा 1.9.99 को कार्य पूर्ण कर चालू कर दिये गये। इसके अतिरिक्त चांदकोठी एवं तारानगर 132/33 के.वी. सब स्टेशन स्वीकृत हैं तथा इनके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसी वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ कर अगले वर्ष 2000 में कार्य पूर्ण किये जाने की संभावना है।

(3) सादुलपुर (चूरू) उप खण्ड में ग्राम रामपुरा, नूहन्द व नेशल में 33 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशन बनाने के प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है। तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामसिंह कस्वां : अध्यक्ष महोदय, खण्ड–1 में आपने जवाब दिया है कि चूरू जिले में आपूर्ति में कोई अवरोध नहीं है जबकि जिले के हालात यह हैं कि पूरी मूंगफली की फसल नष्ट हो चुकी है हमारे यहां क्योंकि बिजली नाम मात्र की आती है। कल डूंगरगढ़ से सौ किसान मेरे पास आये थे और वहां के एम.एल.ए. के पास भी आये थे, 17 तारीख से जो बिजली आपूर्ति आप करते थे उससे आधी कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में प्राकृतिक व तकनीकी कारणों से कितनी बार अवरोध रहा और प्रत्येक क्षेत्र में आपने कितनी विद्युत सप्लाई की ? दूसरा, आपसे यह कहना चाहूंगा कि सादुलपुर उप खण्ड में ग्राम रामपुरा, नूहन्द और नेशल 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के जो प्रस्ताव मंगवाये थे वे किसने भेजे हैं ? उसकी तकनीकी जांच कब तक हो जाएगी और देरी होने के क्या कारण रहे ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक विद्युत आपूर्ति की बात है, मैं माननीय सदस्य से सहमति व्यक्त करता हूं कि तकनीकी कारणों से और प्राकृतिक कारणों से कई बार व्यवधान आता है। चूरू जिले में जिस तरह के विद्युत तंत्र का विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाया है और जलवायु की दृष्टि से भी वहां थोड़ी दिक्कत है। जहां तक डूंगरगढ़ के किसानों का सवाल है, वे आपसे भी जरूर मिले होंगे और मेरे से भी मिले थे। डूंगरगढ़ के माननीय सदस्य भी कल सवेरे मेरे पास आये थे। मैंने बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के पास उनको भेजा। उनका यह कहना था कि आप पहले तो आठ घण्टे बिजली वहां सप्लाई कर रहे थे लेकिन पिछले एक सप्ताह से वहां थोड़ी दिक्कत है और चूंकि मंगफली की फसल तैयार होने को है इसलिये वहां सप्लाई बढ़ायी जाए। आप तो जानते हैं कि एन.टी.पी.सी. की दो यूनिट जो उत्तर प्रदेश में हैं, वह इस समय काम नहीं कर रही हैं। आर.ए.पी.पी. की एक यूनिट तो पहले से ही बन्द है, दूसरी यूनिट भी अचानक खराब हो गयी इसलिये 400 मेगावाट की कमी थी। हमने इण्डस्ट्रीज में थोड़ा कट लगाया। कल रात को मुझे जानकारी दी गयी कि 200 मेगावाट

(डा. चन्द्रभान)

की कमी है और व्यवस्था कल तक ठीक हो जाएगी। कल भी मैंने अधिकारियों को कहा कि जहां–जहां मूंगफली की फसल तैयार होने को है वहां दिक्कत है, उसके लिए किसी भी सूरत में आठ घण्टे सप्लाई की जाए। इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं।

डूंगरगढ, बीकानेर, लूणकरणसर और पूरे चूरू जिले में एक दिक्कत और है कि यहां भी विद्युत तंत्र का विकास थोड़ी देरी से हुआ है, जमीन में पानी से देरी से मिला है। वहां एक अच्छी बात है कि किसानों के पास अच्छी होल्डिंग है जैसा कि झुन्झुनूं और सीकर में होल्डिंग है। 15 से 20 बीघा वहां होल्डिंग है। 100 से 125 बीघा है। 15 से 20 में तो इस गर्मी के मौसम में बारिश नहीं हो रही है इसलिये हम आठ घण्टे, सात घण्टे किसानों को बिजली सप्लाई कर सकते हैं लेकिन वहां एक दिक्कत है कि वहां आठ घण्टे से भी काम नहीं चलता है। जरूरत होगी तो हम दस घण्टे भी सप्लाई देने की व्यवस्था करेंगे।

श्री रामसिंह कस्वां : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी भी कहा और पिछले सत्र में भी आपने कहा था कि चूरू जिले में हम सुधार कर देंगे। सुधार कब तक कर दोगे इसके अन्दर ?

डा. चन्द्रभान : नहीं, मैंने कहा कि आर.ए.पी.पी. की यूनिट आ जाएगी 24 तारीख को और एन.टी.पी.सी. की दोनों यूनिट भी आज रात तक या कल तक शुरू हो जाएगी तो आज कल में ही कर देंगे। आपने 33 के.वी. की तकनीकी जांच की जो बात कही है, इसका एक सिस्टम बना हुआ है और उसकी तकनीकी जांच चल रही है। ज्यों ही रिपोर्ट आएगी, हमारे मापदण्ड हैं उनके अनुसार यदि आवश्यक हुआ तो यह 33 के.वी. का जी.एस.एस. भी मंजूर कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत है उनकी पूर्ति कितने समय में आप कर देते हैं या इनको बना देते हैं ? ये ग्रिड सब स्टेशन का ठेके पर काम करवाते हैं, या खुद बोर्ड बनाता है ? एक तो मेरा यह है और दूसरा, जो ए.ईएन. आफिसेज हैं उनके आपके पास कोई उपकरण ही नहीं हैं तो वहां पर किस तरीके से आप स्टेशन बनाएंगे ? (व्यवधान) कुछ भी नहीं है। (व्यवधान) नहीं, दोनों हैं। इसमें कहां दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो चूरू का है, आप पूरे राजस्थान को अपना प्रश्न बना रहे हैं। चूरू के सम्बन्ध में प्रश्न था।

श्री जगत सिंह दायमा : सब ग्रिड स्टेशन का ...

श्री अध्यक्ष : आप दायरे में रहिये।

श्री जगत सिंह दायमा : चूरू में ही

(श्री जगत सिंह दायमा)

बता दीजिए। जो सब ग्रिड स्टेशन अभी तक नहीं बने हैं उनको ठेके पर बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं या बोर्ड बनवाएगा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने प्राकृतिक और तकनीकी व्यवधानों के कारण आपूर्ति में कमी बतायी थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि प्राकृतिक और तकनीकी व्यवधान पिछले एक वर्ष में कितनी बार आये, तकनीकी व्यवधान क्या–क्या थे और क्या इन तकनीकी व्यवधानों को दूर कर दिया गया था ? दूसरा, सादुलपुर में जिस 33 के.वी. सब स्टेशन की बात माननीय सदस्य ने की है, आपने कहा कि तकनीकी रूप से सही पाये जाने पर स्वीकृत करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव जो विचाराधीन है, जो बिना तकनीकी स्वीकृति के और बिना ए.ईएन., एक्स.ईएन. और एस.ई. की जांच के सीधे आपके पास आ गया तो अब आप दुबारा तकनीकी रूप से इसको दिखवाएंगे ? मैं समझता हूं कि अनावश्यक विलम्ब का कारण है। आपने कहा विद्युत आपूर्ति वहां दस घण्टे देंगे, वर्तमान में आप कितने घण्टे चूरू जिले में बिजली दे रहे हैं ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, तकनीकी फाल्ट और प्राकृतिक व्यवधान की जो बात कर रहे हैं, इसको ऐसा है कि कोई अलग से काउन्ट नहीं किया जाता है। कई बार यह ट्रिपिंग दिन में चार बार, छह बार भी आ जाती है, कई बार दो–तीन बार भी आती है। मैंने पहले भी इनको कहा....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, बीस–बीस बार ट्रिपिंग आती है, बीस–बीस बार ।

डा. चन्द्रभान : इतनी तो नहीं आती हैं। मैं भी जनता के बीच रहता हूं। माननीय विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहूंगा, मैं मानता हूं कि राजस्थान में बिजली की कमी है लेकिन साढ़े नौ महीने का वक्त हो गया है, कहीं भी बिजली को लेकर ये कोई आन्दोलन कर पाये। यदि बिजली मिलती ही नहीं गांव के लोगों को, किसानों को तो लोग सड़कों पर नहीं आ जाते, जैसे आपके समय में लोग सड़कों पर आते थे ? अब ये एक बात कह रहे हैं इसलिये कोई इसको काउन्ट नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात आपने कही कि 33 के.वी. जी.एस.एस. के लिए नीचे से प्रपोजल आ गये, अब ऐसा है कि प्रपोजल तो आते हैं लेकिन फिर हम उनकी जांच कराते हैं।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : हमारे यहां यह हालत है कि घरेलू कनेक्शन के लिये आठ–आठ घण्टे बिजली मिलती है...

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, नहीं।

श्री जीतमल खांट : उसके बाद बिजली नहीं मिलती है, सड़कों की बात तो आप छोड़िये।

डा. चन्द्रभान : उसकी जांच के कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बिना कोई भेदभाव के हम यह बनाते हैं और इसमें पैरामीटर्स जो भी बने हुए हैं, उनके अर्न्तगत इनकी स्वीकृति दी जाएगी।

एक बात, अध्यक्ष महोदय, बार–बार कही जा रही है कि बिजली की कमी है। मैं मानता हूं कि कमी है लेकिन आपूर्ति का जहां तक सवाल है सरकार ने अपनी ओर से पूरे प्रयास किये हैं। कोई किसानों के लिये नहीं बल्कि आम उपभोक्ता के लिए। तुलनात्मक विपक्ष के बी.जे.पी. के डिप्टी लीडर साहब बैठे हैं, आपने खुद ने एक सवाल किया था और उसका जवाब भी हमने आपके पास भिजवाया है।

श्री अध्यक्ष : बी.जे.पी. के शासनकाल के 1998 के आठ महीने के मुकाबले इस सरकार के दिसम्बर से लेकर 31 जुलाई के आठ महीने के शासनकाल में 130 करोड़ यूनिट ज़्यादा बिजली उपलब्ध करायी गयी है राजस्थान की जनता को और उसके लिये सरकार को बिजली बोर्ड को 360 करोड़ रुपये ज्यादा अदा करने पड़े है।

श्री मोहन लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। अभी ऊर्जा मंत्रीजी ने फरमाया कि चूरू जिले में मूंगफली की फसल है, 8 घण्टे बिजली दी जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और अजमेर जहां रबी में कपास की फसल होती है, और मिर्ची की फसल है, क्या मंत्रीजी आठ घण्टे बिजली उनको देंगे ?

डा. चंन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। हम उन क्षेत्रों को चिन्हित करवा रहे हैं जहां चाहे मिर्च की फसल हो, कपास फसल हो या मूंगफली की फसल हो। यह पूरे राजस्थान में तो नहीं है पर जहां–जहां भी जरूरत होगी। मैंने पांच–दस दिन के लिए आठ से दस घण्टे की बात कही थी, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे, उन फसलों को बचाने की पूरी कोशिश होगी कि हर हालत में उन्हें आठ घण्टे बिजली उपलब्ध करवाएं।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है मेरा। माननीय मंत्री महोदय, आप यह चिन्हित करने के लिए कौनसी प्रक्रिया अपना रहे हैं ? आज की फसल सूख जायेगी अगर बिजली नहीं मिलेगी। पानी नहीं मिलेगा तो फसल सूख सकती है। चिन्हित कराने में समय लगेगे, किस प्रक्रिया पर और कैसे करवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री केसारामजी।

श्री सांवर लाल : मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार डूंगरगढ़ के किसानों को आपने आश्वासन दिया है, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर के किसानों को भी आश्वासन दे दीजिए कि आठ घण्टे–दस घण्टे बिजली मिलेगी।

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके दल के और भी सदस्य पूछ रहे हैं। श्री केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, देसूरी सब डिवीजन में 33 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत है पर उसका कार्य अभी तक चालू नहीं करवाया। आप उसको मार्च तक कम्प्लीट करने का कह रहे हैं मगर उसका कार्य तो अभी तक चालू नहीं करवाया, जबकि देसूरी के एण्ड पर वोल्टेज की समस्या कई वर्षो से बनी हुए है। उसको पूरा करने के लिये आपने आश्वासन तो दे दिया था लेकिन काम अभी तक चालू नहीं करवाया तो मार्च तक कैसे वह पूर्ण हो जाएगा, मेरा निवेदन यह है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न चूरू से सम्बन्ध रखता है। श्री रतनाराम।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मंत्रीजी ने कपास के लिए और मूंगफली के लिए बिजली देने का आश्वासन दिया, इसी तरह से हमारे जालौर जिले में अरण्डी की बम्पर क्राप बोते हैं। डेढ़ दो महीने पहले अरण्डी हमने बो दी, अब बरसात है ही नहीं जालौर जिले में। दो साल से भयंकर अकाल है और वहां हम लोग अरण्डी बोते है क्योंकि गुजरात के हम पड़ौसी है। गुजरात के पड़ौसी होने के नाते ...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : हमारा यही निवेदन है कि जिस तरह से आठ घण्टे उनको देने का आप निर्देश दे रहे हो उसी तरह से हमारे जालौर, सिरोही को भी आठ घण्टे...

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, प्रश्न पूछ लिया आपने।

श्री रतनाराम चौधरी : बिजली देने का आश्वासन आप जरूर देंगे।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत बिजली मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जालौर जिले के भीनमाल सब डिवीजन के अन्दर 52 मेगावाट स्वीकृत है और आप 52 मेगावाट नहीं देकर 35 मेगावाट ही बिजली देते हैं तो वहां आठ घण्टे बिजली कहां से मिलेगी लोगों को ? इसका जवाब दीजिए कि पूरे मेगावाट बिजली देंगे, क्योंकि अकाल की स्थिति है। हमारे वहां बाजरे की फसल बोई हुई है, ज्वार बोई हुई है, किसानों की फसलें खराब हो जाएंगी फिर क्या मिलेगा ? इसलिये वह पूरा मेगावाट हमारे भीनमाल सब डिवीजन का जो स्वीकृत है आपके कागजों में, वह पूरा स्वीकृत मेगावाट मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एनर्जी मिनिस्टर के बयान से जो समझ पाया हूं उसका मतलब क्या यह है कि आप जहां मूंगफली और कपास की फसल है उन जिलों में तो आठ और

(श्री जगमाल सिंह यादव)

दस घण्टे बिजली देंगे और जो शेष जिले हैं, जो मूंगफली और कपास का उत्पादन नहीं करते हैं, जहां तिल्ली, ग्वार और बाजरा है वहां आप सप्लाई नहीं देंगे ? इसका अर्थ यही है ? अध्यक्ष महोदय, एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि...(व्यवधान) आप मंत्री हो क्या ? आपकी सीट के नीचे कुछ है क्या, अब्दुल अजीज साहब ? अध्यक्ष महोदय, दूसरा एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि हम चिन्हित करा रहे हैं, आइडेंटिफाई करा रहे हैं। कौन कौनसी...

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया, एक प्रश्न पूछ लिया।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक सप्लीमैन्ट्री प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपका आइडेंटिफिकेशन का क्या पैमाना है ? एनर्जी मंत्रीजी, एक फीडर पर अगर बीस कनेक्शन हैं, दस पर मूंगफली है और दस पर बाजरा है तो उस फीडर पर किस तरह से आइडेंटिफाइड करेंगे ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब देने का अर्थ चूरू के सन्दर्भ में था। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है, और जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है, यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय, कि अबकी बार बारिश की कमी के कारण बिजली की डिमाण्ड बढ़ी है। पर हमने उसकी पूर्ति करने की पूरी कोशिश की है। ये दस–पन्द्रह दिन अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जहां फसलें तैयार हो गयी हैं ग्वार या मूंग मोठ की भी हो सकती है, मूंग मोठ तो तैयार हो गया, आप जानते हो, बाजरे की भी करीब–करीब तैयार हो गयी लेकिन जो दूसरी फसल है खरीफ की उसको भी यदि तैयार करने के लिये बिजली की जरूरत होगी, मैंने तो पार्टिकुलरली पहले कहा था चूरू के लिए, अब मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां–जहां भी किसानों की फसलें तैयार हो रही हैं जो जलने की स्थिति में हैं उन्हें बचाने के लिये पूरी कोशिश की जायेगी और उन्हें आठ घण्टे बिजली देंगे चाहे इसके लियें हमे इण्डस्ट्री के अन्दर कटौती करनी पड़े।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हीरासिंह चौहान।

एक माननीय सदस्य : पूरे मेगावाट बिजली दोगे कि नहीं ? (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हीरासिंह चौहान।

अकाल राहत मद में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

40. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(अकाल राहत मंत्री)

(1) राज्य में माह दिसम्बर, 1998 से जून, 1999 तक किस–किस जिले में राहत कार्यों के अर्न्तगत कितनी–कितनी राशि का भुगतान श्रमिकों को किया गया ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी श्रमिकों को देने के क्या कारण हैं ?

(3) भारत सरकार से इस अकाल विभीषिका के लिए आवंटित कितनी राशि राज्य सरकार को कब–कब प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) भारत सरकार ने राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की मांग पर अकाल राहत मद के अर्न्तगत कितनी राशि का कब–कब आवंटन किया ?

(5) राज्य के किस–किस जिले में श्रमिकों की अकाल राहत कार्य की राशि बकाया है तथा भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री,सहायता(श्री परसादी लाल) :

(1) राहत कार्यो पर नियोजित श्रमिकों को किये गये भुगतान का जिलेवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

(2) मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को निर्धारित टास्क के आधार पर किया गया है।

(3) भारत सरकार के इस वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक आपदा कोष में प्रथम व द्वितीय किस्त के रूप में 103.50 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है जिसमें राज्य सरकार की हिस्सा राशि भी शामिल है।

(4) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित ज्ञापन 960.00 करोड़ रुपये की राशि की मांग के विरुद्ध 21.98 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में हस्तांतरित हुई है।

(5) जिला हनुमानगढ़, उदयपुर, नागौर तथा जयपुर द्वारा अभी श्रमिकों का कुछ भुगतान बकाया है। भुगतान नहीं होने के कारण संबंधित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–1 के सन्दर्भ में अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर इन जिलों में जो भुगतान की राशि श्रमिकों को दी गई उसके आंकड़े कहीं 28 हजार है, कहीं 28 लाख हैं, कहीं 46 लाख हैं और कुछ जिलों में बहुत न्यूनतम मजदूरी की है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पाली सम्पूर्ण जिला अकालग्रस्त था लेकिन उसकी राशि 10 लाख 58 हजार रुपये ही खर्च की गई।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहकारिता मंत्री) : ये जो आप आंकड़े दे रहे हो, यह राशि 13 करोड़ 77 लाख रुपये है, 13.77 लाख रुपये है । उसका करैक्ट कर लें आप।

श्री हीरा सिंह चौहान : मैं लाख ही बोल रहा हूं। पाली जिले में काम कम चालू होने के क्या कारण है ? दूसरा मैंने यह सवाल पूछा था कि न्यूनतम कम मजदूरी देने के क्या कारण हैं तो आपने यह बता दिया कि जितना काम किया गया उतना भुगतान किया गया। मेरा आपसे निवेदन है कि एक श्रमिक सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मजदूरी पर रहता है, इतने समय मजदूरी पर रहने के बाद आपका मेट भी रहता है, आपका सुपरवाइजर भी रहता है, आपका मिस्त्री भी रहता है, जे.ईएन. भी रहता है, सब कुछ रहते हुए भी टास्क बेसिस पर कम मजदूरी दी जाती है। न्यूनतम मजदूरी क्या है, सबसे पहले तो यह बताइये ? कम मजदूरी श्रमिकों को क्यों दी जाती है जब वह अपने घर से निकल कर काम करने के लिए चला जाता है और उसका ठीक 8 से 10 घण्टा आप यहां पर उपयोग लेते हैं ? आपकी व्यवस्था की कमजोरी है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 60 रुपये मजदूरी देंगे और कल आपके श्रम मंत्रीजी ने और भी बैठक बुला करके उसकी मजदूरी बढ़ाने की बात कही है। मेरा निवेदन है कि इस अव्यवस्था को दूर कर मजदूरों को ठीक मजदूरी देने के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे ? जो मजदूर इस फेमिन के काम पर चला जाता है उसको कम से कम 40 या जो भी न्यूनतम मजदूरी आप कहते हैं 40-60, वह दे दीजिए। ऐसी व्यवस्था कब तक कर पाएंगे ?

तीसरा प्रश्न संख्या–3 में आपने भारत सरकार से प्राप्त राशि बताई है 103.50 करोड़ रुपये, मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार में आपके कोष में राज्य सरकार की कितनी राशि है और भारत सरकार की कितनी राशि है ? उनको दोनों को अलग–अलग करके बताइये ।

तीसरा मेरा निवेदन है कि भारत सरकार के प्राकृतिक आपदा कोष में आपके अंशदान के अलावा हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों को कितनी–कितनी राशि दी गई और अपने को कितनी दी गई ? आप बराबर कहते हैं, कि भारत सरकार राशि नहीं देती है। यह आप स्पष्ट कीजिए कि और राज्यों को इस प्राकृतिक आपदा कोष में से कितनी–कितनी राशि दी गई है और राजस्थान को कितनी दी गई ? अकाल राहत के तहत राशि प्राप्त करने के लिए ज्ञापन राज्य के किस अधिकारी द्वारा किस तिथि को केन्द्रीय सरकार के किस माननीय मंत्री या प्रधान मंत्रीजी या किस अधिकारी को किस समय दिया गया ? इसको स्पष्ट कीजिए ताकि मालूम पड़े कि आपका ज्ञापन दिया गया है वह प्रापर प्लेस पर भी गया कि नहीं गया। आपका ज्ञापन किसके द्वारा किसे दिया गया, इसका आप उत्तर दीजिए।

एक माननीय सदस्य : पूरी रामायण पढ़ दी ।

श्री हीरासिंह चौहान : रामायण नहीं, इसमें लिखा हुआ है। चौथा नागौर जिला

(श्री हीरासिंह चौहान)

स्पेशल आपने बताया है। नागौर जिले में डेगाना में 5.24 लाख, परबतसर में 2.47 लाख, लाडनूं में 13.77 लाख, डीडवाना में 4.32 लाख, मकराना में 9.21 लाख, नावां में 5.45 लाख के भुगतान का आपने कहा कि वहां पर मजदूर अधिक लग गये इसीलिए उनका भुगतान नहीं हो रहा है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जिन श्रमिकों को आपने काम पर लगाया है और जिन्होंने काम किया है क्या उनका मस्टर–रोल में नाम दर्ज नहीं करते ? नाम दर्ज करने के बावजूद उनको अभी तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं और सरकार उनको भुगतान कब करेगी ?

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

एक जगह आपने बताया है कि मस्टर रोल है जो खो गया। अकेले अजमेर के सिंचाई विभाग के 16.45 लाख रुपये बकाया हैं, जिसमें सारी तहसीलें शामिल हैं। उनका भुगतान कब कर दिया जाएगा, यह आप स्पष्ट कर दीजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से दो प्रश्न इन्होंने मेरे सामने रखे हैं। पहला तो यह कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो, अब तक के जो नियम उन्होंने लागू किये हैं वे ही लागू किये हैं फेमिन रिलीफ कामों के लिए कि टास्क बेसिस के आधार पर भुगतान किया जाएगा। टास्क का मतलब है कि जितना काम करेंगे। 10 बाई 10 की चौकड़ी खोदी जाएगी, उस पर श्रमिक नियोजित किये जाएंगे उनका जो काम होगा उस काम की नफरी के आधार पर जो वेजेज बनेंगे उसके हिसाब से पेमेंट करते आएंगे। यह परम्परा अभी नहीं है, यह परम्परा जब से फेमिन शुरू हुआ तब से बराबर लागू है। आज भी यथावत लागू है। (व्यवधान) एक मिनट आप बैठिये। मेहरबानी करके मुझे सुनने की कोशिश कीजिए। आप यह कहते हैं कि न्यूनतम वेतन दे दीजिए। हम नियोजक नहीं हैं, हम तो उसको सहायता प्रदान कर रहे हैं, राहत प्रदान कर रहे हैं। राहत में हम अपेक्षा करते हैं कि हाजरी मांड करके घर पर नहीं जाए बल्कि हाजरी मांड करके काम करे ताकि सरकार के पैसा का सदुपयोग हो सके। इसलिये हमने टास्क बेसिस इसमें लागू किया है। (व्यवधान) इसलिये टास्क बेसिस लागू किया है। जिस दिन टास्क बेसिस ...(व्यवधान) आप बैठिये। सुन लीजिए। आप भी मंत्री रहे थे, हटा देते ना टास्क। आप भी मंत्री थे, क्यों नहीं हटाया आपने ? (व्यवधान) आप सुनिये–सुनिये। आप पहले सुनने की कोशिश करिये। इसलिये हमने टास्क लागू किया है और आगे भी हम टास्क लागू रखेंगे। इस वर्ष भी अगर अकाल घोषित किया गया तो टास्क लागू रहेगा, क्योंकि हम कोई फैक्ट्री मैनेजर नहीं हैं, हम कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

आपातकाल में राहत देने के लिए सरकार देती है इसलिये हम इस काम को लागू रखेंगे। भारत सरकार क्या दे रही है ? ... (व्यवधान) वह तो बता दिया आप पढ़ लीजिए। भारत सरकार पूरे वर्ष में जो देती है 2 सौ करोड़ रुपये। आप तो मंत्री रहे हैं, सी.आर. एफ. में आप बता दीजिए कितना हिस्सा है राज्य का ? भारत सरकार जो देती है उसमें कितना हिस्सा है।

श्री सांवर लाल : मैं आपको करैक्ट कर रहा हूं, मंत्री महोदय, टास्क बेसिस पर भुगतान नहीं होता है। अगर दो रुपये का काम भी मजदूर ने किया तो चौदह रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसलिए मैं करैक्ट कर रहा हूं आपको कि मिनिमम 14 रुपये मजदूरी देनी पड़ेगी।

श्री हीरासिंह चौहान : उसमें कटौती करवा दी...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 14 रुपये हमने दिये हैं। जोधपुर की शिकायत आई मेरे पास, मैंने कलेक्टर जोधपुर को निर्देश दिया है कि मिनिमम वेजेज आप उनको इतना रुपया तो दे दीजिएगा, चाहे काम किया या नहीं किया। हमने पेमेंट करवाया है। 22-32...

श्री हीरासिंह चौहान : प्राइवेट काम पर कहते हैं मजदूर को बराबर मजदूरी मिलती है, प्राइवेट काम पर जाता है तो आदमी को 60 रुपये मिले हैं और यहां 50 मिलते हैं। (व्यवधान) जो भी काम करता है उसकी न्यूनतम राशि को बढ़ाना चाहते हैं हम ? यह मेरा सवाल है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप तीनों (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अक्टूबर में पेमेंट हुआ है और सदन में आप कह रहे हैं....(व्यवधान) यह बात तो असत्य है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : +++

श्री सांवर लाल : एक पैसा आपने पेमेंट नहीं किया । (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : 65 करोड़ में एक रुपया नहीं दिया आपने, आप क्या समझते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कृपलानी,बैठिये आप।

(व्यवधान) श्री कृपलानीजी ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दूसरी बात में निवेदन कर रहा था कि भारत सरकार ने टैंथ फाइनेंस कमीशन के आधार पर जो सी.आर. फण्ड का निर्धारण किया है इसमें 2/3 तो भारत सरकार देती है और 1/3 राजस्थान सरकार का हिस्सा है। दो

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार आलोपित की

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

सौ करोड़ में भी राजस्थान सरकार का हिस्सा है जो कि साल भर में हमें मिलता है। मैंने नहीं, आप की सरकार थी।

माननीय, आप भी थे अकाल राहत मंत्री। आपने भारत सरकार से 1550 करोड़ रुपये की मांग की थी कि राजस्थान में... (व्यवधान) आप सुनने की कोशिश कीजिये। आप घबरा क्यों रहे हैं ? आपने खुद ने और भैरोंसिहजी मुख्य मंत्री ने मांग की थी कि हमको अकाल से लोगों को राहत पहुंचाने के लिये, पीने के पानी के लिये और पशुधन को बचाने के लिये 1550 करोड़ रुपये चाहिये। आपकी सरकार चली गयी, हम आये। यह तो आपने मांग की थी, हमारी सरकार ने तो मांग नहीं की थी। बाद में हमने उसको रिवाइज किया और रिवाइज करके हमने कहा कि हमको 960 करोड़ रुपये दे दीजिए। पर दिया क्या ? 21 करोड़ 88 लाख रुपये। आप बाकी के लिये बोलो ना उनको। आपकी संरकार को आप नहीं कह सकते हो क्या ? राजस्थान में इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ है उसकी राहत के लिये आगे आइये। यहां प्रश्न पर प्रश्न पूछते जा रहे हैं।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं। आपने पूछा कि कुछ जिलों में पेमेंट बाकी है। जहां तक नागौर का सवाल है, कुछ मजदूर ज्यादा लग गये है। उसको निश्चित रूप से नियमित करके उनके पेमेंट तत्काल करने के आदेश दे दिये जाएंगे ताकि मजदूरी का भुगतान हो जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, कल चर्चा करेंगे आपसे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ...(व्यवधान) आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब क्या लेकर खड़े होते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर...

श्री अध्यक्ष : आप यहां नीचे बैठिये। विराज जाइये आप। आप बैठिये प्लीज। (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3–देखे)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति रोहट/पाली के अकाल राहत कार्यो का भुगतान

36. श्री ज्ञानचन्द पारख(पाली) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पाली व रोहट (पाली) में इस वर्ष अकाल राहत के तहत करवाये गये कार्यों की मज़दूरी का भुगतान अभी तक किया जाना शेष है ?

(2) उक्त क्षेत्र में अब तक मजदूरी के भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

(3) अब मजदूरी का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

(4) उक्त पंचायत समितियों में जिन–जिन कार्यों की मजदूरी का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अभी तक नहीं किया के विरुद्ध सरकार कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति पाली व राहट में इस वर्ष अकाल राहत के तहत कराये गये कार्यों का, श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

(2) मजदूरी का भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

(3) जी नहीं मजदूरी का भुगतान शेष नहीं है।

(4) उक्त पंचायत समितियों में कार्यो की मजदूरी के भुगतान में अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही नहीं रही है। अतः खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला सीकर में विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत

38. **श्री नारायण सिंह** (दातारामगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सीकर में कृषि विपणन बोर्ड से कौनसी सड़के स्वीकृत हैं तथा उनकी क्या प्रगति है ?

(2) क्या इस साल जिले में बोर्ड से जो सड़के स्वीकृत हुई है उनके कार्य चालू नहीं हुए है ? यदि हां, तो ऐसी सड़कों की सूची मय धनराशि एवं विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले की कृषि उपज मण्डी के द्वारा बनी सड़कों को समय पर मरम्मत नहीं होने से सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में स्वीकृत सड़कें एवं उनका प्रगति विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इस साल राज्य सरकार द्वारा इस जिले में स्वीकृत सड़कें जिनके कार्य चालू नहीं हुए है उनकी सूची मय धनराशि एवं विधान सभा क्षेत्रवार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

(3) मण्डी समितियों के अन्तर्गत बनी

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

सम्पर्क सड़कों की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है। पूर्व में निर्मित सड़के सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखे)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका करौली में कनिष्ठ लेखाकार का पदोन्नति प्रकरण

61. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नियमों के अर्न्तगत किसी कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक को लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका करौली में किसी वरिष्ठ लिपिक को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो किसको, कब व किस नियम के तहत ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी कर्मचारी एवं अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम, 1963 के नियम 27 (1) के परिशिष्ट (बी) मंत्रालयिक सेवा के क्रमांक–9 के अनुसार वरिष्ठ लिपिक जिन्हें 5 वर्ष के लेखा लिपिक के कार्य का अनुभव हो उन्हें कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियमानुसार पदोन्नत करने का प्रावधान है, नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। श्री दीनदयाल शर्मा वरिष्ठ लिपिक जो वर्ष 1978 से लेखा लिपिक का कार्य कर रहे थे, उन्हें दिनांक 4.10.93 को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर बोर्ड के सर्वसम्मत प्रस्ताव के द्वारा एक वर्ष के लिए पदोन्नति दी गई थी, परन्तु उसके पश्चात् उपयुक्तता की बैठक आयोजित नहीं होने व सेवा अवधि नहीं बढ़ाये जाने के संबंध में जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखे)

बजीरपुर गेट से महाविद्यालय करौली सम्पर्क सड़क निर्माण

62. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका

(श्री जनार्दन गहलोत)

करौली द्वारा बजीरपुर गेट बाहर कोलियों की बस्ती में सड़क निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो किस फर्म से कितनी दूरी का व कितनी राशि का ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क बजीरपुर गेट से महाविद्यालय, करौली को सीधे जोड़ती है ? क्या सरकार उक्त अधूरी सम्पर्क सड़क को पक्की बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अपूर्ण सड़क पर किसी प्रकार का विवाद है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार उक्त विवादग्रस्त स्थल को छोड़कर बाकी हिस्से में पक्की सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका, करौली द्वारा बजीरपुर गेट के बाहर कोलियों की बस्ती में फैजू के मकान से कोलीपाड़ा तक 50 मीटर लम्बी सड़क निर्माण कार्य जय बजरंग कंस्ट्रक्शन कम्पनी, करौली के द्वारा राशि 35421/– रुपये में करवाये गये है।

(2) जी नहीं। बजीरपुर गेट से महाविद्यालय जाने के लिए कोई आम रास्ता नहीं है तथा खातेदारों एवं मंदिर की कास्त भूमि होने के कारण उक्त अधूर लिंक रोड को पक्का किया जाना संभव नहीं है।

(3) उक्त अधूरी सड़क पर किसी प्रकार का विवाद है, इसकी जानकारी पालिका रिकार्ड के अनुसार उपलब्ध नहीं है, परन्तु कोलीपाड़ा से महाविद्यालय के बीच की भूमि खातेदारों एवं मंदिर की कास्त भूमि होने के कारण उक्त सड़क का निर्माण करवाया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

नगरपालिका मण्डावा (झुंझुनूं) की जांच रिपोर्ट

63. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1998 के पश्चात झुंझुनूं जिले की नगर पालिकाओं के कार्यकलापों की जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो किस–किस नगरपालिकों की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका मण्डावा के कार्यकलापों की भी जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो क्या–क्या कमियां रिपोर्ट में पाई गई हैं ? जांच रिपोर्ट मय कमियों के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनियमितता के लिए दोषी नगरपालिका अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। झुंझुनूं जिले की नगरपालिकाओं के कार्यकलापों की जांच करवाई गई थी जिनका विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है, जिसमें वांछित विवरण अंकित है।

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है।

(विवरण व रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर विकास प्राधिकरण की निलयम अपना घर योजना

64. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमुवा–रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की निलयम अपना घर योजना में विद्याधर नगर सैक्टर चार, बढारना और नारदपुरा में सफल आवेदकों को आवास गृह संख्या आवंटन की लाटरी निकाली जा चुकी है ? यदि हां, तो किस–किस आवेदक को कौन–कौन सा आवास गृह आवंटित किया गया है ? सूची मय नाम, आवास गृह, स्थान के सदन की मेज पर रखें।

(2) निलयम अपना घर आवास योजना की विद्याधर नगर, बढारना और नारदपुरा में सफल आवेदकों को कब तक आवास गृह का कब्जा दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्याधर नगर सैक्टर 4, बढारना एवं नारदपुरा में सफल आवेदकों को आवास गृह की लाटरी निकाली जा चुकी है। सूची संलग्न है।

(2) विद्याधर नगर, बढारना और नारदपुरा में सफल आवदकों द्वारा नजराना राशि जमा कराये जाने के पश्चात् आवास गृह का कब्जा सम्भला दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कच्ची बस्तियों का नियमन

65. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार ने शहरों में कच्ची बस्तियों के नियमन के संबंध में निर्णय लिये हैं ? यदि हां, तो कब–कब एवं क्या–क्या ? इस संबंध में ज़ारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्णयों व आदेशों की पालना में अब तक क्या–क्या प्रगति हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। कच्ची बस्तियों के नियमन

(स्वायत्त शासन मंत्री)

के संबंध में दिनांक 18.5.99, 24.5.99, 1.6.99, 4.6.99 व 9.6.99 को निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 15.8.98 तक राजकीय भूमि व स्थानीय निकायों, नगर सुधार न्यासों, जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर बने आवासीय निर्माणों एवं आवासीय निर्माण के साथ यदि नियमन योग्य क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण भी हैं तो उनका नियमन किया जा सकता है। इस संबंध में जारी परिपत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) उक्त निर्देशों की पालना में कच्ची बस्तियों का सर्वे कार्य पूर्ण किया जाकर नियमन समिति के निर्णयानुसार नियमन योग्य प्रकरणों में पट्टे जारी किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। अब तक कुल 4512 पट्टे जारी किये जा चुके है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सोड़ाला (जयपुर) की को–आपरेटिव कालोनी की सड़क सीमा पर अतिक्रमण

66. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सोडाला, जयपुर की को–आपरेटिव कालोनी के पास स्थित राठी पेट्रोल पम्प को वर्ष 1960 में 150 x 100 फीट भूमि आवंटित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि के पास के क्षेत्र की भूमि जो कि कालोनी के आम रास्ते की सड़क से लगी हुई है पर कतिपय असामाजिक तत्वों ने वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र का बोर्ड लगाकर अतिक्रमण कर लिया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण से कालोनियों के निवासियों को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है ?

(4) क्या उक्त अतिक्रमित भूमि सड़क सीमा/सरकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि के अतिक्रमण को हटाकर अपने अधीन लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) अब सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है और अतिक्रमण कब तक हटा दिया जावेगा। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राठी पेट्रोल पम्प की भूमि का आवंटन यू.आई.टी./जे.डी.ए. जयपुर द्वारा नहीं किया है। यह पेट्रोल पम्प तत्समय आयल कम्पनी कलटेक्स इण्डिया लि. द्वारा श्री हन्स डी.राम. से लीज पर ली थी। लीप पर 150 x 100 जमीन ली हुई थी और उतनी ही जमीन पर पेट्रोल पम्प बना हुआ है।

(2) वाहन प्रदूषण केन्द्र पेट्रोल पम्प के अहाते में ही बना हुआ है। इसलिए अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) चूंकि अतिक्रमण नहीं होने के कारण आवागमन में असुविधा होने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) वाहन प्रदूषण केन्द्र स्थापित पेट्रोल पम्प के अहाते में और यह पेट्रोल पम्प सन् 1960 से स्थापित है। अतः इसे सरकारी सीमा में नहीं माना जा सकता है।

(5) अतिक्रमण है ही नहीं तो हटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटन

67. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990 के बाद जयपुर शहर में आवासन मण्डल ने आवास हेतु कितनी योजनाएं बनाई हैं ? क्या आवास हेतु वर्तमान में कोई नवीन योजना भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां ?

(2) वर्ष 1990 के बाद मण्डल ने कितने मकानों का जयपुर में आवंटन किया है ?

(3) आवासन मण्डल के कितने मकानों को अभी तक आवंटित नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त आवासों को शीघ्र आवंटित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर शहर में वर्ष 1990 के बाद आवासों की कुल 142 योजनाएं बनाई हैं। इस समय आवासन मण्डल के पास जयपुर शहर में 10 योजनाएं विचाराधीन है। (विवरण संलग्न है)

(2) वर्ष 1990 के बाद आवासन मण्डल द्वारा जयपुर शहर में 21,451 आवासों का आवंटन किया गया है।

(3) राजस्थान आवासन मण्डल के पास जयपुर शहर में आवंटन हेतु 6850 आवास उपलब्ध हैं। आवासन मण्डल इस शेष रहे आवासों का निस्तारण आवंटन/बिक्री द्वारा शीघ्रातिशीघ्र करने की कार्यवाही कर रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर के स्वीकृत कलस्टर

68. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में गत 6 वर्षों में कितने कलस्टर स्वीकृत किए और उनकी कितनी राशि स्वीकृत की थी ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश कलस्टरों पर भू–संरक्षण के नाम पर ट्रेक्टरों से एक लाइन लगाकर राशि बेकार व्यय की गई है ? यदि नहीं, तो ऐसे कलस्टरों का भौतिक सत्यापन कब–कब कराया गया ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका अनुसार कलस्टर योजना वर्ष 1995-96 से प्रारम्भ की गई है, जिसके तहत जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के अर्न्तगत स्वीकृत कलस्टरों का विवरण प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	जिला	स्वीकृत कलस्टर की संख्या	स्वीकृत की गई राशि (रुपये लाखों में)
1.	बाड़मेर	148	3419.44
2.	जैसलमेर	147	3408.15

(2) जी नहीं। कलस्टरों के भौतिक सत्यापन की दिनांक का विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखे)

मतदाता सूचियों में अनियमितताएं

69. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लोक सभा चुनाव के समय मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ी की शिकायतें प्रकाश में आई हैं ? यदि हां, तो क्या–क्या तथा उन शिकायतों के निवारण के लिए क्या–क्या प्रयास किये जाएंगे ?

(2) क्या यह सही है कि मतदाता सूचियों में प्रायः यही शिकायतें बार–बार आ रही हैं ? यदि हां, तो अब तक इसके निराकरण के लिए प्रयास क्यों नहीं किये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि मतदाताओं को जो परिचय पत्र दिये हैं उनमें भयंकर अनियमितताएं हुई हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या–क्या कदम उठाये गये और क्या–क्या उठाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ियों की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी, नहीं। ऐसी कोई शिकायतें बार–बार प्राप्त नहीं हो रही है।

(3) जी, नहीं। त्रुटीपूर्ण पहचान पत्र कम्पनियों द्वारा दिए गए, जिनको फर्मो से ठीक कराकर फिर वितरण कराया जा रहा है।

ग्राम खिंवास (जयपुर) के अवैध विद्युत कनेक्शन के विच्छेद में लापरवाही

70. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खिंवास, तहसील जमुवारामगढ़, जिला जयपुर की गैर मुमकिन तलाई खसरा नम्बर–71 की भूमि पर नियम विरुद्ध फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर विद्युत मण्डल के अधिकारियों की मिलीभगत से विद्युत कनेक्शन दिया हुआ है ? यदि हां, तो कब से ?

(श्री रमेश खींची)

(2) क्या गत एक वर्ष में इस संबंध में कोई जन प्रतिवेदन विद्युत मण्डल के अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब–कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कनेक्शन के संबंध में विद्युत मण्डल ने कोई जांच कराई थी ? क्या जांच रिपोर्ट विद्युत मण्डल को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त नियम विरुद्ध कनेक्शन प्राप्तकर्ता में कई महीनों से मण्डल की राशि बकाया चली आ रही है ? यदि हां, तो कितनी एवं क्यों ?

(5) क्या मण्डल उपभोक्ता में इतनी अधिक राशि बकाया होने पर भी इस कनेक्शन को नहीं काटने में किसी अधिकारी को दोषी मानता है ? यदि हां, तो किसे और इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

(6) क्या उक्त कनेक्शन को काटने हेतु मण्डल ने सहायक अभियंता, जमुवारामगढ़ के हस्ताक्षर से कोई नोटिस भी जारी किया था ? यदि हां, तो कब और नोटिस जारी करने के बाद भी अब तक कनेक्शन नहीं काटने के क्या कारण रहे ? नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या सरकार उक्त गैर कानूनी कनेक्शन को काटने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम खेमवास (खिंवास) तहसील जमुवारामगढ़, जिला जयपुर की गैर मुमकिन तलाई खसरा नम्बर–71 की सीमा में श्री केदार नारायण पुत्र हर सहाय शर्मा को नियमानुसार आरा मशीन हेतु एक विद्युत कनेक्शन लघु औद्योगिक श्रेणी में दिनांक 15.10.1987 को सहायक अभियंता, जमुवारामगढ़, द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत, नेवर के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (बाबत जमीन व मकान के मालिकाना हक के प्रमाण–पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र) के आधार पर जारी किया गया था।

(2) खेमावास (खिंवास) के ग्रामवासियों का एक प्रार्थना पत्र सहायक अभियंता, जमुवारामगढ़ कार्यालय में दिनांक 28.1.1999 को प्राप्त हुआ था, जिसमें फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर कनेक्शन देने की शिकायत की गई थी। इसमें श्री घासीराम मीणा का "शपथ–पत्र" संलग्न किया हुआ था। इसमें इनके दिनांक 5 फरवरी, 1978 से जून, 1991 तक सरपंच होने की जानकारी दी गई थी। इस कनेक्शन के संबन्ध में पूर्व में पटवारी एवं कनिष्ठ अभियंता, जमुवारामगढ़ ने तहसील के आदेशानुसार मौका स्थिति की जांच की एवं यह पाया कि उक्त कनेक्शन

(ऊर्जा मंत्री)

खसरा नम्बर–71 गैर मुमकिन तलाई ग्राम खेमावास (खिंवास) की सीमा में है। उक्त जांच दिनांक 29.12.98 को की गई थी। शिकायत–पत्र व जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) उक्त कनेक्शन के संबंध में शिकायती–पत्र के आधार पर सरपंच द्वारा जारी किए गये प्रमाण–पत्र के संबन्ध में अधिशासी अभियंता (ग्रामीण), राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर ने अपने पत्र संख्या 3811 दिनांक 26.3.1999 के द्वारा जिलाधीश महोदय को जांच हेतु निवेदन किया था। इस संबंध में मण्डल स्तर पर भी जिलाधीश महोदय, जयपुर को अपने पत्र संख्या 968 दिनांक 7.8.1999 के द्वारा निवेदन किया गया हैं जिसकी प्रतियां परिशिष्ट "ब" व "स" पर उपलब्ध है। जांच प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

(4) श्री केदार नारायण पुत्र हरसहाय शर्मा ग्राम खेमावास (खिंवास) के एस.आई. पी., विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 1706-52 में माह जनवरी, 1999 तक जारी विद्युत बिलों का भुगतान प्राप्त हो गया है। माह मार्च, 1999 से बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

ई.डी.	कुल
110.05	2962.13
114.45	3177.37
124.68	3443.18
349.18	9582.68

(5) माह मार्च, 1999 के विद्युत बिल के पश्चात् ही बकाया राशि चल रही है। इसके लिए सहायक अभियंता, जमुवारामगढ़ द्वारा माह, मई, 1999 व जुलाई, 1999 की बकाया राशि पर विद्युत संबंध विच्छेद आदेश जारी किया गया एवं उपभोक्ता को एक नोटिस संख्या 2561 दिनांक 29.7.99 जारी किया गया, लेकिन उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराने पर दिनांक 8.9.99 को विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया। बकाया राशि पर कनेक्शन काटने में हुए विलम्ब की जांच प्रक्रिया में है।

(6) सहायक अभियंता, जमुवारामगढ़, द्वारा मण्डल बकाया राशि जमा नहीं कराने के संबंध में एक उपभोक्ता को एक नोटिस संख्या 2561 दिनांक 29.7.99 जारी किया गया था एवं इसके पश्चात् दिनांक 8.9.1999 को विद्युत संबंध विच्देद कर दिया गया। नोटिस की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलगन है। विलम्ब के कारणों की जांच की जा रही है।

(7) उक्त उपभोक्ता का दिनांक 8.9.1999 को विद्युत संबंध विच्छेद किया जा चुका है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के अविद्युतीकृत ग्राम

71. **श्री राधेश्याम गंगानगर**(गंगानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो विद्युतीकृत ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम 8 एल.एन.पी., लाघुवाला, चक मनकूलवाला, 6 एल.एन.पी., 11 एल.एन.पी स्थागांगली, बस्तावाली, हिरणावाली, नेतेवाला, 4 एम.एल., 2 ई., 5 ई, 3 ई., 4 ई. चक महाराइका, 4 एल.एन.पी., 5 एल.एन.पी., 2 एल.एन.पी., 1 एल.एन.पी., 3 एल.एन.पी., कालूवाला में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो कब–कब और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्युतीकृत ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर के सभी ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्रश्न में वर्णित गांवों में से गांव 4 एलएन.पी., 5 एल.एन.पी., 1 एल.एन.पी. तथा 3 एल.एन.पी. में कोई हरिजन बस्ती नहीं है तथा शेष गांवों की हरिजिन बस्तियों के विद्युतीकरण का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

राज्य में लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन

72. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के किन–किन जिलों में किन–किन स्थानों पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं और उनकी क्या स्थित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला बाड़मेर में कपूरड़ी, ज़ालेपा, सौनेरी एवं गिरल में लिग्नाइट आधारित पावर स्टेशन लगाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त योजनाओं की कब तक स्वीकृति प्रदान कर कार्य शुरू किया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान के बीकानेर व बाड़मेर जिलों में कुल 1950 मेगावाट क्षमता के लिये लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव है। ये सभी परियोजनाएं निजी क्षेत्र में लगाई जानी हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता मेगावाट	स्थान	जिला
1.	बरसिंगसर विद्युत परियोजना	2x250	बरसिंगसर	बीकानेर
2.	जालीपा विद्युत परियोजना	2x300	जालीपा	बाड़मेर
3.	कपूरड़ी विद्युत परियोजना	2x300	कपूरड़ी	बाड़मेर
4.	डी.एल.एफ. पावर परियोजना	1x150	सोनेरी	बाड़मेर
5.	डी.एल.एफ.	1x100	गिराल	बाड़मेर

राज्य सरकार ने बीकानेर खण्ड के बरसिंगसर में 2 x 250 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट विद्युत गृह एवं खनन परियोजना हेतु मैसर्स हिन्दुस्तान विद्युत कारपोरेशन को प्रायोजक नियुक्त किया है। उसके साथ क्रियान्वयन समझौते व विद्युत क्रय अनुबन्ध पर दिनांक 16.12.96 को हस्ताक्षर हुए थे। इस परियोजना की लगभग सभी स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी व आर्थिक स्वीकृति दिनांक 20 अप्रेल, 1998 को प्रदान कर दी है व परियोजना के लागत मूल्य में 361 करोड़ रुपये की कमी की है व 15 वर्ष बाद की लिग्नाइट कीमत की सीमा निर्धारित की है जो प्रायोजकों को स्वीकार नहीं है, जिससे इसकी प्रगति में ठहराव आया है। पी.पी.ए व केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति में परियोजना के स्कोप व लागत का आधार भिन्न है। राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमण्डल उप समिति की सिफारिशों को राज्य सरकार ने इस निर्देश के साथ स्वीकार किया कि यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार को 30 मार्च, 1992 की अधिसूचना में पूर्ण रियायत देते हुए निविदा से न्यूनतम टेरिफ के आधार पर निर्धारित पी.पी.ए. के टेरिफ को स्वीकृति देने के लिए लिखा जाये। उसी अनुरूप भारत सरकार, ऊर्जा विभाग को पत्र दिनांक 30.3.1999 से अधिसूचना में पूर्ण रियायत देते हुए पी.पी.ए. में निर्धारित टेरिफ को स्वीकृति के लिये लिखा गया है।

(2) राज्य सरकार/राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने मैसर्स वेस्ट पावर, जयपुर को बाड़मेर जिले के जालीपा व कपूरड़ी में 2x300 मेगावाट (प्रत्येक) के लिये प्रायोजक नियुक्त किया है। अभी राज्य सरकार के साथ क्रियान्वयन समझौता व राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के साथ क्रय अनुबंध नहीं हुए हैं। इन पर विचार विमर्श चल रहा है।

राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले की गीराल व सोनेरी माइन्स पर 1x100 मेगावाट व 1x150 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित परियोजना के लिये मैसर्स डी.एल. एफ. पावर लिमिटेड को सहमति प्रदान की है। विद्युत क्रय अनुबंध पर विचार-विमर्श चल रहा है।

(ऊर्जा मंत्री)

जी हां। जालीपा व कपूरड़ी के लिए मैसर्स वेस्ट पावर, जयपुर के साथ क्रियान्वयन समझौते व विद्युत क्रय अनुबन्ध पर हस्ताक्षर के लिए राज्य सरकार/राराविमं के साथ विचार–विमर्श चल रहा है तथा सभी स्वीकृतियां प्राप्त होने व वित्तीय समापन के बाद उक्त परियोजनाओं से 42-48 माह में उत्पादन प्रारम्भ होने की संभावना है।

गिराल व सौनेरी परियोजना के लिए राज्य सरकार ने मैसर्स डी.एल.एफ. पावर लिमिटेड को सहमति प्रदान की है। विद्युत क्रय अनुबंध पर विचार–विमर्श जारी है। वित्तीय समापन के पश्चात् इन परियोजनाओं से 36-42 माह में उत्पादन प्रारम्भ होने की संभावना है।

(3) अभी तक किसी भी परियोजना का वित्तीय समापन नहीं हो पाया है। वित्तीय समापन होने के पश्चात् ही इन परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की सौर ऊर्जा परियोजना

73. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में वर्ष 1995 से सौर ऊर्जा से विद्युत प्राप्ति की परियोजनाएं बनाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित परियोजनाओं की क्या प्रगति है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनाओं का शिलान्यास पूर्व मुख्य मंत्री ने किया था ?

(3) क्या सरकार उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में कटिबद्ध है ? यदि हां, तो परियोजना कब तक क्रियान्वित कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1995 में बाड़मेर ग्राम अगोरिया में मैं. सनसोर्स इण्डिया लि. एवं जिला जैसलमेर में ग्राम सोनी में मैं. एमको एनरान् द्वारा 50 मे.वा. क्षमता की विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित की गई थी। दोनों कम्पनियों से क्रमशः दिनांक 26.2.96 एवं दिनांक 1.3.96 को रा.रा.वि.मं. द्वारा विद्युत क्रय अनुबंध किये गये थे। इन परियोजनाओं में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 1995 में जैसलमेर जिले में 200 मेगावाट की सोलर चिमनी परियोजना का आशय पत्र मै. एनरजेन इन्टरनेशनल को दिया गया था उसमें भी कोई प्रगति नहीं हुई है।

(2) अगोरिया व सोनी की सौर विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास पूर्व मुख्य मंत्री ने किया था।

(3) राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु प्रयास जारी है। इसकी समय सीमा वर्तमान स्थिति में निर्धारित नहीं की जा सकती है।

सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता डेगाना (नागौर) के विरुद्ध जांच

74. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1994-95 में डेगाना (नागौर) के सहायक अभियन्ता श्री मोहन सिंह इन्द्रा एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री सुखराम के विरुद्ध कोई विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध की गई जांच के दौरान दोषी पाये जाने पर उन्हें डेगाना से स्थानान्तरित किया गया था ? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त दोषी अधिकारी को डेगाना में पदस्थापित किये जाने का क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान लोक सभा चुनाव में उक्त अधिकारी द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कई ग्रामों में विद्युत खम्भे एवं अन्य सामग्री का वितरण किया गया ? यदि हां, तो कहां–कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि श्री मोहन सिंह इन्डा, सहायक अभियन्ता डेगाना (नागौर) एवं श्री सुखराम, कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध राराविमं कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम–1962 के विनियम 7 (1)(दीर्घदण्ड) के तहत आरोप–पत्र दिया गया था। सक्षम अधिकारी ने उनके लिखित अभिकथन एवं सम्बन्धित अभिलेखों एवं दस्तावेजों का निरीक्षण करने के पश्चात् श्री मोहन सिंह इन्ड़ा, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया है तथा श्री सुखराम, कनिष्ठ अभियन्ता को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया है। तदनुसार श्री सुखराम कनिष्ठ अभियन्ता को आदेश क्रमांक 3829 दिनांक 5.7.99 को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया जा चुका है। उक्त निर्णयों की प्रतियां परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के कारण उन्हें डेगाना से स्थानान्तरित किया गया था। लेकिन जांच में सहायक अभियंता को दोषी नहीं पाये जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। श्री इण्डा सहायक अभियन्ता का डेगाना में पदस्थापन आदेश

(ऊर्जा मंत्री)

दिनांक 31.3.1999 के द्वारा प्रशासनिक कारणों से किया गया है। वर्तमान में श्री सुखराम विश्नोई दिनांक 17.5.1996 से सहायक अभियन्ता (परि. एवं सं.) जेतपुरा (जयपुर) के अधीन कार्यरत है।

(3) जी नहीं। वर्तमान लोक सभा चुनाव में उक्त अधिकारियों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नहीं किया गया है।

(4) उक्त अधिकारियों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखे)

ग्राम खूड (सीकर) का स्वीकृत ग्रिड सब–स्टेशन

75. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम खूड में 132 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशन स्वीकृत है ? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू किया जावेगा ?

(2) उक्त ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण हेतु अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र धोंद के ग्राम खूड में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन दिनांक 28.10.1997 को विश्व बैंक ऋण सहायक से बनाया जाना स्वीकृत किया गया था, लेकिन विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता समय पर उपलब्ध न होने एवं संसाधनों की कमी को देखते हुए इस योजना को वर्ष 2000-2001 के फेज्ड प्रोग्राम में शामिल किये जाने की संभावना है।

(2) उक्त ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के प्रयास किये जा रहे हैं। संसाधन उपलब्ध होते ही कार्य शुरू किया जाना संभव हो सकेगा।

जिला श्री गंगानगर के छात्रावास

76. **श्री राधेश्याम गंगानगर**(गंगानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) समाज कल्याण छात्रावास खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में जिला श्री गंगानगर में कितने छात्रावास संचालित है ? सूची मय छात्रों की संख्या के सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्ष 1997 से 1999 तक उक्त जिले में कितने नये छात्रावास खोले गए और उन पर कितना स्टाफ लगाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) छात्रावास खोलते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाता है :–

(समाज कल्याण मंत्री)

1. अनुसूचित जातियों, जनजातियों में जिस जाति का छात्रावास खोले जाने का प्रस्ताव हो, उस जाति की उस स्थान पर पर्याप्त जनसंख्या हो।

2. वहां पर सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी विद्यालय हो।

3. छात्रावास हेतु उपयुक्त भवन उपलब्ध हो जिसमें पानी, बिजली की व्यवस्था हो।

(2) वर्तमान में श्री गंगानगर में 19 संचालित है, जिनकी पूर्ण सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 1997 से 1999 तक जिले में दो नये छात्रावास खोले गये। खोले गये छात्रावासों में नियमित स्टाफ नहीं लगाया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

तहसील सरदारशहर (चूरू) के अकालग्रस्त ग्रामों में चारे/ पेयजल की व्यवस्था

77. **श्री भंवरलाल शर्मा**(सरदारशहर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील सरदारशहर के विभिन्न ग्रामों में अभी तक बरसात नहीं होने के कारण बुवाई का कार्य नहीं हुआ है । यदि हां, तो कहां–कहां ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तहसील के ग्राम आसासर, राजलवाड़ा, बेजासर, चारणवासी, भादायर में भी जुताई नहीं हुई है और वहां पशुओं की अकाल मृत्यु हो रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त ग्रामों में चारे एवं पेयजल उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील में 70 प्रतिशत ग्रामों में बरसात नहीं होने के कारण लोगों का पलायन हो रहा है ? यदि हां, तो लोगों का पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ?

(4) अब उक्त तहसील के ग्रामों में पशुधन के लिये चारे एवं मनुष्यों के लिये पेयजल की व्यवस्था के लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील सरदारशहर के सभी ग्रामों में बुवाई का कार्य सम्पन्न हो चुका है।

(2) जी नहीं। वर्णित ग्रामों में बुआई प्रारम्भिक तौर पर हो चुकी है। अभी तक उक्त ग्रामों में किसी पशु की अकाल मौत होने की सूचना नहीं है। अब तक चारे व पेयजल का कोई संकट नहीं है।

(3) सरदारशहर तहसील में बरसात नहीं होने के कारण किसी भी ग्राम से लोगों का पलायन नहीं हुआ है।

(अकाल राहत मंत्री)

(4) वर्तमान में पेयजल का संकट नहीं है। फिर भी पेयजल तथा चारे की व्यवस्था बाबत जिला कलेक्टर्स को कंटींजेंसी प्लान तैयार करके भेजने के निर्देश दिये गये है। जिला कलेक्टर्स के प्रस्ताव आने पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

जिला नागौर में अकाल राहत श्रमिकों की बकाया मजदूरी

78. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में अकाल राहत के तहत कार्य पर लगे हुए श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो नागौर जिले में कितना और कब से ? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अकाल राहत कार्यो पर लगे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कितने रोज बाद किया जाना चाहिए और कितने दिन बाद किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराने के उपरांत भी कार्यकारी एजेन्सी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड डीडवाना के पास श्रमिकों को भुगतान के लिए सरकार से कब राशि प्राप्त हुई और उनका भुगतान कब–कब किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि अकालग्रस्त क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है ? यदि हां, तो इतना लम्बा समय बितने के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं करने से किस प्रकार की राहत दी जा रही है ?

(5) क्या यह सही है कि अधिकारियों की ढिलाई के कारण भी मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्रवार बकाया मजदूरी राशि 62.79 लाख रुपये का भुगतान नहीं किये जाने के कारण सहित विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

(2) श्रमिकों को भुगतान प्रथम पखवाड़े का 25 तारीख तक तथा द्वितीय पखवाड़े का अगले महीने की 10 तारीख तक किया जाने के निर्देश थे।

(3) विभाग द्वारा राशि आवंटन के उपरांत जिले की कार्यवाही एजेन्सियों को राशि उपलब्ध कराई जाकर श्रमिकों को भुगतान समय पर किया गया। सार्वजनिक निर्माण खण्ड डीडवाना को 32.85 लाख रुपये की राशि श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान हेतु जिला कलेक्टर द्वारा दी गई थी लेकिन उनके द्वारा भेजी गई राशि का

(अकाल राहत मंत्री)

व्यय सामग्री मद में कर दिया गया। इस हेतु अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। मजदूरी का भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट से करने के निर्देश दिये जाकर श्रमिकों को भुगतान कराया जा रहा है।

(4) अभावग्रस्त क्षेत्र के व्यक्तियों को राहत देने के लिए अकाल राहत कार्यो पर लगाया जाता है तथा कार्य करने वाले श्रमिकों को निर्धारित अवधि में भुगतान किया जाता है।

(5) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखे)

जिला नागौर के अकालग्रस्त ग्रामों में चारे की व्यवस्था

79. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(1) जिला नागौर की किन–किन तहसीलों में सामान्य से बहुत कम मानसुनी वर्षा हुई है ? क्या उक्त जिलों में हुई कम वर्षा से जिले में अकाल की विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है ? कम वर्षा के क्षेत्र की सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में चारे की कमी से प्रतिदिन सैकड़ों पशु मर रहे है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में चारे की व्यवस्था कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो, कब तक और नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार वर्षा की अत्यधिक कमी से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले की सभी तहसीलों में इस वर्ष मानसून की सामान्य से कम वर्षा हुई है। वर्षा की तहसीलवार सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट 1)

(2) जी नहीं। फसल गिरदावरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यकता वाले क्षेत्रों में चारे की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

(3) जी हां। गिरदावरी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरांत फसल खराब वाले क्षेत्रों को अभावग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखे)

बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत

80. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु विभिन्न पंचायत समितियों को राशि आवंटित की है ? यदि हां, तो किस किस को कितनी–कितनी, कब–कब ?

(श्री सांवरलाल)

(2) क्या उक्त पंचायत समितियों को आवंटित राशि का भुगतान पर कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या किसी पंचायत समिति की शिकायत होने पर भुगतान रोका गया है ? यदि हां, तो कब तक जांच कर भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1996 में आई बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनरूद्धार हेतु जारी प्रशासनिक स्वीकृति का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

(2) विभाग द्वारा जारी की गई प्रशासनिक स्वीकृति में यह उल्लेख किया गया था कि सम्बन्धित जिले के जिला कलेक्टर कार्यवार स्वीकृति जारी करके स्वीकृति की प्रति इस विभाग को भेजेंगे जिसके आधार पर वित्तीय स्वीकृति दी जा सकेगी। जिला कलेक्टर्स से प्राप्त विवरण के अनुसार जो राशि जिला कलेक्टर को आवंटित की गई है उसका विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–2)

(3) जी हां। अजमेर जिले की पंचायत समिति भिनाय/अराई बाबत शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जांच कार्यवाही की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरांत भुगतान बाबत निर्णय लिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखे)

तहसील शिव (बाड़मेर) के ग्रामों में तूफान पीड़ितों को सहायता

81. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील शिव जिला बाड़मेर के ग्रामों में तूफान आया था ? क्या उस तूफान से पशुपालकों के पशुओं व कच्चे मकानों का नुकसान हुआ था ? यदि हां, तो सर्वे के अनुसार कितने ग्रामों व कितने परिवारों को नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तूफान पीड़ित परिवारों में से कितने परिवारों को सहायता दी गई ? सूची संदन की मेज पर रखें।

(3) जिन–जिन ग्रामों में सहायता नहीं दी है, उनको क्या सरकार अब सहायता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वे के अनुसार तहसील शिव के 60 ग्रामों के 2469 काश्तकारों के पशुओं व कच्चे मकानों को नुकसान हुआ। सूची तैयार कराई जा रही है जो तैयार होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(2) तूफान पीड़ित परिवारों में से 501 परिवारों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सहायता दी गई।

(3) जी हां। प्रभावित काश्तकारों को

(अकाल राहत मंत्री)

हुए नुकसान का भौतिक सत्यापन कराया जाकर सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

बीमा पालिसी की डुप्लीकेट प्रति जारी करने की प्रक्रिया

82. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या राज्य बीमा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि किसी कर्मचारी की बीमा पालिसी की मूल प्रति गुम हो जाने पर विभाग द्वारा डुप्लीकेट कापी जारी की जाती है ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया एवं नियमों के तहत ? प्रक्रिया एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 1998 से अगस्त, 1999 तक ऐसे कितने प्रकरण सरकार के समक्ष किस कारण से विचाराधीन हैं ? अब कब तक उक्त विचाराधीन लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) हां। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम–47 के प्रावधान अनुसार बीमेदार कर्मचारी की मूल बीमा पालिसी खो जाने पर निर्धारित फीस रुपये 100/– एवं क्षति बंधक पत्र संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत करने पर पालिसी की डुप्लीकेट कापी (अनुप्रति) जारी की जाती है। नियमों एवं प्रक्रिया की प्रति संलग्न है।

(2) विभाग में माह जंनवरी, 1998 से अगस्त, 1999 तक कुल 1693 मामले पालिसी की डुप्लीकेट कापी बनाने हेतु प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1691 मामलों में पालिसी डुप्लीकेट कापी जारी की जाकर बीमेदारों को भिजवाई जा चुकी है। शेष 2 मामले केवल इसलिये बकाया हैं कि इसमें बीमेदार द्वारा क्षतिपूर्ति बंधक पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। जैसे ही क्षतिपूर्ति बंधक पत्र प्राप्त होंगे, इनमें भी पालिसी की डुप्लीकेट कापी जारी कर दी जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

रतनगढ़ (चूरू) भूतपूर्व बेलदार का पेंशन प्रकरण

83. **श्री रामसिंह कस्वां** (सादुलपुर) : क्या राज्य बीमा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वित्त विभाग द्वारा श्री गोविन्द राम शर्मा, भूतपूर्व बेलदार, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रतनगढ़ के पेंशन प्रकरण का निस्तारण कर पेंशन दिलाये जाने हेतु दिनांक 16.6.96 एवं 25.8.98 को पत्र प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त दोनों पत्रों की अनुपालना में बीमा विभाग द्वारा कब–कब क्या–क्या कार्यवाही की गई एवं वर्तमान में उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की जा रही है ? वित्त विभाग के दोनों पत्रों की प्रति एवं अब तक उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामसिंह कस्वां)

(2) क्या यह भी सही है कि बीमा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक सी.पी.एफ./जनरल 1/96/941 दिनांक 4.9.97 द्वारा उठाई गई आपत्ति का निराकरण भी अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रतनगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5907 दिनांक 30.9.97 द्वारा कर बीमा विभाग को पत्र प्रेषित कर दिया गया था ? यदि हां, तो बीमा विभाग द्वारा पुनः उक्त प्रकरण को वित्त विभाग को प्रेषित करने के क्या कारण रहे हैं ? क्या उक्त कारणों का निराकरण वित्त विभाग द्वारा किया जाकर कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बाद भी कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों की अनुपालना नहीं करने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ?

(3) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण कर श्रमिक को पेंशन दिलाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री गोविन्द राम शर्मा, सेवानिवृत बेलदार को पेन्शन स्वीकृति के सन्दर्भ में वित्त विभाग द्वारा 16.6.96 को मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं 25.8.98 को निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को पत्र प्रेषित किये गये थे। विभाग के इन पत्रों में कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र संख्या एफ.5(11) कार्मिक/क–2/80 दिनांक 18.6.92 के अर्न्तगत पुनर्विचार करने हेतु निर्देशित किया गया था। श्री गोविन्द राम शर्मा दिनांक 30.11.89 को सेवानिवृत हो गये थे एवं मार्च, 92 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इनको अंशदायी प्रावधायी निधि की स्वयं एवं राजकीय अंशदान की राशि मय ब्याज के भुगतान कर दिया गया था। अतः इनका प्रकरण कार्मिक विभाग के परिपत्र के अर्न्तगत नहीं आने के कारण वित्त विभाग को स्पष्ट निर्देश भिजवाने हेतु सितम्बर, 98 में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा अनुरोध किया गया। वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.4(33)वित्त/राजस्व/84 दिनांक 8.10.98 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 22.6.99 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से स्थायी घोषित कर्मचारियों को पेन्शन देय न होने के निर्देश दिये गये।

(2) हां, यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रतनगढ़ द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के पत्र क्रमांक सी.पी.एफ./जनरल/1/96/602 दिनांक 4.9.97 के संदर्भ में अपने पत्र क्रमांक 5907 दिनांक 30.9.97 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि उनके कार्यालय द्वारा कर्मचारी को आदेश क्रमांक 5465–70 दिनांक 25.7.94 द्वारा 19.3.86 से स्थाई घोषित किया गया। इस पत्र से यह स्पष्ट है कि कर्मचारी को 25.7.94 को भूतलक्षी प्रभाव

(राज्य बीमा मंत्री)

से स्थाई किया गया। अतः कार्मिक विभाग के 18.6.92 के आदेश कर्मचारी पर लागू नहीं होते हैं। इस कारण से वित्त विभाग को प्रकरण प्रेषित किया गया। वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.4(33) वित्त/राजस्व/84 दिनांक 25.8.98 द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.6.92 के अर्न्तगत पुनर्विचार कर कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किये। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.6.92 के अर्न्तगत पूर्व में विचार कर यह सूचित किया गया था कि कर्मचारी वर्ष 92 में सेवा में नहीं था, वर्ष 89 में ही सेवानिवृत हो गया था। अतः कर्मचारी पर 18.6.92 का परिपत्र लागू नहीं होता तथा कर्मचारी को स्थाई करने के आदेश 25.7.94 को किये गये। अतः यह परिपत्र लागू नहीं होने के कारण स्पष्ट निर्देशों के लिए पुनः बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के पत्र क्रमांक : प्रानि/व्य0ए0प0/98/617 दिनांक 8.9.98 के द्वारा मार्ग दर्शन एवं स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को पत्र प्रेषित किया गया जिसके अनुक्रम में वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प. 4(33) वित्त/राजस्व/84 दिनांक 22.6.99 के द्वारा मामले पर विचार कर पेन्शन देय नहीं होने के निर्देश दिये गये। चूंकि 18.6.92 को सेवा में नहीं होने के कारण कार्मिक विभाग का परिपत्र लागू नहीं होता है। अतः उन्हें पेन्शन देय नहीं है।

(3) जैसा कि उक्त पैरा में स्पष्ट किया जा चुका है कि कर्मचारी 18.6.92 को सेवा में नहीं था। अतः इस पर कार्मिक क–2 विभाग का परिपत्र संख्या प.5(11) कार्मिक/क–2/80 दिनांक 18.6.992 लागू नहीं है और कर्मचारी को मार्च, 1992 में राजकीय अंशदान एवं स्वयं के अंशदान की राशि का भुगतान कर दिये जाने के कारण पेन्शन देय नहीं है। वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ1(26)एफ.डी./ग्रुप–2/74 दिनांक 13.7.94 के पैरा संख्या 5 में भी यह स्पष्ट निर्देश है कि जो प्रकरण पूर्व में निस्तारित किये जा चुके हैं, उन्हें पुनः नहीं खोला जावें।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला जैसलमेर में कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्माणाधीन सड़कें

84. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड कृषि क्षेत्र में सड़क निर्माण करवाता है ? जिला जैसलमेर में बनाई जाने वाली सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितनी सड़कें बनाना प्रस्तावति है ?

(3) क्या सिंचित क्षेत्र विकास के सहयोग से कृषि विपणन बोर्ड सड़क निर्माण का कार्य करवा रहा है ?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(4) क्या कृषि विपणन बोर्ड की सड़क निर्माण की कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जैसलमेर में निर्माण कराई जा रही सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला जैसलमेर के अन्तर्गत सड़क बरसियाली 9.00 कि.मी. प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं।

(4) कृषि विपणन बोर्ड की कोई सड़क नीति नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क नीति के बिन्दुओं के मापदण्डों को मध्येनजर रखते हुए विभाग में कृषि उपज मण्डी समितियों व मण्डी विकास निधि के उपयोग हेतु सड़क नीति बनाई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री यशवंत सिंह एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से जिला भरतपुर को आवंटित यमुना जल उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(2) श्री ज्ञानचन्द पारख एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले चयनित परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के संबंध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से जिला बारां की तहसील अटरू की कतिपय सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के संबंध में।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में कुशल-अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मूल्य सूचकांक से जोड़ने के सम्बंध में।

(5) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा परीक्षा शुल्क में अत्यधिक वृद्धि करने से छात्रों में व्याप्त असंतोष के सम्बंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री रघुवीर सिंह गौड़, श्री रतनाराम चौधरी, डा. रतन लाल जाट, श्री घनश्याम जैन, श्री शिवनाथ सिंह, श्री जगत सिंह दायमा, श्री रमजान खान, डा. किरोड़ीलाल, श्री सांवर लाल, श्री हीरासिंह चौहान, श्री मांगीलाल गरासिया और श्री ललित भाटी।

श्री रघुवीर सिंह गौड़।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा 24 अक्टूबर से होने जा रही है और 24 अक्टूबर से ही एस.एस.सी. की क्लर्क ग्रेड की परीक्षा भी हो रही है और अभी जो आई.ए.एस. की मुख्य परीक्षा है वह भी 29 अक्टूबर से है। इसके अलावा जो पूर्व में आवेदन निरस्त आपने कर दिये थे और अब आयु सीमा में जो छूट दी है वे लोग इससे वंचित रह जाएंगे अगर इसकी तिथि को आगे नहीं बढ़ाया गया तो। इसलिये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इन सारी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिन 887 लोगों के आवेदन–पत्र पहले निरस्त कर दिये गये थे आयु के कारण और अब आपने उनको आयु सीमा में छूट देने का एलान किया है, इसलिये एस.आई. की परीक्षा पहले हो जाए। 24 अक्टूबर से ही एस.एस.सी. की क्लर्क ग्रेड की परीक्षा हो रही है और 29 अक्टूबर से आई.ए.एस. की परीक्षा हो रही है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका कोई प्रस्ताव है ? आपका कोई प्रस्ताव है क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद : ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यूं ध्यानाकर्षण आप कैसे कर सकते हैं ? ध्यानाकर्षण के लिये प्रस्ताव लाइये आप। आप बैठें।

मोहम्मद माहिर आजाद : 24 अक्टूबर से परीक्षा हो रही है, जो आयु सीमा में छूट दी है वे लोग वंचित रह जाएंगे...

श्री रतना राम चौधरी : जो व्यवस्था दी है उसको पढ़ने दीजिये। उसमें व्यवधान कृपया...

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह गौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : इस टाइम सरकार की मंशा उन लोगों को राहत देने की थी इसीलिये आयु सीमा बढ़ायी है। मुख्य मंत्रीजी, आपकी जो मंशा है वह मंशा पूरी नहीं होगी इसलिये कृपया परीक्षा को जरा पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री रघुवीर सिंह गौड़।

मोहम्मद माहिर आजाद : हजारों छात्रों के हितों का सवाल है। राज्य सरकार ने उदारता दिखाते हुए आयु सीमा में छूट दी है तो उन लोगों को आवेदन करने का तो टाइम मिलना चाहिये। इसलिये हमारा निवेदन है, मुख्य मंत्री महोदय, यहां विराजमान हैं, इस परीक्षा को थोड़ा–सा आगे सरकाएं।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी नियम के अर्न्तगत इसको हाउस में लाइये। आप ऐसे ही बोल रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : पर्ची दी शून्यकाल में...

श्री उपाध्यक्ष : आपने न तो इजाजत ली आसन से, न आपने कुछ कहा और आप बोलने लग गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : शून्यकाल में इतना महत्त्वपूर्ण मुद्दा है इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की हमेशा से परम्परा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कोई परम्परा नहीं है। जो परम्परा है वह समाप्त करो। जो परम्परा है वह समाप्त करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें परम्परा वाली बात नहीं है...

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल समाप्त कर देंगे... (व्यवधान) शून्यकाल आपने समाप्त कर दिया, शून्यकाल रखा नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोगों के भविष्य का आप ख्याल रखें, उपाध्यक्षजी... (व्यवधान) यह इतना जरूरी मुद्दा है। सीमा बढ़ा दी आयु की, आयु सीमा पहले बढ़ा दी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह गौड़। माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमने पर्ची लिख करके भी सैक्रेटरी साहब को दी थी लेकिन शून्यकाल में आपने रखा ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : रखा है, रखा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम बराबर भेज रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर शून्यकाल में कोई जरूरी मुद्दा है तो हमेशा परम्परा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप आसन से परमीशन लो ना। आसन ने आपको परमीशन दी नहीं, माननीय अध्यक्षजी ने आपको परमीशन दी नहीं है, आप ऐसे ही बोले जा रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिये मैं आसन से उदारता बरतने के लिये निवेदन करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी इसके ऊपर कोई व्यवस्था दें। उपाध्यक्ष महोदय, स्वीकृति की बात नहीं है। बच्चे आपके भी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, नौजवान हैं, जो इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे लोग वंचित रह जायेंगे। हजारों–लाखों छात्रों के हित का सवाल है। आपने जब आयु सीमा में छूट दी है तो नयी आयु सीमा वालों को आवेदन करने का हक तो मिलना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, भला ऐसे कैसे काम चलेगा इसका, इमीजिएट दूसरे एग्जाम हो रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी(निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुवीर सिंहजी। विराजिये। विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सरकार की तरफ से डेढ़ लाख भेड़े आबंटित हुई थी

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

और लाखों भेड़े वहां घुस गयी हैं...

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : हमारे यहां अकाल की दयनीय स्थिति है। घास हमारे यहां है नहीं, पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में त्राहि–त्राहि मच रही है।

श्री उपाध्यक्ष : अकाल का कल आ रहा है ना, कल आपको अवसर मिलेगा बोलने का। कल आपको अवसर मिलेगा बोलने का।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : और उन भेड़ों को नहीं रोका गया। प्रशासन ने जितना टाइम दे रखा है, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता पूरे जिले में एक बात कहते थे कि भैरोंसिंहजी का राज है इसलिये भेड़ें चित्तौड़ में आ रही हैं। आज न तो भैरोंसिहजी का राज है, न जसवंत सिंहजी वहां के सांसद है। अशोकजी गहलोत साहब मुख्य मंत्री हैं, आज पूरे चित्तौड़ जिले में किसान त्राहि–त्राहि कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : वहां खेतों में भेड़ें घुस गयी हैं और फसलों को नष्ट किया जा रहा है। राजस्थान की सरकार से जन–प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसका आपने गंभीरता से नहीं लिया तो बहुत गंभीर स्थित चित्तौड़गढ जिले में उत्पन्न होने वाली है क्योंकि डेढ़ लाख की जगह 10.75 लाख भेड़े वहां घुस गयी है। एक घंटे–दो घंटे से ज्यादा स्टे का टाइम है, न फोरेस्ट वाले सुन रहे हैं, न पुलिस वहां सुन रही है। इसकी वजह से बहुत ही गंभीर परिणाम हो रहे हैं वहां पर। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, घास खाने को है नहीं और सारी भेड़े खेतों में घुस गयी हैं। कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लोग मर सकते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको थोड़ा गंभीरता से लेकर शीघ्र ही इसका समाधान कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुवीर सिंह गौड़।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कोटपूतली का उप जिलाधीश कार्यालय भवन

श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अर्न्तगत निवेदन करना चाहता हूं कि कोटपूतली उप जिलाधीश कार्यालय प्रारम्भ से ही नगर के मध्य आजाद चौक में अवस्थित भवन में चल रहा था। यह पुराना भवन खेतड़ी राज्य में भी प्रशासनिक कार्यालय हेतु प्रयोग में लाया जाता था। गत वर्ष से एक भाग क्षतिग्रस्त होने के कारण सार्वजनिक विभाग द्वारा भवन को अनुपयुक्त घोषित

(श्री रघुवीर सिंह गौड़)

कर दिया गया है। इसी वजह से कार्यालय नगर से बाहर स्थित साहबी परियोजना के रिक्त पड़े मकानों में स्थानान्तरित कर दिया गया है। बीस वर्ष पूर्व निर्मित ये मकान भी सुरक्षित नहीं है। अभी वर्षा ऋतु में प्रायः सभी कमरों की छतों से पानी रिस रहा था। इन मकानों के सुधार के लिए भी लगभग चार लाख धनराशि मरम्मत के लिए मांगी गई है।

इस प्रक्रिया से जनता में गंभीर आक्रोश है तथा आन्दोलनरत है। पुराने भवन का बहुत बड़ा भाग अभी भी काम में लाये जाने योग्य है तथा वहां परिसर में भूमि भी उपलब्ध है। जहां नवीन कार्यालय ढाई–तीन लाख में निर्मित किया जा सकता है।

ज्ञातव्य है कि इसी पुराने परिसर में अतिरिक्त जिलाधीश का कार्यालय भी निर्माणाधीन है जिसमें केवल लकड़ी के खिड़की, दरवाजे लगना शेष है। जिसके लिए शेष धनराशि रिलीज नहीं की गई है, जो शीघ्र ही की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कार्यालय के स्थानान्तरण से जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है तथा पुराना परिसर वीरान होकर असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है।

जनता की मांग है कि पुराने परिसर को ही कार्यालय हेतु आवश्यक फेरबदल कर काम में लाया जाए। इस भवन में बहुत से भाग सुरक्षित तथा मजबूत हैं जिन्हें काम में लाया जा सकता है तथा कुछ कमरें खाली पड़ी भूमि पर आसानी से बनाये जा सकते हैं।

निवेदन है कि समस्या के समधान हेतु आवश्यक कदम उठाकर जनता को अतिशीघ्र राहत दी जाए तथा नगर के ऐतिहासिक परिसर को प्रशासकीय कार्य हेतु पूर्ववत रखा जाए। सधन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतना राम चौधरी।

अकालग्रस्त किसानों को बिजली के शिफ्टिंग कनेक्शन

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष भयंकर अकाल से जूझते हुए किसानों को दस घंटा बिजली एवं सर्विस लाइन कनेक्शन, वन पोल, टू पोल के कनेक्शन तथा शिफ्टिंग के नियमों में संशोधन कर तुरन्त राहत दी जाए। इस वर्ष ज्यादातर जिलों में और विशेषकर जिला जालौर, सिरोही, पाली, कोटा में दो वर्षो से किसान भयंकर अकाल की काली छाया से जूझ रहे हैं और सिर्फ बिजली ही एकमात्र सहारा रह गया है। ऐसी स्थिति में किसानों के कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है

(श्री रतना राम चौधरी)

या सूख गया है। काश्तकारों ने उसी जमीन में ट्यूबवैल खुदवाये हैं, उनको शिफ्टिंग कनेक्शन तुरन्त दिये जाए। जिस पर सरकार का कोई पोल या तार वगैरह नहीं लगाना है उन काश्तकारों को तुरन्त शिफ्टिंग कर लोड बढ़ाने की फाइल जमा करते ही एक हफ्ते में लोड बढ़ाकर शिफ्टिंग कनेक्शन दिये जाएं। शिफ्टिंग कनेक्शन में सिर्फ मजदूरी (लेबर) जार्च ही लिया जाए।

सर्विस लाइन तथा वन पोल एवं टू पोल के कनेक्शन वरीयता के आधार पर तुरन्त दिलवाने का आदेश प्रदान करें।

अगर सरकार ने इसी विधान सभा सत्र में आदेश नहीं दिये तो काश्तकार इस भयंकर अकाल का सामना नहीं कर पाएंगे तथा कीमती पशुधन को नहीं बचा सकेंगे। किसानों में भयंकर असंतोष उभर जाएगा, जिससे स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रतन लाल जाट।

भीलवाड़ा के कतिपय अकालग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अर्न्तगत निवेदन करना चाहता हूं कि सहाड़ा–रायपुर ज़िला भीलवाड़ा क्षेत्र इस वर्ष भयंकर अकाल की चपेट में है व पेयजल की भारी समस्या है। रायपुर क्षेत्र में लड़ली बांध जो पेयजल का मुख्य स्रोत है, उसमें इस वर्ष एक बूंद भी पानी नहीं आया है।

रायपुर जो कि तहसील मुख्यालय है, इसमें अभी से तीन दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है। अधिकांश हैण्ड पम्प सूख गये हैं, जल स्तर काफी नीचे चला गया है। सरकार के द्वारा इस विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकता से बहुत कम हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। जो थोड़े बहुत हैण्ड पम्प लगाये गये हैं उन पर भी उनको चालू करने की सामग्री नहीं लगायी गयी है जिससे उनका इस विकट समय में उपयोग नहीं हो पा रहा है।

रायपुर क्षेत्र की भीटा–भटेवढ़ व सदेवड़ी योजना से पर्याप्त पानी होते हुए भी विभाग की लापरवाही व पाइप लाइनों के समुचित रख–रखाव के अभाव के कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। रायपुर क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिये तुरन्त कुछ हैण्ड पम्प लगाये जाएं वर्तमान में पेयजल योजनाओं को उचित ढंग से चलाया जाए।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र का गंगापुर नगर जो एस.डी.एम. हैडक्वार्टर है तथा नगरपालिका क्षेत्र है, इस शहर की लगभग सोलह हजार की आबादी है। इस शहर के लोगों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। भाभी कुंडिया बांध से गंगापुर नगर को पानी देने की लगभग पांच करोड़ की योजना तो

(डा. रतन लाल जाट)

स्वीकृत हो गयी है परन्तु इस योजना पर विभाग की लापरवाही से कार्य नहीं हो रहा है।

मेरा निवेदन है कि गंगापुर शहर की इस पेयजल योजना को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि पेयजल समस्या का समाधान हो सके। सहाड़ा क्षेत्र में भी तुरन्त नये हैण्ड पम्प लगाये जाएं तथा सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र के लिए अभी एक कंटिंजेंसी प्लान बनाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन।

बेंगू विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन व जंगलात की कटाई

श्री घनश्याम जैन (बेंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अर्न्तगत निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बेंगू में सैन्ड स्टोन प्रचुर मात्रा में है। सैण्ड स्टोन के डिपोजिट जंगलात क्षेत्र में भी हैं जहां कई महीने से अवैध खनन धड़ल्ले से अवैध रूप से चल रहा है। माननीय वन मंत्रीजी का भी कई बार ध्यानाकर्षित किया एवं स्थानीय डी.एफ. ओ. से भी कई बार निवेदन किया मगर जब डी.एफ.ओ. की मिलीभगत से ही अवैध खनन हो रहा हो तो इसे कौन रोक सकता है ? स्थानीय जांच नहीं करवाकर सरकार को लाखों रुपयों का चूना लगाया जा रहा है। अत: तत्काल जाच कराकर दोषी अधिकारी को दंडित करना अत्यावश्यक है।

इसके अलावा अवैध रूप से जंगल में खेर की लकड़ी भी भयंकर रूप से काटी जा रही है। कई बार शिकायत करने पर एक ट्रक खेर की लकड़ी मजबूरी में जब्त की है जो बेंगू कार्यालय में जब्त है। इस क्षेत्र में हजारों बीघा जंगलात क्षेत्र में बाहर के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है। जंगल के जंगल नष्ट किये जा रहे हैं।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों की जानकारी कर सैंड स्टोन के अवैध खनन, खेर की लकड़ी की कटाई व जंगलात की भूमि पर अतिक्रमण को तत्काल रोका जाए। इसकी ईमानदार अधिकारी से जांच करायी जाए अन्यथा मजबूर होकर इस अवैध कार्य को हमें रोकने पर मजबूर होना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

छावसरी पंचायत मुख्यालय पर चिकित्सा सुविधा

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अर्न्तगत निवेदन करना चाहता हूं कि झुंझुनूं जिले का छावसरी गांव पंचायत मुख्यालय है। बड़ी आबादी का ग्राम है। इस गांव तथा आसपास के क्षेत्र में मीलों तक की दूरी पर चिकित्सा के नाम पर कोई साधन नहीं है। एक दानदाता ने चिकित्सालय के लिए उपयुक्त भवन का निर्माण करा

(श्री शिवनाथ सिंह)

दिया है। दानदाता एक–दो साल के लिए चिकित्सालय को चलाने हेतु नियमानुसार धनराशि भी राज्य सरकार को जमा कराने के लिए तैयार है, जिसके लिए दानदाता ने काफी समय पहले दरख्वास्त भी पेश कर दी है लेकिन सरकार या चिकित्सा विभाग की तरफ से अभी तक कोई उत्तर दानदाता को नहीं दिया गया है कि कितनी धनराशि उसको जमा करवानी है।

इस गांव में चिकित्सालय खोले जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। सरकार इस गांव में चिकित्सालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करे और दानदाता को कितनी राशि जमा करवानी है यह भी जल्द निर्धारित की जाए। ताकि इस क्षेत्र की जनता को चिकित्सा की सुविधा मिल सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा।

बानसूर के सहायक अभियन्ता के कार्यालय के लम्बित विद्युत कनेक्शन

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अर्न्तगत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बानसूर के सहायक अभियन्ता कार्यालय (आर.एस.ई.बी.) की हालत बहुत ही दयनीय है। जहां कृषि कनेक्शन करीब 128 देने है, इन 128 कृषि कनेक्शनों के लिए रुपये जमा हो चुके हैं। 58 कृषि कनेक्शन जनरल हैं जिनको डी.एन. देना है। 1986 के पहले के जो कनेक्शन है। यही नहीं, 81 एग्रीकल्चर के कनेक्शन जो नर्सरी के हैं, जिनको उसी वक्त कनेक्शन दे देना चाहिए था मगर आज तक ये नर्सरी के कनेक्शन नहीं दिए गये हैं।

श्रीमान्‌जी, यही नहीं 83 जनरल कृषि कनेक्शन वे हैं जिनके मांग पत्र तो जारी कर दिए गये पर राशि जमा नहीं कर रहे हैं। आर.एस.ई.बी. को 41 कनेक्शन शिड्यूल्ड कास्ट के कृषि के भी देने हैं। यही नहीं, डी.एल./सी.एल. के 224 कनेक्शन मार्च, 1987 तक के हैं, वे भी नहीं दिए है। ये सभी कनेक्शन देने के लिए विभाग के पास कुछ भी सामान नहीं है। एक भी पोल आज की तारीख में आर.एस.ई.बी. आफिस, बानसूर के पास नहीं है। यही नहीं केबल, एंगल, ब्रेकर, इन्सुलेटर, केबल चैनल, एल.टी. लाइन का कुछ भी सामान नहीं है। एक भी चीज नहीं है तो कार्यालय कैसे चलेगा ? लोयती ग्राम का 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत है, उसका बजट भी स्वीकृत है मगर ठेका जारी नहीं हुआ है। इसे मार्च तक पूर्ण हो जाना चाहिए पर सामान की कमी से कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे सरकार की छवि गिर रही है। कृपया वांछित व्यवस्था अविलम्ब कराएं।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कनेक्शनों में विलम्ब का जो सवाल उठाया है, मैं इसकी

(डा. चन्द्रभान)

जानकारी प्राप्त करूंगा और जिन–जिन कृषकों के डिमाण्ड नोट के पैसे जमा हैं, चाहे वह जनरल कैटेगरी के हों, चाहे अन्य कैटेगरी के हों, उन्हें जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिलवा दिए जाएंगे और जरूरी सामान उपलब्ध करवा देंगे और जो जी.एस.एस. स्वीकृत है और जिसके लिए आप कह रहे हैं कि वित्तीय स्वीकृति भी हो गई है, उसका काम भी जल्दी ही शुरू करवाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, जयपुर में गबन एवं कैशियर द्वारा आत्महत्या की जांच

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं नियमों के नियम 295 के अर्न्तगत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड में कार्यरत श्री गोपाल लाल वर्मा, कैशियर ने दिनांक 2.9.99 को मध्य रात्रि में आत्महत्या कर ली। जब दूसरे कैशियर को इसका चार्ज दिया गया तो उसने कैश बुक का पूर्व में काटे गए चैकों से मिलान किया तो उसमें बहुत सी अनियमितताएं पाई गई, जिनकी रिपोर्ट कैशियर ने अपने उच्च अधिकारियों को की। जिस पर प्रारम्भिक जांच के दौरान 8 लाख, 80 हजार रुपये का कैश गबन सामने आया है। तब रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर ने आडिट करके 15 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश प्रशासक एवं प्रबन्ध संचालक, उपभोक्ता संघ, जयपुर को दिए है। जब प्रारम्भिक जांच में 8.80 लाख रुपये की राशि का गबन सामने आया है तो पूर्ण जांच हो जाने पर यह गबन 50 लाख रुपये से भी ज्यादा जाने का अनुमान है। यह विचारणीय विषय है कि इतनी बड़ी रकम वह भी चैकों द्वारा गबन अकेले मृतक श्री गोपाल लाल वर्मा का कार्य नहीं है, इसमें अन्य कई उच्चाधिकारी भी लिप्त है जिनकी जांच होनी चाहिए। दोषी पाये जाने पर उनका निलम्बित ही नहीं, जेल के सलाखों के पीछे तक पहुंचाया जाना चाहिए। उनका कर्तव्य तो यह था कि जैसे ही गबन की प्राथमिक सूचना मिली, तत्काल पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाते। उन्होंने अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया है, वे दोषी अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। मेरा आरोप है कि श्री गोपाल लाल वर्मा को आत्महत्या के लिए बाध्य क्यों होना पड़ा ? उसके दोषी उसके सुपरवाइजिंग स्टाफ के अधिकारी हैं, उनकी शह से ही यह कांड हुआ है। इसलिए मेरी मांग है कि इन अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा अलग से चलाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह का कृत्य करने का कोई उच्च अधिकारी साहस नहीं कर सके।

मेरा यह भी निवेदन है कि यह गबन केवल राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान

(श्री रमजान खान)

में फैले उपभोक्ता संघों की शाखाओं व सैक्शनों में भी कैश अथवा सामग्री में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए इन शाखाओं की भी युद्ध स्तर पर जांच एवं आडिट होनी चाहिए। विभागीय मंत्रीजी को शायद इस तथ्य की जानकारी भी नहीं होगी, वे सोये हुए हैं, उनका विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। अतः इस प्रकरण में अविलम्ब कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री एम.एल.कालिया पूर्व पुलिस महानिदेशक की चिकित्सा में डा. आर.के.मधोक द्वारा बरती जा रही लापरवाही

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्यवाही संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अर्न्तगत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री एम.एल.कालिया को 9.8.99 को सुबह 9 बजे सीने में दर्द व सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर में डा. आर.के.मधोक को दिखाया गया। डा. मधोक ने ई.सी.जी. करवाई जिसमें नान क्यू.एम.आई. (क्यू बेव एब्सेट) अनियमितता मिली, जिससे एल.ए.डी. एवं इस्चैमिक हार्ट ट्रबल पाया गया। उस समय इनपुट–आउटपुट चार्ट मेनटेन नहीं किया गया। आक्सीजन बी.पी. एवं एन.टी.जी. व ड्रिप की मानिटरिंग करने वाला कोई नहीं था। ऐसे गंभीर रोग के मरीज को आई.सी.यू. में भर्ती नहीं किया गया और गंभीर लापरवाही बरतते हुए घर वापस भेज दिया गया।

डाक्टर मधोक की सलाह पर कालियाजी वापस आ गए लेकिन घर पहुंचते ही उनकी तबियत और ज्यादा खराब हो गई। उन्हें सीने में तेज दर्द और बैचेनी जब ज्यादा हई तो डाक्टर मधोक के पास छोपहर दो बजे वापस लाए तब बड़ी मुश्किल से डाक्टर मधोक ने उन्हें अपने वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया। उनका रक्त परीक्षण व ई.सी.जी. पुनः करवाया गया। उसकी रिपोर्ट में भी खराबी आई पर डाक्टर मधोक ने कालियाजी की गम्भीर हालत को नहीं समझा और उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए गहन चिकित्सा सुविधा के लिए सलाह नहीं दी तथा उन्हें सामान्य वार्ड की गैलेरी में ही रखा गया जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा तथा आवागमन था। इस तरह के गम्भीर रोगों के मरीजों के लिए सम्पूर्ण विश्राम, आक्सीजन, कार्डियक मानीटरिंग व वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य वार्ड में उपलब्ध नहीं थी।

डाक्टर मधोक ने दूसरे दिन दिनांक 10.8.99 को खून की जांच में ज्यादा खराबी आने पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया तथा कालियाजी को गहन चिकित्सा इकाई में या अन्यत्र जहां पर बेहतर चिकित्सा सुविधा

(डा. किरोड़ी लाल)

उपलब्ध हो, वहां पर स्थानांतरित नहीं किया गया। डाक्टर मधोक बार–बार यही कहते रहे कि चिंता की कोई बात नहीं है, कालियाजी एक–दो दिन में एकदम ठीक हो जाएंगें। लेकिन दोपहर दो बजकर तीस मीनट पर जब एक्स. डी.जी.पी. की तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो डाक्टर मधोक को बुलवाया गया। डाक्टर मधोक आए, पर एक्स. डी.जी.पी. को बचाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया तथा जूनियर रेजिडेंट के भरोसे उन्हें तड़पती हालत में छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद श्री कालियाजी का निधन हो गया।

डाक्टर मधोक द्वारा निम्न लापरवाही बरती गई :–

(1) दिनांक 9.8.99 को सुबह 9 बजे पहली बार श्री एम.एल. कालिया को सीने में दर्द तथा सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर डाक्टर मधोक को दिखलाया गया तो ई.सी.जी. में परिर्वतन के बावजूद भी उन्हें भर्ती न कर घर पर भेज दिया गया जो कि गम्भीर अनदेखी थी।

(2) सीने में दर्द व सांस लेने में बढ़ती तकलीफ के बाद जब डाक्टर मधोक को दुबारा दिखाया गया तो उन्होंने श्री एम.एल. कालिया की गम्भीर स्थिति के बावजूद उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में रैफर करने के स्थान पर सामान्य वार्ड की गैलरी में रखा जहां पर आवागमन व शोर शराबा था।

(3) श्री कालिया की गम्भीर हालत में उनकी विशिष्ट जांचे जैसे ईको कार्डियोग्राफी, थेलियम स्केनिंग, एन्जियोग्राफी आदि नहीं करवाई गयीं, जो कि निहायत जरूरी थीं।

(4) दिनांक 10.8.99 को दोपहर ढाई बजे जब श्री कालिका की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो डाक्टर मधोक भारी अनुनय विनय के बाद आए और गम्भीरतापूर्वक पूर्ण जांच किए बगैर उन्हें तड़पती हालत में छोड़कर चले गए जिसकी कि परिणति श्री कालिका के निधन के रूप में हुई।

जब समाज के अति विशिष्ट तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों के इलाज में डाक्टर मधोक द्वारा इतनी गम्भीर लापरवाही जानबूझकर बरती जाती है तो आम आदमी के साथ उनका रवैया कैसा रहता होगा ! यह अत्यंत दुःखद व शोचनीय है। अतः आपसे निवेदन है कि डाक्टर आर.के. मधोक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर बोर्ड का गठन कर निष्पक्ष जांच करवाना अत्यंत आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल।

भिनाय विधान सभा क्षेत्र के सटवाड़ तहसील के पेयजल समस्याग्रस्त गांवों को बीसलपुर योजना से पेयजल सुविधा

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, भिनाय विधान सभा क्षेत्र के सरवाड़ तहसील के सम्स्याग्रस्त गांवों को बीसलपुर योजना से स्वीकृति देकर पेयजल उपलब्ध

(श्री सांवर लाल)

कराने की योजना स्वीकृत की गई। टंकिया बन गई, पाइप लाइन खेलीकोठा का निर्माण हो गया, परन्तु अभी भी समय पर पानी सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हो रहा है जिससे ग्रामवासी परेशान हैं। सापणदा, रालपुरा आदि कई गांवों में गांव से बाहर पानी आता है, टंकी में भी पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है जिससे ग्रामवासी दुःखी हैं और सरकारी धन के व्यय का सदुपयोग नहीं हो रहा है। साथ ही सरकार की साख भी इससे गिरती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, लिखा हुआ पढ़ें।

श्री सांवर लाल : लिखा हुआ है, मुझे याद है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जैसा आप बोल रहे हैं वैसा लिखा हुआ नहीं हैं। आप उसको पढ़िये।

श्री सांवर लाल : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको पढ़िए।

श्री सांवर लाल : कृपया वांछित व्यवस्था करावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

रायपुर विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त एनीकट्स का पुनर्निर्माण

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष उल्लेख के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र रायपुर के क्षतिग्रस्त एनीकट के पुनर्निर्माण के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र रायपुर (पाली) में वर्ष 1986–87, 1987–88 के अकाल राहत कार्यो के अर्न्तगत सिंचाई विभाग एवं भू–संरक्षण विभाग ने भूमि सुधार, कुंओं में पानी की आवक बढ़ाने तथा भू–कटाव को रोकने के साथ जल–संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति में लोगों को रोजगार देने के साथ महत्वपूर्ण कार्य छोटे–छोटे एनीकटों का निर्माण करके किया गया था जो पिछले 10 वर्षो में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा कुछ निर्माण करने अपूर्ण रह गये थे जिनको पूर्ण निर्माण करवाकर लाखों रुपये की व्यय की गयी राशि का जनता के हित में उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना इस अकालवर्ष में आवश्यक है। अतः निम्नलिखित सिंचाई विभाग के एनीकट का पुनर्निर्माण आवश्यक है :–

1. तिकली एनीकट पंचायत कानूजा वर्ष 1990 से अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त है।
2. कवलासिया एनीकट रामावास ग्राम पंचायत बूटीवास वर्ष 1990 की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त है।
3. बरड़ एनीकट, ग्राम पंचायत बगड़ी रपट का ऊपरी हिस्सा कटने से एनीकट क्षतिग्रस्त हो रखा है।

(श्री हीरासिंह चौहान)

4. अमरपुरा व सबलपुरा नदी के दोनों एनीकट 1998 की अतिवृष्टि में बह गये। उनका पुनर्निर्माण किया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत क्षेत्र अमरपुर।
5. सीगपुरा एनीकट। ग्राम पंचायत रायपुरा कलां की रपट का निर्माण अपूर्ण है, पूर्ण करवाया जाए।
6. लाडपुरा एनीकट, अपूर्ण, ग्राम पंचायत बीजागुड़ा।
7. कालका माता एनीकट। वर्ष 1990 की अतिवृष्टि में पूरा एनीकट नाले का बह गया। पंचायत केलवाड़।
8. कलाली फीडर चांग अपूर्ण निर्माण है। इसकी पूर्ण खुदाई होने से चांग पंचायत के सूखे क्षेत्र में सिंचाई वृद्धि होगी। पंचायत क्षेत्र चांग।
9. बेलधना एनीकट–क्षतिग्रस्त हो रखा है। पंचायत क्षेत्र बगड़ी।
10. गुढ़ावाला एनीकट बलुपुरा–अपूर्ण रहता है, पूर्ण करवाया जाए। पंचायत क्षेत्र दीणावास।
11. चोलीटोला एनीकट–अपूर्ण, पंचायत क्षेत्र रेलड़ा।
12. कालीकांकर एनीकट–अपूर्ण है, ग्राम पंचायत क्षेत्र क़लालिया।
13. कलखुर्द–अपूर्ण एनीकट, धन्नासिद्धी पटेल ढाणी, ग्राम पंचायत पचानपुरा।

अत: निवेदन है कि पाली जिले के सिंचाई अधिकारीगण को निर्देश देकर इस वर्ष में पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है, क्योंकि पिछले 4–5 वर्षों से सिंचाई विभाग को जिला प्रशासन द्वारा तखमीने देने के निर्देश भी नहीं दिये जा रहे है तथा सचिवालय स्तर के निर्देशों का हवाला देकर टालमटोली करते रहे हैं।

अतः इन सभी महत्त्वपूर्ण एनीकट जिनके निर्माण में लाखों रुपये पूर्व वर्षों में व्यय हो रखें है, उनकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए इनका पुनर्निर्माण करने के निर्देश फरमाएं।

माननीय उपाध्यक्षजी, सिंचाई मंत्रीजी बैठे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा है, पिछले 5–7 साल से हमारे पाली ज़िले में जिला प्रशासन लगातार उन पर दबाव डालता है। सचिवालय में पता नहीं 1990–91 में कोई ऐसा निर्णय हुआ उसका हवाला देकर इनका निर्माण रोका गया। सारे राजस्थान में एनीकटों का निर्माण हो रहा हैं, लेकिन पाली जिले के सिंचाई विभाग के अधिकारी एक भी एनीकट का एस्टीमेट बनाकर नहीं भेजते हैं। ये बहुत महत्त्वपूर्ण एनीकट हैं, जिनमें लाखों रुपये लगे हुए हैं। थोड़ी राशि और खर्च की जाये तो ये बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकते है। बहुत बड़े एनीकट नहीं हैं। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आपने एक मीटिंग में भी हमे आश्वस्त किया था, पुनः निवेदन है कि इसको पूरा कराने

(श्री हीरासिंह चौहान)

के लिए हमें आश्वस्त कीजिए ताकि इस अकाल वर्ष में पूरा हो सके। माननीय सिंचाई मंत्रीजी।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मीटिंग में भी निवेदन किया था और अब फिर निवेदन करती हूं कि एनीकट सिंचाई विभाग नहीं बनाता है। एनीकट बनाया है या तो डी.आर.डी.ए. या साइल कंजर्वेशन या साइल इरोजन, कैचमेंट एरियाज का जो काम करते हैं। हम तो सिर्फ वो ही बांध बनाते हैं, जिनसे सिंचाई होती है। एनीकट सिर्फ कंजर्वेशन आफ वाटर की स्कीम है, वह हम अभी नहीं करते।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सिंचाई मंत्रीजी, ये अकाल राहत कार्य में बने हुए हैं, सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए हैं और उनको कोई भी डिपार्टमैंट ले नहीं रहा, इसीलिए निवेदन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री हीरासिंह चौहान : इसलिए आपको सिंचाई विभाग को ही निर्देश देना पड़ेगा।

श्रीमती कमला : आप सब लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि अगर सिंचाई विभाग ने बना दिया है तो वह सिंचाई विभाग का होगा। ऐसा नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह महत्त्वपूर्ण विषय है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमला : आप सुनिए तो सही। (व्यवधान) एक तो जवाब देने की जरूरत नहीं है और मैं आपको जवाब दे रही हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसा कोई मेरे साथ नहीं है।

श्रीमती कमला : आप पहले सुनिए। मेहरबानी करके पहले आप सुनिए। मुझे जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको भ्रान्ति से निकालना चाहती हूं। मैं सारे सदन को यह निवेदन करती हूं, खास तौर से आपको कि सिंचाई विभाग नोडल एजेंसी है एक्जीक्यूशन की। चाहे वो डी.आर.डी.ए. हमसे कराए, चाहे अकाल राहत हमसे कराए, चाहे साइल कंजर्वेशन कराए। वह एजेंसी देती है अकाल राहत, डी.आर.डी.ए. वगैर, हम सिर्फ उसका एक्जीक्यूशन करते हैं। हमारे विभाग का वह काम नहीं होता है, यह आप ध्यान में रखें।

श्री हीरासिंह चौहान : फिर कौन कराएगा उनको ? उनको पूरा कौन कराएगा, दूसरी कोई एजेन्सी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष जी, महत्त्वपूर्ण सवाल है, लाखों रुपये व्यय हो रहे हैं। आप कह रहे हैं हम तो बांध बनाएंगे, दूसरा कोई लेता ही नहीं है। (व्यवधान) माननीय, व्यवस्था का सवाल है। कोई भी विभाग नहीं लेता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री मांगीलाल गरासिया।

गोगुन्दा कस्बे में एक डाक्टर द्वारा की जा रही है अवैध प्रैक्टिस

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष, महोदय, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा (उदयपुर) के अन्तर्गत गणपत पाण्डे फर्जी डाक्टर ने गोगुन्दा कस्बे में अवैधानिक तौर से प्राइवेट क्लीनिक खोल रखा है जिसके द्वारा दिनांक 11.9.99 को शाम लगभग 6.00 बजे नवली पत्नी देवा गमेती निवासी नीमच माता का खेड़ा, पंचायत काछबा के इलाज के दौरान अवैध दवा के इस्तेमाल से मृत्यु हो गई। इसके हाथों से कई मौतें हो चुकी हैं। यह फ़र्जी डाक्टर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और राजस्थान में गोगुन्दा विधान सभा द्वेात्र में अवैधानिक कार्य कर अशांति पैदा करने में बढ़ावा दे रहा है। महिला मृत्यु की थाना गोगुन्दा में एफ.आई.आर. भी लाज कराई है। यह फर्जी डाक्टर स्वास्थ्य विभाग में मिलीभगत से अवैधानिक क्लीनिक चला रहा लगता है। इसकी ड्रग इंस्पैक्टर से भी मन्थली बंधी हुई है जिससे सील किये गये फर्जी डाक्टर की सही तलाशी नहीं होने का पक्का अंदाजा लगता है।

श्रीमान् स्वास्थ्य मंत्रीजी, जयपुर से विशेष टीम भिजवाकर तलाशी करवाई जाए। ग्रामवासियों के भारी गुस्से से अशांति व्याप्त है एवं मामला बढ़ सकता है। इसलिए इस मामले में लिप्त फर्ज़ी डाक्टर गणपत पाण्डे के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए तथा मामले के कंट्रोल के लिए कदम उठाया जाए। चल रहे पोस्टमार्टम लैबोरेट्री जांच को सही मायने में कराये जाने का निर्देश दिलाया जाए तथा गणपत पाण्डे के फर्जी डाक्टरी क्लीनिक को तत्काल हटाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

अजमेर पूर्व विधान सभा क्षेत्र की घुघरा घाटी कच्ची बस्ती में निर्मित सामुदायिक भवन में घटिया सामग्री का उपयोग

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : प्रक्रिया के नियम 195 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व की घुघरा घाटी, जयपुर रोड की कच्ची बस्ती में नगर परिषद, अजमेर ने छह माह पहले ही लगभग 2,50,000/– की राशि खर्च कर सामुदायिक भवन का निर्माण कराया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। उद्घाटन से पहले ही इस सामुदायिक भवन की स्थिति अत्यधिक खस्ता बन गई है। यहां पर भवन के बाहर बना चबूतरा तो जगह–जगह से टूट गया तथा उसकी दीवारों में भी दरारें पड़ी हुई हैं।

सरकार ने कच्ची बस्ती में रहने वालों की सुविधा के लिये इस सामुदायिक भवन

(श्री ललित भाटी)

का निर्माण कराया था। लेकिन यह कुछ ही दिनों में खण्डहर का रूप धारण कर लेगा। आपसे निवेदन है कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नोहर में प्रदर्शन करती भीड़ पर लाठी चार्ज

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20.9 को नोहर कस्बे में प्रदर्शन करती हुई भीड़ पर लाठी चार्ज किया गया, उसके संबंध में मैं आपसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदर्शन क्यों हुआ ? इसका कारण है कि 19 तारीख को एक बस और जीप का एक्सीडेंट हुआ। वहां गोगामेड़ी का मेला लगता है जो लगातार एक महीने तक चलता है। यू.पी., दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से श्रद्धालु कम से कम 600 से लेकर 10 लाख की तादाद में आते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां हिन्दू व मुस्लिम सभी समुदायों के लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण पहले तो एक्सीडेंट का निवेदन करूं कि इसी महीने की 5 तारीख को दिल्ली के श्रद्धालु आये तो 14 लोग मारे गये। आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह किया है कि इतना बड़ा मेला सड़क के किनारे बिना व्यवस्था के हो इसलिए प्रशासन को निर्देशित किया जाए कि इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं उसकी व्यवस्था की जाए। 19 तारीख को यह घटना घटित होती है उसी दिन एक श्रद्धालु आया हुआ होता है, उसको पीट–पीट कर मार दिया गया। उसकी लाश नोहर पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई है, शिनाख्त नहीं हो पाई है। श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ होती है। उस सफोकेशन की वजह से डैथ हुई है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि राज्य सरकार इसके पुख्ता इन्तजाम करें।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रदर्शन हुआ उसके पीछे मुख्य कारण है वहां पर नोहर चिकित्सालय के प्रभारी जे.पी. स्वामी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र स्थित है कि ये डाक्टर साहब सन् 72–73 से वहां पोस्टेड हैं। सिर्फ दो साल के लिये बाहर पधारे थे पीपाड़, अन्यथा लगातार इनकी सेवाएं वहां पर रही हैं। सन् 72–73 में वहां उनकी पोस्टिंग हुई। 24.11.75 से लेकर लगातार इस आदमी के चरित्र के बारे में और दूसरे तरह की शिकायतें आती रही है। इसमें कोई राजनैतिक पार्टी का सवाल नहीं है। वे जो शिकायतें की हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी की हैं, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी की हैं।

(12.45 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपने कभी वहां जाकर देखा भी है ? जितना भी पढ़ा है सारे का सारा झूठ है। बी.जे.पी. वालों को यही काम है। वहां के लोगों को मरवा दिया। वहां आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ क्या ? वहां जो 13 लाशें थी, इमीजिएटली डाक्टर वहां पहुंच गये उनका इलाज हुआ और जिनको रैफर करना था, किया। आप यहां इस तरह से यह गलत कर रहे हैं। वहां तीन आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों ने गुण्डे छोड़ रखे हैं। उन लोगों ने डाक्टर की पिटाई की, छोटे–छोटे बच्चों को आग लगा दी, हास्पिटल जला दिया। आपने उसके बारे में एक भी बात नहीं की। आपने कहा लाठी चार्च करा दिया। आप मौके पर जाकर हालात देखते फिर 295 पढ़ने के हकदार थे। मैं वहां जाकर देखकर आई हूं हालात, आपके तीन जनों ने कितने गंदे हालात कर रखे हैं। गांव का एक आदमी भी नहीं है, केवल तीन आदमी हैं जो शहर के हैं। एक तो वकील जिसको आपने अध्यक्ष बना रखा है, एक बाबूलाल भारती है जो इस तरह की बदमाशियां करवाता है या किसी की बच्ची को उठा ले। आप 295 में बात करते हैं जाकर मौके पर देखिये, वहां सारे का सारा प्रशासन था। कोई आदमी इस तरह नहीं मरा जिस तरह से आप कह रहे हैं।

श्री रामप्रताप : माननीय सभापति महोदय, नोहर से आने वाली सदस्या का आभारी हूं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी कार्यवाही के बारे में तो मैं ही नहीं रहा, आप बिना बात मेरे को क्यों छेड़ रहे हो ? आपकी +++ उनको मैं अलग रख रहा हूं। जो मेरा विषय है जिसकी मुझे इजाजत दी गई है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, आपको इसमें कहां तकलीफ होती है ?

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये।

श्री रामप्रताप : मैं अगर आपके ऊपर बोलूंगा तो मेरे खयाल से...

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये।

श्री रामप्रताप : माननीय सभापति महोदय, इस तरह से बीच में कोई सदस्य बोलता है कि यह उचित नहीं है। अगर मैं आप पर बोलने लगूं तो मेरे खयाल से जो सुनने वाले लोग हैं वे कानों में अंगुली डाल लेंगे। (व्यवधान) आप बिना बात बीच में क्यों पड़ रहे हो। मैं सभापति महोदय की इजाजत से बोल रहा हूं, आप कृपया सुनने का माद्दा तो रखें। मैंने कहां किसी राजनैतिक पार्टी का नाम लिया है ? जिस डाक्टर के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसकी वजह से यह घटना घटित हुई, उसमें कांग्रेस पदाधिकारियों का नाम बोल देता हूं। 26.12.75 श्री संतोष तिवारी तत्कालीन ब्लाक युवक कांग्रेस ने शिकायत की है। शिकायत पर माननीय सभापति महोदय, गंगानगर के

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अवलोपित की गयी।

(श्री रामप्रताप)

डिस्ट्रिक जज को भादरा के मुन्सिफ की जांच के लिये भेजा। उन्होंने बकायदा टिप्पणी की है कि माननीय डाक्टर साहब का चरित्र बड़ा संदिग्ध है। ये न्यायिक प्रक्रिया में बिना मतलब की दखलअंदाजी कर रहे हैं जिसमें डाक्टर को...(व्यवधान) आप तो मेरे को जानते हो, आप तो कम से कम सब्र करो थोड़ा बहुत। सन् 1975 से चल रहा है, यह आज का मामला नहीं हैं। आप इस मामले को इतने हल्के रूप में मत लो। समस्या के समाधान के लिये मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी लाइन पर नहीं चल रहा हूं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मैं आपको इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, आपको सपोर्ट करूंगा, इस तरह का व्यक्ति जब था, आपने कहा तो आपका भी 8 साल का शासन आया वह क्यों बैठा रहा ?

श्री रामप्रताप : क्या आप और क्या बाप की बात कर रहे हो यहां, सन् 1975 से लोग मैं इसी बात के लिये आ रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप उनको भी रोकें। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मैं आपके पहलू पर भी आ रहा हूं। यह जो आप राठौड़ साहब की तरफ इंगित कर रहे हैं वह कोर्ट से स्टे लिये बैठा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामप्रतापजी, आप उधर नहीं देखें, आसन की तरफ निगाह रखें।

श्री रामप्रताप : ये मुझे मजबूर कर रहे हैं।

श्री सभापति : आपकी नजरें आसन की तरफ रहनी चाहिये।

श्री रामप्रताप : नोहर की विधायिका महोदय जब बोलने लगी थीं मैं बैठ गया था। माननीय सभापति महोदय, इस डाक्टर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस दिन यह घटना घटी, कलेक्टर और एस.पी. दोनों मौके पर पहुंचे। डाक्टर साहब मेले में मौजूद थे। जब इनको बुलाया गया, he was heavil-y drunk. कलेक्टर ने इस बात को नोटिस में लिया और उसको उठाकर भादरा हास्पिटल में भेजा कि श्रीमान् की डाक्टरी मुआयना कराया जाए। सभापति महोदय, यह भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह डाक्टर इतना चालाक किस्म का आदमी है कि यह हमेशा अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन हास्पिटल में रखता है। उस दिन मेले के अंदर मौजूद था, पर कार्यवाही की बात आई तो मेरी जानकारी के मुताबिक उस दिन भी उसने छुट्टी की एप्लीकेशन दे रखी थी। इस सज्जन ने नर्स के साथ बलात्कार किया। उस बलात्कार के बाद जब हल्ला हुआ, हल्ला होने के बाद मेरी जानकारी के हिसाब से उस नर्स से इसने कोर्ट मैरिज की। आज वह नर्स बीकानेर में

(डा रामप्रताप)

पोस्टेड है। इसके पास में पात्रता नहीं है कि एस.टी.डी. का इस्तेमाल करें, इसने वहां एस.टी.डी. लगाकर चार माह तक राज्य सरकार को चूना लगाया, बिल राज्य सरकार ने पे किये। उसके बाद में इसका एस.टी.डी. कटा।

इसी तरीके से, माननीय सभापति महोदय, नोहर के जिला न्यायाधीश श्री बृजलाल गुण्डेल ने एक हत्या के मामले में बड़ी स्पष्ट टिप्पणी की है जिसको मैं थोड़ा उदृत करके बताता हूं। अपने ऐतिहासिक फैसले में जे.पी. स्वामी की कलाकारी से हत्या का आरोप साबित नहीं होने के कारण अभियुक्तों को साधारण सजा का फैसला देते हुए कहा है कि डाक्टर जे.पी. स्वामी हत्या के अभियुक्तों का हितैषी है। यह आरोप उस पर डिस्ट्रिक्ट जज ने लगाया है। यह टिप्पणी मेरी तरफ से नहीं है, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं डाक्टर की बात कर रहा हूं। सन् 1972 से लेकर इस आदमी के खिलाफ इतने आरोप थे, वह शराब के नशे में धुत था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ विधायक हैं, आप पर्ची के जरिये यह बात उठा रहे हैं। (व्यवधान) इतना लम्बा मत कीजिये, इसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा सरकार का इस पर। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मैं पर्ची के जरिये बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, लाठी चार्ज की परिणति में जो हालात पैदा हुए उनके बारे में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता था। मेरा समय तो दूसरों ने ले लिया।

इस वजह से लोग बड़े भारी आक्रोश में थे कि पिछले 25 साल से इस सज्जन के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। जब वे प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे उस वक्त, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा, जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से स्पष्ट शब्दों में बात कह रहा हूं कि प्रदर्शन करते जाते वक्त जिस आदमी के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया गया, वह प्रदर्शनकारी उस डाक्टर का स्कूटर तोड़ने लगे तो वह आदमी स्कूटर पर लेट गया कि स्कूटर को तोड़ोगे तो पहले मुझे मारो। उस आदमी के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। एक आदमी जिसका नाम सुखदेव है और पुलिस ने जिसको धन्यवाद दिया है...

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय डाक्टर साहब, आप 295 ले लो। आप तो उसको पढ़ दो। आप तो बहस में आ रहे हो, उसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है। (व्यवधान) 295 पढ़ो न आप। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : 295 नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय मंत्रीजी, आप अपनी जगह पर जाकर बोलो। आप मंत्री हो। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वे नहीं पढ़े तो आप पढ़ दो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कम से कम इस सदन का डैकोरम रखें, अपनी जगह पर जाकर तो बोलो। (व्यवधान) आप जैसे मंत्री भी इस सदन का डैकोरम नहीं रखते हैं। अपनी जगह पर जाकर बोलो। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह पर्ची का सिस्टम है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 295 पढ़ाया जाए, साहब। ये पर्ची के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ये सदन का क्या सम्मान करेंगे और सदन की क्या मर्यादा रख पाएंगे ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय सभापति महोदय, सुखदेव नाम का युवक जिसने पुलिस की मदद की और पुलिस ने जिसको धन्यवाद दिया कि आपने हमारा सहयोग किया है, उस आदमी ने लाठियां खाकर उसको शांत करने का प्रयास किया, उसके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बहुत लम्बा बोल रहे हैं। आप बहुत लम्बा बोल रहें हैं, इसका फायदा नहीं होगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कष्ट कर रहे हैं तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन इतना ही है कि दो पहलू हैं, एक तो यह है कि 6 से 10 लाख की संख्या में वहां लोग आते हैं उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। इतने गम्भीर किस्म के एक्सीडेंट वहां होते है। दूसरा, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो लोग निर्दोष थे और जो शांतिपूर्वक जुलूस में शामिल थे, उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेष भावना से जो केस बनाये गये हैं, उनको वापस लिया जाए और इस सारे प्रकरण की न्यायिक जांच करवाई जाए।

अन्त में मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि वहां के अगर दो आदमी भी खड़े होकर कह दें कि आदमी मुलजिम है तो जो सजा हो वह देना।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : आप इस्तीफा दे दोगे क्यां ?

श्री रामप्रताप : नोहर से आने वाली माननीय सदस्या बार–बार खड़ी हो रही हैं। (व्यवधान) कुम्भाराम जी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बनोगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मैं तो ऐसे ही बनूंगी। डाक्टर साहब, पहले वहां जाकर आप सर्वे करके आओ तब पता चलेगा। आपको पर्ची लाकर दे दी और पढ़कर सुना दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मदन दिलावर, बोलिये आप।

भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ कस्बे में जलझूलनी एकादश की शोभा यात्रा पर पथराव

श्री मदन दिलावर (अटरू) : मैं आपका प्रोटैक्शन चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ कस्बे में जलझूलनी ग्यारस को हिन्दू समाज के देवी–देवताओं को लेकर हर वर्ष की भांति जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस में लगभग 5–6 हजार लोग भगवान की भक्ति में ओत–प्रोत होकर गाते बजाते जा रहे थे। अकस्मात् जब मस्जिद के सामने जुलूस पहुंचा तो मस्जिद पर 25–30 गुण्डों ने इकट्ठा होकर उस जुलूस पर जबरदस्त हमला किया। उस हमले में दर्जनों लोग घायल हो गये। पुलिस ने गुण्डों को पकड़ने के बजाय जो शांतिपूर्वक ढंग से जुलूस में भगवान की भक्ति में ओत–प्रोत लोग जा रहे थे, उन पर जबरदस्त लाठियां बरसायीं और उनके साथ मारपीट की। इतनी मारपीट की कि दर्जनों लोग घायल हो गये। ये सब हिण्डौले जो निकलते हैं ये उस कस्बे में जितने भी मन्दिर होते हैं उन सब मन्दिरों के इकट्ठे होकर जिसको एक शोभायात्रा कह सकते हैं उस हिसाब से निकल रहे थे। जहां 25–30 गम्भीर अपराधी प्रवृत्ति के मुलजिम हैं, जिनको पहले गिरफ्तार करना चाहिए था, जो बहुत पहुंच रखते हैं ऐसे मुलजिमों को तो गिरफ्तार किया नहीं, लेकिन उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें इशहाक नीलगर, निसार मंसूरी, असलम मोहम्मद खान, मोहम्मद सद्दीक, जब्बार हुसैन और सईद मेवादी जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो निश्चित रूप से हमेशा वहां दंगा फसाद की बातें करते हैं और इस दंगे को भी योजनाबद्ध तरीके से उकसाकर अगुवा रहकर भड़काया है उनमें हाफिज मोहम्मद, सुलेमान और तकीउद्दीन ऐसे हैं, जिन पर रासुका लगाना चाहिए, रासुका लगाकर अन्दर करना चाहिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, कौन अपराधी हैं और कौन अपराधी नहीं हैं यह जिम्मेदारी इनकी है क्या ? (व्यवधान) आप उसको रिकार्ड पर ले रहे हैं जबकि मामला न्यायालय में चल रहा है।

श्री मदन दिलावर : न्यायालय में नहीं गये, श्रीमान्। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्वैस्टिगेशन भी चीज है परसों ही हुआ है अभी। चाहे जिसको आदतन अपराधी बना देना या गम्भीर रूप से अपराधी बता देना, यह कोई तरीका थोड़े ही होता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, अभी यह दंगे का मामला न्यायालय तक नहीं गया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : निर्दोष लोग हैं उनको छुड़ाने की बात कर सकते हैं, लेकिन यह क्या तरीका हुआ ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : .... सरकार उनको पकड़ रही है, पकड़ने में नहीं आये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जब धार्मिक रूप से एक मकान के आगे जाकर उन्होंने ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : घायल होने वाले लोग हिण्डोले को कंधे पर लेकर चल रहे थे। जगदीश टेलर, मांगीलाल पुत्र गोकुल ...(व्यवधान)

श्री सभापति : अटरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप जो सदन में उपस्थित नहीं हैं। उनकी चर्चा न करें। कौन अपराधी है, कौन नहीं है, यह अलग है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अब तो घायल जो हो गये उनका नाम ले रहा हूं, श्रीमान्। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ...माननीय सभापति महोदय, जो पहले कहा था उनका नाम लेकर ... (व्यवधान)

श्री अमीन खान : ...लोगों को जहां सदियों से ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ...अभी नाम लिया गया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लोक सभा में दाऊद इब्राहिम का बार–बार नाम लिया गया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 14 सितम्बर, को जब कोटा में दंगा हुआ था उसमें दंगा करवाने वाले कौन थे ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : नाम नहीं लेना चाहता, श्रीमान्। (व्यवधान) इस विधान सभा के एक माननीय सदस्य उनको बचाने का प्रयत्न कर रहे है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, जिनका मकान कांच का बना हुआ है वह दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकता। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वे उनको बचा रहे हैं। तीन दिन से बाजार बन्द है। कांग्रेस के लोग बराबर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनायें हुए है। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, उनका। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इस तरह किसी के चरित्र पर लांछन लगाने का तरीका ठीक नहीं है। (व्यवधान) सीमा में रहकर बात करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पुलिस मुख्यालय से बार–बार जा रहा है कि असली गुण्डों को ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नाम लिया है कुछ लोगों का। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ...(व्यवधान) उनके खिलाफ 309 का मुकदमा दर्ज है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस दंगे की शुरूआत पत्थर फेंकने से हुई या नहीं ?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह सत्य है या नहीं है ? (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति महोदय, भावनाओं को भड़काया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, यह बहस थोड़े ही हो रही है ? मस्जिद पर जो लोग नमाज पढ़ने आये...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...दंगे की शुरूआत की उन अपराधियों को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए ? (व्यवधान) जिन अपराधियों ने इस तरह की शुरूआत की उन्हें पकड़ना चाहिये या नहीं पकड़ना चाहिए ?

मोहम्मद माहिर आजाद : ...क्या अधिकार है ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह सवाल इस बात का है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ...जिनको प्रोटेक्शन देते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिन्होंने प्रारम्भ किया वे अपराधी हैं या नहीं हैं ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप उनको प्रोटैक्शन देते हैं और अशांति पैदा करना चाहते है। राजस्थान जो शांति से रह रहा है उसमें आप अशांति...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...अपराधी हुआ या नहीं हुआ ? ये कुछ सवाल हैं। जहां से अपराध प्रारम्भ हुआ उन अपराधियों को पकड़ना चाहिए। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : सभापति महोदय, सारा मुल्क जानता है कि मस्जिद पर पत्थर फेंकने वाले कौन लोग थे। (व्यवधान)। किन लोगों ने बाबरी मस्जिद पर पत्थर फेंके ? (व्यवधान) कौन लोग हैं जो इस तरह का वातावरण फैलाते हैं। (व्यवधान)... इस तरह की साम्प्रदायिक बातें करके इस प्रदेश में अमन–चैन के माहौल को खराब करने वाले कौन लोग हैं, पूरा मुल्क जानता है इस बात को। वे कौन थे जिन्होंने 6 दिसम्बर को पत्थर फेंके ? (व्यवधान)...

(13.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान).. और नहीं तो मुझे मजबूरी में जेल जाना पड़ेगा। इस प्रकार के जघन्य अपराध और हिन्दुओं के ऊपर असामाजिक तत्वों के हमला करने की बात आप सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, ...(व्यवधान)...मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं। किसी का नाम लेना सदन में नियमों के खिलाफ है। (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : जगह–जगह दंगे करवाने में...(व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, पुलिस की जांच हो रही है, जांच में

(श्री श्रवण कुमार)

तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने आ जाएगी। किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज कर दी उससे ही वह अपराधी नहीं हो जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप एक अवसर ले रहे है चर्चा उठाने का और अध्यक्ष महोदय ने आपको अनुमति दी है, आप ऐसी कोई विवादास्पद बात न करें।

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान)... वहां की जनता चीख–चीख कर कह रही है कि कांग्रेस के नेता दबा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय पर बड़ा दबाव है कि इसमें हिन्दुओं को भी पकड़ा जाए, गुंडों को कम किया जाए ताकि शांतिपूर्ण, सौहार्द्रमय वातावरण बना रहे। गुंडों को नहीं पकड़ कर अशांति राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से इस शांत राजस्थान में साम्प्रदायिक झगड़ा करने की कांग्रेस की चाल प्रारम्भ हो गई है ताकि यह कहा जा सके कि यह भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे शासन में, माननीय सभापति महोदय, ऐसा कभी नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस का राज आते ही फिर हिन्दुओं के ऊपर हमले प्रारम्भ हो गये। इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र उन असामाजिक तत्वों को पकड़ा जाए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, पहले तो अगर मुनासिब हो तो यह सदन आज तय कर दे कि असत्य बोलने की सीमा क्या है। यह हाउस तय कर दे। पहले तो सम्माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि जाते समय जुलूस पर पथराव किया गया जो बिलकुल बेबुनियाद, असत्य और मिथ्या आरोप है। कोई लिमिट ही नहीं है इस हाउस को बरगलाने की, मुगालते में लाने की।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, इतना असत्य कहेंगे राजस्थान के गृह मंत्री, ऐसा कभी नहीं सोचा था। जुलूस के ऊपर पथराव नहीं हुआ, इतना असत्य बयान करेंगे राजस्थान की गृह मंत्री, इतना कभी नहीं सोचा था। इतना असत्य सुनने की अब हममें ताकत नहीं रही है। कानों में अंगुली देनी पड़ रही है, इतना असत्य सुनने की ताकत हममें नहीं रही है।

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी गलत कह रहे हैं, पत्थर मदनजी ने फिंकवाये हैं इसलिये मदनजी को पता है। फिंकवाने वाले मदनजी हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : गृह मंत्री जी, क्या आपको यह सूचना है, पथराव नहीं हुआ यह कह रहे हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : सदन में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने की बजाय आप इस प्रकार की बातें करके साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, यह गलत है। तथ्यों के विपरीत ऐसी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

बातें इस पवित्र सदन में नहीं कहनी चाहिए। तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान)... हमीरगढ़ में मंत्रीजी यह बताएं कि पत्थर किसने फेंके हैं। हमीरगढ़ में पथराव हुआ, गृह मंत्रीजी इसका जवाब दें।

श्री रतन लाल ताम्बी : ...(व्यवधान)... ये साम्प्रदायिक तत्वों ने फेंके हैं। जो साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, वे फेंकते हैं।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो टिप्पणी की है कि जब से कांग्रेस का शासन आया है तब से इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं, यह एक्सपंज किया जाए। या जो माननीय सदस्य ने कहा वे इसको विथड्रा करें। बिलकुल गलत बयानी कर रहे हैं। आपको इस तरह की बात करने का इस सदन में कोई मतलब नहीं है। माननीय, या तो ये वापस करें या इसको एक्सपंज करें।

श्री मदन दिलावर : नहीं किया जाए। कांग्रेस के शासन में इस प्रकार का हुआ है, इसको नहीं किया जाए। राजस्थान में साम्प्रदायिक दंगों का ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इस तरह की बातें कह करके आप क्या वातावरण पैदा करना चाहते हैं ? ...(व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, साम्प्रदायिकता फैलाने में ये अटरू से आने वाले माननीय विधायक खुद मौजूद थे, इनको पता है कि किसने पत्थर फिंकवाये हैं। आपको पता है कि किसने पत्थर फिंकवाये हैं क्योंकि आपका उसमें हाथ हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती यासमीन अबरार : मैं आपको बता देती हूं, साम्प्रदायिकता फ़ैलाने में आपने पिछले लोक सभा चुनावों में मदद की है।

श्रीमती कमला : से एक्सपंज कराया जाए या उससे विथड्रा कराया जाए।

श्रीमती यासमीन अबरार : मुझसे बात करिये आप। आपने पिछले चुनाव में मदद की हैं, साम्प्रदायिकता फैलाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है।

श्री सभापति : होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मेरा इनसे नम्र निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय सदस्यों से कह रहा हूं कि इस प्रदेश में शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने में सरकार को सहयोग करें। यह मैं इनसे अपील करता हूं। मेरी इनसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस माहौल को न बिगाड़े। इस माहौल को इस प्रदेश में न बिगाडें। ये हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दें, क्योंकि इनकी पार्टी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं उनको निर्देश भेजें कि छोटे–मोटे

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मामलों में साम्प्रदायिक तूल देने की कोशिश न करें और प्रदेश में जो एक सद्भावना का माहौल बना हुआ है वह बना रहने दें। यह प्रदेश सद्भावना के लिए मशहूर है उसको कायम रखा जाए। आपसी भाईचारा है, यह मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री सभापति : जहां तक सवाल अटरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे उस बात का है कि जुलूस जा रहा था और जुलूस के जाते समय उस पर पथराव किया गया, यह तथ्यहीन बात है, असत्य बात है नम्बर–1. जब लौट कर आ रहा था, देखिए, फर्क है लौट कर जाने में और आने में फर्क है वहां पर आपस में कुछ वाद–विवाद हुआ, दोनों तरफ से उसमें पथराव हुआ। एक तरफ के लोग पकड़े गये और एक तरफ के लोग नहीं पकड़े गये। उसको लेकर आपस में वाद–विवाद है। वैसे भी दोनों पक्षों ने 10–10 आदमी वहां नामजद कर दिये हैं कि ये शांति समिति और सद्भावना का काम करेंगे। भविष्य में दोनों पक्ष के लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं कि इस कस्बे में शांति और अमन कायम रहेगा। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सम्माननीय सदस्य कर रहे है यहां पर और सदन को गुमराह करने की चेष्टा कर रहे है, इस बात को मैं कतई पसन्द नहीं करता हूं। वहां शांति है, वहां अमन है, वहां चैन है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, यह पूरा सदन एक संकल्प ले कि इन +++ को प्रभु सद्बुद्धि दे ताकि यह राजस्थान सुरक्षित और यहां साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम रह सके। ये +++ लोग हैं, फिर आप राजस्थान की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : गृह मंत्रीजी कोई बात कह रहे थे, आप बीच में ही खड़े हो गये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पूरा कर लिया है।

श्री सभापति : आप और कहेंगे कुछ ?

श्री राजेन्द्र पारीक : सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने एफीडेविट देकर पूरे भारत को आग में धकेल दिया उनसे आप राजस्थान में शांति की बात कर रहे हैं ? +++ पूरा सदन संकल्प ले कि हे प्रभु ! इनको सद्बुद्धि दे कि राजस्थान में शांति कायम हो सके।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री ने जो इच्छा जाहिर की उस इच्छा के साथ मैं उनसे सहमत हूं कि अमन और शांति रहनी चाहिये। इसके बारे में किसी की दो राय हो ही नहीं सकती। पर सवाल यह है कि यह देव झूलनी ग्यारस के दिन ही पत्थरबाजी क्यों होती है ? बाकी लोगों के भी उत्सव आते हैं तब तो कभी कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। यह किस कारण से होता है ?

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के अनुसार अपलोपित की गई।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आप लोग करते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मोहर्रम पर भी होता है। मोहर्रम पर भी करते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। आज दिन तक कोई पत्थरबाजी नहीं हुई।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य, फतेहपुर का झगड़ा आज तक है, झुंझुनूं का झगड़ा आज तक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज दिन तक की जितनी भी घटनाएं हुई हों उन सब की बातें बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, श्रीमान्, हमीरगढ़ कस्बे में पिछले साल ताजियों के ऊपर भी हुई है। वहां पर झगड़े हुए हैं ताजियों के ऊपर भी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा ज्ञानवर्द्धन कर दें आप, जितनी घटनाएं हुई उनकी सूची आप हमको दे दें। उस सूची में आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगर कहीं कोई ऐसे धार्मिक उत्सव होते हैं तो उसमें 98 तो दर्ज हैं, कोई इक्का–दुक्का केस हुआ है। पिछले 15 वर्ष में तो मैं सोच सकता हूं एक–दो घटना कोई बता सकते हैं, ये जो 98 केसेज हैं इनमें आखिर जो अपराधी हैं, जिनकी आदत है इस प्रकार का बर्ताव करने की, उनको दबाने से झगड़ा रुकेगा या बैलेंस करने से झगड़ा रुकेगा ? इस प्रकार झगड़ा करने से नहीं रुकेगा। अपराधी चाहे हिन्दू हो, चाहे कोई भी जाति का हो, अपराधी को अपराधी की तरह अगर ट्रीट किया गया तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बनेगी और अपराधी को प्रोटैक्शन दिया गया तो फिर नहीं बनेगी, इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : सिरोह में जैन मुनि के साथ क्या हुआ था, पता है आपको ? तब कहां गयी थी आपकी भावना ?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निहायत अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें यह प्रावधान है कि कहीं भी अगर आप यह माने कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है, कोई पक्षपात हो रहा है, अगर मुलजिम को छोड़ा जा रहा है और बेकसूरों को फंसाया जा रहा है तो आप उसकी तफतीश चेंज करा सकते हैं, आई.ओ. को चेंज करा सकते हैं, उससे हायर अफसर से जांच करा सकते हैं। लेकिन जिन आदमियों का उसमें नाम ही नहीं है उनको इस सदन में मुलजिम ठहराने का काम करेंगे नाम ले ले कर तो इससे तो मामला बढ़ेगा, घटेगा नहीं । इसलिये मेरी आपसे यह प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है, माननीय सदस्य से भी है कि इन्होंने जिन गलत लोगों को अपराधी बनाने का नाम लिया है या सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को आदतन

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अपराधी, बदमाश या गुंडा कह कर सम्बोधित किया है इसको कृपया सदन की कार्यवाही से निकालने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, जो बदमाश और अपराधी होते हैं उनका मजहब नहीं होता, वह चाहे किसी भी धर्म का हो। इसलिए जिन लोगों के नाम लिये गये हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री सभापति : माननीय कटारिया साहब।

श्री रमजान खान : ...(व्यवधान)... गृह मंत्री कह रहे हैं कि बैलेंस करने की बात है, तो बैलेंस करने की बात की झगड़े की झोपड़ी है। बैलेंस करने की बात आपको दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जो अपराधी है उसको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जबर्दस्ती लगा रहे है यह आरोप। मैंने नहीं कही यह बात। मैंने यह बात नहीं कही है। कतई नहीं कही है यह बात। आई डिनाई दिस।

श्री सभापति : नहीं कही। माननीय कटारिया साहब।

चुनाव बूथों पर कब्जे के मामले में कार्यवाही

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति जी, मैं आज आपके सामने ऐसा विषय रखना चाहता हूं। उदयपुर जिला हमेशा से ही यह रहा है कि चुनाव के दिनों में कभी कोई छोटी–मोटी घटना भी वहां नहीं होती और बहुत शांति से उदयपुर के चुनाव को सम्पन्न करते हैं। पिछले 50 सालों से हम इस इतिहास को देख रहे हैं। लेकिन यह पहली बार हुआ कि चुनाव में कुछ घटनाएं होने के अंदेशे के कारण पहले से ही अधिकारी को बता दिया था कि पोलिंग स्टेशन नम्बर 179 पर हमको अंदेशा है कि यहां फर्जी पोलिंग होगा। इस कारण से प्रशासन को 10 तारीख के दिन की सूचना दे दी गयी थी, लेकिन सूचना देने के बाद भी किसी ने इसकी चिंता नहीं की। साढ़े 12 बजे उस पोलिंग स्टेशन पर जो हमारा अभिकर्ता था, उसको अंदर जाकर पकड़ कर मारा गया। मार–मार कर उसे बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद फर्जी पोलिंग हुआ। आधे घंटे में दूसरे लोगों को जैसे ही जानकारी मिली, सब लोग वहां पहुंचे। जो वहां का एरिया अफसर था वह भी वहां पहुंच गया था। उसके सामने सारी बातचीत चल रही थी कि इस प्रकार की घटना हुई है, जो वहां इंचार्ज था उसके सामने हुई है, लेकिन उसका किसी ने भी किसी प्रकार का एक्शन लेने का प्रयास नहीं किया। उसके कारण से दुबारा झगड़ा हुआ। मैं यह सोचता हूं कि इस प्रकार की घटना पोलिंग बूथ के अंदर हो जाए, उसकी रिपोर्ट लिखाई जाए और उस रिपोर्ट पर यदि कार्यवाही न हो केवल इस कारण से कि राजनीतिक प्रोटैक्शन है तो भले ही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने एक दिन वहां एक पोलिंग स्टेशन पर बिता लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस प्रकार की व्यवस्था चलती रही कि अपराधी हमारा है, हमारे किसी आदमी ने कुछ किया है, तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। एक प्रदेश की महामंत्री अनिता यादव को पोलिंग स्टेशन से पकड़कर तीन घंटे तक पुलिस थाने पर हमको बैठा कर रखना पड़ा, उसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी उसका केस दर्ज नहीं किया गया और बाद में छोड़ दिया गया। अगर इस प्रकार से व्यवस्थाओं को बिगाड़ना चाहते हो तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भुगतना होगा। राजस्थान एक शांतिप्रिय क्षेत्र है। हम सब लोग पोलिंग पर नाश्ता भी साथ करते हैं और अपना–अपना पोलिंग का काम भी चलता है। हमारे यहां कभी ऐसी परिपाटी नहीं रही। लेकिन इस बार बाहर के लोगों को बुलाकर जिस प्रकार से राजस्थान की सम्पूर्ण चुनाव व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास हुआ है, वह सही नहीं है। उसमें जो नामजद अपराधी हैं उनके नाम से एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गई है उसके बाद भी राजनीतिक प्रोटैक्शन के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप पुलिस को पूछिये, पुलिस वाले कहते हैं कि हम कर रहे हैं। जब एक जगह कुछ कार्यवाही करते हैं तो उस पर तुरंत केस बन जाता है। पोलिंग स्टेशन पर मारपीट करके निकलता है, फर्जी पोलिंग करता है उसके बाद फिर झगड़ा होता है, उसके बाद जाकर वह संभलता है अगर इस पर आपने समय रहते ध्यान नहीं दिया और देखने का चश्मा राजनीति का चढ़ गया तो आपका यहां बहुमत हो सकता है, लेकिन अगर यही परिपाटी बार–बार दोहराई जाएगी तो हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि आपसे दया की भीख मांगने आएंगे। अपने आप भी अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, इतने सक्षम है। लेकिन वह स्थिति पैदा नहीं करें। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जिसने भी अपराध किया, चाहे वह हमारा है, किसी पोलिंग बूथ पर अगर हम लोगों ने किया तो हमारे खिलाफ एक्शन हो और जिस प्रकार के मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके अनुसार कार्यवाही हो। उनको टालने की कोशिश नहीं की जाए, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है, माननीय पूर्व मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष एक तरफ तो सदन को जानकारियों से अवगत करा रहे हैं कि आये दिन चुनाव बूथों पर इस प्रकार के झगड़े होते हैं या छोटी–मोटी वारदातें होती हैं, उनमें न केवल राजनीतिक भेदभाव बरता जाता है बल्कि सायंकाल पांच बजे के बाद सबको छोड़ दिया जाता है। सदन के प्रांगण में भाजपा के अध्यक्ष पूरे सदन को थ्रैटन करें कि या तो आप यह करो वर्ना हम सक्षम हैं, इनकी यह भाषा साफ जाहिर करती है कि इनकी आदतें ऐसी हैं,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

+++ और जहां कही भी झगड़ा फसाद होता है वह आपके अलावा बाकी कोई भी नहीं करता है।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़।

श्री अमीन खान : एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने थ्री नाट थ्री राइफल से फायर किया, पुलिस केस रजिस्टर हुआ। उसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिला कलेक्टर और एस.पी. को दबाया और उसको अरैस्ट नहीं किया। थ्री नाट के 7 फायर हुए। सीमा पर जो आर्मी तैनात थी उसने भी उस फायर की आवाज सुनी। आर्मी से एस.एच.ओ. से जाकर कहा कि फायर कहां हुए हैं। हमें पता है आप कौनसे साहूकार हैं।

राजस्थान में वानिकी विकास की परियोजनाओं की स्थिति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राज्य वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 9–10 महीनों में राजस्थान मे वन क्षेत्रों की जिस तरह अंधाधुंध कटाई हुई है उसका परिणाम यह निकला कि हमारा ईको साइकिल बदल गया, ऋतुओं का क्रम बदल गया। राजस्थान में जो अकाल की भयंकर छाया पड़ी है उसमें अंधाधुंध तरीके से जो वन कट रहे हैं उनका भी एक फेक्टर है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में वन संरक्षण का और वृक्षारोपण का जो कार्य होता था वह मुख्य रूप से तीन योजनाओं के द्वारा होता था। अरावली वृक्षारोपण योजना, वानिकी विकास वृक्षारोपण योजना, इन्दिरा गांधी नहर में वृक्षारोपण योजना और डी.डी.पी.। सभापति महोदय, वानिकी विकास परियोजना, इन्दिरा गांधी वृक्षारोपण परियोजना और डी.डी.पी. वृक्षारोपण परियोजना में जो वृक्षारोपण होता था, वन मंत्रीजी, आपको ध्यान होगा कि इन परियोजनाओं की अवधि पूर्ण हो गई और इनमें अब कोई धनराशि आपके पास उपलब्ध नहीं है। वृक्षारोपण का कार्य इस वर्ष परियोजनाओं में नहीं हो रहा है। इसके अलावा अरावली वृक्षारोपण परियोजना का भी समय पूरा हो रहा है। जब से आप इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं आपने इस बात की चिंता प्रकट नहीं की, आपने कोई नयी परियोजना बनाई नहीं, इसका परिणाम क्या होगा ? प्रत्येक वर्ष जो कम से कम 60–70 हजार हैक्टेयर में वृक्षारोपण होता था अब वह कम होता–होता बहुत कम हो गया है। निश्चित तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि यही रफ्तार रही तो जो हजारों हैक्टेयर में वृक्षारोपण होता था वह वृक्षारोपण कम होता–होता सैकड़ों में आ जाएगा। इन परियोजनाओं में जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी छंटनी का काम आपने फटाक से कर दिया, पद समाप्त हो गये, उनके

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अप्रलोपित की गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समायोजन की आपने चिंता नहीं की। इस तरह के जो महत्त्वपूर्ण विषय हैं, आप तो बड़े संवेदनशील हैं, पढ़ने–लिखने वाले भी हैं कम से कम यह तो सोचें कि किस तरह का राजस्थान हम देंगे। वन के क्षेत्र में राजस्थान ने पिछले 7–8 वर्षों में जो प्रगति की थी उस प्रगति में आपने अवरोध पैदा कर दिया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर गंभीरता से चिंता व्यक्त करनी चाहिये। आपको मालूम है वृक्षारोपण नहीं होगा तो ऋतुओं का क्रम और ईको साइकिल बदल जाएगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, जिस तरह वन विभाग की मिलीभगत से काम हो रहा है, सभापति महोदय, आप किसी भी राष्ट्रीय राज मार्ग पर चले जाए, चाहे दिल्ली के राष्ट्रीय राज मार्ग पर चले जाए, चाहे भरपुर पर जाने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग पर चले जाए, रोज आपको एक–दो नहीं हजारों की संख्या में पेड़ कटकर दूसरे शहरों में बिकने के लिये जाते दिखेंगे। कम से कम यह तो सोचें कि हमारे शास्त्रों में पेड़ को क्या कहा गया है। एक पुत्र को पालो या एक पेड़ को पालो, दोनों में पुण्य बराबर होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर विषय है, आप इसको राजनीतिक धरातल पर नहीं सोचे। आप इसमें बड़े मन से यह घोषणा करें कि इन परियोजनाओं को आप कैसे चालू करेंगे, इन परियोजनाओं में जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनका समायोजना आप कैसे करेंगे। आप यह भी सोचें कि किसी तरह की धन की व्यवस्था इन परियोजनाओं में नहीं है तो आपको राज्य मद में से पैसा लेने की कोशिश करनी चाहिये।

सभापति महोदय, वन मंत्रीजी विराज रहे हैं और वन मंत्रीजी की अब तक कि परफारमेंस यह है कि हरेक चीज का तपाक से उत्तर यदि कोई मंत्री देता है तो उनका नाम है वन मंत्रीजी । वन मंत्रीजी, आपकी विद्वता के हम कायल हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप बताएं कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, वे जवाब दे रहें हैं। इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में आने वाली पीढ़िया आपको कोसेंगी।

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्रीमती कमला।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैंने आपको पर्ची भिजवाई थी, मेरी पर्ची पर व्यवस्था ही नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य महोदय, पर्ची सिस्टम में अध्यक्ष महोदय ने चार पर्चिया मंजूर की थीं और वे चारों बोल चुके हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, इतने महत्त्वपूर्ण मसले पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : वह कल कर लेना।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं काल अटेंशन लाऊं ? मैं काल अटेंशन लाऊंगा तो आप जानकारी के लिये भेज देंगे।

श्रीमती कमला : कल कर लें।

श्री सभापति : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अध्यक्ष महोदय से मिल लीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं एक मिनट में ही मेरी बात कहूंगा।

श्री सभापति : नहीं, यह परम्परा टूट जाएगी, फिर और लोग कहेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, एक ही मिनट में निवेदन करना चाहूंगा।

श्रीमती कमला : जब स्वीकृत ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे ?

श्री सभापति : नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप सहयोग कीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं केवल संकेत के रूप में ही....

श्री सभापति : आप अगर बोलेंगे, आप वरिष्ठ है आपकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए मुझे बड़ा संकोच होता है कि दूसरे माननीय सदस्य भी फिर इनसिस्ट करेंगे तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था कायम कर रखी हैं उसमें चार माननीय सदस्यों को स्वीकृति आज मिली थी। आप कृपा कर के कल उनसे मिल लेना, कल कह देना बात। आज तो आगे चलने दें। माननीय कमलाजी।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, बहुत गम्भीर प्रश्न है। (व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

राजस्व विभाग

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.6 (12) रेव–6/99/30 दिनांक 18.9.99 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 6(12)राज–4/76/39 दिनांक 2.8.1998 को अतिष्ठित किया गया, सदन की मेज पर रखती हूं।

प्रतिवेदन

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97

श्री सभापति : वार्षिक प्रतिवेदन। माननीय डा. जितेन्द्र सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन मेज पर रखेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अंतर्गत मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन जुलाई, 1996 से जुलाई, 1997 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल) सदन की मेज पर रखती हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री सभापति : धन्यवाद, नैक्स्ट। याचिकाओं का उपस्थापन।

माननीय श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित दो याचिकाएं सदन की मेज पर उपस्थापित करता हूं।

पलाना कलां, उदयपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय पलाना कलां जिला उदयपुर को क्रमोन्नत करने बाबत् तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

रोटू, नागौर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

(2) जिला नागौर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रोटू को क्रमोन्नत करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999

श्री सभापति : विधायी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक। माननीय डा. चन्द्रभान, प्रभारी मंत्री राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 (1999 के विधेयक संख्या–24) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेगा।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 (1999 के विधेयक संख्या–24) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

डा. चन्द्रभान : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 (1999 के विधेयक संख्या–24) को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधियां (संशोधन), विधेयक 1999

राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक, 1999, माननीय श्री शांतिकुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधियां (संशोधन), विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या–18) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय किस विधेयक को लेकर आये हैं, यह तो सदन में उसकी चर्चा क्या करेंगे तब उत्तर देते हुए सामने आएगा, परन्तु जब से आप इस कुर्सी पर आसीन हुए हैं, सदन के बाहर अगर सबसे ज्यादा इन्होंने चर्चा की है तो इसी बात की कि है कि शहरों के आसपास जो कृषि भूमियों पर बस्तियां बस गयीं उनके नियमन के लिए हम इतनी दर तय करेंगे, राशि यह होगी। सभापति महोदय, इन्होंने इस बात का उल्लेख चुनाव घोषणा पत्र में किया था कि हम कृषि भूमि पर बसी हुई रिहायशी बस्तियों का नियमन करेंगे। जो कार्य ये कर रहे हैं, अच्छा होता अगर उसके अन्दर किसान के हित की तरफ मंत्री महोदय ध्यान देते।

इस संशोधन से, सभापति महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में एक नई धारा जोड़ने का काम मंत्री महोदय कर रहे हैं, 90 "ख" परन्तु, सभापति महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि इससे पहले 90 "क" में सारी इस तरह की व्यवस्था है कि कोई भी भूमि धारक कृषि भूमि पर कोई अकृत्य कार्य यथा, रिहायशी, वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा। यह तो एक पाबंदी है। परन्तु 90 "क" की उप धारा एक के अन्दर यह प्रावधान पहले से है कि अगर कोई भी भूमि धारक प्रेसक्राइब्ड प्रोफार्मा में सशर्त अनुमति लेता है और प्राधिकृत अधिकारी के सम्मुख अपना आवेदन पत्र देता है और सुनवाई के पश्चात अगर वह संतुष्ट हो जाता है तो 90 "क" की उप धारा के चार के अर्न्तगत भूमि का उपयोग चेंज करने के लिए भू–रूपान्तरण शुल्क वह ले सकता है। सभापति महोदय, 1981 के अन्दर इस तरह का अभियान चलाने की बात राज्य सरकार ने की थी। आपको मालूम होगा कि जयपुर और झुंझुनूं से लेकर सारे बड़े शहरों में एक–दो नहीं, लाखों लोगों ने इस धारा के अन्दर जो आज भी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में विद्यमान है, भू–रूपान्तरण शुल्क जमा करा दिया। भू–रूपान्तरण शुल्क जमा हो गया उसके पश्चात् उनको आज तक पट्टे नहीं मिले, उन कृषि भूमियों का नियमन नहीं हुआ। आपने, मंत्री महोदय, बड़ी वाहवाही लूटने के लिए कई बार यह घोषणा की है। आप यह कहकर नहीं बच सकते कि आपके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शासनकाल में आपने यह नहीं किया। हमने नहीं किया तो उसको हम भोगेंगे, परन्तु आप संशोधन लेकर आये उससे पहले जो लोग भू–रूपान्तरण शुल्क जमा करा चुके हैं लैण्ड रेवेन्यू की धारा के अन्तर्गत उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, उनका नियमन कैसे होगा, इसके लिए तो कम से कम आपको विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, ये जो संशोधन लेकर आये हैं, कोई व्यक्ति विशेष के या बस्तियों में बसे लोगों के नियमन की बात हो उसका तो हम भी स्वागत करते हैं परन्तु आपने सारा काम गृह निर्माण सहकारी समिति के उन लोगों के इशारे पर कर दिया जिसकी, मंत्री महोदय, मैं चर्चा नहीं करूंगा, आपको बुरा लगेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही चुनाव के समय में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, परन्तु उनके साथ बैठकर आप उनकी शर्तों के अनुसार कानून बनाएं, मैं समझता हूं इससे शब्द +++ कोई बात हो ही नहीं सकती। इस कानून में 90 "ख" आप लेकर आ रहे हैं, "प्रारम्भ के पूर्व किसी नगरीय क्षेत्र में ऐसी नगरीय सीमाओं में जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए, कृषि प्रयोजन के लिए कोई भूमि धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी भूमि या यथास्थिति उसके बाद का अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किया है या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात किया है या वह ऐसी भूमि या यथास्थिति उसके बाद को तात्पर्यता अकृषि उपयोग के लिए विक्रय और विक्रय करार या मुखत्यारनामा या वसीयत निष्पादित करने या किसी अन्य रीति से प्रतिफल के लिए कब्जे से अलग हो गया है वहां उक्त भूमि या जोत या यथास्थिति उसके बाद में ऐसे व्यक्ति के अधिकार और हितों को परिवर्तित किये जाने के दाय होंगे, ऐसी भूमि पुनर्ग्रहीत करें।" इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो अन्य रीति है, इस रीति में क्या राज छुपा है, मंत्री महोदय, जरा इसको भी आप उजागर कर दें अपना उत्तर देते हुए।

(13.30 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा आपने एग्रीमैंट टू सेल कर लिया। आपको अच्छी तरह पता है, मंत्री महोदय, कि आज बड़े शहरों के पास में बसे हुए किसान और गृह निर्माण सहकारी समितियों के लोग लुभावनी बातें करके एग्रीमैंट कर लेते हैं। एग्रीमैंट करने के पश्चात उसको कहते हैं कि हम आपके प्लाट बेचते जाएंगे और आपकी बची हुई राशि इन स्टेजेज में दे देंगे। पैसा देते नहीं हैं और किसान मारा–मारा फिरता है। जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों ने एग्रीमैंट टू सेल किया है किसान के साथ आपने यह कानून लाकर किसान के सारे हक–हकूक है उनको तो आपने समाप्त कर दिया और हक हकूक दे दिये उस व्यक्ति को जिसने किसान को

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

टोकन मनी दी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसान से एग्रीमैंट कर लिया और एग्रीमैंट के पश्चात उक्त भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समिति के लोग काम करना चालू कर देते हैं। एग्रीमैंट टू सेल अगर आप उसको परमीट कर रहे हैं तो फिर विक्रय कराने वाला मैं समझता हूं कि कोई कराएगा ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो भूमि धारक का कहा है उस भूमि धारक की जगह आप संशोधित करके खातेदार किसान का नाम अगर उल्लेख कर दें तो किसान के हितों को आप प्रोटैक्ट करने का काम करेंगे और जो अन्य व्यक्ति का उल्लेख किया है उसके अन्दर आप क्या करेंगे, वह जरा बता दें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज तो कृषि भूमि है उसमें खातेदार एक तो होता नहीं है, खातेदार कई हैं। खाता विभाजन हुआ नहीं। गृह निर्माण सहकारी समिति के लोगों ने एक एग्रीमैंट कर लिया और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, हमने एग्रीमेन्ट कर लिया है वह सारी जमीन एक्वायर करके उसके राइट्स को टर्मिनेट करके उसी व्यक्ति को धारा 90"ख" की उप धारा (6) के अन्दर आप उसी को वापस दे देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ ? किसान को पैसा मिला नहीं, खातेदार ज्यादा हैं और उसमें एक खातेदार, 2 खातेदार अगर सहमत हो भी गये और खाता विभाजन हुआ नहीं तो सारी जमीन किसान के चंगुल से निकल जाएगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कानून लेकर आये हैं, इस कानून की मंशा का तो कोई विरोध नहीं करेगा। निश्चित तौर पर बरसों से जो लोग बस गये उनका निपटारा होना चाहिए। उस पर कोई न कोई इस तरह की बात होनी चाहिए कि उनके जो तलवार लटकी हुई है वह तलवार हटें, जो भी आप फैसला करें। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1981 में जिन लोगों के इसी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 90 "क" में जो आवेदन पत्र पैंडिंग हैं उनका निर्णय करें। इसके अन्दर आपने एग्रीमैंट टू सेल को कानूनी जामा पहना दिया तो इसके नतीजे मैं समझता हूं ठीक नहीं होंगे।

अब इसमें आपने कहा कि 90 "ख" (3) में भूमि धारक आवासन या वाणिज्य प्रयोजनार्थ भूमि के अधिकारों को समर्पित करने के लिये आवेदन पत्र देगा। ठीक है। परन्तु आज बहुत–सी ऐसी बस्तियां हैं कि गृह निर्माण सहकारी समिति ने जमीन ले ली, जमीन लेकर उसमें लोगों को पट्टा काटकर अपना पैसा लेकर चलते बने। अब कौन एप्लाई करेगा उसके लिये ? बहुत–सी ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियों की जमीनें है जहां वह गृह निर्माण समिति ही, मंत्री महोदय रही नहीं है, अवसायित हो गयी, विघटित हो गयी। उनके लिये क्या होगा ? कम से कम इसका तो करें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1–2 नहीं, हजारों विवाद चल रहे हैं काश्तकार और गृह निर्माण सहकारी समिति के बीच, कई न्यायालयों के फैसले इस सन्दर्भ में हुए हैं। अब जो मामला सूट–फार–टाइटल चल रहा है, काश्तकार कहता है कि मेरी जमीन है, और गृह निर्माण सहकारी समिति के लोग कहते हैं, मेरी है। विवाद चलता–चलता न्यायालय में चला गया। अब इस तरह के प्रकरणों में जहां आज तक टाइटल क्लीयर नहीं है उनका आप क्या करेंगे ? गृह निर्माण सहकारी समिति जिसने अपना पैसा ले लिया, वह आवेदन करने आपके पास आने वाली नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर कृषि भूमि में जो व्यक्ति बस गया है उसको भी आप अधिकार दें ताकि वह व्यक्ति जाए, जाकर अपनी एप्लीकेशन दे और निश्चित भू–रूपान्तरण शुल्क देकर अपना लैण्ड–यूज चेंज करा ले।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आपने इस पूरे पावर को सैंट्रलाइज करने का काम बड़ी बखूबी किया है। आपकी आदत है, सारे अधिकारों को नियंत्रित करना चाहते हैं आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह "बेवकूफी" कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : "बखूबी", "बखूबी"।

श्री उपाध्यक्ष : "बखूबी" कहा है।

एक माननीय सदस्य : "बेवकूफी" नहीं कहा है, "बखूबी" कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संशोधन करें, दुबारा कह देता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सुना "बेवकूफी" है, इनको पूछो, क्या लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : "बखूबी" कहा है, "बेवकूफी" नहीं कहा है। आप कंटीन्यू करें। मंत्री महोदय को खुद को थोड़े ही एतराज है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की विद्वता के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है।

मंत्री महोदय, मैं कह रहा था कि 90 "ख" की उप धारा (5) में आपने अनियंत्रित अधिकार दे दिये हैं सरकार को। सरकार का अर्थ है कि आपने स्वयं ले लिये और आपके प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर ने ले लिये। कोई भूमि हो, किसान उस भूमि का चाहे लैण्ड यूज चेंज कराना चाहे या नहीं कराना चाहे, कलेक्टर नोटिस देगा, समरी ट्रायल करेगा और कह देगा कि यह भूमि इस काम के लिये अधिकृत हो गयी।

मैं समझता हूं कि अब भी कई ऐसे किसान है। जिनकी भूमि शहरों के पास आ गई। उनके मन में एक है कि मैं धरती का बेटा हूं, यहां धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करूंगा, मैं मेरी जमीन को नहीं बेचूंगा। कम से कम उनके हितों को प्रोटैक्ट करने का काम तो आप करें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दूसरा, मैं निवेदन करूंगा कि आपने धारा 90 "ख" की उप धारा (6) में यह कहा है कि उप धारा (3) और (5) में पुनः ग्रहित भूमि समस्त भार ग्रस्तताओं से मुक्त राज्य में निहित हो जाएगी। अब, मंत्री महोदय, बहुत–सी ऐसी जमीनें है जहां लैण्ड–डवलपर ने जमीन ले ली। जमीन लेकर वित्तीय संस्थाओं से लोन ले लिया और लोन लेकर लैण्ड–डवलप कर दी या रिहायशी मकान बना दिये। अब ये सारी चीजें प्रायोगिक रूप से किस तरह भार ग्रस्तताओं से मुक्त हो जाएंगी ? कई ऐसी जगह हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे जहां भूमि पर लोन ले लिया, भूमि को डवलप कर दिया, मकान बना दिये ? इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में जरूर सोचे।

अब इसी उप धारा के अन्दर आपने कहा कि आप पहले उनके राइट्स को टर्मिनेट कर देंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

दो मिनट, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपके और बहुत लोग बोलने वाले हैं सब बात तो एक ही है, फिर रिपीट करेंगे। थोड़ा उनके लिए भी छोड़ें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 2 मिनट में कर देता हूं।

मंत्री महोदय, आपने कहा कि आप पुनः भूमि उस व्यक्ति को देंगे। पहले उसके आपने राइट टर्मिनेट किये, एक्वायर की, फिर वापस उसी को दे दी। अब आप यह बताओ कि जब आपको मालूम ही नहीं है वह व्यक्ति कौन है, आपने सेल–फार–एग्रीमैंट की बात कर ली, पर कम से कम अब इस पर तो आप देखें। आप उसमें या तो सहमति की बात करें कि खातेदार की सहमति का पत्र साथ लेकर आएगा। किसान को पैसा मिला नहीं और वह भूमि आपने एक्वायार करके वापस उसी को डवलप करने के लिये कह दिया तो कानूनी अधिकार हो गया। और बहुत–से मामलों में जो न्यायालयों में लम्बित हैं, आप क्या करेंगे, निश्चित तौर पर इस पर बात करें।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि धारा (7) से (9) तक अपील के सम्बन्ध में हैं, परन्तु आपने तो सिविल कोर्ट की राय भी खतम कर दी। मतलब, कलेक्टर के बाद डिवीजनल कमिश्नर और डिवीजनल कमिश्नर ने जो फैंसला कर दिया वही अन्तिम फैसला। फंडामैंटल राइट्स के खिलाफ आप यह कानून लेकर आ रहे हैं, आप डैमोक्रेट हैं, कम से कम इसके बारे में तो आप सोचे।

मैं एक निवेदन और करूं कि आपने कुछ जमीन को उप धारा (11) में मुक्त रखा है। यथा, देवस्थान की है, ट्रस्ट की है, धार्मिक संस्थानों की है। इसके अन्दर मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, चाहे वह चिकित्सा की हो, विद्यालय की हो, इन भूमियों को भी आप मुक्त रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके अलावा विशेष प्रयोजनार्थ जो जमीनें आवंटित हुई हैं, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि चाहे वह मुर्गीपालन के नाम पर हो, चाहे वह पर्यावरण को और ठीक करने के नाम पर, नर्सरी के नाम पर हो, जो रिहायती दरों पर उस वक्त में भूमि किसी ने ले ली, आपने कई जगह चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को 5 रुपये में, 2 रुपये में पट्टा दे दिया, अब उन सारी जमीनों का आप लैण्ड लूज चेंज कर देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ ? कि एक रास्ता खुल गया कि जमीन को एक बार ले लो, किसी भी बहाने से ले लो, पर्यावरण ठीक करने की दृष्टि, से नर्सरी के नाम से ले लो और उस जमीन को लेकर फिर इस कानून के तहत आ जाओं कि मैं इस जमीन का भूमिधारक हूं और मैंने एप्लीकेशन मूव की है इसके अनुसार लैण्ड–यूज चेंज कर दें लैण्ड यूज चेंज करके आप इन्हीं नियमों के अनुसार उसको पुनः डवलप करने के लिये दे देंगे। कानूनी अधिकार हो जाएगा कि उस जमीन को जो कौड़ियों के भाव है आपसे ली है, उस जमीन को अब वह आराम से बेचेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे कानून को आप लेकर आये हैं इसकी मंशा तो ठीक है परन्तु जिस चालबाजी से जिन लोगों को आप राहत देना चाहते हैं, मंत्री महोदय, यह उचित नहीं है।

अब आपसे जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिनियम, नगर सुधार न्यास के अधिनियम और नगरपालिका में भी संशोधन लेकर आये हैं। आवश्यकता ही नहीं है। आज जयपुर विकास प्राधिकरण, नगरपालिका, नगर निगम, सबके अन्दर अलग–अलग जोन को तय करके इनके रेट्स पहले से तय कर रखे हैं, संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आपको उसको बढ़ाना है, कम करना है तो आप इसके अन्दर एक नोटिफिकेशन से कर सकते हैं। इसलिये, मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि इस पूरे कानून को, इसकी मंशा को तोड़–मरोड़ कर आपने प्रस्तुत किया है, इसमें आप भू–माफिया के हितों को सुरक्षित करना चाहते हैं, गृह निर्माण समितियां जिन्होंने आपकी चन्द दिनों पहले ही मदद की है, उसके हितों को आप प्रोटैक्ट करना चाहते हैं। यह कानून इस रूप से आप पास नहीं करें इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह कानून प्रवर समिति को सौंप दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल। श्री गुलाब चन्द कटारिया। (अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया(बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून को लाने के पीछे जो मंतव्य है वह तो लोगों की मदद करने का है। कई वर्षो से जो समस्याएं उलझी हुई थीं उन समस्याओं को सुलझाने का हमारा मानस है, उस दृष्टि से हमने सोचा कि एग्रीकल्चर लैण्ड पर जिन लोगों ने भी 15–20–25 साल पहले मकान बना लिये हैं उनको रियायत मिलनी चाहिए, उनको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सहूलियत मिलनी चाहिए। यहां तक तो ठीक है लेकिन इसके पीछे जो दो भावनाएं हैं उनको हमें सामने रखना चाहिए, नहीं तो हमेशा के लिए शहर के आस–पास की एग्रीकल्चर लैण्ड समाप्त हो जाएगी और भू–माफिया इस जमीन को खरीद लेगा। किसान जो कैसे भी करके पेट भरता है अपना, उसको एक बार पैसा देकर जिन्दगी भर तक उसके बाल–बच्चों को भूखे मारने का काम हम कर रहे हैं। इस समस्या की गहराई में जाकर हमको कोई न कोई आधार बनाना चाहिए। यह नहीं है कि किसी ने भी किसी को दे दी और उसने लैण्ड यूज चेंज करने के लिए कह दिया। हम शहर को बढ़ाते–बढ़ाते कहां तक जाएंगे ? किस सीमा तक हम एग्रीकल्चर लैण्ड का दुरुपयोग करते चले जाएंगे ? केवल रहने के नाम से और कालोनियों के नाम से ? इस समस्या के कारण से जो शहरों की सीमाएं बढ़ रही हैं, वे आपकी 17 और नई प्राब्लम खड़ी कर रही हैं। किसान से किसी तरह से ले लिया, चेंज कर दिया, किसी ने उसमें पावर आफ एटार्नी ले लिया, किसी ने सेल आफ कर दिया और उसके कारण से वह इस तरह से चलता रहेगा तो इस बात को जरुर ध्यान में रखा जाये कि जो हमारी सीमा है उस सीमा से बाहर हमारी जमीन चेंज नहीं हो। उसके लिए हम कोई न कोई इसमें ऐसा प्रावधान रखें कि जिसके कारण से यह रोका जा सके।

दूसरा यह कि किसी व्यक्ति विशेष को इससे लाभ देना, चाहे इण्डिवीजुअल आदमी को, वहां तक तो समझ में आ सकता है। यानि किसी आदमी ने किसी जमीन को खरीद लिया, उसने मकान बना लिया, उसकी सहूलियत के लिए आप उसको कन्वर्जन करके कुछ राहत देना चाहे तो समझ में आ सकता है लेकिन जिन्होंने व्यवसाय ही जमीन खरीद कर बेचने का बना रखा है अगर उनको इसमें से आपका प्रोटैक्शन मिल गया तो जो हम करने जा रहे हैं वह तो कुछ होगा नहीं और होगा उल्टा, यानि हम भू–माफियाओं को तैयार करने के लिए रास्ता खोल देंगे जो हमारे रोकने से नहीं रुक पाएगा। आज भी कानून में शक्ति होने के बावजूद जितनी भी एग्रीकल्चर लैण्ड पर ये प्लाट बन रहे हैं न यह किसान नहीं बना रहा है। किसान ने तो कौड़ियों में बेच दी अपनी जमीन, सेल एग्रीमेंट कर दिया या पावर आफ अटार्नी दे दिया, कुछ किया उसमें उसको तो टुकड़े में निपटा दिया। जमीन का जिनके पास आज की तारीख में अधिकार हैं वे सबके सब भू–माफिया हैं, जिनके पास करोड़ों रुपयों की जायदाद इन जमीनों के कारण हुई है। उनको इसमें से प्रोटैक्शन मिलेगा, इस प्रोटैक्शन को कैसे रोकेंगे आप ? उसके लिए कोई आधारभूत आपका सोच होना चाहिए कि उनको हम कैसे रोके। जितनी भी सहकारी समितियां बनी हैं, ये केवल जयपुर में बनी हो सकती है। लेकिन बाकी जो शहर हैं उनमें इस प्रकार की गृह निर्माण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समितियां बनकर काम नहीं हुआ है। वहां तो एक ही व्यक्ति ने खरीदा और एक ही व्यक्ति ने सारे प्लाट काटकर लोगों को दे दिया। यानि खाता तो किसी दूसरे के नाम से बोलता है, उस खाते का मालिक कोई दूसरा है और हमारा सारा डीलिंग किसी तीसरे आदमी से हो रहा है। मैं सोचता हूं कि इसमें जब तक खातेदार उसका मालिक है, उस खातेदार के साथ मालिक के साथ हमारा कोई लेन–देन हो और उसको इसका कोई लाभ मिले तब तो समझ में आता है। अब तो बीच में कोई तीसरा ही आदमी आ गया। खातेदार तो कही चला गया, रास्ते में ही नहीं है वह तो। हम मूल खातेदार को अगर लाभ पहुंचाना चाहते है तब तो समझ में आ सकता है कि हमारा मंतव्य कुछ ठीक है। यह नहीं है तो निश्चित रूप से हम इसमें से कुछ लाभ नहीं पहुंचायेंगे।

फिर आपने कुछ जमीनों पर छुट दी। देवस्थान को दी, बाकी को दी। यह बात ठीक है कि आपने छूट दी, कुछ आपने सार्वजनिक संस्थानों को दी लेकिन आजकल यह सार्वजनिक संस्था भी व्यवसाय में पड़ गई है। हम लोगों ने कौड़ी में, एक रुपये में टोकन में या महाराणा ने किसी विद्यालय को एक जमीन दे दी एक रुपया टोकन पर। अब उस एक रुपया टोकन पर उनके तो सात पीढ़ी तक खाने के लिए रास्ता खुल गया, वे मर्जी चाहे जहां दुकानें/फ्लैट बनाते चल जाएं, बेचते चले जाएं। यह अधिकार तो नहीं हो सकता। हमने एक रुपये में आपको जमीन दी शिक्षा संस्थान चलाने के लिए। आपके परिवार को पालने के लिए नहीं दी है हमने। लेकिन हुआ यह है कि बड़े–बड़े शहरों में जितने भी बड़े लोग हैं वे किसी न किसी एप्रोच से जमीन अलाट करा लेते हैं शिक्षा के नाम से और शिक्षा के नाम पर व्यवसाय करके ठोके जा रहें है आराम से। यानि जनता को भी लूटे जा रहे हैं। लूटने के बाद आपने उनको यह हक और दे दिया तो आप जो चाहते हैं वह इसमें से नहीं निकलेगा। इसको किसी प्रकार से रोकने की कोशिश करिये। जो जमीन आपने अपने द्वारा दी है, जिस परपज के लिये दी है उसको तो कम से कम लैण्ड यूज चेंज मत कीजिए। नहीं तो ये सारे के सारे स्कूल जो शहर के अन्दर बने हुए हैं 20 साल के बाद कामर्सियल काम्प्लैक्स बनकर खड़े हो जाएंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फिर कही 25–30 किलोमीटर दूर जमीन लेकर चला जाएगा तो आप इन लोगों को धंधा करने के लिए रास्ता दे रहे हैं या आप क्या करना चाह रहे हैं, इस बारे में आप अपना पूरा मंतव्य स्पष्ट करें।

फिर मैं यह सोचता हूं कि कोई व्यक्ति अगर अपनी जमीन बचाना चाहे तो यहां कानून के तहत उसको अधिकार है, उससे आप क्यों वंचित करना चाहते हैं ? क्यों आप यह कहना चाहते हो कि संभागीय आयुक्त ने फैसला कर दिया वह फैसला

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अन्तिम है ? मैं सोचता हूं कि यह न्याय की प्रक्रिया की दृष्टि से ठीक नहीं है अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को ठीक प्रकार से रख सकता है तो उसे रखने का अधिकार देना चाहिए। आपके पास जो कुछ अधिकार है उन अधिकरों से भी आप किसी भी जमीन को लेना चाहो तो आप ले सकते हों, कहां रोक है ? आज उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन आप तो केवल इस कारण से इसका यह रास्ता निकालोगे कि जैसा भी प्रशासनिक अधिकारी ने निर्णय कर लिया। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय कैसे होते हैं, वे तो पढ़ने में आ रहे हैं। सारी नगरपालिकाएं इस कारण से दुःखी हैं कि नगरपालिकाएं जिस बात पर परमिशन नहीं देती, आपके सम्भागीय आयुक्त ओ.के. करके उसको कन्वर्ट कर देता हैं और उसका मुकदमा दफ्तर दाखिल, खतम। कुछ नहीं, मुकदमे लड़ते रहो। आपकी नगरपालिका अपने आप में हकों को नहीं बचा पा रही है तो सामान्य व्यक्ति हकों को कैसे बचा पायेगा और उसके हक की रक्षा कैसे होगी, इस बात को समझकर मैंने सोचा है कि न्याय की प्रक्रिया को आपको नहीं रोकना चाहिए। इस न्याय की प्रक्रिया में उनको जाने का अधिकार होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि हमारे पास और कई रास्तें हैं जिन रास्तों से हम उन्हें अगर रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस कानून को बनाकर इस प्रकार की व्यवस्था की तो मैं सोचता हूं कि इसमें से कोई लाभ नहीं निकलेगा। आप इस पर फिर गहराई से विचार करें।

दो ही बातें इसमें हैं, वास्तव में जिन लोगों को तकलीफ है उनको राहत पहुंचाने की दृष्टि से ही होना चाहिए। लोगों की वर्षो से मांग है। एग्रीकल्चर लैण्ड पर मकान बन चुके हैं, लेकिन भविष्य में शहरों में एग्रीकल्चर लैण्ड पर मकान नहीं बने, इसको रोकिये, नहीं तो शहर भी रोएगा और किसान भी रोएगा। उसको सीमा में बांधिये। ऐसा नहीं है कि हर आदमी 15 किलोमीटर आराम से रहना चाहे। आपके पास अगर जमीन कम है तो फ्लैट सिस्टम में इनको डवलप करके उनकी आदत डलवाइये ताकि, विकास का पैसा भी कम खर्च हो, और ज्यादा सुविधा उपलब्ध हो। यह लम्बा–चौड़ा फैलने मत दीजिए। जिससे प्राब्लम आपकी सब प्रकार से बढती हैं इसको बढ़नें से आप रोके, इसकी कहीं न कहीं एक सीमा बांधे। आपने यह रास्ता खुला रखा न तो इस रास्ते से 50 साल में 40–40 किलोमीटर तक सारी एग्रीकल्चर लैण्ड खतम हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। पर्यावरण की दृष्टि से आप लाख कोशिश कर लेना, कोई आपका प्रयास सफल नहीं होगा, और आप अपने ही जाल में फंसकर डूबने की स्थिति में आ जाएंगे। जिस प्रकार का ढांचा बन रहा है हमने सीवर लाइन तो बनाई दस लाख की पापुलेशन को सोचकर लेकिन अगर आप फैलते चले जाओंगे और आपकी पापुलेशन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

25 लाख हो गई तो इस सिविल लाइन का क्या करोगे आप ? इन सड़कों का क्या करोगे ? इसके ऊपर यह जनता चल पायेगी या नहीं ? इसलिये आपको किसी न किसी लिमिट में तो निश्चित रूप से बांधना चाहिए।

दुर्भाग्य क्या है इस डिपार्टमैंट का कि इस डिपार्टमैंट को जैसे सनक चढ़ती है तब एक्विजिशन का नोटिस जारी कर देते है। एक्विजिशन का नोटिस जारी करने के बाद 18 साल तक उस जमीन का उपयोग ही नहीं, केवल पड़ी रखते हैं। इस कारण से कि वापस डीएक्वायर के लिए आएंगे तो हमारा धंधा ठीक चलेगा। इसे एक सीमा में बांधिये कि आप जमीन को एक्वायर करते है तो उसका उपयोग 2–3 वर्ष में निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। तब तो आप उस किसान को बेघरबार करो तो भी समझ में आता है। उसको तो आपने बेघरबार कर दिया। खाली एक नोटिस जारी करके। न तो आप उसके पैसे चुकाते हो और उसको लटकाये अलग रखते हो न वह किसी दूसरे को बेच सकता है और न और कुछ कर सकता है, ऐसा आप उसको फंसा देते हो। 18–18, 20–20 साल पहले एक्विजिशन के नोटिस निकले हुए हैं, जमीन आज भी पड़ी हुई है। किसान उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता हैं। उसकी क्षमता नहीं हैं क्योंकि वह अनपढ़ है। अनपढ़ होने के कारण से वह न्यायालय में जाकर अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकता। फिर कोई न काई बड़ा आदमी आता है, उसके बीच में और वह इस खेल को खेलता है। आपकी मंशा ठीक है, आप पब्लिक को राहत देना चाहते है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये कुछ राइडर लगाइये जिन राइडर से भविष्य में इसका दुरुपयोग होकर किसानों के साथ अन्याय नहीं हो जाये और शहर के वातावरण हम जैसा पर्यावरण चाहते है उस पर्यावरण को हम बचा सकें। इस ओर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजेन्द्रपाल सिंह। श्री रामनारायण विश्नोई। (अनुपस्थित), श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या बड़ी जटिल है और इसका समाधान जरूरी है क्योंकि जैसे–जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, जमीन तो बढ़ी नहीं इसलिए लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो भी जमीन मिली वह खरीदते गये। सबसे बड़ा हश्र क्या होगा ? जैसे कटारिया साहब कह रहे थे, किसी जमीन का एक्विजिशन का नोटिस निकला, जैसे ही नोटिस निकला तो किसान समझता नहीं था और जो भू–माफिया हैं, उन्होंने जाकर कहा, तेरी जमीन तो गयी, कौड़िया भी नहीं मिलेगी और यह तू दो लाख रुपये ले। जो भी उसने ठीक समझा, दे दिया। यह तू हमसे ले ले और यह हमारी जिम्मेदारी है। किसान ने भी कभी दो लाख रुपये देखे नहीं। उसने कहा इस जमीन के दो लाख रुपये मिलते है मेरी जमीन चली जायेगी। अज्ञान के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अभाव में ही उसने वह सारा काम कर दिया। इन्होंने क्या किया इधर ? इधर उसकी कोई कमी देखकर कोर्ट में चले गये। एक्विजिशन टाइम पर नहीं हो, एक्विजिशन कम्प्लीट नहीं हो इसलिए कोर्ट में चले गये। आपके ध्यान में होगा, कई मामले तो सुप्रीम कोर्ट तक गये हैं एक्विजिशन के मामले में। इतना लम्बा जो गैप मिला, उस गैप में एक्विजिशन तो लोग भूल गये और भू–माफिया जिन्होंने सोसाइटी बनाई थी, इन्होंने कहा कि जमीन हमारे पास है, हमारे पास इसका सेल डीड है। आदि–आदि कागज दिखाकर योजना बनाकर बंसाते चले गये। जो सामान्य नागरिक या उसके दिमाग में यह बात आयी नहीं कि यह एक्विजिशन की जमीन है, आगे जाकर मुझे क्या नुकसान होगा। भू–माफियाओं ने अपने प्रचार से, अपने प्रभाव से ज़मीन लेना शुरू किया। जब दो लोगों ने ली, तो तीसरे ने ले ली, चार ने ले ली। यह सारी जमीन इस प्रकार से इन भू–माफियाओं ने, जो उनकी नहीं थी, किसान की थी उनको अलाट कर दी। अब दिक्कत यह आयी कि जमीनों पर मकान बनाये लोगों ने, तब किसी ने रोका नहीं। मकान बन गये तो अब वे रैगुलराइज नहीं होते हैं, पट्टे नहीं मिल सकते। इसीलिए अब आप यह लाएं हैं। जो लोग बस रहे हैं, भू–माफियाओं के चक्कर में आकर मकान जिन्होंने बना लिये, लाखों रुपये खर्च कर दिये, अपने घर के जेवर बेचकर चाहे मकान बनाया होगा, वे क्या करें ? उनकी राहत के लिए आप यह लाए हो। लेकिन इसमें जो कमी रह गयी है वह यह है कि असल लाभ किसको होगा ? आपने यह भी कह दिया कि यदि कोई पट्टा है किसी सोसाइटी का, वह चाहेगा तो हम उसी को दे देंगे। देंगे कैसे ? नीलामी करेंगे उस जमीन की। नीलामी में आप उस जमीन को कैसे दे पाओगे ? You will dispose of the land by sale, allotment and auction, यह इसमें लिखा है आपने। (व्यवधान) बता देना मुझे आप। हो सकता है मुझे कन्फ्यूज हो, क्लीयर कर दीजिये। अब आक्शन में अगर जमीन आपने नीलाम की या दी तो जो आदमी अपना पट्टा बताता है, वर्षों से कब्जा दिखाता है, मान लीजिए अब नीलामी में वह काम्पीटीशन में नहीं आ सकता, आएगा भी नहीं और यदि आपने यह तय किया कि नीलामी की जो आखिरी बोली होगी उसके आधार पर उसको दे देंगे और मुझे यह मालूम है कि शांतिकुमारजी धारीवाल को कोई मुझे जमीन नहीं लेनी देनी है, अब नीलाम करो तो इसकी अधिक बोली लगा दूंगा मैं तो, क्योंकि आपको लेनी है न तो आपको डिबार कर दूंगा वहां से। इसलिए नीलामी के द्वारा उस व्यक्ति को आप लाभ पहुंचाना चाहते हो, इस पर विचार करिये। इसमें प्रोवीजन है ऐसा नीलामी का। हो सकता है आप क्लीयर करेंगे आपका भाषण होगा तब। बाकी नीलामी से उसको क्या फायदा होगा ?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तीसरी बात यह है कि जो किसान है उस किसान को उसने पूरी कीमत दी नहीं। एग्रीमैंट टू सेल में कभी भी पूरी कीमत नहीं देता कोई भी। एग्रीमैंट टू सेल इस बात का द्योतक होता है कि अभी हम एग्रीमैंट कर रहे हैं, जमीन आपको बेच देंगे। बेचेंगे जब पूरी कीमत लेंगे। पूरी कीमत लेने के पहले एग्रीमैंट टू सेल नहीं होता। एग्रीमैंट टू सेल तो होता ही जब है जब आपको पूरी कीमत नहीं देनी होती। तो वह व्यक्ति जिसने एग्रीमैंट टू सेल के आधार पर जमीन ले ली उस काश्तकार से, वह तो बेचकर चला गया कहीं। अब तो जो जमीन का मालिक है, उसको आप लाभ पहुंचा सकते हो, जिसको असल नुकसान हुआ है, जिसको पूरी कीमत नहीं मिली, एग्रीमैंट टू सेल के आधार पर जिसकी जमीन चली गयी। मुख्त्यारनामा दे दिया, उसको कीमत तो मिली ही नहीं। इसलिए जिसकी जमीन थी, उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचेगा। जो बीच के बिचौलियां हैं, जिनको आप भू–माफिया कहते हो, आप भी भू–माफिया के नाम पर बहुत आवाज उठाते हो, हम भी उठाते हैं, तो इनको तो लाभ हो नहीं और काश्तकार को पूरा पैसा मिल जाए और जो लोग आज बस गये हैं उनको जमीन मिल जाए, इतना सरल तरीका आप जब तक नहीं करेंगे तब तक एक्ट की जो मंशा है वह पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा एक तो यह सुझाव है कि जब तक काश्तकार जिसकी ओरिजिनल जमीन है; उसका सर्टीफिकेट नहीं हो कि मैंने पूरी कीमत प्राप्त कर ली है, अब मुझे जमीन से कुछ लेना नहीं है, तब तक इस का निपटारा नहीं होना चाहिए। जिस भूमि को रैगुलर करना चाहते हैं तो आरिजनल जो काश्तकार है उसको कम से कम यह मौका दीजिये कि वह आपको यह कह सके कि मैंने इसका फुल पेमेंट ले लिया कि नहीं ले लिया। यदि आप यह नहीं करेंगे तो उसका पेमेंट मिला नहीं, पेमेंट ले लिया इन्होंने और अब जो बाकी पैसा आप लेंगे, जिसने मकान बना लिया उससे लेंगे। तो यह जो बीच का ग्रुप है जिसको आप भू–माफिया कहते हैं, उसको लाभ होगा। इसलिए ठीक कहा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कि कम से कम उनसे तो निजात पाएं जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हो, उनको लाभ तो पहुंचे। आप लाभ पहुंचाना चाहते हो उनको और लाभ पहुंचेगा भू–माफियाओं को। इसलिए इस कानून को लाना तो समायोचित था लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा, यह विचार कर लीजिए। काश्तकार जो जमीन काश्त कर रहे हैं, उनको न मिला तो इसका कोई लाभ नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि धीरे–धीरे यह बीमारी बढ़ती जा रही है। यह बात ठीक है कि जैसे–जैसे पापुलेशन बढ़ेगी, लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी। यदि हम कोई योजना नहीं बनाएंगे तो आखिर लोग क्या करेंगे ? उनके लिए भी ऐसी कोई योजना बनाएं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जहां वे रह सकें। जयपुर शहर में जो लोग मजदूरी करते हैं। वे लोग रोज आते हैं, उन्हें रोज़ आना पड़ता है। कभी रात को अधिक लेट होने के कारण वे फिर छोटा सा एक छप्पर बनाकर रहने लग जाते हैं तो फिर धीरे–धीरे कब्जा हो जाता है ? उस पर। इसलिए जिधर से लोग आते हैं, उस एरिया की तरफ से भी कोई ऐसी व्यवस्था आप बनाएं जहां कि ऐसे लोग आकर रहे। उनको मकान बनाकर दे या उनको कोई अनुदान दें ताकि जयपुर शहर का जो प्रैशर है या अन्य दूसरे शहरों का जो प्रैशर है वह रुक सके। इस कानून से आज जो समस्या है, उसका केवल आंशिक समाधान होगा। जो भविष्य दिख रहा है हम उसके समाधान की चिंता नहीं करेंगे तो फिर चाहे आप रहो, चाहे कोई भी रहे उसके सामने फिर यह समस्या आएगी। जो मैंने निवेदन किया है उस बात पर आप विचार कर लें कि जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हो वे दो गुणा हैं आपके सामने। एक तो जिसने मकान बना लिया, वह है और दूसरा वह है जिसकी जमीन है। ये दोनों लाभान्वित हों इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होगी। लेकिन बीच में जो ग्रुप है उसको यह लाभ नहीं मिले, इसकी व्यवस्था करिये और नीलामी की जो शर्त है उस पर विचार कर इसको हटा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो कानून लाया गया है यह मल्टीपरपज है, बहुंमुखी है। करीब छह–सात कानून इससे प्रभावित हो रहे हैं, इतना विस्तार इसका है इसलिए मेरा प्रस्ताव इसको सलैक्ट कमेटी को देने का है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समस्या लम्बे समय से चली आ रही है, इसका समाधान करने का प्रयत्न सरकार करने जा रही है यह तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जिस प्रकार से इसमें अभी प्रोविजन है इनसे कई शंकाएं आती हैं। मैं जो बातें यहां कही गयीं, उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। वे बातें भी तर्कसंगत है। कहीं एक को फायदा होने की बजाय हम दूसरे का गला नहीं काट दें, यह इसकी संभावना है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके कुछ प्रोविजन ऐसे हैं, जिनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कर मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सलैक्ट कमेटी में भेजना इसको अति आवश्यक है। आपने इसमें जो प्रावधान किये हैं उनमें एक तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में भेदभाव बरता गया है। आबादी जहां आज है, आबादी के आगे बढ़ने की संभावना है, उन क्षेत्रों को भी आप रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन रिज्यूम करने के बाद किसको दिया जाएगा, इसके प्रावधान दोनों जगह भिन्न रखे हैं आपने। शहरी क्षेत्र में आप जमीन को रिज्यूम करके उसको हैंड ओवर करेंगे जे.डी.ए. को, अरबन इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को, नगर परिषदों को और वे उस जमीन की नीलामी करेंगे, अपने

(श्री शिवनाथ सिंह)

हिसाब से सब कार्यवाही करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने यह व्यवस्था दूसरी तरह की, की है। शहरी क्षेत्र में जो आपने व्यवस्था की है उसके अनुसार वे लोग लाभान्वित होंगे जिन्होंने उन जमीनों पर कब्जा कर रखा है क्योंकि आपके प्रावधान इसमें हैं कि रिज्यूम करने के बाद जिन लोगों का कब्जा है, चाहे उन्होंने नाजायज कब्जा किया हो। उसमें शब्द पजेशन है, चाहे नोटेरी से लिया हो, चाहे सेल से लिया हो, एग्रीमैंट से लिया हो, जो भी आदमी पजेशन में है उसको वह जमीन दी जाएगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की वह जमीन जो आप रिज्यूम करेंगे, जहां जिन लोगों ने अपनी बसावट कर रखी है जैसे मेरा खेत नगरपालिका के नजदीक है और मैंने उस खेत को दस–बारह आदमियों को बसने के लिए दे दिया। तो शहरी क्षेत्र में तो बसने वालों का बचाव हो गया लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग उसमें बस गये हैं, मेरी इजाजत से बस गये हैं, मेरी सहमति से बस गये हैं उन लोगों का क्या होगा, इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए यह एक विसंगति है।

(14.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आपने इसके क्लाज 6 में लिखा है–लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात कर रहा हूं :– "The land so resumed under sub-sections (3) and (5) shall vest in the state free from all encumbrances and shall be deemed to have been placed at the disposal of the concerned local authority under section 102-A of this Act with effect from the date of passing such order:

Provided that the land surrendered under sub-section (3) above, shall be made available to the person, who surrenders the land." मेरी जमीन है, एक तरफ आप यह कहते हैं कि उस अथोरिटी में यह जमीन वेस्ट कर जाएगी, एक तरफ आप यह कहते हैं कि मैंने अपनी जमीन को सरेंडर करने की दरख्वास्त पेश कर दी, जमीन सरेण्डर कर दी तो वह जमीन मेरे पास रहेगी। दोनों में, इस प्रोविजो में और मेन सेक्शन में विरोधाभास है, यह दुरुस्त होना चाहिए। यह अंग्रेज़ी वाले पेज 22 पर है।

एक माननीय सदस्य : सही है।

श्री शिवनाथ सिंह : सही है गलत है, मेरी समस्या कह रहा हूं मैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो–तीन प्रोविजंस की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं दिया है। आज तक हिन्दुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें सिविल कोर्ट में एग्रीव्ड पार्टी नहीं जा सकती हो–चाहे सिविल कोर्ट में दावे के रूप में हो, चाहे हाई कोर्ट में रिट के रूप में हो। वह भी सिविल

(श्री शिवनाथ सिंह)

लिटिगेशन होता है। आप उसको बाहर कर रहे हैं कि वह सिविल कोर्ट में नहीं जा पाएगा, यह प्रोविजन भी टिकने वाली नहीं है और यह होना भी नहीं चाहिए। एग्रीव्ड् पार्टी है, आप उसका पजेशन ले लीजिये। आपने उसकी कितनी कीमत तय की है, क्या नहीं की है जो इन सब मामलों को देखने के लिये आप यहां तक तो सुरक्षा कर सकते हैं। लैण्ड॰हमने रिज्यूम कर ली है वह हमारे कब्जे में रहेगी, लेकिन उसका कम्पनसेशन क्या देंगे, उसकी कीमत का क्या देंगे लैण्ड हाल्डर को, मालिक को, किसान को और जो खातेदार है उसको इस मामले में डिस्प्युट है, आप की रेट से वह एग्री नहीं होता है तो आप उसे कह दोगे कि जो कलेक्टर ने कह दिया वह फाइनल हो गया। उसके बाद वह सिविल कोर्ट में अपने राइट्स को डिसाइड करने के लिए नहीं जा सकता। मेरे खयाल से इस तरफ आपके ड्राफ्ट करने वालों ने भी नहीं सोचा है, आपके डिपार्टमैंट ने भी नहीं सोचा है। तो सब मामलों में मैं यह मानता हूं कि जो सरकार ने रिज्यूम कर लिया वह लैण्ड तो सरकार के पास रहे लेकिन उसकी कीमत आदि के बारे में जो फैसला है वह सिविल कोर्ट मे जाने का उसका अधिकार है, आप उससे वंचित नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से क्लाज 2 के एक्सप्लेनेशन हैं। अब तक काश्तकार को अधिकार था कि या तो उसी होल्डिंग का 1/50 या एक हजार गज, जो भी नांप कम हो, वह अपने–अपने पास रख सकता है, बिना किसी परमिशन के मकान बना सकता है। आपने इस एक्ट में 500 एस्क्वायर यार्ड किया है। एक हजार टीनेन्सी एक्ट में है, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में है इस एक्ट में उसको 500 ही कर दिया है। यह भी मेरे खयाल से पीड़ादायक है, इसको आपको री–कंसीडर करना चाहिए।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग सोसाइटी से जमीन खरीद कर काबिज हो गये उन लोगों को तो प्रोटेक्शन दे रहे हो, वाजिब भी लेकिन जैसा पहले कहा गया, मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करता हूं कि जिस व्यक्ति की जमीन है और जिसको पूरा मुआवजा, पूरी कीमत नहीं मिली है उसका कहीं आपके इस बिल में प्रोटेक्शन नहीं है। यह भी एक सोचने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो–तीन बातें मैं और निवेदन करना चाहूंगा। इस एक्ट के माध्यम से 7 कानूनों को अमैंड करने की चेष्टा की गयी है। कई जगह कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस भी हैं और कंटाडिक्ट्री प्रोविजंस भी हैं। मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ फिर निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, यदि इसको आज ही पास करना जरूरी नहीं हो, कोई संवैधानिक संकट आने वाला हो तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन इस प्रकार का कानून जिसकी एक लम्बे समय से डिमाण्ड होती आ रही थी और हमारी सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक कानून लाना चाहती है, तो इसको आप एक

(श्री शिवनाथ सिंह)

प्रवर समिति को सौंप दीजिये ताकि अगले सैशन में विस्तार से विचार होकर अच्छे रूप से यह कानून आए और जो सरकार की मंशा है उसी के अनुरूप बिल बने। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि इसको एक सलैक्ट कमेटी में दे दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीरामजी बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय लम्बे समय से लोगों के सामने जो कठिनाई थी उसके निराकरण के लिए बिल लेकर आये हैं लेकिन इसमें कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिससे कुछ लोगों की कठिनाइयां बढ़ेंगी।

आपने धारा 90 "ख" एक जो प्रस्तावित किया है उसमें जिसके पक्ष में मुख्त्यारनामा हो गया या इकरारनामा हो गया उसको भी आप उस जमीन का मालिक मान रहे हैं। इससे लोगों के सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आएगी। मुख्त्यारनामा या एग्रीमैंट के हिसाब से आपने धारा 3 में प्रोविजन किया है कि कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी नोटिस देगा और अगर उसके सामने कह दे कि मैं यह जमीन आपको सौंपता हूं तो धारा 6 के परन्तुक में यह लिखा है कि उक्त उप धारा 3 के अधीन अभ्यर्पित भूमि ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करायी जाएगी जो भूमि को आवासन या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सम्बन्धित स्थानीय निकाय पर लागू नियमों विनियमों और उप–विधियों के अनुसार उसका सुनियोजित विकास करने के लिए अभ्यर्पित करता है। "उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी से एग्रीमैंट कर लिया जमीन परचेज का लेकिन जमीन के बदले जिस को पेमेंट देना था, वह मैंने दिया नहीं और जिस प्राधिकारी ने मेरे को नोटिस दिया उसको मैंने जाकर कह दिया कि यह जमीन आप रखो, मैं आपको समर्पित करता हूं तो वह जमीन मेरे को वापस मिल जाएगी। जो असली मालिक है, जो असली खातेदार है और जिसका विधिवत बेचाननामा हुआ नहीं, उसको कीमत मिली नहीं, वह तो रोता रहेगा और जमीन दूसरा ले जाएगा। यह आपने ऐसा प्रोविजन किया है जिससे बहुत बड़े झगड़े बढ़ने वाले हैं और असली मालिक वंचित रह जाएगा।

दूसरा इसमें आपने यह प्रोविजन भी किया है कि कब्जा हो या मालिक हो, कोई कह देगा कि मेरा कब्जा है तो उसके कब्जे के आधार पर आप तो जमीन उसी की मान लोगे लेकिन वे मामले जो अदालतों में चल रहे हैं, कब्जे के झगड़े चल रहे हैं, मालिकाना हक के चल रहे हैं उनका क्या होगा ? इसमें आपने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की।

दूसरा, जो आपने उप धारा (10) में यह व्यवस्था की है कि सिविल न्यायालय में नहीं जाएगा उसका कोई उपयोग नहीं है। यह लिखने में यह है कि वह लोवर कोर्ट में नहीं जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में जाने से आप रोक नहीं सकोगे और सीधा जिस आदमी को न्याय के लिए जाना पड़ेगा,

(श्री हरजीराम बुरड़क)

उसका अधिक खर्चा पड़ेगा। इसलिए इस धारा का कोई औचित्य नहीं है। पहले भी कई एक्ट ऐसे बने हुए हैं जिनमें यह लिखा हुआ है कि न्यायालय में नहीं जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट में जाने से तो आप रोक नहीं सकते। इसलिए इसका कोई उपयोग नहीं है, इसको आपको हटा देना चाहिए। आखिर में आपने इसमें लिखा है कि कुछ भूमि जैसे सीलिंग में कोई भूमि है, उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा। जैसे दूसरी भूमियों में कालोनियां बसी रहती हैं, यहां भी बस गई। जयपुर शहर में ऐसी कालोनियां हैं जिनकी भूमि सीलिंग में आई हुई है। इसी प्रकार से अपने लिखा है अरबन सीलिंग का, तो अरबन सीलिंग में भी मकान बन गये। तो जो दूसरे लोग हैं उनको तो आप राहत देने की बात कर रहे हैं लेकिन जिन लोगों ने कृषि भूमि पर या चाहे कोई भी भूमि हो, उसमें अगर कालोनियां बना दी, उसमें आपने यह प्रोविजन लागू क्यों नहीं कर रखा ? अगर उसमें आप यह कहो कि वह तो कई मुकदमे चल रहे हैं, और कुछ चल रहे हैं तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मुकदमे तो वह भी चल रहे हैं। मैं कहूं कि जमीन मेरी है, दूसरा कहे मेरी है, ऐसे झगड़े भी चल रहे हैं। खातेदारी किसी की है और कब्जा किसी के पास है, ये भी चल रहे हैं। एग्रीमेंट कर लिया किसी से और दूसरे को बेच दिया, वे भी मामले चल रहे हैं। सोसाइटी ने पट्टा काटकर बेच दी जमीन जो किसी के नाम बोल रही है। इस प्रकार से आपको ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम मुकदमेबाजी हो और असली जो जमीन का ओनर है, उसी को ही उसका लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं निवेदन करता हूं कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे ताकि सारे मामलों का समाधान हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, असल में यह बिल शहरों की ओर जो पालयन बढ़ता जा रहा है और शहरों में जो आवास समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, उसके समाधान के लिए लाया गया है। कृषि भूमि की अवाप्ति और नियोजन के नियम बने हुए हैं लेकिन वे नियम चाहे अवाप्ति के हों, चाहे नियमन के हों, इतने जटिल हैं और इतनी पेचीदगियों वाले हैं कि उनसे इस आवास की समस्या का कहीं कोई हल निकलता नहीं है। सरकार के द्वारा कई प्रकार से और कई सालों से इस बात की कोशिशें की गई कि आवास की समस्या किसी प्रकार से शहरों में निपटे, लेकिन आवाक इतनी तेज थी और अभी भी है कि इस समस्यां का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि सहकारी समितियां अस्तित्व में आई और लाखों लोगों ने सहकारी समितियों के पट्टे गैर कानूनी होते हुए भी उस पट्टे को अपनाया। यह इतनी भारी समस्या हुई कि 10 लाख आदमी पूरे राजस्थान में इस प्रकार के पट्टे या कुछ न कुछ कागजात

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

लेकर अपने आपको जमीन का मालिक समझ बैठे जो कि अनाधिकृत थी। खातेदार काश्तकार से विलेख पर भूमि क्रय की गई और पट्टे वितरित कर दिये गये। नियमितीकरण करने हेतु कई प्रकार के प्रयास किये गये लेकिन कानून की पेचींदगियों के कारण वह कभी संभव नहीं हो सका। राज्य सरकार के द्वारा कोशिश यह की गई कि इस समस्या का जो कि अभी भी बरकरार है, किसी प्रकार से निराकरण किया जाए और उन लोगों को राहत दी जाए जिन्होंने मकान बना लये हैं या जिन्होंने भू–खण्ड खरीद लिया है या जिनकी इच्छा है कि वहां पर वे मकान बनाए। इस प्रकार इस बिल को यहां पर इंट्रोड्यूस करने के पीछे मूल भावना सिर्फ यह है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि राठौड़ साहब ने बताया...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे अलग से बता देना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, वह आप ही को बताऊंगा। आपने अपने भाषण में सबसे पहले यह बात उठाई कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में 90 "ए" पहले से मौजूद थी और 90 "ए" के तहत ही 1981 के रूल्स बनाये गये। यह सब कुछ मौजूद था इसलिए इस बिल को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 90 "ए" आपने शायद या तो पूरी पढ़ी नहीं और पढ़ी होगी 10–20 साल पहले तो अभी याद नहीं रही होगी आपको, आप भूल गये होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 90"ए" पढ़कर बता दूं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं ही पढ़ देता हूं, जवाब मैं दे रहा हूं। मैं आपको पढ़कर बता दूंगा। अगर आप उससे कंविंस नहीं हों तो मैं जरूर आपकी बात को सुनूंगा। आपकी बात को पुनः सुन लूंगा।

1981 से रूल्स आपने देखे होंगे, उन 1981 के रूल्स में साफ–साफ यह है कि खातेदार अपने राइट्स एक्सटिंग्विश करवाएगा। मुझे आप यह बता दें कि किसी खातेदार से अगर सहकारी समिति ने जमीन खरीदी है और सहकारी समिति ने उस पर 100 या 200 प्लाट काट दिये हैं, तो क्या सहकारी समिति खातेदार हो गई ? जब वह खातेदार नहीं हुई तो वह अपने राइट्स कैसे एक्सटिंग्विश करवाएगी, कैसे लैण्ड रिकार्ड्स को दुरूस्त करवाएगी, किस प्रकार से वहां पर नियमन होने दिया जाएगा ? 1981 के रूल्स में सबसे बड़ी खामी थी तो यह थी। दूसरी खामी उसमें यह थी कि एस.सी. और एस.टी. की जमीन का नियमन नहीं किया जा सकता था उसके अन्तर्गत। यह दो खामियां इतनी बड़ी थीं कि जिसकी वजह से 1981 के रूल्स में आपकी सरकार ने कुछ करना चाहा, 1994 में भी करना चाहा, 1997 में भी करना चाहा लेकिन आप फेल हो गये और आप कुछ नहीं कर पाये।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

दूसरी बात आपने यह उठाई थी कि जिन लोगों ने कन्वर्जन शुल्क जमा करा रखा है पर उनको पट्टे नहीं मिले, उनका क्या होगा ? इसमें साफ–साफ लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने जितना पैसा कन्वर्जन शुल्क में जमा करवाया है, नियमितीकरण का जितना पैसा बनता है, उस पर मुजरा इसका दिया जाएगा। आपने शायद एक्ट पूरा पढ़ा नहीं। आप अगर मुझे कल मिल लेते तो मैं आपकी पूरी तैयारी करवा देता।

तीसरा आरोप आपने यह लगाया कि सहकारी समिति वालों से मिलकर हमने यह एक्ट तैयार किया है। आप इस एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ ले और उसके एम्स एण्ड आब्जैक्ट्स पढ़ लें। हमने उसमें यह लिखा है कि किसान को और प्लाट होल्डर को सहकारी समितियों के कब्जे से मुक्त करने के लिए इस कानून को हमने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है। वाकई आपका यह आरोप सही है कि सहकारी समिति वालों ने उस किसान को कम पैसे दिये हैं। आदरणीय भंवरलालजी शर्मा ने भी यह बात उठाई थी। यह बात बिलकुल सही है कि जितना वाजिब पैसा किसान को जमीन की एवज में मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिला। आधा मिला, एक चौथाई मिला या 50–60 परसेंट मिला, कितना भी मिला लेकिन पूरा पैसा नहीं मिला, यह बात सही है। उन्हीं को हतोत्साहित करने के लिए, सहकारी समितियों को दरकिनार करने के लिए हमने यह इंट्रोड्यूस किया है बिल। इसमें सीधी बात हमने यह कही है कि किसान चाहे जमीन बेच चुका हो जिस पर कालोनी आज खड़ी हो गई हो या कालोनी को खड़े हुए चाहे एक साल हो गया हो, चाहे 20 साल हो गये हों लेकिन जब तक वह किसान खुद चलकर कलेक्टर के पास आकर यह कह नहीं देता कि खातेदार राइट्स मेरे पास हैं, खातेदारी राइट्स को मैं कहूंगा जब एक्सटिंग्विश करेंगे, तब तक यह आगे काम नहीं हो सकता। अर्थात वह मरा हुआ किसान जो कि अपनी जमीन आधे–पौने दामों में कभी का बेच चुका था, आज उसका अस्तित्व हमने कायम किया है इस एक्ट के जरिये। जब तक वह सामने नहीं आएगा, सहकारी समिति कुछ नहीं कर पाएंगी, प्लाट होल्डर कुछ नहीं कर पाएंगे। खातेदार राइट्स को एक्सटिंग्विश करने में आपने देखा होगा 90–बी में उप धारा नम्बर (1) है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, पढ़ लें, The Tenant or holder, यह सब सैक्शन (3) की बात कर रहे हैं, "When the tenant or the holder of such land or any person duly authorised by him, as the case may be, makes an application to the Collector." मतलब इसमें टीनेंट और होल्डर दोनों आपने की हैं तो होल्डर तो किसान रहा ही नहीं। टीनेंट टीनेंस कहां रहा ? होल्डिंग तो अब होगी काउंसिंग सोसायटीज के पास।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सुनिये, किसके लिए है यह सब सैक्शन (3) ? खातेदारी राइट्स एक्सटिंग्विश करवाने के लिए और खातेदारी राइट्स एक्सटिंग्विश करवाने की दरख्वास्त कौन देगा ? खातेदार देगा। खातेदार के अलावा क्या आप देंगे ? यहां पर होल्डरी का मतलब टीनेंट है साफ–साफ "When the tenant or the holder of such land or any person duly authorised by him."

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो आप होल्डर हटा दीजिये। होल्डर हटा दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : जब टीनेंट इटसैल्फ है तो फिर और का मतलब क्या रहा ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : .....or the person authorised by him. फार्मर के द्वारा, या तो वह खुद चलकर आएगा या वह किसी को इस पर्टीकुलर परपज के लिए अथोराइज्ड़ करेगा। अथोराइज करेगा एक्सटिंग्विश करवाने के लिए, तो तीसरा आदमी कौन है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इसका हिन्दी अनुवाद पढ़ लीजिए, भूमि का काश्तकार या धारक। धारक किसको कहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब। माननीय सदस्य, आप इनको उत्तर देने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप धारक को हटा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इनको उत्तर देने दीजिये। फिर वापस आप इनके जवाब के बाद बोलने चाहेंगे, आपको मौका दे देंगे लेकिन लैट हिम फिनिश।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो बिलकुल मैजोरिटी है, कुछ भी पास करा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं आपको मौका देंगे। इनका उत्तर तो सुन लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके एक–एक सवाल का जवाब दूंगा। मान्यवर, आप मुझे सुनें। आप मुझे बेवफा नहीं समझे, मैंने एक–एक चीज आपकी नोट की है। अगर कोई चीज रह भी जाएगी तो आप दुबारा बोल दीजिये, दुबारा मैं जवाब दूंगा, लेकिन ऐसा मत समझिये।

आपने कहा कि इस एक्ट में आपने एक प्रोवीजन यह डाल करके कि एग्रीमैंट टू सेल अगर होगा तो वाजिब मान लिया जाएगा, यह गलती की। आपने यह आरोप हम पर लगाया। आपको ध्यान होगा, यह आप ही की सरकार थी जिसने कि एग्रीमैंट टू सेल वाजिब माना और माना ही नहीं, बल्कि जब आपने 84 के नार्म्स बनाये तो उसमें एग्रीमैंट टू सेल नहीं था, आपने बाद में अमैंडमैंड करके एग्रीमैंट टू सेल को

(श्रीं शांतिकुमार धारीवाल)

वाजिब बनाया। आदरणीय तत्कालीन मंत्री महोदय यहां पर बिराजमान हैं, आप उनसे कहलवा दें अगर गलत कह रहा हूं तो।

श्री शिवनाथ सिंह : एग्रीमैंट टू सेल गलत मानते हो तो आप सही कैसे हो गये ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं वह भी जवाब दूंगा, साहब। हजारों मामले ऐसे हैं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में मामले ऐसे हैं जो कि एग्रीमैंट टू सेल से रिलेटेड हैं। अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो उन लाखों आदमियों के साथ कुठाराघात करेंगे, हम उनके साथ नाइंसाफी करेंगे, इसलिए उनको कवर करने के लिए हमने एग्रीमैंट टू सेल भी माना है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, आप ठीक कह रहे हैं। एग्रीमैंट टू सेल तो मानना आपकी विवशता हो गई। मेरा कहना यह है कि एग्रीमैंट टू सेल के आधार पर किसान ने जमीन ट्रांसफर नहीं की और उसने उसका पूरा पैसा नहीं लिया। उसको पूरा पैसा आप दिलवा दीजिये, तो यह एग्रीमैंट टू सेल माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं हैं। अगर एग्रीमैंट टू सेल को नहीं मानेंगे तो बहुत लम्बा काम और हो जाएगा। लेकिन अब उसका जो पेमेंट बाकी रह गया है वह उसको पहले मिलना चाहिए, यह सबसे मोटी बात है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि यह एक अकेला आदमी किसान है, खातेदार है जो आज नहीं, आज के बीस साल पहले भी अपनी जमीन बेच चुका है और खातेदारी में आज भी उसके नाम होगा तो उस मरे हुए खातेदार को इस एक्ट में जिन्दा किया है। अगर उसका बकाया पैसा होगा तो वह लैण्ड होल्डर चाहे सहकारी समिति है, सहकारी समिति के साथ में कलेक्टर के पास जाकर खातेदारी राइट्स एक्सटिंग्विश करवाने की दरख्वास्त नहीं देगा। उसी के द्वारा दरख्वास्त पेश करने का अर्थ ही यही है कि हमने उसको मजबूत किया है, किसान को पूरा पैसा दिलाने का कानून में प्रोवीजन किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसी चीज को कैसे ट्विस्ट करते हैं, शांतिजी, आपकी इस अदा के तो कई लोग कायल हो गये पर...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, यह बताओ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुछ तो पढ़ो शांतिजी, पढ़ने का समय नहीं मिला। धारक का अर्थ क्या होता है ? आप धारक हटा दीजिये, बात खतम हुई।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, मैं फिर एक निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार नहीं आता है तो क्या होगा ? तो वह जिसने जमीन ले ली, मकान बना लिया, वह तो लटक ही जाएगा न ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : काश्तकार अगर नहीं आता है...

श्री भंवरलाल शर्मा : तो आप क्या करेंगे ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर उस काश्तकार ने अपनी खेती की जमीन को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ले लिया है तो कलेक्टर कार्यवाही करेगा और उसके खातेदारी राइट्स एक्सटिंग्विश करके ...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, काश्तकार अगर नहीं आता है...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी अर्ज सुन लें आप। उसके खातेदारी राइट्स एक्सटिंग्विश करके उन प्लाट होल्डर्स को जिन्होंने मकान वहां पर बना लिये है उनको राहत देगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्रोवाडेडली कब ? वह आएगा तब न ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कौन ?

श्री भंवरलाल शर्मा : काश्तकार।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं आएगा तो सरकार रिज्यूम करेंगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो क्या करेगी फिर ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर उसके मन में बेइमानी है, अगर पैसा लेने के बाद में वह खातेदारी राइट्स एक्सटिंग्विश करवाने नहीं आता है तो सरकार सुओ मोटो उसको नोटिस देकर उसके खातेदारी राइट्स एक्सटिंग्विश करेगी। (व्यवधान) बिलकुल, यह तो करना पड़ेगा। आप बता दीजिये, इसके अलावा चारा क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह इसलिए नहीं आयेगा, एक सैकण्ड, मैं बताता हूं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर आप ही की लाइन पर चलते होते तो कुछ नहीं होता।

श्री भंवरलाल शर्मा : बात यह है, दिक्कत यही है... (व्यवधान) मेरी बात सुनें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साथ बैठकर बनाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा तो देखते आप हमें ही पूछ लेते।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो आपके साथ भी कई बार बैठा हुआ हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह और काम के लिए बैठते हो आप। मेरा निवेदन है कि काश्तकार तब आयेगा जब उसको पेमेंट होगा। तभी आएगा न ? पेमेंट करने वाला कौन है ? जिसने मकान बना लिया वह तो आएगा नहीं, देगा नहीं, सोसाइटी देगी। सोसाइटी पिक्चर में ही नहीं है, काहे को आएगी पैसा देने के लिए अब वह ? Why they will pay ? क्यों पेमेंट करेगी? उनका तो कोई इन्टरेस्ट, कोई हित ही नहीं रहा। तो जो काश्तकार से जमीन ले ली

(श्री भंवरलाल शर्मा)

किसी सोसाइटी ने, वह सोसाइटी वाले उसको पेमेंट करेंगी तभी तो आएगा वह। वे पेमेंट करेंगे नहीं तो वह काहे को आएगा। बताओ आप। अगर वह शिकायत करे कि मुझे पैसा नहीं मिला, वह व्यवस्था कर दीजिये इसमें आप तो। वह आएगा ही नहीं, क्यों आएगा वह और सोसाइटी पैसा देगी क्यों ? पेमेंट ही नहीं देगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक सहकारी समिति में मान लीजिये सौ या दो सौ प्लाट है और उन पर मकानात बन चुके है तो, आदरणीय शर्मा साहब, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उनका प्रैशर कम होगा कि वे खातेदार को लाकर खातेदारी राइट्स एक्सटिंग्विश करवाएं, आगे की कार्यवाही करवाएं, क्या उनका प्रैशर कम होगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बिलकुल नहीं होगा बहुत प्रैशर होगा। क्यों नहीं आएगा अगर उसका पेमेंट बकाया होगा ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर उसका कुछ पेमेंट बकाया हुआ तो...

श्री भंवरलाल शर्मा : तो कौन देगा ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो वह सहकारी समिति के माध्यम से दिलवाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह सहकारी समिति नहीं देगी तो क्या होगा ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सहकारी समिति नहीं देगी तो कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे हम।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो वह ही सफर कर गया न उससे। इसीलिए मैं यह कहता हूं कि यदि काश्तकार को पेमेंट पूरा नहीं होता है तो उसमें भी ऐसी व्यवस्था करों कि उसको पेमेंट पूरा हो। क्योंकि जिसने मकान बना लिया, उस पर बर्डन डालोगी कि वह काश्तकार को राजी करें और काश्तकार राजी तब होगा जब उसको पैसा मिले। पैसा देगी सोसाइटी। सोसाइटी पैसा देगी नहीं तो प्राब्लम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बात फिर वही की वही रह जाएगी। तो काश्तकार आएगा ही क्यों ? जिसको पेमेंट मिल गया वह शायद आ जाए या जिसको पेमेंट अब कर दें वह आ जाएगा, पर सोसाइटी पेमेंट करने के लिए क्यों आएगी ? आज सोसाइटी पर क्या बर्डन है ? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आप नहीं कर सकें, ये कर रहे है, अच्छा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : भाई, आप इसको समझने की कोशिश करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) हां, वे क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे थे वह कर रहें है, मालूम पड़ेगा अभी करेंगे तब।

सोसाइटी पैसा देने के लिए आएगी नहीं और काश्तकार को पेमेंट नहीं होगा तो वह आएगा नहीं तो फिर समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए जब कानून ला

(श्री भंवरलाल शर्मा)

रहे हैं तो इसमें कोई अंकुश लगाइये, कोई व्यवस्था करिये ताकि उसके पेमेंट की गारन्टी हो जाए। सोसाइटी नहीं करेगी पेमेंट।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक बात आपने यह भी उठाई...

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय मंत्री जी, जो आपने सैक्सन 3 में लिखा है "When the tenant or the holder of such land..." इस होल्डर को आप क्या मानते है, इसको आप स्पष्ट कीजिये। टिनेंट है तो ठीक है। आथोराइज्ड़ परसन बाई, हिम, यहां तक भी ठीक है। But the Word indicated is 'holder', Who is the holder ? Who is in possession of the land ? Who is the holder of the land ? या तो आप डिलीट कर दीजिए इस वर्ड को। This Word is not properly used here; ड्राफ्टिंग ही बड़ा डिफैक्टिव है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसको संशोधित कर दो, इसको हटा दो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी और क्लीयर कर देता हूं, ठहरिये आप।

एक बात और उठाई राठौड़ साहब ने कि उन किसानों की जमींन रिज्यूम कर ली जाएगी। मेरा आपसे यह निवेदन है कि नान एग्रीकल्चर परपज के लिए जब तक वह अपनी जमीन को नहीं बदलेगा, तब तक उसकी लैण्ड रिज्यूम नहीं की जाएगी। अगर वह म्युनिसिपल लिमिट्स में रहता है और रहने के बाद में भी अपनी एग्रीकल्चर लैण्ड पर खेती करता है तो उसकी जमीन को हाथ नहीं लगाया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। न्यायालय में लम्बित, आपने देखा ही है कि अगर यह प्रक्रिया अपना ली जाती है, इस प्रक्रिया के तहत नियमितीकरण होता है तो हजारों की तादाद में केसेज हैं, वे सब केसेज विड्रा होंगे, उन लोगों को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी और पैसा भी बचेगा। हजारों की तादाद में केसेज हैं। कटारिया साहब ने कहा कि भू–माफियाओं को और सहकारी समिति वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे आप यह समझा दें कि किस प्रकार से भू–माफिया वालों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और किस प्रकार से सहकारी समिति वालों को मिलेगा। सहकारी समितियों का तो रोल ही खत्म कर दिया इसमें। इसमें तो आगे के लिए भी यह कहा है कि किसान खुद उस अपनी एग्रीकल्चर लैण्ड पर कामिर्शियल या रेजीडेंशल योजना बना कर अपनी लैण्ड सरण्डर कर सकता है कलेक्टर के पास। कलेक्टर योजना मंजूर करवा करके, चाहे संबंधित ज़े.डी.ए. हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे यू.आई.टी. हो, जहां पर भी वह अपनी योजना पेश करेगा उस योजना की स्वीकृति के बाद में वही लैण्ड उसको अलाट करेगा। इसलिए सहकारी समितियों का तो इसमें सारा रोल ही खतम कर दिया है। बल्कि यह कहा गया है कि सहकारी...

श्री रतन लाल ताम्बी : यह झगड़ा है, बिचौलिये खतम होंगे इसमें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सब जगह राजस्थान में सहकारी समितियां ही नहीं है, इण्डिवीजुअल लोग भी उस काम को कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं है, सिर्फ जयपुर में है, मैं आपकी बात को एग्री करता हूं। यह बीमारी सिर्फ जयपुर में है। उदयपुर में आपने इस बीमारी को पनपने ही नहीं दिया, इसलिए तो बहुत–बहुत धन्यवाद आपका।

एक एप्रिहेंशन और आपके दिमाग में था कि सार्वजनिक संस्थाओं को जिनको टोकन अमाउण्ट पर आपने जमीन दी और वे कल को कामिर्शियल पर चले जाते हैं उनका क्या किया जाएगा। आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, जब कभी राज्य सरकार, राज्य सरकार चाहे आपके हाथ में रही हो चाहे हमारे हाथ में रही हो, सार्वजनिक संस्थाओं को कोई जमीन अलाट करती है तो कुछ शर्तो पर करती है। अगर वह कोई मेडिकल रिलीफ सोसाइटी या कोई दूसरा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी है तो उसमें कण्डीशन जरूर होती है। किसी भी राज्य सरकार का कभी का भी ले लें, अगर उसने अपने बताये हुए परपज के अलावा उसका यूज किया तो लैण्ड वापस राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : निश्चित रूप से उनका जो एग्रीमैंट होता है उसमें ये सब चीजें लिखी रहती हैं लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं करते, कोई उसके अनुसार कार्यवाही नहीं करते। आज दिन तक राजस्थान में किसी पर हुई हो तो बताएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी निगाह में अगर कोई ऐसे केसेज आये हों तो मुझे बता दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक नहीं, सैकड़ों इसी शहर में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मुझे बता दें, मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि मैं उन पर जरूर कार्यवाही करवाऊंगा। ऐसे इंस्टीट्यूशन की हमें भी तलाश है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने तो विधान सभा में क्वेश्चन भी पूछ लिया तो कुछ नहीं हुआ है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : मैं बताता हूं। कोटा शहर में एयरपार्ट के पीछे सामाजिक वानिकी के लिए जमीन ली हुई थी, उस पर आवासीय प्लाट बनकर मकान बन गये। लोग रह रहे हैं और अभी भी वहां बोर्ड सामाजिक वानिकी का लगा हुआ है। वहां मकान बन रहे हैं, लोग रह रहें हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप विस्तार से लिखकर दे दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस तरह आपने सामाजिक वानिकी की बात की है मैं निवेदन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करूं यह बीमारी इस जयपुर के अन्दर है और जयपुर के आस–पास भी है। समाजिक वानिकी के नाम से लोगों ने छोटे–छोटे होल्डिंग्स ले लिए। उद्यान, नर्सरी के नाम से ले लिए, कहीं मुर्गी पालन के नाम से ले लिए। आप उनका क्या करने जा रहे है।, वह भी जरा स्पष्ट करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर आपकी निगाह में ऐसी बात आती है कि किसी ने जिस प्रयोजनार्थ उसको दी गयी थी उसको चेंज कर दिया और किसी दूसरे काम में वे ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप शिकायत करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कह रहे हैं न। आप कानून लेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब मुझे तो इतना वक्त मिलता नहीं है, राठौड़ साहब कि मैं मोटर साइकिल लेकर चारों तरफ बाजारों में घूमता फिरूं और देखता फिरूं। अगर आपकी निगाह में ऐसी कोई जगह है तो मैं आपका स्वागत करूंगा, आप मेहरबानी करके शिकायत दर्ज करवा दें, मैं उस पर कार्यवाही कर लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो पुरानी आदत है। काहे के लिए ला रहे हैं फिर ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कटारिया साहब ने बात और कही कि जमीन को एक्वायर कर लिया जाता है और 18–18 साल तक न तो उसको मुआवजा दिया जाता है उसको न कुछ बताया जाता है। आपने जो बात बतायी है यह निश्चित तौर पर गम्भीर समस्या है। हजारों की तादाद में ऐसे केसेज मिल जाएंगे राजस्थान में जबकि किसी न किसी तरह के इंस्टीट्यूशन चाहे यू.आई.टी. हो, चाहे जे.डी.ए. हो, चाहे नगर निगम हो और चाहे पालिका हो, उसके द्वारा कोई न कोई बात को लेकर किसान की जमीन को एक्वायर कर लिया गया और एक्वायर करके उसको उलझाकर रख दिया गया। मैं गहलोत सरकार की तरफ से आपसे वायदा करता हूं कि जब कभी हमारी निगाह में ऐसी कोई बात आएगी कि काश्तकार को ख्वाहमख्वाह परेशान किया जा रहा है, बगैर किसी योजना के उसी लैण्ड को एक्वीजिशन में डालकर उसको उलझाया जा रहा है तो उस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप वायदे को थोड़ा ठीक कीजिए। आप कांग्रेस सरकार की बात कीजिए, गहलोत सरकार चन्द दिनों की है। हम किसको पकड़ेंगे ? सदन में आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं। सात तारीख के बाद सारा सीन बदलने वाला है, आप कांग्रेस सरकार की तरफ से वायदा दो न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सात तारीख के बाद आप पा तो जाएंगे न मुझे ? कहीं मैं आपको ही ढूंढ़ता रहूं।

श्री उपाध्यक्ष : जैसा कि आदरणीय भंवरलालजी साहब ने बताया कि पांच–पांच, छह–छह एक्ट लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वर्तमान में जो प्रोविजंस जे.डी.ए. एक्ट के, यू.आई.टी. एक्ट के...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने यह नहीं कहा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने यही कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपकी यही कार्य कुशलता है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे पास तो आपका नाम लिखा हुआ है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे ज्यादा आकर्षित हैं ये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिन्होंने भी कहा यह कहा। यू.आई.टी. एक्ट में, म्यूनिसिपल एक्ट में और जे.डी.ए. एक्ट में परिवर्तन लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप मुझे यह समझा दें। सिर्फ एक वर्ड को जोड़ने की खातिर यह परिर्वतन लाया गया। उसमें अलाटमैंट था और उसमें आक्शन था, रैगुलराइजेशन वर्ड नहीं थी। और यह सारी कार्यवाही पांचवे एक्ट के अमैंडमैंट से जो होने वाली है, वह सारी रैगुलराइजेशन की होने वाली है। आपको ध्यान होगा, आप तो खुद इस महकमे में थे आपने बड़ी खुबी के साथ इसको संभाला है। कच्ची बस्तियों का नियमन कई सरकारों ने किया लेकिन कोई ऐसा कानून में प्रोविजन नहीं था कि जिसके द्वारा आप कच्ची बस्तियों का रैगुलराइजेशन करते। सब कुछ हुआ लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक रैगुलराइजेशन का वर्ड नहीं था। ये तीनों कानूनों में परिवर्तन सिर्फ रैगुलराइजेशन का वर्ड जोड़ने के लिए किया गया है क्योंकि रैगुलराइजेशन वर्ड नहीं जुड़ेगा तब तक सरकार को अधिकार नहीं मिलेगा कानून की तरफ से। वह तो कर लिया आपने, कच्ची बस्तियों का सब कुछ कर लिया, लेकिन रैगुलराइजेशन का वर्ड जोड़ने के लिए इन तीनों कानूनों में परिर्वतन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया सब उत्तर। अब क्या है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो तैयार हूं, साहब, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। और कोई साहिबान...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

(श्री उपाध्यक्ष)

अस्वीकार किया गया।

श्री शिवनाथ सिंहजी, आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : हां।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

माननीय सदस्य संशोधन वापस भी लेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाए ?

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार 2 से 9 कोई संशोधन नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : कहां दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यही दिया है और तो कहां देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं दिया है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल भी यही बात हुई थी। संशोधन दे दिये जाते हैं, यहां सचिवालय आपके पास पहुंचता नहीं है और उसके बाद आप पास कर देते हैं। ये पहले से दिये हुए थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं थोड़ा समय पर नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : बस तो फिर बात खतम हो गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने अनुमति ले ली। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप थर्ड रीडिंग में बोल लेना न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, अमैंडमैंट कैसे बोल लेना ?

श्री उपाध्यक्ष : अमैंडमैंट तो आप ला ही नहीं सकते क्योंकि यह टाइम वार्ड है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो कोई बात नहीं हुई, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल यही है। नियम आपने बनाये, हमने थोड़े ही बनाये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : देरी कितनी की है मैंने ? ऐसा थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष : इतने माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, ये सब टाइम वार्ड है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

(श्री भंवरलाल शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात समझ लीजिए। आप हमको यह बिल देते कब हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या, साहब ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब आपने विश्वविद्यालय का दिया है कल। कितने पेज का है वह ? कल शाम को दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका हम क्या करें ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, आप यह भी तो न्याय करिये न।

श्री उपाध्यक्ष : न्याय ही कर रहे हैं हम तो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये क्या हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : आप थर्ड रीडिंग पर बोल लेना। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अमैंडमैंट जो है वह प्रूफ रीडिंग नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अपने विचार रखने से नहीं रोक रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर वह अमैंडमैंट ?

श्री उपाध्यक्ष : अमैंडमैंट आ ही नहीं सकता, अमैंडमैंट की स्टेज ही समाप्त हो गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : You can allow it.

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए। कैसे आएगा अमैंडमैंट ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये कानून बना रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष : अमैंडमैंट का तो सवाल ही नहीं है इसमें, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप देते हो शाम को और दूसरे दिन अमैंडमैंट मांगते हो हमसे। हम अकोमोडेट कर रहे हैं, आप जल्दी भागना चाहते हैं। सात–सात बिल हमने ले लिए। इसलिए यह जायज बात नहीं है।

श्रीमती कमला : आराम से बैठे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई नहीं बैठेगा। आप काहे को बैठेंगे ? आप इतना लेट देते हैं , इसके बाद भी इतना समय निकालकर तैयार करते हैं, मेहनत करके लाते हैं, सारी किताबें ढूंढते हैं। अमैंडमैंट यूं थोड़े ही होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह स्टेज तो समाप्त हो गयी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : It is not a proof reading. मैंने दिया है। उन्होंने कहा, ठीक है लेट है लेकिन ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपने दिया होता तो एनलिस्ट हो जाता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I cann't say...

श्री उपाध्यक्ष : It has not been enlisted.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : संशोधन के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग पर आपको बोलने देंगे न। कल भी आपकी यही बात हुई, आज भी यही बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मुझे बोलने का शौक नहीं है। क्या कहकर बोलें ? कोई शौक थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष : और काहे का शौक है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम तो अमैंडमैंट ला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अमैंडमैंट अभी लाये हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमारी ड्यूटी है, यहां हम बैठे हुए हैं। जो बात हमारी समझ में आती है, जनहित की है, कानून में संशोधन करना चाहिए वह हम रखते हैं। यह तो पूरा हाउस जानता है। बोलने का शौक पूरा करने के लिए तो आपने एक इधर बैठा रखा है और एक उधर बैठा रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, को आपरेट मी।

श्री रामस्वरूप : मेरा नाम जबरदस्ती ले रहे हैं। मैं तो सुबह से चुपचाप बैठा हुआ हूं। बिलकुल मौन धारण कर रखा है मैंने सुबह से और फिर मेरा नाम ले रहे हैं बिना मतलब ही। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सदस्य मैंने आपका नाम नहीं लिया। (व्यवधान) एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कोआपरेट।

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन में सांड को लाल कपड़ा दिखा रहे हैं, कहावत कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Please, Co-operate.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I am co-operating.

श्री उपाध्यक्ष : No, You are not co-operating.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I am co-operating the minister.

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। प्लीज कोआपरेट। (व्यवधान) आपको थर्ड रीडिंग पर बोलने देंगे न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इससे ज्यादा को आपरेशन क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : एक दफा नियम टूटा फिर हमेशा के लिए कोई भी किसी भी समय संशोधन पेश कर देगा और कहेगा, मुझे बोलने दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसा कुछ नहीं है। कई बार रियायत होती है तो इसमें कोई नियम नहीं टूटता है। नियम काहे के लिए होते हैं ? नियम इसीलिए होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में बंधे हुए होते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रिलैक्सेशन... (व्यवधान) काहे के लिए देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कल यही बात हुई और आज भी यही बात है। आपकी प्रैक्टिस हो गयी कि आप लेट ही संशोधन पेश करते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : No, No, Never.

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या बात है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दो दिन तो चलते हैं आपको, आप यह देखिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, बिराजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बाकी यह कोई न्याय नहीं होगा। (interruptions) I am doing it.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे एक वायदा करता हूं कि आप मुझसे मेरे चैम्बर में मिल लें तो अगले सैशन में आपके इस अमैंडमैंट को लाने की कोशिश करूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसको ? अब ? वायदा भी करो तो ऐसा करो ताकि सत्य तो लगता हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बुलाएंगे नहीं हम।

श्रीमती कमला : उपयोगी हो तो हम मान भी लें।

श्री राजेन्द्र पारीक : इतना ही उपयोगी होता तो आठ वर्षों तक शासन में रहे लाये नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह हम लाये हैं वही है यह।

श्री राजेन्द्र पारीक : अनुपयोगी बात के लिए सदन में समय नहीं है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम इसे तैयार करके गये हैं। आप यहां तक आये ही इसलिए हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

खण्ड 2 से 9 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 9 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 9 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, (1999 का विधेयक संख्या–18) को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बोले।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यहां विधान सभा में बोलना ही एक काम रहता है तो आप इसको ऐसा क्यों लेते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : आज तो बहुत तैयार होकर आये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमेशा ही तैयार होते हैं हम तो। आप इसका फायदा ही नहीं उठाते हो हम क्या करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी काश्तकार ने मुख्त्यारनामा भी कर दिया तो आप उसको इस पंजे में ले आएंगे। मुख्त्यारनामा तो इस बात का होता है कि वह किसी व्यक्ति को अधिकृत करता है। कई बार काश्तकार समझदार नहीं होता, पढ़ा–लिखा नहीं होता, कई उसकी विवशताएं रहती हैं तो वह किसी भी अपने विश्वसनीय आदमी को अपने आधार पर काम करने के लिए मुख्त्यारनामा देता है। मुख्त्यारनामा चाहे काश्तकार दे, चाहे और कोई व्यक्ति दे वह देता तब ही है जब वह सारे काम को खुद अंजाम नहीं दे सकता। तो उस मुख्त्यारनामे के आधार पर ही आपने यह मान लिया कि जमीन को उन्होंने चेंज कर दिया और उसका अधिकार आप एक्सटिंग्विश कर देंगे तो यह ठीक नहीं है। माननीय शिवनाथ सिंह जी ने इस बात को रखा है। यह मुख्त्यारनामा शब्द आप इसमें से हटा दें। It is power of attorney only, कि मैं तो रहूंगा नहीं या मेरी क्षमता नहीं है, समझ नहीं है आप कर दीजिए उसको। उसका भी टर्मिनेट कर देंगे आप। मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह था कि इसमें से मुख्त्यारनामा शब्द हटा दीजिये और जो आपका क्लाज है उसके साथ यह जोड़ दीजिए।

दूसरा लिखा हैं, "परन्तु उक्त प्रकरण के निष्पादित विक्रय इकरार या विक्रय या अन्य किसी प्रकार से जिस किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि अन्तरित की हो, उसे विक्रय का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त न हुआ हो वह सम्मिलित नहीं मानी जाएगी।" आप भी एग्री करते थे इस बात से कि काश्तकार को अगर पूरा पैसा नहीं मिला तो वह महरूम हो गया न उससे। अब आपके कानून में मुझे यह व्यवस्था समझा दीजिए कि उसको पूरा पेमेंट हो जाए इसकी क्या गारंटी इस कानून के अन्दर दी आप ने। जैसा मैंने पहले कहा कि सोसाइटी ने पेमेंट पूरा नहीं किया,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सोसाइटी ने पूरा लाभ उठा लिया, जमीन बेच दी, पैसे कमा लिये। काश्तकार को पूरा पेमेंट नहीं किया, इसलिए वह अपनी टीनेन्सी सरन्डर करने के लिए जब ही जाएगा जब उसको पूरा पेमेंट होगा नहीं तो वह जाएगा नहीं और सोसाइटी पूरा पेमेंट करेगी नहीं। तो जो प्राब्लम आज है आपके सामने वह कैसे निपटाओगे, इस पर विचार करिये आप। जब तक काश्तकार नहीं आएगा, सरन्डर नहीं करेगा तब तक तो आप कुछ कर नहीं सकेंगे। आपने उसको आफ्टर आल जिंदा कर दिया। You can go to the Collector, apply there और अपना निर्णय करा लो, लेकिन सवाल यह है कि वह जाएगा ही क्यों ? वह तब जाएगा जब उसको पूरा पेमेंट होगा। पेमेंट करने का काम सोसाइटी का रहेगा। सोसाइटी पेमेंट करेगी नहीं तो वह जाएगा नहीं। तो फिर वह समस्या वैसी की वैसी बनी रह जाएगी। इसलिए उस पर विचार करने के लिए मैंने बात रखी थी उसका उत्तर अभी आप ठीक नहीं दे पाये। उसका समाधान निकालिये कि उसका पेमेंट कैसे करवाओगे आप क्योंकि जब तक वह नहीं आएगा यह आगे गाड़ी चलेगी नहीं। The problem will remain the same. यह जो प्राब्लम हमारी सरकार के सामने थी वह प्रोब्लम वैसी की वैसी है। उसका समाधान कोई मिला नहीं कि आप किस प्रकार से सोसाइटी को फोर्स कर सकते हैं कि वह पेमेंट करके आएगी। ऐसी कोई विधि आप बनाएं तब कोई काम चलेगा। ठीक है आज अमैंडमैंट आप न करें, अभी उसको मानें या न मानें लेकिन इस पर विचार करिये कि आप सोसाइटीज को कैसे मजबूर करोगे कि वह गरीब काश्तकार का पेमेंट तो करे। यह बड़ी प्राब्लम आएगी जो कई वर्षो से पैंडिंग है। जो राजेन्द्र जी कहते हैं ना भू–माफिया वहीं भू–माफिया है वह कैसे पकड़ में आएगा आपके ? Why he will make the payment ? मैं समझता हूं कि मेरी इस राय से माननीय इन्दिरा मायाराम जी सहमत होंगी क्योंकि You are also facing this problem. काश्तकार तो चक्कर ही खाता रहेगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं और न ही इस जमीन पर जिसने कब्जा कर लिया, मकान बना लिया उसको कुछ मिलेगा। बीच की जो कड़ी है जिसको आप भू–माफिया कहो, सोसाइटी कहो, कुछ भी कहो उस पर जब तक अंकुश नहीं होगा या उस पर मजबूरी नहीं होगी कि आप पूरा पेमेंट करके सर्टिफिकेट लाओ तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए उसके लिए आप कोई उपाय ढूंढ़िये। मेरा सुझाव यह था कि जब तक उसको पूरा पेमेंट नहीं हो जाए यह आपको तसल्ली नहीं हो तब तक उसकी जमीन रिज्यूम न करें। और वह नहीं करेंगे तो फिर वहीं समस्या खड़ी रहेगी आपके सामने। This is the problem.

फिर आपने कहा कि जिसका जमीन पर कब्जा है और उसके पास उसका कोई

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पट्टा है, कोई भी लैटर है या वह पजेशन में है तो आप जमीन देने की कोशिश उसी को करेंगे। बहुत अच्छी बात है लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया कि नीलामी भी होगी जमीन की। अलाटमैंट कर देंगे, पैसे उसको दे देंगे और किसी तरीके से तो ठीक है लेकिन यदि उसी भू–खण्ड को नीलाम किया आपने तो जो उस पर आज रहता है, कब्जा है जिसका, वह नीलामी में कैसे खरीदेगा उसको ? एक तो वह नीलामी में बिड लगाने की क्षमता ही नहीं रखता होगा। और मान लो किसी पड़ौसी ने या किसी व्यक्ति ने यह विचार कर लिया कि यह जमीन इसको तो मैं लेने ही नहीं दूंगा या खूद लेना चाहता है तो नीलामी में वह बढ़ चढ़ कर बोली लगाएगा। उसको तो लेनी नहीं है और वह जिसको आप लाभ पहुंचाना चाहते हो, जो आपने दया दिखायी है कि हम जिसका पजेशन है उसी को जमीन देंगे...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह नीलामी का प्रोविजन कहां पढ़ लिया आपने ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह आपके दोनों एक्ट में है, ये एक्ट हैं ना आपके।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पढ़ें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कहते हैं कि जो जमीन हमने ले ली हम उसी को वापस दे देंगे जिससे हमने ली है। अलाट भी कर सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं और नीलामी भी करेंगे उस जमीन की अगर तो उसके बाद क्या किया ?

श्री रामनारायण चौधरी : उसकी नीलामी कैसे करेंगे जिस पर वह बसा हुआ है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह एक्ट आपके हाथ में ही है, मुझे बता दे कहां पर है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I am coming that. जे.डी.ए. वाला देख लिजिये, जे.डी.ए. एक्ट है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे एक अर्ज कर दूं पढ़ने से पहले। यह जो काम जितना भी होगा यह 90 (बी) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत होगा। इसमें जे.डी.ए. एक्ट, यू.आई.टी. एक्ट और म्यूनिसिपल एक्ट में तो सिर्फ एक रैगुलराइजेशन वर्ड नहीं था इसलिए डाला गया है। अगर यह रैगुलराइजेशन वर्ड नहीं डालते तो आप जैसा एप्रीहैंशन करते है कि नीलामी करवाएंगे, नीलामी के अलावा कोई रास्ता नही रहता है तो अब नीलामी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, सारा जो कुछ होगा नियमितीकरण होगा, रैगुलराइजेशन होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Let us be clear.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहीं पर भी नीलामी नहीं होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं वह पढ़ना चाहता हूं, आप सुन तो लें। यह आपका पेज 25 है अंग्रेजी वाला, 54 "बी"

"Allotment, regularisation etc. of certain lands:-

(1) All lands which are deemed to have been placed at the disposal of the Authority under section...upon resumption or surrender of tenancy rights and interest of khatedars thereof, as the case may be, shall be availably for allotment, regularisation or auction preferably to the persons having possession over such land..."

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको ध्यान होगा...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह लाइन तो समझ में आ गयी न आपको ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी अर्ज सुन ले आप। जे.डी.ए. एक्ट भी खूब पढ़ा होगा आपने, यू.आई.टी. एक्ट भी पढ़ा होगा और म्युनिसिपैलिटी एक्ट भी पढ़ा होगा, उसमें सिर्फ दो वर्ड थे–एक तो था आक्शन और दूसरा था अलाटमैंट। और यह काम चूंकि चुकता रैगुलराइजेशन का है इसलिए इस रैगुलराइजेशन वर्ड को जोड़ने के लिए इन तीनों एक्ट में परिवर्तन लाया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो अच्छा किया आपने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रैगुलराइजेशन ही होगा सारा। कहीं भी कोई सेल नहीं होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें जो लिखा है कानून में...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 54 "बी" में लिखा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 54 "बी" में तो रैगुलराइजेशन वर्ड जोड़ा है। आप सब क्लाज–1 पढ़िये ना इसका, आप सीधा बी पर आ गये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आक्षेप ही रह गया ना इसमें।

Ram Narainji, You will bear with me, Sir.

"..Upon resumption or surrender of tenancy rights and interest of khateders thereof, as the case may be, shall be available for allotment, regularisation or auction preferably to the persons having possession..." अब इसका क्या मतलब हुआ ?

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर नीलामी क्या हुई ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं समझता हूं कि यह कोई विवाद का विषय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नहीं है। हो सकता है कि मैं इसको ठीक नहीं समझा पा रहा हूं या आप इसको ठीक नहीं समझ पा रहे होंगे। यह आक्शन शब्द प्राब्लम पैदा करेगा, बाकी तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, अगर वह आदमी कह देगा कि मुझे तो अलाटमैंट चाहिए, आक्शन चाहिए तो फिर रैगुलराइज नहीं होगा ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रैगुलराइज ही होगा, साहब रैगुलराइजेशन के अलावा कुछ नहीं होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब इसमें से आप ये दोनों वर्ड हटा दीजिये। (व्यवधान) आपके पास तीनों प्रोविजन हैं तो आप एक ही के लिए कैसे बाध्य करोगे कि आप तो रैगुलराइजेशन कराओ ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह 90 "बी" पढ़िये न आप, उसमें रैगुलराइजेशन ही है जो कुछ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो इसमें तो सारी प्रक्रिया रैगुलराइज कर रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सारी प्रक्रिया जो चलेगी वह 90 "बी" के तहत चलेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो फिर आक्शन और अलाटमैंट..

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह तो सिर्फ इसलिए कि...

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, फिर आक्शन और अलाटमैंट Should be deleted from these paras.

श्री उपाध्यक्ष : आप तो आक्शन दे रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं होगा ना। क्या यू.आई.टी. कभी किसी प्लाट को आक्शन नहीं करा करेगी ?

मोहम्मद माहिर आजाद : तो फिर आप यह क्यों कह रहे हैं कि नहीं करेगी ? (व्यवधान) तीनों चीजें होंगी, एक ही थोड़े होगी ? दूसरे मामले में खाली रैगुलराइजेशन ही होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे कह चुका हूं कि आप थोड़ा–सा समझिये। माहिर आजाद साहब, मुझे को आपरेट कीजियेगा। प्लीज आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी प्लाट्स के स्ट्रक्चर्स हैं, भू–खण्ड है एग्रीकल्चर लैण्ड के अग्रेषित प्रयोजनार्थ काम में ले लिये हैं, यह सब टोटल केस नियमितीकरण का है, रैगुलराइजेशन का है। इसमें आक्शन एक प्लाट का नहीं होगा और ना किसी और तरीके से कोई दूसरा करेगा। मैं कह चुका आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसा करिये, इसको ऐसा क्लीयर कर दीजिए क्योंकि केवल यहीं नहीं है यू.आई.टी. एक्ट में भी है यही और म्युनिसिपैलिटी एक्ट में भी यही अमैंडमैंट है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तीनों एक्ट में रैगुलराइजेशन वर्ड जोड़ने के लिए ही अमैंडमैंट लाया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आक्शन भी है उसमें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वर्तमान प्रावधानों में यह रैगुलराइजेशन वर्ड है ही नहीं, इसीलिए लाया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो मान ली आपकी बात, यह तो अच्छा किया आपने, परन्तु यह आक्शन शब्द तो है ना इसमें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : होता है यह। यू.आई.टी. अपनी लैण्ड को आक्शन करती और अलाट करती आई हैं। ये दो वर्ड तो पहले से चले आ रहे हैं। इसमें सारा का सारा...

श्री भंवरलाल शर्मा : चलिये, बिलकुल ठीक है। मैं आक्शन को मना नहीं कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रैगुलराइजेशन होगा इसलिए इस वर्ड को जोड़ा गया है, आप इस बात को समझिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप मेरी बात को समझ लें। मैं आक्शन पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। आक्शन की जमीन होगी... (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : आक्शन की बात आ जाती है। जिस आदमी के पजेशन में है उसको देने के बाद में फिर वहां पर आक्शन कहां आ गया ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह आक्षेप है। वह नहीं निकाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : आपके कहने से नहीं मिटता है जो कुछ (व्यवधान) आपने स्पेसिफिकली इसमें लिख दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसको बचा दीजिए खाली।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम भी तो माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन कर रहे हैं..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : बेशक रैगुलराइजेशन नहीं था अब जोड़ रहे है तो आप उसमें से आक्शन और अलाटमैंट को डिलीट कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शिवनाथ सिंह : आपकी मंशा से कुछ नहीं होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपकी मंशा से आपत्ति नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप जिस व्यक्ति को लाभ पहूंचाना चाहते हो उसके लिए आक्शन हटा दीजिए। आक्शन तो रखिये लेकिन जिसको आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं उसमें आक्शन शब्द मत जोड़िये, इतना सा निवेदन है। बाकी जमीन तो आक्शन से नीलाम होगी ही होगी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

क्यों नहीं होगी ? वह तो नगरपालिका नीलाम करेंगी।

श्री शिवनाथ सिंह : आप जो कहते हो ठीक है, आपकी मंशा ठीक हो सकती है लेकिन वहां कोर्ट को इन्टरप्रेट करेंगे वर्ड से करेंगे, जो कुछ कानून में लिखा जाएगा उससे करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ला डिपार्टमेंट से कन्सल्ट कर लेना चाहिए कि ये जो वर्ड हैं ये कंफ्यूजनिंग हैं और कन्ट्रोवर्सी पैदा कर सकते हैं। बाकी आप तो करोगे और हम ना करेंगे। यह कोई भी कम नहीं पड़ता है लेकिन ऐसा बिल, ऐसा कानून बने जो कोर्ट को एन्टरप्रेट करने के बाध्य होना पड़े। कोर्ट अदर वाइज एन्टप्रेट न करे हमारी मंशा के खिलाफ है इसलिए इसको क्लीयर करने में दिक्कत क्या है आपको ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हरिसिंहजी आप विराजमान हैं, आप कानून के ज्ञाता हैं, यह तो कोई पार्टी का मामला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष :माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम जो बात कह रहे हैं वह ठीक है तो एडवाइज योअर कलीग्स कि इसको हटा देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, जब आपकी मंशा रैगुलराइजेशन की है तो फिर आप ये दो शब्द क्यों रखना चाहते हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब से यू. आई.टी. एक्ट बना है, जब से जे.डी.ए. एक्ट बना है और म्युनिसिपैलिटी एक्ट बना है...

श्री उपाध्यक्ष : सदन को यह आशंका है कि यह वर्ड रखने से कंफ्यूजन पैदा होगा इसका लाभ एडमिनिस्ट्रेशन उठाएगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं उठाएगा, साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। रैगुलराइजेशन होगा सारा का सारा।

श्री उपाध्यक्ष : आक्शन दे रहे हो तो उठाएगा। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सारा का सारा रैगुलराइजेशन, मैं अर्ज करूं आपसे कि ये प्रोवीजन नहीं होंगे...

श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह एनेबलिंग क्लाज डाला गया है। आक्शन और अलाटमैंट के पहले से ही प्रोवीजन है। अब जहां पर लोकल अथोरिटी यदि आक्शन से कोई कार्य करती है तो वहां आक्शन का प्रोविजन लागू होता है, जहां रैगुलराइजेशन की जरूरत होती है वहां रैगुलराइजेशन को एन्टरप्रेट किया जाएगा। इसलिए अलग–अलग सभी प्रोविजन्स रहने आवश्यक हैं, उनको डिलीट नहीं किया जा सकता।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सूरजगढ़ से आने वाले सदस्य और मंत्रीजी दोनों की राय में बहुत फर्क है। माननीय

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मंत्रीजी ने कहा कि केवल रैगुलराइजेशन होगा, इन्होंने कहा...(व्यवधान) आप प्रोसीडिंग देखिये। और उन्होंने यह बिलकुल ठीक कहा... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरी बात सुनिये। आप समझ ही नहीं रहें, माहिर आजाद साहब, मैं समझा दूं आपको आप को–आपरेट कीजिए। जब से जे.डी.ए. एक्ट बना है, जब से यू.आई.टी. एक्ट बना है और म्युनिसिपैलिटी एक्ट बना है वे हमेशा अपनी जमीनों को या तो अलाट करते थे या आक्शन करते थे। ठीक है ना। यह प्रोविजन उसमें रैगुलराइजेशन का नहीं था। यह रैगुलराइजेशन का वर्ड हमने इसलिए जोड़ा है कि इन तीनों में यह चूकती प्रोसीडिंग है जो वह रैगुलराइज की जाएगी। अगर उसमें से आक्शन वर्ड जैसा आप फरमा रहे हैं, हम हटा देते हैं तो फिर कभी जे.डी.ए., यू. आई.टी. या म्युनिसिपैलिटी अपनी जमीनों को आक्शन कर ही नहीं पायेगी। कभी नहीं कर पाएगी। वे लोग...

मोहम्मद माहिर आजाद : जो पजेशन है उसके लिए तो साफ–साफ प्रोविजन है। खाली लैण्ड पर आप आक्शन ही करेंगे। जिस पर कोई काबिज ही नहीं है। रैगुलराइज किसको करेंगे आप ? यह आप हमको गलत मत समझाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे बोलने दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जो आदमी आलरेडी वहां एग्जिस्ट है उसके लिए.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आज जवाब देने लायक नहीं हैं, मंत्रीजी सक्षम हैं, आप बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो कन्फ्यूज हो रहे हो खुद ही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, एक बात...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कहां होती है बुद्धि पता है क्या ? बुद्धि कहा होती है, यही नहीं पता।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य, यह आपकी समझ से बाहर की चीज है। पारीक साहब, यह आपकी समझ से बाहर की चीज है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसीलिए तो ज्ञानवर्द्धन कर रहा हूं। बुद्धि कहां होती है, बताएं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको पता नहीं है। आई एम नाट एलएल.बी. बट एल. एल.एम.।

श्री राजेन्द्र पारीक : एलएल.एम. ?

मोहम्मद माहिर आजाद : हां। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह बहुत इम्पोर्टेंट मसला है इसको कन्फ्यूज मत करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ज्ञानवर्द्धन कर लूं। बुद्धि कहां होती है, यह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरा आपसे अनुरोध है कि यहां जितने भी माननीय सदस्य आते हैं, सब बुद्धिमान और विद्वान है। किसी भी प्रकार से किसी को अपमानित करने के लिए, लांछित करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न किया जाए कि यह आपी समझ से बाहर है, बुद्धि नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया ध्यान रखिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेहरबानी करके कार्यवाही से ये शब्द निकाले जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी भाषा का उपयोग कीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : संसदीय भाषा का प्रयोग किया जाए। किसी को नीचा दिखाने के लिए...

मोहम्मद माहिर आजाद : कैसे बर्दाश्त करेंगे ? सर्टिफिकेट ले आओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। इनको बोलने दीजिए न। आर्डर आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : राजेन्द्र पारीक साहब वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन इस सत्र में पता नहीं इनको क्या हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंहजी। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको एक तख्ती पर लटका कर आना चाहिए था ताकि मुझे ज्ञान हो जाता कि आप एलएल.एम. हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो अपना ज्ञानवर्द्धन कर रहा था कि डबल एलएलएम. हैं। आपस में क्यों उलझ रहें हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों, इसको लाइटली मत लिजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बैठिये ना तो। (व्यवधान) आपस में क्यों उलझ रहे हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : इसको मजाक में ले रहे हैं। मैं कहां उलझा हूं। मैंने आपके माध्यम से मंत्रीजी से कोई बात कही, ये बीच में इंटरवीन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझसे बात करो ना।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है। जितना माननीय सदस्य को है उतना का उतना अधिकार मुझे है बोलने का। मैं तो अपना ज्ञानवर्द्धन कर रहा हूं, माननीय सदस्य यह बताए कि बुद्धि होती कहां है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, प्लीज बीयर विद मी। थोड़ा इसमें दिक्कत है। शायद कंफ्यूजन होगा। हम यह नहीं चाहते कि आज से हटा दो आप क्योंकि यू.आई.टी., जे.डी.ए., नगरपालिका जमीन विभागों से पूछेगी। यह आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि जिन लोगों का पजेशन है उनका आप हैल्प करना चाहते हो कि हम आपका पजेशन मानेंगे और आपको जमीन देंगे। हम आपको अलाट करेंगे, रैगुलराइजेशन करेंगे। उसमें आक्शन जोड़ दिया आपने। तो यह आक्शन उन पर भी लागू हो गया। बस इतना–सा अन्तर है इसमें। आक्शन के लिए आप समझ रहे हो कि आक्शन नहीं करेगी, किसी का नहीं करेगी। खूब करो ना आप। ऊंची रेट पर करो। पर मेरा निवेदन यह है कि जो जमीन का मालिक है जिसको आप मदद करना चाहते हो, उसको अलाटमैंट से रैगुलराइज कर दीजिए, आक्शन हटा दीजिए। इतना सा सुझाव है खाली। अब आप आक्शन को कि साहब हटा कैसे दें। मत हटाइये, वह ठीक है। आक्शन तो होगा ही होगा। जिस व्यक्ति को आप मदद करना चाहते हो उसको आप अलाट करिये, रैगुलराइज़ करिये। उसको आक्शन में जमीन दोगे, यह आपत्ति है हमको खाली। इतनी–सी बात हैं उसको बचा दीजिए। आप बाकी खूब आक्शन करिये ना।

श्री शिवनाथ सिंह : मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि आक्शन वर्ड हमेशा से रहा है कानून में, लेकिन उसका रिलेशन किसी से होता है। यहां आप कहते हो कि यह मामला सिर्फ रैगुलराइज करने का है तो हम यह चाहते हैं कि रैगुलराइज जिस जमीन को किया जाए उसके रिलेशन में आक्शन शब्द नहीं आए। अब आप जो आक्शन रख रहे हो वह रैगुलराइज़ लैण्ड है उसका आक्शन भी हो सकता है, अलाटमैंट भी हो सकता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ला डिपोर्टमैंट से राय लेकर सूटेबल वर्ड उसमें इन्टरप्रेट कर दो। हम चाहते हैं कि रैगुलराइज लैण्ड जो आक्यूपाइड है उसको देनी है। आक्शन में झगड़ा नहीं पड़ जाए, यह हम चाहते हैं, सिर्फ उसको आप कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं कि ये पुराने वर्ड है जो वर्तमान प्रावधानों में आज भी मौजूद हैं अलाटमैंट के बाबत् और आक्शन के बाबत्। बहुत स्पष्ट बात है कि कभी कोई जे.डी.ए. या यू.आई.टी या म्युनिसिपैलिटी अपनी ही जमीन को अलाट करती है और अपनी ही जमीन को आक्शन करती है। ये जमीने उनकी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह उससे प्रासंगिक नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह उससे प्रासंगिक है ही नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार के सर्कुलर्स निकाल दिये जाएंगे। ताकि कोई भी एप्रिहैंशन नहीं रहे। अलावा इन जमीनों पर कोई अगर कंफ्यूजन है आपको ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह एक ऐसा कानून जाएगा, इसी को इन्टरप्रेट करेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कानून ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके इस सर्कुलर की सैंक्टिटी नहीं रहेगी। (व्यवधान) कानून के सामने... (व्यवधान)

(15.00 बजे)

मोहम्मद माहिर आजाद : निहायत अदब से आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अधिसूचना से, अध्यादेश से या नियम और उप नियमों से ला को सुपरसीड कर सकते हैं ? ... (व्यवधान) आप ला अमैंड कर रहे हैं ला जब बन गया तो उसको अपने अध्यादेश से आप सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। इसमें ला सुपरसीड करेगा वही होगा। इसलिये यह जो आप बात कह रहे हो, आपकी यह बात व्यावहारिक नहीं है। हमारा भी उपाध्यक्ष महोदय, केवल मात्र इतना–सा निवेदन है कि खाली लैंड आप आक्शन नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, अलाट नहीं करेंगे तो लोगों को राहत कैसे मिलेगी, लेकिन जो काबिज हैं, जयपुर शहर में, मैं आपको बताता हूं कि हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं, जो 50–50 साल से काबिज हैं, अब आप उनको क्या आक्शन करेंगे ? इसलिए जब आपकी मंशा साफ है कि आप रैगुलराजेशन के जरिये उनको राहत पहुंचाना चाहते हैं तो फिर इसमें आक्शन और रैगुलराइजेशन से भ्रांति होगी। इसलिये कम से कम जो पजेशन वाली जमीन है उस पर आप इसको एक तरफ रखिये, इसको हटा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात को समझ रहें हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय मंत्रीजी की मंशा है उससे हम सहमत हैं इसलिये जो कुछ आप जबानी यहां कह रहे हैं वह नीचे इस सैक्सन के एक्सप्लेनेशन में जोड़ दीजिये। मामला साफ हो गया। वरना आप जो यहां कहते हो, हम जो यहां कहते हैं कोर्ट उससे बाउंड नहीं है। आपकी मंशा क्या है उससे कोर्ट बाउंड नहीं है। नीचे एक्सप्लेनेशन जोड़ दीजिये कि वह उन जमीनों पर लागू नहीं होगा आक्शन फैसला हो गया, झगड़ा मिटा। दिक्कत क्या है उसमें ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक्सप्लेनेशन इसमें कई बार जुड़े हैं, एक लाइन और जुड़ जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, तीन तरह की बातें हैं। एक तो होती है वैकेंट लैंड। ऐसी वैकेंट लैंड जो किसी के पजेशन में नहीं हो...

श्री उपाध्यक्ष : उसको आप आक्शन करो। हक कब कह रहे हैं कि अलाटमैंट करो ? इसमें कोई आब्जेक्शन थोड़े ही है इनको ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह तो होती है आक्शन। मैं वहीं अर्ज कर रहा हूं आपसे। मैं आपको वही स्थिति बता रहा हूं कि एक होती है वैकेंट लैंड जो किसी के पजेशन में नहीं हो। वह तो होती है आक्शन, ठीक है। (व्यवधान) मेरी अर्ज तो सुनिये, साहब। मैंने बहुत तसल्ली से सुना आपको। दूसरी लैंड होती है जो किसी न किसी के पजेशन में होती है। वह होती है अलाट। ऐसी जमीन जिस पर कोई स्ट्रैक्चर खड़ा हो गया हो, क्या उसको आक्शन किया जा सकता है ? वह हमेशा रैगुलराइज ही होगी। यह बहुत साफ बात है कि जिन पर सट्रक्चर खड़े हो गये उसको रैगुलराइज ही किया जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर आप यह लिख ही क्यों रहे हैं। जब यह होगा ही नहीं तो फिर आप यह लिख ही क्यों रहे हो ? फालतू चीज को लिख ही क्यों रहे हो ? जो फालतू चीज है इसको आप एक्सपंज कर दीजिए, इसमें से डिलीट कर दीजिये। बिना काम की चीज आप यहां रख रहे हो। यह कोई काम की चीज ही नहीं है, इसका समावेश ही क्यों कर रहे हो ? इसमें क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री शिवनाथ सिंह : यह नीचे एक्सप्लेनेशन..(व्यवधान) हमें तो होता है। हर कामों में होता है। नीचे आप एक्सप्लेनेशन दे दो उसमें। वह तो करनी पड़ती है। एक्सप्लेनेशन जोड़ने में आपको कठिनाई क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय मंत्रीजी, आप इसमें यह जोड़ दीजिए कि जो लैंड पजेशन में है वह रैगुलराइज ही होगी, आक्शन या अलाट नहीं होगी

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कृपया। आफिशियल अमैंडमैंट चला जाएगा लकिन आप यह बताइये ? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताएं कि किस सैक्शन में जोड़ा जाए इसको ?

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रोविजो में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह भी मेरे ऊपर ही बर्डन है। वह बर्डन भी मेरे पर है।

श्री शिवनाथ सिंह : आपके पास ला डिपार्टमैंट है उनसे पूछिये। हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं। ला डिपार्टमैंट है उनसे पूछिये, और किसलिये बैठे हैं वहां पर।

(श्री शिवनाथ सिंह)

उनसे पूछिये कहां जोड़ा जा सकता हैं। ला डिपार्टमैंट से पूछिये, वहां पर बैठे हुए हैं, वे बताएंगे आपको।

श्री राजेन्द्र पारीक : कहां जोड़ना है ये बता देंगे आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अमैंडमैंट दिया हआ है मैंने तो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो आप यह देख लें कि यह एक्सप्लेनेशन नम्बर वन है जिसमें वन फिफ्थ पार्ट है जो उसके लिये छोड़ा गया था, फाइव हंडरेड स्कवायर वार्ड एग्रीकल्चर के लिये छोड़ा गया। नम्बर दो जो है इसका, वह है म्युनिसिपल लिमिट्स का कि म्युनिसिपल लिमिट्स तक यह हुआ। नम्बर तीन जो एक्सप्लेनेशन जुड़ जाएगा इसमें साफ–वाफ आ जाएगा कि इस प्रकार से हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या–18) को पारित किया जाए ?

श्री तैयब हुसैन : एज अमैंडेड।

श्री उपाध्यक्ष : अमैंडमैंट तो लगाएंगे जब।

श्री तैयब हुसैन : हां तो एज अमैंडेंट हो गया ना।

श्री उपाध्यक्ष : अमैंडमैंट तो पेश करें जब है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर मतलब क्या हुआ।

मोहम्मद माहिर आजाद : बाकी तो आफिशियल अमैंडमैंट मंत्रीजी ने कह दिया और क्या अमैंडमैंट चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, अमैंडमैंट आएगा तब करेंगे ना।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह पास हो गया जिस रूप में भी रख दिया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मंत्रीजी ने अमैंडमैंट रख दिया।

श्री उपाध्यक्ष : Let the amendment come.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सर्कुलेट जरूर नहीं हुआ लेकिन अमैंडमैंट तो रख चुका मैं। केवल एक्सप्लेनेशन..

श्री उपाध्यक्ष : As amended by you ?

श्री तैयब हुसैन : It shall come as amended.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या–18) संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या–18) संशोधित रूप में पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 1999 (1999 का विधेयक सं.–25)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी अर्ज सुनिये, साहब। यह विधेयक तो पास हो गया लेकिन मुझे इसकी रेट्स अनाउंस करनी थीं। आपकी इजाजत हो तो रेट्स अनाउंस कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किन रेट्स पर होगा। रैगुलराइजेशन जयपुर में शुरू हो रहा है फर्माएं सबसे पहले राजस्थान में तो किन रेट्स पर होगा, इसको आप फर्माएं तो मैं अनाउंस कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : हम कहां रोक रहे हैं ? आपने ही तो कहा पास करो।

मोहम्मद माहिर आजाद : पास हो गया ~~यह~~ तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप डेट्स अनाउंस करें इसमें कोई बात नहीं परन्तु मैं निवेदन करना चाहूं, यह बिल का हिस्सा है क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बिल तो हो चुका पास। बिल तो हो चुका आपकी कृपा से पास।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : He can give the statement any time.

शासकीय वक्तव्य

जयपुर शहर में नियमितीकरण हेतु वसूल की जाने वाली दरें

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, नियमितीकरण हेतु वसूल की जाने वाली राशि के सम्बंध में निवेदन है कि इस प्रकार के रैगुलराइजेशन 18.2.94 को भी हुए और 23.4.987 को भी हुए। जयपुर शहर करीब–करीब उस वक्त भी पांच जोनों में बंटा हुआ था और मैं जो आज रेट्स आपकी आज्ञा के सदन में घोषित कर रहा हूं ये रेट्स सिर्फ जयपुर शहर के बाबत हैं, क्योंकि नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वह हम जयपुर से शुरू करना चाहते हैं।

मेरा अर्ज करना यह था कि 1994 में जोन फर्स्ट में 64 रुपया चार्ज किया जाता था सामान्य शुल्क के बतौर 24 रुपया और विकास शुल्क के बतौर 40 रुपया, कुल मिलाकर 64 रुपया। आज हमने जो रेट्स रखी हैं यहां पर.. (व्यवधान) वर्ग गज, और 97 में इसके दाम थे 94 रुपया 50 पैसा लेकिन आज हमने जोन वन में जो 200 वर्ग गज के नीचे के प्लाट्स है उनका दाम रखा है 65 रुपया और 200 वर्ग गज से अधिक के प्लाट्स हैं उनका दाम रखा है 90 रुपया। यानि कि 94 और 97 की तत्कालीन सरकार ने जो रेट्स रखे थे, हमने उनसे भी कम रखे हैं।

ठीक इसी तरीके से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जितने भी प्लाट्स है उनको...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें विकास शुल्क भी शामिल है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें पैनल्टी शामिल है, ब्याज शामिल है, यह शामिल है, वह शामिल है, सब कुछ शामिल है।

इसी तरीके से कंवर्जन जोन टू में सन् 1994 में जो रेट्स थे वे थे 58 रुपया और सन् 1997 में जो रेट्स थे वे थे 84 रुपया, जब कि अब के रेट रखी गई हैं 200 वर्ग गज के नीचे 60 रुपया वर्ग गज और 200 वर्ग गज के ऊपर के 80 रुपया वर्ग गज। वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ तिगुने दाम।

जोन तीन में जो पहले रेट्स थे 1994 में वे 52 रुपये थे और 1997 में 68 रुपये 25 पैसे थे। अब रखे गये हैं 5 रुपया और 65 रुपया। 200 वर्ग गज के लिये 55 रुपया और 200 वर्ग गज से ऊपर 65 रुपये।

ठीक इसी तरह से जोन चार में भी 50 रुपया और 60 रुपया जो कि उस वक्त के दामों से 10 रुपये या 11 रुपये कम थे।

जोन 5 में 45 रुपया 200 वर्ग गज से नीचे और 200 वर्ग गज से ऊपर 50 रुपया।

जयपुर नगर निगम, जयपुर सीमा से 5 किलोमीटर तक जिसमें जे.डी.ए. प्रभावशील है वहां की रेट्स रखी गयी हैं 40 रुपये और दूसरी के भी 40 रुपये। 200 वर्ग गज के भी 40 रुपये और 200 वर्ग गज के ऊपर के भी 40 रुपये।

सीमा से 5 किलोमीटर के बाहर का जो क्षेत्र है वहां पर सिर्फ 5 रुपये वर्ग गज और 200 वर्ग गज से ऊपर के भी सिर्फ 5 रुपये।

वे जमीनें जो कि अल्सर से प्रभावित हों, चाहे एग्रीकल्चर लैण्ड की सीलिंग से प्रभावित हों और चाहे लैण्ड ओनर्स की भूमियों से प्रभावित हों, उनके लिए भी वहीं के वही रेंट्स रखे गये हैं जो मैने आपके समक्ष पढ़कर सुनाये गये हैं।

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जो व्यावसायिक दुकानें और शोरूम बने हुए हैं, उनकी रेट्स रखीं है एवं वर्ग फुट के लेकर 110 वर्ग फुट तक 5 रुपया लमसम, 11 वर्ग फुट से ऊपर से चाहे जितने भी हों उनका 20 हजार रुपया फी दुकान।

राजकीय भूमि जो कि चाहे सिवाय चक हो, चरागाह हो या अवाप्ति की भूमि हो और जिसका मुआवजा दिया जा चुका हो, उन भूमियों के लिये आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु दो दर रखी गयी है उस क्षेत्र की आरक्षित आवासीय दर का 25 प्रतिशत या 300 रुपये वर्ग गज जो भी अधिक हो। ठीक इसी प्रकार से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जो रखी गयी है इन्हीं जमीनों पर वह उस क्षेत्र की आरक्षित वाणिज्यिक दर का 25 प्रतिशत या एक हजार रुपये प्रति वर्ग गज जो भी अधिक हो।

मैं सदन में आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अवाप्तशुदा भूमि में

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि भूमि की अवाप्ति के लिये भुगतान की गयी मुआवजा राशि से वसूल की जाने वाली राशि कम नहीं हो। ऐसी स्थिति में जहां भुगतान किये जाने वाली मुआवजा राशि की उक्त दरों से ज्यादा हो वहां नियमन के लिये देय मुआवजा राशि प्लस विकास शुल्क के बराबर देय होगी। उपरोक्त दरों के आधार पर वसूली योग्य कुल राशि में से पूर्व में जो राशि जमा करा दी गयी है, आपका यह एप्रिहैंशन था कि पहले जो कन्वर्जन जमा करा दिया गया है उनसे दुबारा से कन्वर्जन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उपरोक्त दरों के आधार पर वसूली योग्य कुल राशि में से पूर्व में जमा करायी गयी राशि समायोजित करा ली जाएगी। इस हेतु पूर्व में जमा राशि का मूल चालान प्रस्तुत करना पड़ेगा। जिन योजना भू–खण्डधारियों ने राशि जमा कराने की तिथि को तत्समय प्रचालित आदेशों के साथ पूर्ण राशि जमा करा दी हो उनसे नई दरों से राशि नहीं ली जाएगी और पट्टा जारी कर दिया जाएगा, परन्तु अधिक जमा राशि यदि कोई हो तो वापस नहीं लौटाई जाएगी। पूर्व में जिन प्रकरणों में रूपांतरण प्रक्रिया पूर्ण होकर पट्टाभिलेख या आवंटन जारी हो गये हों, ऐसे प्रकरणों को पुनः दुबारा नहीं खोला जाएगा। घोषित क्षेत्र में तय की गयी समय सीमा में समस्त आवेदकों को नियमन हेतु देय राशि 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी और समयावधि समाप्त होने पर निर्धारित अवधि तक 50 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। अगर इस पर भी वह नहीं पहुंचता है तो निर्धारित अवधि तक नियमित नहीं कराने पर निर्धारित दर से दुगनी दर वसूल की जाएगी।

मैं समझता हूं कि विपक्षी सदस्य नियमितीकरण के इस प्रोग्राम में पूरा साथ देंगे। आपको यह ध्यान होगा कि 2 हजार से ऊपर कोआपरेटिव सोसाइटीज जयपुर में स्थित है और एक–एक कोआपरेटिव सोसाइटी के 200–200 प्लाट है। यानि कुल मिलाकर 4 लाख कोआपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा जो बेचे गये प्लाट है, उन पर आज वे लोग काबिज है जो पट्टे की तलाश में है, नियमितीकरण की तलाश में है। कुलमिलाकर राजस्थान भर में दस लाख आदमी इससे इफैक्टेड होंगे और 8 करोड़ वर्ग गज अकेले जयपुर में जमीन और कुलमिलाकर पूरे प्रदेश में 20 करोड़ वर्ग गज जमीन इससे नियमित होगी। मैं आशा करता हूं कि आप इस नियमितीकरण में साथ देंगे... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं पूर्व मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करूंगी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये पूर्ण रूप से पट्टे देंगे या लीज पर उठा रहे है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पूर्व मंत्री महोदय, भंवरलाल शर्माजी, अब कम से कम खड़े होकर धन्यवाद दीजिए जयपुर की तरफ से, इतना बड़ा काम आप नहीं कर पाये जो हमनें किया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने जो स्टेटमैंट् अभी दिया है, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान चाहूंगा कि इन्होंने रैगुलराइज करने के लिए पहले की अपेक्षा कम रेट पर जो दर घोषित की है उसका तो मैं स्वागत करता हूं। आपके माध्यम से केवल एक बार जानना चाहता हूं कि यह अलग-अलग जोन के लिए जो अलग–अलग दर रखी हैं आखिर यह लोगों में वर्गीकरण क्यों किया है, कृपया यह बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कालोनियों को डिफ़ाइन किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसका ? स्वायत्त शासन मंत्रीजी जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एरिया जो वर्गीकृत किया है ना। इन्होंने डिफाइन किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कैसे ? नहीं, जोन वाइज जो किया है वह अलग–अलग दर क्यों रखी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जोन अलग–अलग डिफाइन किये है। एक जमीन सिविल लाइन्स में है और एक जमीन झोटवाड़ा में है तो फर्क तो पड़ेगा ही।

मोहम्मद माहिर आजाद : जमीन के हिसाब से किये है ?

श्री उपाध्यक्ष : और किससे होता है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : एरिये के हिसाब से...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह कानूनी पेचीदगी है। जब गज का नाप ही हमने बन्द कर दिया तो यह गजों में क्यों दिया जा रहा है, मीटर में क्यों नहीं दिया जा रहा है ? आज अगर कोई भी कपड़े का व्यापारी गज में कहीं नापता हुआ पकड़ा जाता है तो माप–तौल अधिनियम में उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती है। फिर गज का माप क्यों दिया जा रहा है, मीटर में क्यों नहीं दिया जा रहा है ? यह कानूनी पेचीदगी है।

श्री उपाध्यक्ष : राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक, 1999 डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे की राष्ट्रिय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इसको वहां तय ही नहीं कर रहे हैं। गज और मीटर में फर्क है। गज का तो माप ही बन्द हो गया है। हमारे यहां पर गज का तो कोई माप ही नहीं है। (व्यवधान) मीटर का माप शुरू हुआ

(श्री राजेन्द्र पारीक)

तो गज का माप ही बन्द है।

श्री रामनारायण चौधरी : वर्ग गज का बन्द नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999

डा. जितेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या–25) को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री राजेन्द्र राठौड़। (अनुपस्थित) श्री मदन दिलावर। (अनुपस्थित), श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999 है इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए, यह मेरा प्रस्ताव है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूनीवर्सिटीज बने, इसका तो हम स्वागत करेंगे, राजस्थान में कमी है। लेकिन इतना बड़ा कानून हड़बड़ी में पास करें और आगे हमारे सामने कठिनाइयां आये आज हमारे जो विश्वविद्यालय बने हुए हैं उनके सम्बन्ध में जब हम सुनते हैं तो सोचने को बाध्य होना पड़ता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कोई कानून हम बनाये वह बहुत सोच–समझकर बनाना चाहिए। आज राजस्थान के विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा होती है। किसी समय राजस्थान यूनिवर्सिटी देश में बहुत सम्मान के साथ देखी जाती थी। आज हमारी हालत दूसरे प्रदेशों में और यहां के जो निकले हुए स्नातक है उनके बारे में चिंताजनक स्थिति हमारे सामने आती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी कानून हम आज बनाए वह हमारी पूर्व में जो कमियां है उनको दूर करते हुए बनाएं।

इसमें सलैक्ट कमेटी के लिये मेरा प्रस्ताव मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं कुछ क्लाजेज के लिये ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे हमारी बात से कन्विंस हो तो इसको प्रवर समिति को सौंप दे। क्योंकि कोई ज़ल्दी नहीं है और बड़ा बिल है, 50 या 55 इसमें क्लाजेज हैं। राष्ट्रीय नाम हमने इसको दिया है। माननीय मंत्री महोदय ने पेश करते वक्त हमें यह जानकारी नहीं दी कि राष्ट्रीय नाम किस उद्देश्य से जोड़ा गया है। न इसके एम्स और आब्जैक्ट्स कहे हैं। अच्छा नाम है लेकिन इसके पीछे भावना क्या है ? दूसरी, हमारी जो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें किसी के भी नाम राष्ट्रीय नहीं है। इसका मतलब यह है कि या तो इसमें कोई विशेषता है, दूसरी यूनिवर्सिटीज से कोई विशेष बात इसमें है इसलिए राष्ट्रीय नाम

(श्री शिवनाथ सिंह)

जोड़ा गया है या इसके जूरिस्डिक्शन में कहीं न कहीं कुछ विशेषता होगी। इसलिए कृपया मंत्री महोदय, अपने जवाब में इस राष्ट्रीय नाम के महत्व को हमें बतलाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक जो बड़ा डीविएशन हुआ है यहां, आज तक हमारी सब यूनिवर्सिटीज में चांसलर है। वे महामहिम राज्यपाल है। इस बिल के प्रावधान के अनुसार इसके चांसलर राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रखे गये हैं। चीफ जस्टिस का, हाई कोर्ट का, जूडीशियरी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे भी अवसर आतें है जब जूडीशियरी बहुत कन्ट्रोवर्शियल पोजीशन में आती है। जजेज ही नहीं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कन्ट्रोर्सी में आते है। मैं इस बात को उचित नहीं मानता। दूसरी यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर है उसी समान दृष्टि से इस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को रखने का प्रावधान होना चाहिए। या कोई विशेष बात हो। माननीय मंत्रीजी कह सकते हैं कि विधि विश्वविद्यालय है और विधि विश्वविद्यालय में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ज्यादा कानून के जानकार हैं इसलिए रखे गये हैं। तब तो हमारे यहां कृषि विश्वविद्यालय भी है और दूसरे विश्वविद्यालय भी है, वहां भी उस विषय के जानकारी व्यक्तियों को चांसलर रखा जाना चाहिए था। वह नहीं हुआ। एक यूनिफ़ार्मिटी सब जगह होती है, हमारे प्रांत में भी है, इसलिए विशेषकर ऐसा क्यों रखा गया है, यह भी हमारी समझ में नहीं आता है।

उपाध्यक्षजी, इसी तरह इसमें एक रिव्यू कमीशन की कल्पना की गई है कि रिव्यू कमीशन बनेगा और वह चांसलर द्वारा अपाइंटेड होगा। चेयरमेन चांसलर द्वारा अपाइंट होगा, मैम्बर्स चांसलर द्वारा अपाइंट होंगे। उसका मकसद क्या है यह इन क्लाजेज में कहीं भी नहीं है कि किस बात की जांच करेंगे, रिपोर्ट देंगे, किन विषयों में उस रिव्यू कमीशन को जांच करने का अधिकार होगा। आज हम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की बात कहते हैं कि ये स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, इनमें इंटरफियरेंस नहीं हो। जब रिव्यू कमीशन कोई अपनी रिपोर्ट देगा सरकार को, तो उसमें सामने आना पड़ेगा और जब सरकार सामने आती है तब आवाज उठेगी कि स्वायत्तता भंग हो रही है। इसलिए इस रिव्यू कमीशन के फंकशन्स क्या होंगे, किन बातों की यह रिव्यू कमीशन जांच करेगा और रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट की पालना कौन करवाएगा, इस एक्ट में कहीं भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है।

उपाध्यक्षजी, सभी माननीय सदस्यों को जाने की जल्दी है, इसलिए बहुत संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं। यह आपका शिड्यूल है, आफ जनरल कौंसिल, लिखा है कि कौन—कौन मैम्बर होंगे जनरल कौंसिल में।

(श्री शिवनाथ सिंह)

"There shall be a General Council of the University which shall consist of the following members, namely :-

(i) The chief Justice of the High Court of Judicature for Rajasthan;..."

वे तो चांसलर पहले ही होते हैं। चांसलर जब हमने चीफ जस्टिस को बना दिया इस कौंसिल में, हम उनका डेजिग्नेशन करते हैं चीफ जस्टिस आफ राजस्थान हाई कोर्ट, इन दोनों बातों में कहीं भी कोई सामंजस्य नहीं बैठता। या तो यहां लिखते कि इस जनरल कौंसिल का मैम्बर चांसलर होगा। चांसलर होगा तो फिर यह चीफ जस्टिस का दुबारा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह भी कन्फ्यूजिंग प्रोविजन हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस पर भी प्रकाश डाले।

उपाध्यक्षजी, मेरा निवेदन इतना ही है कि यह बिल बहुत सोच–समझकर आए और सोच समझकर आने के बाद हम इसको पास करें। एक क्लाज आपने दिया है क्लाज 4, आब्जैक्ट्स आफ द यूनिवर्सिटी, उसके सैकण्ड पैरा को आप देखिये :

"The University shall be open to all persons of either sex irrespective of race, creed, caste, class or religion and it shall not be lawful for the University to impose on any person any condition whatsoever..."

एक बार जब आपने यह कह दिया कि यूनिवर्सिटी में कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सैक्स का कोई भेदभाव नहीं होगा तो फिर नैगेटिव आपने लिखा है कि यूनिवर्सिटी को यह–यह करना लाफुल नहीं होगा, ये दोनों बातें इसमें क्यों लिखी गई ? यदि एक बार एक बात आपने पॉजिटिव स्पष्ट कह दी और फिर नैगेटिव बात भी इसमें इन्यूमरेट कर दी, तो खतरा है नैगेटिव जहां भी आप नैरेट करते हो, वहां नैगेटिव आपने 10 नरेट कर दिए, ग्वारहवां और रह सकता है, इसलिए मेरे ख्याल से यह प्रोविजन भी आपको देखना चाहिए। यह प्रोविजन रिडंडेंट है, आवश्यक नहीं है।

मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी नहीं है, बहुत सोच–समझकर हमें इसको करना चाहिए। आज हमारे यहां यूनिवर्सिटी में फाइनेंस की दिक्कत है, अनुशासन की दिक्कत है, अध्यापक कहता है कि मेरी अटेंडेंस आवश्यक नहीं की जाए, मेरी मर्जी आये तो मैं पढ़ाऊं, मेरी मर्जी आये तो पढ़ाने नहीं जाऊं। विद्यार्थी कहता है कि हमारी अटेंडेंस लेने की आवश्यकता ही क्या है, हम क्यों क्लास में जाएं। इस प्रकार का वातावरण जो है उस पर चैक लगे, इसका प्रावधान भी इस एक्ट में होना चाहिए था, यह नहीं हुआ।

आज हम देखते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक आदेश निकाला है कि शिक्षक को इतने घण्टे यूनिवर्सिटी में रहना पड़ेगा उसका एतराज हो रहा है, नहीं हुआ,

(श्री शिवनाथ सिंह)

वाइस चांसलर को कोई अधिकार नहीं था, इस प्रकार की आशंकाएं हमारे सामने हैं। इसमें यह प्रोविजन होना चाहिए कि जब ड्यूटीज है, लैक्चरर्स, प्रोफेसर्स और टीचर्स की, मैं नहीं चाहता कि इतने सभ्य समाज में इस प्रकार की ड्यूटीज परिभाषित की जाएं लेकिन आज जो हमारी स्थिति है, उसको देखते हैं, ये झगड़े खड़े न हों, इसलिए इन बातों को भी सोचना चाहिए और ऐसे कोई प्रोविजन इसमें डाले जाएं ताकि अध्यापकों का भी दायित्व बने, लड़कों का भी दायित्व बने और पढ़ाई हमारे यहां हो। इस प्रकार के प्रोविजन इसमें हो। उपाध्यक्षजी, इन्हीं शब्दों के साथ अपना प्रस्ताव पेश करता हूं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय के लिए जो विधेयक हमारे सामने पेश किया है सदन उस पर विचार कर रहा हैं। यह अब तक की जितनी भी यूनिवर्सिटीज इस देश में बनी हैं उनसे भिन्न प्रकृति का है। मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किया तो एक तो राष्ट्रीय नाम दिया है। नाम बहुत सुन्दर है। इसके अलावा जो इसमें और प्रोविजन रखे हैं वे ऐसे हैं जिन पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। बहुत–सी ऐसी बातें हैं जो आज के संदर्भ में इसमें नहीं हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं,

"Visitor of the University-(1) The Chief Justice of the Supreme Court of India shall be the Visitor of the University."...

"Chancellor of the University-(1)The Chief Justice of the High Court of Judicature for Rajasthan shall of the University."

यह मेरा खयाल है कि अपने ढंग का यूनिक एक्ट यूनिवर्सिटी का आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया के चीफ जस्टिस को आपने विजीटर रखा है और चांसलर रखा है चीफ जस्टिस आफ राजस्थान हाई कोर्ट को। तो दोनों हाइएस्ट जुडीशियरी कंट्री के अंदर हैं, उनको आपने इसमें इन्वाल्व किया है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करें लेकिन इस पर पूरा विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, माननीय मंत्री महोदय ने जब कार्यभार संभाला, बहुत उत्साह के साथ इन्होंने कोशिश की और कई बातें यूनिवर्सिटी के प्रांगण में इन्होंने कहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय में आप एक बार नहीं दो–तीन बार पधारे हैं, उसमें सुधार कर गति लाने के लिए आपने समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया है। एक ही कार्यक्रम आपने दिया, वह कार्यक्रम भी आपका आगे नहीं बढ़ रहा है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

न एक अध्यापक टाइम पर आता है, न कोई लड़का अटेंडेंस देने के लिए तैयार है। आज यूनिवर्सिटी खुले महीनों हो गए हैं, रिजल्ट का शिड्यूल आपने जो चाहा था, उस हिसाब से कोई नहीं ला रहा है। न प्रोफेसर, न लैक्चरर, न एसोसिएटेड प्रोफेसर, कोई टाइम पर नहीं आ रहा है, न उस हिसाब से वे पढ़ाने की कार्यवाही कर रहे हैं। यह सब आपकी घोषणाओं के प्रतिकूल हो रहा है।

यह विश्वविद्यालय राष्ट्र के नाम से है। मेरे खयाल से प्रथम नेशनल यूनिवर्सिटी जो आप स्थापित करने जा रहे हैं, इसके साथ राष्ट्र का नाम, भारत का नाम जुड़ा हुआ है। इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, काम करने वाले लोगों के बारे में भी आब्लीगेटरी, कम्पलसरी प्रोविजन डाला जाना चाहिए था। जो आपके तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लैक्चरर्स, एसोसिएटेड प्रोफेसर्स हैं, एम्प्लोइज हैं, सबको आजादी है कि... वे चाहे जहां राजनीति में भाग लें, चाहे जिस पार्टी में जाए। वे चाहें जैसी गतिविधयों में भाग लें, उनके लिए कोई मुमानियत नहीं है। एम.एल.ए. बने, एम.पी. बनें। वो प्रोफेसर भी बना बैठा है और उधर एम.पी. भी बना बैठा है। एम.एल.ए. प्रोफेसर भी बना बैठा है और एम.एल.ए. भी बना बैठा है। यह क्या यूनिवर्सिटी हुई ? आप मंत्री भी बन सकते हैं। जो एम.एल.ए. बन सकता है वह मंत्री भी बन सकता है। सब बातें हैं। तो यह प्रोविजन इस एक्ट में होना चाहिए। इस बात की मुमानियत होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी का एम्प्लोई चाहे व छोटा हो या बड़ा, राजनीति में भाग नहीं ले सकता। राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेना उसको उसी प्रकार से अवरुद्ध किया जाना चाहिए जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के मामले में है। गवर्नमैंट आफ राजस्थान यूनिवर्सिटी पर खर्चा करती है भारत सरकार या राजस्थान सरकार, इन दोनों सरकारों के अलावा फीस से कितना काम चलता है ? भारत सरकार या राजस्थान सरकार के पैसे से हमारे विश्वविद्यालय चलते हैं और तमाम एम्प्लाइज को आपने अधिकार दे रखा है कि अपनी मर्जी आए जैसा करो। वे न टाइम पर आते हैं न टाइम पर जाते हैं, न पढ़ाते हैं न लड़के आते हैं। कोई किसी को नहीं मान रहा है। लड़के यूनिवर्सिटी को नहीं मान रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले लड़कों को नहीं मान रहे हैं। गांव के अन्दर वो स्थिति हो गई, हमारे कहावत है कि गांव को तो जिन्न नहीं मान रहा है और जिन्न को गांव नहीं मानता। दोनों में ही विवाद है। न तो यूनिवर्सिटी को लड़के मान रहे हैं और न यूनिवर्सिटी लड़कों को मान रही है। जब तक मंत्री महोदय आप विशेष प्रोविजन इसके अंदर नहीं डालेंगे तब तक यह नहीं होगा। और विशेष प्रोविजंस तभी डाले जा सकते हैं जब आप इसके अंदर टाइम दें और टाइम देने का एक ही तरीका है कि आप सलैक्ट कमेटी को बिल सुपुर्द करें सलैक्ट कमेटी बने और वह गहराई से इस पर विचार करे। पूरे देश की यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं। अब आप

(श्री रामनारायण चौधरी)

जोधपुर में राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहे हैं तो तमाम यूनिवर्सिटीज जो भारतवर्ष में बनी हुई हैं, उन सबका अध्ययन किया जाए, उनको देखा जाए, उनके स्टेट्यूट्स को मंगाया जाए और उसके बाद सलेक्ट कमेटी उस पर विचार करे। सलेक्ट कमेटी विचार करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट दे, एक आदर्श यूनिवर्सिटी स्थापित हो। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नाम से आप स्थापित करने जा रहे हैं तो वह एक आदर्श हो, जिसको एक दिशा मिले। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय है, अजमेर विश्वविद्यालय है, जोधपुर का है या उदयपुर का है, ऐसे ही विश्वविद्यालय आप स्थापित करने जा रहे हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप माफ करेंगे उससे कोई फायदा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक जमाना वो था जब वाइस चांसलर का सम्मान राज्यपाल से अधिक होता था। आज वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के उसके आफिस में कैद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। कहां सम्मान है ? कितना बड़ा पद वाइस चांसलर का है पर लड़के उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनके ऊपर थूकते हैं, उनको कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और उनको कहते है ऐसा करो। यहां एक ऐसे भी कुलपति हुए हैं जो यहां पर डिस्कस हुए हैं। कहा गया कि इनका कैरेक्टर यहां डिस्कस नहीं किया जाए। क्या उनकी हालत हुई ? पूर्व सरकार ने उनके खिलाफ कितने मुकदमे बनाए ? उनकी शक्ल आज जयपुर में कोई देख सकता है, क्या उनकी गति बनी ? लड़के गए, चाहे जिसने एडमिशन लिया, चाहे जो लैक्चरर बनकर आ गया। इस कदर वाइस चांसलर हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के आए। तो ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने से इस देश के अंदर कोई फायदा नहीं है। जब आप विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं और राष्ट्रीय नाम से स्थापित करने जा रहे हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि आप पेश करें, हम पास करेंगे ही, लेकिन आप इसमें हड़बड़ी न करें, थोड़ा समय दें। समय देकर आप बैठें। जो सलैक्ट कमेटी बनेगी वह आपकी ही सदारत में बनेगी, मंत्री महोदय की सदारत में बनेगी और सब लोग उसमें शामिल होंगे। जिनको आप मुनासिब समझते हैं उनको बाहर से बुलाएं। क्या जल्दी है आपको ? चीफ जस्टिस आफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया को आप विजिटर बना रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट को चांसलर बना रहे हैं। जैसा मेरे से पूर्व गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, लड़कों की राजनीति उभरेगी, एम्प्लाइज की राजनीति उभरेगी, चीफ जस्टिस, राजस्थान और चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया दोनों पर लड़के थूकेंगे, उनको बंद करेंगे तो सारे देश व प्रदेश की जुडीशियरी का अपमान होगा। आज राज्यपाल तो पोलिटिकल हो गए, उनको आप बंद भी कर दो, बात समझ में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस,

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रदेश का चीफ जस्टिस, जो सम्माननीय न्यायाधीश हैं, सम्मानित, अति सम्मानित, ऐसे पदों को आप इस तरीके से इसके साथ अलाइन करते हो तो गंभीरता से सोचिए। गंभीरता से सोचकर सलैक्ट कमेटी को यह दिलवा दीजिए, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी तो आप करेंगे नहीं, अगली साल से करेंगे तो सबको मौका मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको सलैक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भारत के उन प्रान्तों में है जहां शिक्षा का स्तर कम्पेरेटिवली नीचा है–चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो, कालेज स्टैण्डर्ड की हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पहले तीन यूनिवर्सिटीज थीं पुरानी–जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। 1987 में तीन नयी यूनिवर्सिटीज इंट्रोड्यूज की गई–अजमेर यूनिवर्सिटी, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी और बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यह राजस्थान में उच्च शिक्षा के विकास के लिए सरकार का एक समयबद्ध कार्यक्रम था। इसी के संदर्भ में संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई और उस कार्य में प्रगति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी एजुकेशन के सिस्टम में अगर टैक्नोक्रेट्स उसके होंगे तो निश्चय ही शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। यह एग्जाम्पल है इस बात का कि तमिलनाडु में उनकी अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। Technocrat can be a better judge and he can conduct the examination and the system in a better way. तमिलनाडू में जो मेडिकल एग्जामिनेशन का सिस्टम है सारे कालेजेज का वह मेडिकल यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु के अन्दर में है। उन्होंने यूनाइटेड किया। पहले वह कामन यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ सिस्टम था। इसी तरह से सारे इंजीनियरिंग सिस्टम के लिए उन्होंने एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रारूप बनाया। उपाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रव्यापी सोच है। विदेशों में भी यह सिस्टम है कि जो टैक्नोक्रेट एजुकेशन होगी उसके लिए उनके विश्वविद्यालय इण्डिपेंडेंट होंगे। वे भी अपना कन्वर्जन कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि गुढ़ा से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने फरमाया, अब बार कौंसिल आफ इण्डिया अकार्डिंग टू दी एडवोकेट्स एक्ट, 1961 विधि शिक्षा में मानदण्ड स्थापित कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। उस सर्वोच्च संस्था ने निर्णय लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप क्षमा करेंगे बहुत–से एलएल.एम. बैठे हैं, एलएल.बी. बैठे हैं, आप सब इस बात की सत्यता से वाकिफ हैं कि एलएल.बी.

(डा. जितेन्द्र सिंह)

लोगों ने अपना एक पार्ट टाइम वर्क बना रखा है और जो गरिमा मिलनी चाहिए ला को वह नहीं दी जा रही है। उन्होंने उसका स्तर साधारण कर दिया। इसके लिए निश्चय ही अगर कोई गुणात्मक सुधार के रूप में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का सोच बार कौंसिल आफ इण्डिया का था तो वह सही था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बार कौंसिल आफ इण्डिया ने 1987 के अंदर बैंगलौर के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनायी। उसके बाद में 1995 में उन्होंने उत्तरी भारत में सिर्फ राजस्थान को चुना और राजस्थान में जोधपुर को चुना कि वहां पर एक नेशनल ला यूनिवर्सिटी बनायी जाए। 1995 की वह बात ठण्डे बस्ते में 5 साल तक दबी रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि मुख्य मंत्री जी का स्वयं का विधान सभा क्षेत्र है, सवाल इस बात का है कि राजस्थान में 1995 से बार कौंसिल आफ इण्डिया ने जोधपुर को निश्चित कर दिया था कि यहां उन्हें ला यूनिवर्सिटी बनानी है वह इम्प्लीमैंट नहीं हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में ही बहुत लम्बा समय गुजर चुका है, पांच साल इसके लिये खराब हो गये। 1999, जुलाई में जो माननीय न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के जो हैड आफ दी डिपार्टमैंट्स है, ला के एजुकेशन सैक्रेटरी हैं, उन सबने इस ला यूनिवर्सिटी का प्रारूप बनाने के अंदर जोधपुर में मीटिंग की कि कौन–कौन इसके अंदर किस पद पर होगा, कौन इसके अंदर चांसलर होगा कौन वाइस चांसलर होगा और कौन उसके लिए कुलाध्यक्ष होगा। यह सारा बार कौंसिल आफ इण्डिया का अपना एक निर्णय है। बार कौंसिल आफ इण्डिया के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बैंगलौर, ग्वालियर, कलकत्ता में आलरेडी तीन विश्वविद्यालय चल रहे हैं। इसी तरह से विश्वविद्यालय का प्रारूप जोधपुर के लिए बना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ला के अन्दर दो या तीन साल के कोर्सेज होते थे पर अब जो नया सिस्टम है नेशनल ला यूनिवर्सिटी में इन्होंने डवलप किया है और इम्प्लीमैंट करने जा रहे हैं वह है कि 10+2 के बाद पूरे 5 साल का एक डिग्री कोर्स होगा जिसमें बी.ए., एलएल.बी. आनर्स की डिग्री मिलेगी। तीन साल के पुराने कोर्सेज है यह बी.ए., बी.एस.सी. के साथ होते थे। पांच साल के लिए आने वाले जो व्यक्ति हैं, पी.एम.टी. से जो मेडिकल में आता है, इंजीनियरिंग में आता है पी.ई.टी. करके, उसका सोच पूरा जुड़ा हुआ रहता है कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। वह 10+2 के बाद आएगा, इसके अंदर और कोई दाखिला नहीं लेगा। इसमें वही दाखिला लेगा जिसको ला के रूप में अपना कैरियर बनाना है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रारूप बने हैं उनके अनुसार पी.एम.टी., पी.ई.टी. के पैटर्न पर आल इण्डिया टैस्ट कन्डेक्ट होगा। आल

(डा. जितेन्द्र सिंह)

इण्डिया टैस्ट के अंदर 75 प्रतिशत सीट राजस्थान की होंगी और सी.पी.एम.टी. की तरह 25 प्रतिशत आल इण्डिया की होंगी। यह आल इण्डिया नाम इसको बार काउंसिल आफ इण्डिया का स्वयं का दिया हुआ है, क्योंकि उनके अपने नेशनल इन्स्टीट्यूट्स हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर ला के डिफरेंट सैक्शन के लिये हायर एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है लेकिन इस यूनिवर्सिटी में पी.जी. कोर्सेज के अन्दर मास्टर आफ बिजनेस ला, मास्टर आफ क्रिमिनोलोजी एण्ड फोरेंसिक साइंसेज, ह्यूमन लाज, इंटरनेशनल ट्रेड, एम.फिल, पीएच.डी., डाक्टर आफ ला, इन सबकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मिनिमम जो स्ट्रैंथ रखी गई है वह एलएल.बी. कोर्सेज में 50 प्रतिशत स्टूडेंट्स की है और 30 प्रतिशत स्टूडेंट्स ये जो पी.जी. कोर्सेज हैं उसमें पर सब्जैक्ट के हिसाब से उनको रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में एक करोड़ का प्रोविजन रख दिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने मीटिंग के बाद ओ.एस.डी. के रूप में डिवीजनल कमिश्नर ज़ोधपुर को भी नियुक्त कर दिया है।

जैसा कि गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य फर्मा रहे थे, Chief justice of the High Court will be the Chancellor of the University. जैसा की मैंने पूर्व में कहा, अगर कोई भी टैक्नोक्रेट किसी भी इन्स्टीट्यूशन का हैड होगा तो he will be delivering better goods. उनका तजुर्बा निश्चित रूप से उसके डवलपमैंट में इस्तेमाल होगा। बार कौंसिल आफ इण्डिया ने जो प्रारूप बनाया था, सोचा था, महोदय, यह सिर्फ एक नया जोधपुर का शुरू नहीं है, हिन्दुस्तान के अंदर 12 साल से इस तरह के तीन इन्स्टीट्यूशन आलरेडी चल रहे हैं। उन्होंने इसको अच्छी तरह से आब्जर्व किया, अच्छी तरह से परखा है। मैं नहीं समझता कि किसी भी एक इन्स्टीट्यूशन से शिकायत आई हो या माननीय चांसलर या जो उनके विजिटर हैं उनके साथ कहीं कोई वाकया हुआ हो। क्योंकि जो इस सिस्टम को जानते हैं they know the better way. जो ला को जानता है, he can deliver better goods. जो मेडीकल को जानता है, he can deliver better goods in medicines. उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई, यह बार कौंसिल आफ इण्डिया के अपने निर्णय हैं। बार कौंसिल आफ इण्डिया ने इसको अच्छी तरह से स्क्रीन किया है, अच्छी तरह किया है, फिर जो चीफ आफ दी जुडीशियरी हैं, उन सबकी परमिशन लेकर यह सब किया गया। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति है। उपाध्यक्ष महोदय, 5 वर्ष में एक बार किसी भी यूनिवर्सिटी का सिस्टम रिव्यू करने के लिये, सिस्टम में कोई खराबी है उसके सुधार के लिये इसी

(डा. जितेन्द्र सिंह)

तरह का अगर सिस्टम हो तो मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा था कि विश्वविद्यालयों की स्थितियों में खराबी आई हुई है, मैं जानता हूं कि खराबी आई हुई है, लेकिन इस मैटर को समय–समय पर रिव्यू किया जाएगा तो वह ठीक होगा।

मैं मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य को सूचित करूंगा कि मुझे उच्च शिक्षा विभाग से मिले मात्र 9 महीने हुए हैं, नौ महीनों से आप 8 साल की स्थिति का तुलनात्मक आकलन कर लीजिये। पहली बार राजस्थान का सत्र नियमित हुआ है और कोई रिजल्ट बाकी नहीं रहे हैं, मात्र 2–3 जगहों को छोड़कर आप इस बात को कन्फर्म कर लें। सारी यूनिवर्सिटी समय पर प्रारम्भ हो गई हैं। इन 9 महीनों में एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ जबकि कोई चीटिंग हुई हो या यूनिवर्सिटी में किसी तरह का रिजल्ट डिले हुआ हो। पहली बार समय पर सारे एग्जाम्स हुए और सत्र प्रारम्भ हो गया है। सारे वाइस चांसलरों की मीटिंग कर नियमित कर दिया गया है, आगे आने वाले सिस्टम को भी कि यूनिवर्सिटी इलैक्शन कब होंगे और उसके लिए एग्जामिनेशन कब कन्डक्ट करवाये जाएंगे। इसके बारे में चल रहा है। महोदय, एक बार में आप किसी भी कैंसर को ठीक नहीं कर सकते But slowly and gradually, the amputation can be done and that can be cured. यह सिस्टम जो इतना खराब है, मैं नहीं समझता कि इन 9 महीनों में किसी ने भी अखबार में इस तरह की बातें पढ़ी हों या सुनी हों कि विश्वविद्यालय....

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : कुछ ही दिन हुए हैं, आप कह रहे हैं सब टाइम से हो गया।

डा. जितेन्द्र सिंह : श्रीमान्, मैं सब रिजल्ट्स के लिए नहीं कह रहा लेकिन 90 प्रतिशत रिजल्ट्स आ चुके हैं। कोई रह गये तो आप मुझे फर्माएं उसके बारे में। मैं सब के लिये नहीं कह रहा हूं लेकिन 90 per cent of the results have been declared.

उपाध्यक्ष महोदय, मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया था कि प्रोफेसर, टीचर्स की अटेंडेंस के बारे में। माननीय, बी.सी. की मीटिंग में निर्णय लिया गया। किसी टाइम में हिन्दुस्तान में कहावत थी "गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके लागूं पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविन्द दीयो बताए।" लेकिन अब अगर गुरु अपनी वास्तविकता को नहीं जानेंगे तो उसके लिये सरकार को सख्त होना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने बड़ी शालीनता से गुरुजनों से कहा है कि आप यूनिवर्सिटी में तशरीफ लाएं, आप कालेज में तशरीफ लाएं। अटेंडेंस का तरीका जो आप पसंद करेंगे उसी तरह से आप अटेंडेंस करिये, इसके लिए आप बाउण्ड नहीं है। मैं मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य को

(डा. जितेन्द्र सिंह)

निवेदन करूंगा कि सबसे ज्यादा कम्प्लेंट राजस्थान कालेज की और कामर्स कालेज की हुआ करती थी कि अटेंडेंस नहीं है। आप कल ही वहां जाकर निरीक्षण कर लजिए, 75 प्रतिशत अटेंडेंस मिलेगी। आप जाकर देख लें। मैं स्वयं गया हूं। मैंने छात्रावासों की स्थितियां देखी है, लेकिन मैं प्रयास कर रहूं इसमें।

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, यह ला यूनिवर्सिटी आफ जोधपुर अपने आप में हमारी स्टेट के लिये राजस्थान के लिये गौरवपूर्ण रहेगी। मैं आशा करूंगा सभी माननीय सदस्यों से कि वे इस पर गौर करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लें।

प्रश्न यह है कि श्री शिवनाथ सिंह व श्री रामप्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 24 व अनुसूची कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 24 व अनुसूची स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 24 व अनुसूची स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, विधेयक 1999 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुगलजी काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना के लिए आज यहां यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। सदन के कुछ माननीय सदस्यों की यह आशंका थी कि जल्दबाजी में यह विधेयक लाया गया और इस पर पूरी तरह से विचार–विनिमय नहीं हुआ है। किन्तु माननीय मंत्री महोदय ने अपने स्पष्टीकरण में यह बताया कि पिछले पांच सालों से राजस्थान विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास चल रहे हैं। बार कौंसिल आफ इण्डिया ने देश में एक नया विधि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया था और विधि विश्वविद्यालय खोलने के लिए जितने भी उपयुक्त स्थान थे उनके बारे में विचार–विमर्श किया गया। जोधपुर राजस्थान की न्यायिक राजधानी रहा है, पिछले लम्बे समय से वहां राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय रहा है और राजस्थान उच्च न्यायालय में कई विधि विशेषज्ञों ने राजस्थान की विधि संरचना में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने भी कई विधि विशेषज्ञ दिये हैं और इसलिए यह उपयुंक्त समझा गया बार कौसिंल आफ इण्डिया द्वारा कि जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय देश में खोला जाना चाहिए उसके लिए जोधपुर ही उपयुक्त स्थान होगा।

पिछली सरकार ने इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए जोधपुर में कई बार आकर घोषणाएं कीं। पिछले मुख्य मंत्री महोदय भी अपने जोधपुर प्रवास के दौरान कई बार यह कहते रहे कि जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा। किन्तु उनके कार्यकाल में इस विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने समय की आवश्यकता को समझा, देश की आवश्यकता को समझा और विधि अध्यापन के लिए, विधि विशेषज्ञों को तैयार करने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया। इससे एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश के अन्दर जो विधि विशेषज्ञ तेयार किये जाने हैं, जो जुडीशियल आफिसर्स तैयार किये जाने हैं और जिन लोगों को अपना लीगल प्रोफेशन अडाप्ट करना है उन लोगों को यह विधि विश्वविद्यालय उपयुक्त अवसर प्रदान कर सकेगा। पूर्व में भी हमारे देश में इस तरह के विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं।

(15.55 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, बैंगलोर, ग्वालियर और कलकत्ता में इस तरह के विश्वविद्यालय कार्यरत है और उन्हीं की

(श्री जुगल काबरा)

संरचना के अनुरूप जोधपुर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना का और संरचना का निर्णय लिया गया है। जो प्रावधान इस विधेयक में किये गये हैं वे बार कौंसिल आफ इण्डिया के द्वारा सुझाये गये प्रावधान हैं, उन्हीं प्रावधानों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अन्दर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया के जो चीफ जस्टिस हैं वे विजिटर होंगे और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस चांसलर होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जो आप बता रहे हैं यह तो लिखा है, अमैंडमैंट क्या है ?

श्री जुगल काबरा : ये प्रावधान दूसरे विश्वविद्यालयों में भी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्रावधान जो किये गये हैं ये उपयुक्त प्रावधान हैं।

श्री समापति : माननीय सदस्य, ये बातें माननीय मंत्री महोदय को कहनी चाहिए थी। यह काम तो मंत्री महोदय का था।

श्री जुगल काबरा : इस विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्य को किसी भी रूप में विलम्बित नहीं किया जाना चाहिए। समय की आवश्यकता है कि इसकी तत्काल स्थापना के कदम उठाये जाएं ताकि जो लोग विधि अध्ययन करना चाहते हैं, कैरियर के रूप में लीगल प्रोफेशन अडाप्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अपना अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो सके। मुझे विश्वास है कि इस बारे में सरकार तत्काल कदम उठाकर प्रयास करेगी कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल का जो गठन किया गया है उसमें राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस सम्मानित सदन के दो सदस्यों को भी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बारे में सदस्य के रूप में अगर सम्मिलित किया जाए तो उचित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री समापति : श्री सांवर लालजी जाट।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बंध में जो विधेयक लाया गया है इस पर अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये कि नया विश्वविद्यालय बन रहा है, उसके सम्बंध में जो विधेयक की गहरी छानबीन होनी चाहिए। उसके पश्चात् ही इसको पारित करें तो निश्चित रूप से हमारे सब के लिए और जिनके लिए यह स्थापना की जा रही है उनके लिए उपयोगी होगा। पर बड़े दबे मन से उन्होंने अपने प्रस्ताव वापस ले लिये। फिर भी मैं अपनी कुछ बातें बताना चाहता हूं।

एक बात तो आयी शिक्षकों की उपस्थिति

(श्री सांवर लाल)

की। माननीय मंत्री महोदय, छात्र और शिक्षक एक गाड़ी के दो पहिये हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मुझे भी लम्बा अनुभव है। आप अगर केवल यह मानकर चलेंगे कि शिक्षक नहीं पढ़ाते इसलिए विद्यार्थी नहीं आते हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी और आप उसमें सुधार नहीं कर पाओगे।

(16.00 बजे)

वहां पर उल्टा है। विद्यार्थी बराबर के होते हैं। विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहे, क्लास में आना चाहें तो मेरे खयाल से किसी भी शिक्षक की हिम्मत नहीं कि वह उनको नहीं पढ़ाएं। इसलिए समस्या को गहराई से समझने की आवश्यकता है कि जो वातावरण आजकल शिक्षा का हो रहा है, शैक्षणिक जगत में हो रहा है, उस वातावरण को सुधारकर विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, चाहे सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हो, इस प्रकार का वातावरण किस प्रकार से पैदा किया जा सकता है कि जिससे पढ़ने वाला पढ़ने का इच्छुक हो और पढ़ाने वाला पढ़ाने के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। जिस प्रकार से पुराने जमाने में गुरु और शिष्य की परम्परा थी, अगर उस प्रकार की परम्परा कायम करने का प्रयास आप करेंगे, दोनों को विश्वास में लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से वातावरण सुधरेगा। अब कई वर्षों से वातावरण ठीक नहीं है। इसके कई कारण है। एक तो बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। अगर विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो वह यह सोचता है कि मुझे पढ़ने के बाद क्या मिलेगा। आप यहां कोई भी विश्वविद्यालय बना लें, महाविद्यालय बना लें, स्कूल बना लें, आप केवल शैक्षणिक ज्ञान देते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह क्या करेगा, कहां जाएगा, इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए भी यह वातावरण प्रदूषित हो रहा है और इसके कारण भी छात्रों में असंतोष है। इसलिए केवल शिक्षकों को ही इसके लिए उत्तरदायी ठहराएं, मंत्री महोदय, मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूं।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के स्थापना के सम्बंध में बात आई है, आपने फर्माया है कि कम्पनी सैक्रेटरी है, बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन है और कई ऐसे विषय है जो पढ़ाये नहीं जाते हैं। मेरे खयाल से कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय ले लें, चाहे दूसरा ले लें। ये सारे के सारे सब्जैक्ट्स यहां पर पढ़ाये जाते हैं। चाहे कामर्स में पढ़ाये जाते हो चाहे ला में पढ़ाये जाते हो चाहे एस.बी.ए. में पढ़ाये जाते हो, विषय सब जगह पढ़ाये जाते हैं। आपका आज विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का मकसद हो सकता है कि आप इनका गहन अध्ययन कराए, अनुसंधान कराएं। उसके लिए इसकी स्थापना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने सही एक्ट बनाया है। लेकिन इसको अगर आप इतनी जल्दबाजी में पास नहीं करते तो कोई पहाड़ नहीं टूटता। माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री सांवर लाल)

का एरिया है इसलिए यह तो करना ही है। लेकिन एक सलैक्ट कमेटी आप बनाते हैं, ताकि अगर कोई प्रोविजन करने और चेंज करने की आवश्यकता होती तो कर सकते। कुलपति और कुलाधिपति बने हुए हैं माननीय महामहिम चाहे हाई कोर्ट के जज हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, पर आजकल जो शैक्षित वातावरण बन रहा है उन वातावरण में इन पदों पर कार्यरत हमारे महामहीम न्यायाधीश के प्रति गरिमा को हमारे विद्यार्थी रख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, यह एक बड़ा शोचनीय विषय है। इसलिए इतनी जल्दबाजी या नकल करने की हमारे को आवश्यकता नहीं है और बार कौंसिल आफ इण्डिया, यह तो हमको डाइरेक्ट नहीं कर सकती कि आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बनाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपको कुलाधिपति बनाना पड़ेगा। अगर ऐसी बाध्यता हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है, बाकी राजस्थान में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, दूसरे कृषि विश्वविद्यालय में भी हमें कृषि विशेषज्ञ को कुलाधिपति नहीं बनाया है। यहां पर महामहिम गर्वनर ही बनते हैं इसलिए इसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। देवीजी, बैठ जाओ, यह आपके समझने की बात नहीं है।

श्री देवीलाल बैरवा : थे जल्दबाजी म ये महाविद्यालय खोलग्या। इनकी पांच साल पहले मंजूरी हो चुकी थी। पांच साल म तो टाबर टुबर पढ्या है। ये पैदा होकर भाग्यो भाग्यो फिरबां लाग जातो। छह वर्ष म तो वह कितना ही पढ़ लेता। पांच साल हो गये और यहां आप जल्दबाजी की बात कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय देवी भाई जैसों के लिए भी एक यूनिवर्सिटी, प्रौढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से खोल दी जाए तो यह भी फायदे का काम हो सकता है, माननीय सदस्यों को कुछ मिलेगा।

माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा, ठीक है आपने आने के बाद भी सुधार किया है और रिजल्ट्स भी निकालने का प्रयास किया है लेकिन उसमें भी सुधार और करने की आवश्यकता है। केवल अगर आप यह मान लेंगे, संतोष कर लेंगे कि मैंने जो कर दिया, वह सब कुछ हो गया तो फिर उससे आगे सुधार नहीं होगा। अभी भी कई सब्जैक्ट्स के रिजल्ट आपके रूके हुए हैं, आज भी सैंट परसेंट रिजल्ट नहीं आए हैं। इसलिए इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अब आपने एलएल.बी. के अन्दर 50 सीटें मांगी। माननीय मंत्री महोदय, एल.एल. बी. के अन्दर 50 सीटें होंगी और पी.जी. के अन्दर 30 सीट आप शुरू में रख रहे हैं क्या?

श्री जितेन्द्र सिंह : एलएल.बी. करके आगे उनके लिए।

श्री सांवर लाल : नहीं, शुरू में यह

(श्री सांवर लाल)

अधिनियम में थोड़े ही है कि इतने–इतने स्टूडेंट आप लेंगे फर्स्ट ईयर में, सैकण्ड ईयर में ?

श्री जितेन्द्र सिंह : नहीं।

श्री सांवर लाल : यह बाद में डिसाइड किया जाएगा। अब आल इण्डिया यूनिवर्सिटी का नाम है और ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना हो रही है तो जवाहर लाल नेहरू के नाम से यूनिवर्सिटी है, इन्दिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी है, ग्रामीण क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर देते ? लोगों की भावना है, लोग प्रसन्न हो जाएंगे। इतना काम तो आप कर दो। जिस आदमी ने ग्रामीण तबके की जनता का दिल जीता, अगर उसके नाम यह कर दो तो यह आपकी उस महापुरूष के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धांजली होगी जिसने गांव के किसान को जागृत करने का प्रयास किया।

आपने लिखा अध्यापकों के अपाइंटमैंट, सैक्शन (18)। अब याद नहीं आ रहा है, हमको बहुत पहले से याद है, सैक्शन (18) में दिया है कि राज्य सरकार और कुलाधिपति के अनुमोदन के बाद ही पोस्टिंग होगी। माननीय मंत्री महोदय, आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में, कालेजेज में लड़कों की भर्ती होती है उसके आधार पर वर्क लोड काउंट होता है। उसमें ऐसी व्यवस्था आप रखेंवाओगे तो आप कपड़े फड़वाओगे पढ़ने वालों के और प्रशासन करने वालों के। इसमें थोड़ी तो शिथिलता दो कि सैक्शन बढ़ते ही फटाफट इस प्रकार की व्यवस्था हो कि पढ़ाने वाला शिक्षक क्लास में पहुंच जाए। अगर इतमा आप अंकूश रखोगे तो आपकी यूनिवर्सिटी की स्थापना का कंसैप्ट नहीं चलेगा और मेरे खयाल में जितना आप चाहेंगे उतना लाभ नहीं मिल पाएगा।

विधि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर का होगा, इसमें अनुसंधान के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई विशेष विवरण नहीं दिया। शोध तो अभी भी हो रहे है। रिसर्च का जहां तक सवाल है चाहे ला कालेज से हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, यहां से भी पी.एच.डी. बहुत लोग करते हैं। वह पी.एच.डी. सार्थक हो, लोगों की तकलीफों को दूर करने वाले कानूनों के बारें में ज्यादा से ज्यादा राय दे सके कि किसान हो, चाहे कोई स्त्री हो या गरीब पीड़ित हो, उसको न्याय सुलभ हो और समय पर मिल सके, इस प्रकार का हमारा कोई मकसद होगा। आज आप देख लीजिए, रेवेन्यू बोर्ड के जो फैसले हैं, बाप मर जाता है, फिर उसकी औलाद भी मर जाती है, तब तक डिसाइड नहीं हो पाते। फिर भी यह विश्वविद्यालय की स्थापना भी कर लें, उससे कोई मतलब नहीं है। आज कोई मर्डर करता है, कानून में ऐसी पेचीदगियां हैं कि वह छूटकर आ जाता है। गांव में आने के बाद उसका खौफ और हो जाता है। तो जो क्राइम करता है उसको किस

(श्री सांवर लाल)

प्रकार से सजा दिला सकें, इस प्रकार के अनुसंधान करवाइये। आज लोग अरेंशन कमोडिटीज में मिलावट कर देते हैं। घी नकली आ रहा है, दुध नकली आ रहा है, दवाइयां नकली आ रही है। जानवरों के बाटे का तो कोई मतलब ही नहीं है, आदमी के खाने–पीने की चीजें नकली हैं। आपका कानून इसमें सक्षम नहीं हैं कि उसको किस प्रकार से रोका जा सके, किस प्रकार से उनको सजा दिलवाएं। मिलावट करने वाला चाहे नकली दूध बेच रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो, वह जमानत देकर फिर आ जाता है। इस प्रकार के विश्वविद्यालय में स्टडीज इस प्रकार के विषय की हों तो समाज में एक वातावरण बने और गलती करने वाला समय पर दंडित हों जाये तो इस प्रकार की गलती करने वाले लोगों का हौंसला नहीं बढ़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री समापति : धोद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक पास करने जा रहे हैं, इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बार–बार कहा है कि बार कौंसिल आफ इण्डिया ने इसकी मंजूरी पांच साल पहले दे दी थी और पांच साल तक पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं बनाई, उनकी बड़ी गलती रही। बार कौंसिल ने जगह ही ऐसी चिन्हित की है। राजस्थान की सरकार को बनानी चाहिये थी। नहीं बनाई, यह तो पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार के देखने की बात है। मैं तो इस विधेयक के पास होने के समय में जैसा यूनिवर्सिटीज का माहौल है उसके सम्बंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर जो भी नियुक्त होते हैं, उनका पैनल होता है और वह सरकार जिस तरह की मानसिकता शिक्षा के प्रति रखती हैं उसी तरह का पैनल महामहिम के पास भेजती है। उनमें से महामहिम वाइस चांसलर को नियुक्त करते हैं। आज के हालात ये हैं कि नौ महीने के बाद भी राजस्थान विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक वाइस चांसलर नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार और उच्च शिक्षा मंत्रीजी हैं आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं। यह कह रह हैं कि हमने रिजल्ट निकलवा दिये, आज कुछ बाकी हो सकते हैं। लेकिन ये यही उच्च शिक्षा मंत्री हैं जिनके काल में रिजल्ट नहीं आने के कारण एक विद्यार्थी को राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट के सामने आत्मदाह करना पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार पूरी की पूरी शासन व्यवस्था है।

सभापति महोदय, आज जोधपुर हो सकता है मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है इसलिए विधि विश्वविद्यालय खोल रहे हैं लेकिन उच्च शिक्षा मंत्रीजी, हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री

(श्री अमराराम)

जी की वह घोषणा याद करियें जो 12 फरवरी, 1999 को की थी कि राजस्थान में बीकानेर ही एक ऐसा सम्भाग है जिसमें विश्वविद्यालय नहीं है। आप वहां डूंगर महाविद्यालय में पधारे थे, कल्लाजी भी वहां थे, इन्होंने घोषणा की थी कि यही एक सम्भाग ऐसा है जहां विश्वविद्यालय नहीं है और राजस्थान कैबिनेट की आज के बाद जो पहली मीटिंग होगी उसमें बीकानेर में विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी होगी, बीकानेर में विश्वविद्यालय खुल जाएगा। बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके लिए तो आज कह रहे हैं...

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : कितने दिन हो गये ?

श्री अमराराम (धोद) : 12 फरवरी, 1999 से जोड़ लें आप, भंवर लालजी, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं। 12 फरवरी, 1999 के बाद कैबिनेट की कई मीटिंगे हो गई। अभी एक–डेढ़ महीने से तो कह सकते हैं कि आचार संहिता है लेकिन उससे पहले तो आचार संहिता नहीं थी। केवल मात्र एक संभाग ऐसा है जहां के विद्यार्थियों को बीकानेर से चलकर, गंगानगर से चल कर अजमेर आना पड़ता है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए न केवल वहां के विद्यार्थियों ने बल्कि बीकानेर सम्भाग की आम जनता ने 20 साल से लगातार संघर्ष किया है, बड़े–बड़े आंदोलन किये हैं। बीकानेर और पूरा सम्भाग इस बात के लिए बंद रहा कई दफे लेकिन बीकानेर से आने वाले प्रतिनिधि राजस्थान की सरकार में मैं समझता हूं शायद उतना प्रभाव नहीं रखते इसलिए यही एक ऐसा सम्भाग है जिसमें विश्वविद्यालय नहीं है। आज तो शिक्षा मंत्रीजी भी हैं इसलिए मेरा तो इस मौके पर यही कहना है कि जो आपने घोषणा की थी कैबिनेट की पहली मीटिंग में तो पूरी नहीं हुई लेकिन अब कौन–सी मीटिंग में पूरी होगी, स्वीकार कर दी जाएगी ? बीकानेर में विश्वविद्यालय की स्थापना करके जो सम्भाग के साथ सबसे बड़ा सौतेला व्यवहार 53 साल से होता रहा है, उसे दूर करने का काम आप कौनसी मीटिंग में कर देंगे और कब स्थापना कर देंगे ? मुझे यही कहना है । मुझे आपने समय दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री कटारिया जी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हैं। नहीं।

श्री सभापति : आप बोल लें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : सभापति महोदय, धन्यवाद। यह नेशनल ला यूनिवर्सिटी जो बनाने जा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि राजस्थान के लिए एक गर्व की बात है। मुझे तो दो–तीन सुझाव ही देने हैं इसमें। एक तो होस्टल के लिए व्यवस्था नहीं की। बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे उनके लिए आप कुछ फण्ड का प्रोविजन

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

अगर कर देते। यहां पर राजस्थान से बाहर के...

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : है, तो मुझे दूसरी बात कहनी है। अगर विश्वविद्यालय में होस्टल की व्यवस्था है तो वह लिमिटेड होगी, इसको और ज्यादा करने के लिए एक ओपन सैक्शन रख लिया जाए जिसमें बाहर से आने वाले स्टूडेण्ट्स रहें। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी हैं वैसा भी अगर प्रोविजन रख लिया जाए...

श्री भीमसेन : यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं तो होस्टल कहां से बन जाएगा पहले ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बनाने के लिए फंड की बात कर रहा हूं, प्रोविजन की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य का सुझाव है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सुझाव है। मेरा दुसरा सुझाव है कि इसको आप ओपन सैक्शन भी रख लें। पूरे हिन्दुस्तान से यहां राजस्थान में आएंगे, सब जने रह भी नहीं सकते हैं तो ओपन सैक्शन भी एक रह जाए कि बाहर से लोग आएं और विजिटिंग करके, यहां पर लैक्चर अटैण्ड करके चले जाए। जैसे इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है उसी लाइन पर। आप जानते हैं कि इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का आज दुनिया में नाम है और विदेश से भी लोग वहां पर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्रोविजन आप रख लें।

एक, रिसर्च की जो बात रखी है यह भी स्वागत योग्य है क्योंकि आप जानते हैं कि अपने ला के अन्दर बहुत सारे लैकूनाज हैं अनामोलीज हैं। यहां पर एक क्रिमिनल को पहले से ही यह व्यवस्था है कि क्रिमिनल मानते हैं, उसे अपने–आपको प्रुव करना पड़ता है कि वह इन्नोसेंट है। और विदेशों में भी बिलकुल उल्टा है, पहले उसको इन्नोसेंट मान कर उसको प्रुव करते हैं कि उसने क्राइम किया है या नहीं। तो हिन्दूस्तान के अन्दर जो मामला उल्टा है उस पर जो रिसर्च करने की बात रखी गई है, इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। मैं तो यही सुझाव देना चाहुंगा।

श्री उपाध्यक्ष : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक का तो मैं स्वागत करता हूं परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, आज तक का इतिहास यह है कि चाहे कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की बात हो चाहे ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा की बात हो, हमने जब भी किसी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, कभी हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं किया। डूंगर कालेज के अन्दर हमने बीकानेर में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विश्वविद्यालय खोल दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय, कोटा में हमने एक बोर्ड लगा दिया और ओपन विश्वविद्यालय खोल दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि निश्चित तौर पर मुख्य मंत्रीजी को खुश करने के लिए आप बड़ी तीव्र गति से इस विधेयक को लेकर आये हैं, परन्तु भगवान के लिए एक बोर्ड लटका कर इसी विश्वविद्यालय के किसी कोने में इस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम मत करना, वरना शुरूआत में ही जिस तरह का वातावरण बनना चाहिए वह नहीं बनेगा। हालांकि आप इस एक्ट को पारित करा रहे हैं निश्चित तौर पर इस एक्ट में वित्तीय व्यवस्था होगी परन्तु होता यह है, सभापति महोदय, कि वाहवाही लेने के लिए हम बड़ी त्वरित गति से कदम आगे बढ़ा देते हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है, पूरे सलैक्शन होते नहीं हैं और हम एक नाम दे देते हैं उसको राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उसके पश्चात् उस विश्वविद्यालय में राजस्थान और राजस्थान से बारह के कई विद्यार्थी आकर उसका स्वरूप देखते हैं तो स्वरूप देखने के बाद ये सारी बातें वेंटिलेट होकर जाती हैं और तब कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में कोई दम नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सारी व्यवस्था हो इसका परिसर हो, इसमें एक्ट के अनुसार जितने आपको अपाइंटमैंट्स करने हैं नॉमीनेशन करने हैं वे सारे हो जाएं उसके बाद ही आप कोई बात करें। एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

मंत्री महोदय, निश्चित तौर पर शिक्षा के प्रति आपके मन में पीड़ा है, आप कुछ करना भी चाहते हैं परन्तु आपसे एक निवेदन है कि आप जो घोषणा करते हैं उस घोषणा को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करें कि आपके श्रीमुख से निकली हुई बात कहीं न कहीं कभी न कभी तो लागू हो। आज कितने महीने बीत गये आपने बड़े जोर–शोर से बजट सत्र में हाथ हिला–हिला कर कहा था कि हमने सारे विश्वविद्यालयों को शिक्षा की दृष्टि से कूड़ेदान में लाकर खड़ा कर दिया। हमने सारी व्यवस्था छिन्न–भिन्न कर दी। आज 9 महीने हो गये, आप मुझे बता पाएंगे कि क्या कारण है कि राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति आप नियुक्त नहीं कर पाए ? जहां स्थायी कुलपति नहीं होगा वहां किस तरह का काम होगा ?

आपने कह दिया राजस्थान महाविद्यालय और वाणिज्य महाविद्यालय का नाम लेकर, लेकिन, महोदय, इस राजस्थान के बाहर राजस्थान बसता है कि किस तरह की व्यवस्था यहां है, किस तरह के पठन–पाठन का वातावरण बिगड़ा है, टीचर्स और स्टूडैंट्स के बीच में किस तरह का रिश्ता टूटा है। इसके लिए मैं आपको दोषी नहीं मानता हूं। हमारे सामाजिक मूल्यों में ह्रास होने के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साथ–साथ जो नयी परिस्थितियां आई हैं उनके बारे में भी हमें विचार करना चाहए। आप कहते हैं विद्यार्थी पढ़ते नहीं और अध्यापक पढ़ाने नहीं जाते। परन्तु, मंत्री महोदय, आज महाविद्यालय में आप चले जाएं यहां जयपुर की तो मैं कहता नहीं, वहां बैठने के लिए फर्नीचर नहीं हैं, वहां पंखे नहीं हैं।

छात्रावासों की हालत और ही दूसरी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावासों में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो छात्र आज विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का छात्र नहीं है वह अनअथोराइज्ड रह रहा है। वहां लूट और क्राइम हो रहा है। मैं मंत्री महोदय, बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर आज रात्रि में कोई भद्र पुरुष और भद्र महिला निकल जाए, यह सम्भव नहीं है। ये सारी की सारी बातें हमारे विद्यार्थी नहीं कर रहें, यह वे असामाजिक तत्व कर रहें है जिन्होंने छात्रावासों पर कब्जा कर रखा है। इन सारी बातों पर आपको विचार करना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर में कि बड़ा सुन्दर विधेयक लेकर आये है। आपने, मैं समझता हूं कि कहीं के विधेयक की कापी की है निश्चित तौर पर। जो और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय चल रहें है उनकी डिटो कापी तो कर ली है जो इस सरकार की आदत है कि मध्यप्रदेश में फैसला हो जाए, फैक्स आ जाए और वह का वह लागू कर देते हैं। मुख्य मंत्रीजी जिन कदमों पर चल रहे हैं उन पर आप भी चलों, कोई बात नहीं है परन्तु आप जिस मंशा को लेकर आये हैं वह मंशा परिपूर्ण हो इसके लिए कृपया जल्दी मत करना। आज यह वाहवाही आपको मिल जाने वाली है और आपका एक्ट पास होना है क्योंकि मैजोरिटी है और इसके बाद मुख्य मंत्रीजी आपसे जितने राजी होने हैं हो जाएंगे लेकिन एक कोने में एक बड़ा साइनबोर्ड लगा कर इस विश्वविद्यालय का शुभारम्भ मत करना, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, मेरी यह निजी मान्यता है कि जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटी होती हैं, यूनिवर्सिटी का महत्व घटता है। एक समय राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम था, दूर–दूर से लोग पढ़ने के लिये आते थे और इनके लोग भी यहां पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन धीरे–धीरे इसमें कमी आई है। अब हमारे माननीय मंत्रीजी ने यह कार्य हाथ में लिया है, इसमें जरूर आप सुधार करेंगे। जोधपुर जहां हमारा उच्च न्यायालय है, ऐसे महत्त्वपूर्ण स्थान पर आप राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं, वह स्वागत योग्य है। इसमें अनुसंधान के लिये और खास तौर से जो आर.जे.एस. की परीक्षा विद्यार्थी देते है

(श्री अमराराम चौधरी)

उसको इस यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ लाभ मिलेगा और कानून की पूरी जानकारी कर वे अपने राष्ट्र के अंदर बहुत ही अच्छी सेवाएं दे सकेंगे। यह हमारे और पूरे राष्ट्र के लिये बहुत जरूरी था, समाज की एक आवश्यकता थी और उसके प्रयोजनार्थ आप जो विधि विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं उसके लिये बहुत–बहुत आपका स्वागत है।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया(बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी और हम सभी लोग इस बात से अच्छी प्रकार से परिचित हैं कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की आज शैक्षणिक दृष्टि से, परीक्षाओं की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से किस प्रकार की हालत पहुंच गई है। मैं उसमें किसी एक आदमी को दोषी नहीं मानता हूं, किन्तु जो कुछ भी आज हमारे सामने दृश्य दिख रहा है वह अत्यंत वेदनादायक है। मैं यहां तक कह सकता हूं कि गांव के एक मिडिल स्कूल के चलने का भी कोई सिस्टम होता है, उसकी भी कोई परीक्षा की सैंक्टिटी होती है, उसमें भी कुछ न कुछ ठीक ढंग से होता है लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों का स्तर इतना गिर गया है कि इनकी न परीक्षाओं का कुछ न कुछ ठीक ढंग से होता है लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों का स्तर इतना गिर गया है कि इनकी न परीक्षाओं का ठिकाना है, न परीक्षा परीणाम का कोई ठिक़ाना है। विश्वविद्यालयों के बच्चों ने अपने अंकों को ठीक करने के लिये जितनी एप्लीकेशंस लगाई हैं उनका एक चार्ट मंगाकर आप अपनी आंख के सामने रखें, आपको हैरानी होगी कि ऐसा परीक्षा परिणाम तो किसी प्राइमरी स्कूल में भी नहीं होता। विश्वविद्यालय में जो चाहे अपनी दरख्वास्त लगा दे और फिर मैनीपुलेशन करा कर चाहे जैसे नम्बर बढ़ा ले। आप केवल उदयपुर यूनिवर्सिटी की मार्क शीट मंगवा लीजिए। कम्प्यूटर के माध्यम से से जो रिजल्ट आपने निकाला है उस रिजल्ट का कोई अता–पता नहीं लगता है। बच्चें ने परीक्षा दी तो वह एब्सेंट आ गया, एब्सेंट था उसका रिजल्ट निकल गया, जो थर्ड डिवीजन था वह फर्स्ट डिवीजन हो गया। मतलब रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले कोई शांति से इस बात को कंफर्म भी नहीं करना चाहता। मजाक हो गई है एक तरह से। लोग हंसते हैं हमारे विश्वविद्यालय की इस सारी स्थिति पर।

श्री सभापति : यह तो कम्प्यूटर की गलती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन आखिर कोई देखे तो सही। यानि कम्प्यूटर आदमी को औरत बना देगा तो इससे कोई आदमी औरत थोड़े ही बन जाएगा। कम्प्यूटर के ऊपर ही भरोसा करें तो कम्प्यूटर हमारे पर आधारित चलता है। कम्प्यूटर का मतलब सब कुछ नहीं हो गया, कोई देखने वाला

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होना चाहिए। जब वे सारी मार्कशीटें मार्केट में जाती हैं उसके बाद में हम उस सारे को बदल देते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कैसे तो डिपार्टमैंट चलता है और कौन उसको देखता है। बच्चों की मार्क शीट हैं फर्स्ट ईयर साइंस की और उसके ऊपर प्रिंट हो गया फर्स्ट ईयर आर्ट्स और सारी की सारी बंट गई। अब क्या करें उसका ? मतलब किसी ने यह भी नहीं देखा कि फर्स्ट ईयर साइंस की है या फर्स्ट ईयर आर्ट्स की। आर्ट्स लिख दिया तो ऊपर का हैडिंग भी पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं। इसके कारण से हमको हजारों नहीं लाखों रुपये का चूना लग गया। मुझे बहुत दुःख है इस बात का क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। हमारी और आप सबकी यह जिम्मेदारी है। हम तो डूबे तो डूबने दो, लेकिन कम से कम भविष्य को तो मत डुबाओ। जो कुछ सुधार सकते हो, सुधारने का प्रयास करो। आपने देखा होगा, उदयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक आदेश निकाला ठीक 11 तारीख के दिन कि पुरानी जितनी भी डिग्रियां हैं उन सब डिग्रियों का डिस्ट्रीब्यूशन हमें इस बार कन्वोकेशन कर के करना है, इसलिए आप सब लोगों को 10 और 11 तारीख को उपस्थित रहना है। अब उन कुलपति को इतनी भी अक्ल नहीं थी कि 11 तारीख को यहां चुनाव है, चुनाव के दिन मैं इस मीटिंग को काल करूंगा, इन लोगों को बुलाऊंगा तो क्या यह संभव है। तब इसकी वापस सूचना दी, इसको कैंसिल किया और सारे अखबारों में यह एड दिया कि आपको जो बुलाया है, आप 11 तारीख को नहीं आएं। 20–30 हजार रुपये का चूना लगा दिया। यह रुपया उनसे व्यक्तिगत रूप से वसूल होना चाहिए, अगर इतना भी प्रशासनीय सोच नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरा डिपार्टमैंट क्या चीज निकाल रहा है। इस प्रकार की स्थितियां हैं।

हम यह कहते हैं कि स्टूडेंट नहीं पढ़ता। आप इसकी अटेंडेंस आवश्यक क्यों नहीं करते हो ? कोई न कोई तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ नाराज होंगे, कुछ जुलूस–जलसे निकलेंगे, कुछ हाय तौबा होगी, लेकिन कहीं न कहीं से कोई न कोई तो शुरूआत करेगा। अगर सब ये सोचेंगे कि मैं इस तबाही से दूर हो जाऊं और जैसा चल रहा है वैसे चलने दें तो यह तबाही किसी न किसी को अपने पर ओढ़नी ही होगी। इसके द्वारा ही रास्ता निकलेगा, और कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हम केवल इसी प्रकार से देखते रहेंगे तो मैं सोचता हूं कि प्रशासन कोई हाथा–जोड़ी से नहीं चलता है, वह सख्ती से चलता है। सख्ती से चलाने में कुछ अच्छाई भी मिलेंगी तो कुछ बुराई भी खाते में आएंगी। लेकिन वास्तव में हमें इस सारी व्यवस्था को सिस्टमेटिकल करना है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आज विश्वविद्यालय की स्थापना किस के लिये करते हैं कि हम रिसर्च वर्क करेंगे। क्या विश्वविद्यालय रिसर्च के सेंटर रह गये ? विश्वविद्यालय तो एक तरह से अराजकता के अड्डे हो गये। पढ़ाई– लिखाई का कहीं कोई लेना–देना नहीं है। आप विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में चले जाइए, क्या दृश्य वहां देखने को मिलेगा ? इससे अच्छा तो विश्वविद्यालय नहीं था तब भी हम लोग पढ़ते थे तो लाइब्रेरी की कोई जगह ऐसी नहीं मिलती थी जहां कोई नहीं हो। बैठने की जगह नहीं मिलती थी एक–एक घंटे तक इंतजार करने के बाद भी। एक वातावरण था। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां...

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : यह अराजकता का माहौल कब से हुआ, जरा इसका तो विवरण दीजिए और आपके समय में क्या हुआ, यह भी बताइए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे तब से।

श्री महेश जोशी : आप जिस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे उसी का मैं अध्यक्ष रहा हूं। पिछले साल तक गुलाब चन्दजी कटारिया के मुख से शब्द नहीं निकलते थे और आज जब कांग्रेस की सरकार आई है आप अराजकता की बात करते हो। विश्वविद्यालयों में अराजकता आपकी देन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं अगर हमको गाली देने से आपके मन को शान्ति मिलती है तो आपको बहुत–बहुत धन्यवाद, हमें कोई एतराज नहीं। आप हमें गाली दे दो और हम आपको दे दें, होता हो तो मन प्रसन्न करो, कोई बात नहीं।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : यह बहुत अच्छी बात है कि आप आत्म चिंतन कर रहें हैं और यह भी सोच रहे हैं कि आपसे कहां–कहां भूलें हुई हैं और आप सलाह दे रहे हैं कि आप इनको सुधारिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह सोचता हूं कि शायद अब हमारा विभाग इतना कम्पार्टमैंट में बंट गया है कि हम...

श्री जगत सिंह दायमा : हम तो यह चाहते हैं कि आप दोनों आत्म चिंतन कर लें और किसी तीसरे को मौका दें। बी.जे.पी. और कांग्रेस दोनों को जनता ने देख लिया, जिस दिन तीसरी शक्ति आएगी वही करेगी उद्धार, नहीं तो नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह तीसरी शक्ति कौनसी है ?

श्री जगत सिंह दायमा : वह हम हैं, हम कह रहें है इस बात को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आपके मन में कुछ करने की तमन्ना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है, आपने प्रयास करना भी शुरू किया उसके लिये बहुत धन्यवाद देता हूं, थोड़ा दो कदम और बढ़िये।

जैसा चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, विश्वविद्यालय में जितने भी हास्टल्स हैं ये अराजकता के अड्डे हो गये हैं। जितना भी अपराधी तत्व है वह कहीं से भी आता है और वहां जाकर विश्राम करता है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति यह है कि कोई देखने वाला नहीं है कि वहां रहता कौन हैं, कितने सालों से रहता है। यहां तक कि कई लोगों ने तो वर्षो से उस पर कब्जा किया हुआ है। वे कभी दस साल पहले स्टूडेंट, उनका भी वहां लॉक लगा रहता है। इस प्रकार के हालात हैं, इन हालात को सुधारिए।

आपने जो विधि विश्वविद्यालय बनाया है. उस विधि विश्वविद्यालय को अगर ठीक रूप देना चाहते हैं तो ऐसे उपाय करिये कि हमारी जनता को कानूनों से कैसे मदद मिल सकती है। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज की तारीख में जितने भी उम्र कैद की सजा भुगत रहें हैं, उदयपुर की जेल में जाकर आप देखो उन लोगों को खड़ा करो तो आपको 80 परसेंट वहां का गरीब ट्राइबल आदमी मिलता है क्योंकि पैरवी करने के लिये न तो उसके पास पैसा है, न उसको कोई सोच है। उसे तो आपने 10 साल की सजा दे दी, 12 साल की सजा दे दी, वह 12 साल तक भोगेगा। गलती कितनी–सी थी ? कि भावावेश में उसने किसी को मारा और वह मर गया। मतलब दोनों अपराधों में अंतर करने का भी प्रयास करो कि एक तो भावावेश में कोई किसी को लात मार देता है और वह मर जाता है, जो वह जिन्दगी भर तक के लिये सढ़ने जैसा काम नहीं करता है। वह अपराधी जो ज्यादा दुष्ट है। उससे मिलावट करके सारे लोगों को एक साथ एक तरह से नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य न करें। कानून में फर्क कीजिए। एक जो आदतन लोगों को मारता है उसकी सजा कुछ और होनी चाहिए। एक भावावेश में कहीं पारिवारिक झगड़े में मारता है, उसने जिंदगी में एक बार गलती कर दी तो उसके सारे खानदान को बरबाद कर दिया जाए, मैं सोचता हूं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। उनको कानूनी सपोर्ट कैसे मिले हमारे कानून से और छोटे बच्चे से ही, विद्यालयी शिक्षा से ही कानून और नियमों को कैसे पढ़ाएं, जिससे उनको प्रारम्भिक जानकारी हो सके ? प्रारम्भिक आधार कानून की जानकारी का, वह हमारी विद्यालयी शिक्षा में तो कहीं है ही नहीं। हम जानते ही नहीं कि हमको एफ.आई.आर. कहां लिखानी पड़ती है, कैसे एफ.आई.आर. होती है। कुछ पता ही नहीं है। इन छोटे–छोटे कामों की जानकारी प्रारम्भ से मिलनी चाहिए। इस प्रकार का भी शोध होना चाहिए कि नीचे से हम किस प्रकार अपने बच्चों को कानून की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जानकारी देकर कानून के आधार पर समाज की क्या मदद कर सकते हैं। इन सब बातों के बारें में बहुत गहराई से विश्लेषण होना चाहिए।

अब आप इतना बड़ा बिल ले आये और इसको देखने के लिए हमको आपने समय नहीं दिया। मैं सोचता हूं, यह परफैक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हैं, लेकिन इतनी क्या जल्दी ? हम लोगों को आज दिया, क्या हम इसको पांच–सात दिन पहले नहीं दे सकते थे ? हम इसको पढ़ सके, इतना समय नहीं दे सकते ? आप हमको देकर ऐसा सोचते हो जेसे हम कोई रात भर जगते हुए सब इसी को पढ लेंगे। हम जिस चीज को करना चाहते हैं, जो भविष्य के आधार पर बनाने जा रहे हैं, जिस कारण से हमारा यह विश्वविद्यालय सारे हिन्दुस्तान में अपनी जगह बनाने जा रहा है उसके लिए कुछ समय दें। हमकों भी थोड़ा–बहुत आता है, उसको पढ़ कर अगर कोई ठीक राय हो तो हम दें। ईमानदारी की बात है कि इसकी एक–एक लाईन को मैं पढ़ ही नहीं पाया और पढ़ ही नहीं पाया तो इसमें क्या हम आपको उपयोगी सुझाव दे सकते हैं ? केवल एक रूटीन वर्क कराना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, हो जाएगा लेकिन यह रूटीन वर्क नहीं है, यह भविष्य का डाकूमैंट है जिसके आधार पर विश्वविद्यालय का ढांचा खड़ा होगा। हमने जो बाकी विश्वविद्यालयों के ढांचे खड़े किये हैं उनसे हम आज विश्वविद्यालयों को सुधार नहीं पा रहे हैं। जो सारी व्यवस्थाएं हैं वे सब एक तरह से रसातल की ओर चली गई है। उसमें हम कैसे परिवर्तन कर इस विश्वविद्यालय को उस लाइन पर डाल सके जो हमारे मन की कल्पना है। आपमें से हरेक को पूछेंगें तो हरेक के मन में पीड़ा है। कोई नहीं कह सकता कि हमारे ढांचें से कम प्रसन्न है। लेकिन केवल दु:ख प्रकट करने से तो काम नहीं चलेगा, कहीं न कहीं से इसकी शुरूआत करने का प्रयास हम सब लोगों को मिल बैठ कर करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि कानून बनाने में न पक्ष आता है, न विपक्ष आता है, न किसी का कोई इसमें फर्क होता है, न वितर्क होता है, जो कुछ अच्छी चीज लगती है, किसी के कहने से जोड़ी जा सकती हैं या घटाई जा सकती है तो घटाई जानी चाहिए। यह तो हमेशा के लिए कानून बनने वाला एक विधेयक हम ला रहे हैं। पर हमको हर चीज में जल्दी रहती है। अब आपने कल और परसों दे दिया। बिजली का बिल इतना लम्बा–चौड़ा, क्या मतलब है ? उसको देखेंगे कब, कब पढ़ेंगे ? लेकिन हमको तो बस तुरंत करना है। कर दीजिए, कोई बात नहीं है, आपके पास इतना बहुमत है। चाहे आपकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, जब कानून बनाती है तो कानून के बारें में बिलकुल संजीदगी के साथ बैठकर उस पर विचार करना चाहिए, मंथन होना चाहिए।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारा जो सबसे प्रमुख काम है इस असैम्बली का, वह तो कानून का निर्माण करना है। जो काम हमारा सबसे प्रमुख है वह तो सबसे घटिया हो गया और जो काम हमारा प्रमुख नहीं है उसमें हमारा सब समय जा रहा है। लोग हमारे पर हंसते है, लोग हमारे पर ताने मारते हैं कि तुम लोग वहां बैठकर किस प्रकार से क्या करते हो। इस बारें में हमको बैठ कर चिंतन करना चाहिए। जो हमारा प्रमुख काम है उस प्रमुख काम को उतनी ही प्रमुखता देकर हम प्रयास करेंगे तो हम जनता के लिए और आगे के भविष्य के लिए कुछ रास्ता बना सकेंगे। मैं आपको फिर इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रयास किया। और प्रयास करो, हम सब लोग आपके साथ हैं, हम यह चाहते हैं कि शैक्षिक वातावरण को हम किसी प्रकार से अच्छा बना सके। आज बच्चे को इतनी भूख है शिक्षा के बारे में, आप उसको शिक्षा ठीक नहीं देते हैं तो ट्यूशन पर जाकर हजारों रुपये देकर पढ़ता है। आप सोचते हो, आर.ए.एस., आई.ए.एस. नहीं बनते ? बनते हैं लेकिन वे अपने पिताजी की कमाई पर बनते है। सारे के सारे जो विद्वान है न, ये विद्वान कोचिंग क्लास चलाकर वहां तो मेहनत कर सकते है, लेकिन जहां गरीब का बच्चा आता है वहां पढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, उसके लिए उनको समय नहीं क्योंकि हमनें उनको पाबन्द नहीं कर रखा और एक तरह से व्यवसाय में डाल दिया सारी शिक्षा को। आज हर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए गिरवी रख कर भी कोशिश करता है कि उसके बच्चे का भविष्य सुधरे। लेकिन हमने इतने खर्चे उठा रखे हैं, इतनी बड़ी तनख्वाह देते है, इतने बड़े–बड़े लोगों को हमने बांध रखा है, कभी किसी ने हिसाब मिलाने की कोशिश की, कि आठ लड़के भी एम.ए. पास नहीं कराये और हमारा साल भर का खर्चा कितना हो गया ? कभी किसी ने जोड़ने की कोशिश की, कि गरीब जनता के पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है ? इसके बारे में बैठकर चिंतन होना चाहिए, सामुहिक हो, साथ बैठ कर हो और उसमें से कोई रास्ता निकालने का प्रयास करिये। मैं सोचता हूं कि हमको इसमें सफलता मिलेगी।

(14.35 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा के इस वातावरण को सुधारने के लिए कुछ कठोर कदम लेने होंगे जिनके आधार पर हम वातावरण को ठीक कर सकेंगे। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्षजी, देशी रियासतों के विलय के बाद, देशी रियासतों की समाप्ति

(श्री रामनारायण विश्नोई)

के बाद राजस्थान में यह प्रश्न पैदा हुआ कि राजधानी कहां पर हो, उच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर हो। बहुत विचार विमर्श के बाद में आर्गेनाइजिंग कमेटी वगैरह में यह निर्णय हुआ कि एकीकृत उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर के अंदर हो। उसी वजह से एकीकृत उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित होने के बाद अलग–अलग रियासतों के अंदर जिस प्रकार के विभिन्न कानून बने हुए थे, बहुत जटिल समस्या थी कि पूरे राजस्थान के अंदर उन कानूनों का किस प्रकार से पालन किया जायेगा। पर हमें इस बात पर गर्व है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर जो भी न्यायाधिपति आये उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी विद्वता से निर्णय दिये। उन निर्णयों की वजह से हिन्दुस्तान के अन्य उच्च न्यायालयों के मुकाबले के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय भी पीछे नहीं रहा और इसी वजह से राजस्थान में जोधपुर को जुडीशियल कैपिटल आफ राजस्थान माना गया। हमें इस बात का भी गर्व है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने आनरेबल जस्टिस के.एन. वांचू, उसके बाद में जे.एस. वर्मा और हमारे अन्य न्यायाधिपति अग्रवाल साहब और कासलीवाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधिपति और दूसरे न्यायाधिपतियों के पद को सुशोभित किया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, कुछ सदस्यों ने इस बारे में संदेह व्यक्त किया है कि यह विश्वविद्यालय ठीक प्रकार से काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, यह संदेह बिलकुल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से जोधपुर उच्च न्यायालय ने खयाति प्राप्त की, उसी प्रकार से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एक आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में अपने आप को साबित कर सकेगा। जोधपुर के अंदर विधि विशेषज्ञ है। अन्तरराष्ट्रीय लेवल के जिन्होंने अपनी खयाति प्राप्त की है, डा. एल.एन.सिंघवी और दूसरे भी बहुत–से लोग इस प्रकार के विधि विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र के अन्दर अपना नाम कमाया है। इसमें मैं एक सुझाव दूंगा की एकेडेमिक कौंसिल के अन्दर जरूर इस सदन के सदस्यों का भी स्थान होना चाहिए और राज्य सरकार को सामंजस्य बनाने के लिए यह करना चाहिए कि कम से कम दो सदस्य एकेडेमिक कौंसिल के अन्दर इस सदन के सदस्य हो। हमें इस बात को कहते हुए थोड़ा अफसोस होता है कि वर्तमान समय के अन्दर न्यायपालिका के क्षेत्र के अन्दर आज कल यह भाषण दिये जा रहे हैं कि कार्यपालिका और विधायिका से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और न्यायपालिका ही एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें लोगों का विश्वास है, वह प्रजातंत्र न्यायपालिका के ही भरोसे आज कायम है। उपाध्यक्षजी, मैं इस संबंध में यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधि विश्वविद्यालय के अन्दर विधायिका के

(श्री रामनारायण विश्नोई)

सदस्य होने के नाते हम भी हमारे कर्तव्य का वहां पर पालन कर सकेंगे। हमें इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि जिस प्रकार से न्याय पालिका ने अपना विश्वास लोगों में जमाया है उसी प्रकार कार्यपालिका और विधायिका भी जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अपने आचरण को सुधारे। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से विधि के क्षेत्र में और भी विधि की शिक्षा के क्षेत्र में इस शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए प्रदेश के अन्दर हमें बहुत ही अच्छा शिक्षा का वातावरण मिलेगा और हम बहुत अच्छे विधि विशेषज्ञ पैदा कर सकेंगे। इसी भावना से मैं एक बार फिर राज्य सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, 1999 राजस्थान सरकार का अच्छा प्रयास है और यह प्रयास सफल हो इसके लिए सदन दुआ करता है लेकिन, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आसन के मार्फत आपका कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इसी पेशे से जुड़े हुए हों, सनद में बैठने वाले बहुत से सदस्य इस पेशे से जुड़े हुए हैं, एक जमाना था तब वकील का या एडवोकेट का या कानून के ज्ञाता का सम्मान हुआ करता था। आज हालात बिलकुल विपरीत हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी पेरेंट्स कोई भी गार्जियन अगर उनको पहली प्रायोरिटी मिलती थी तो वे अपने बच्चे को विधि का ज्ञान दिलवाना चाहते थे, एडवोकेट बनाना चाहते थे, आज स्तर कानून का और वकालत का यह आ गया कि कहीं भी अगर एडमिशन नहीं मिलता हो और उसके 45 परसेंट नम्बर हो या पासिंग मार्क्स हो तो फिर मां–बाप कहते हैं कि अगर मास्टरी में भी एडमिशन नहीं मिल पाया चपरासी भी नहीं बन पाया तो वकालत कर लें। यह इस पेशे में आयी हुई गिरावट है। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो एक दिन सम्मानजनक पेशा था, आज उसकी हालत यह हो गयी। राजस्थान में खासकर कानून से जुड़े सवाल हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जोधपुर विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कर रहे है राजस्थान की सब यूनिवर्सिटीज पर डिस्कस नहीं कर रहे है।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसी पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : We are not discussing all the Universities. आप जोधपुर के सम्बंध में विचार दो कि इस विधि विश्वविद्यालय के बारे में क्या सुझाव हो सकते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाह रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

मैं आपसे सदन में निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस कानून के पेशे में इतनी गिरावट आ गयी कि अगर कहीं भी एम.ए. में बी.ए. में या दूसरे संकाय में उनको स्थान नहीं मिलता तो उसके मां–बाप थक हारकर यह फैसला करते हैं कि एलएल. बी. कर लो। हालत यह हो गयी कि जिस पेशे को सम्मान से देखा जाता था आज बाजार में वकील के नाम से उधारी नहीं मिलती। यह हुआ क्यों ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए आपके संदर्भ पर आ रहा हूं। यह एक अच्छा प्रयास होगा। मैं चाहूंगा कि यह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर इस मामले में कम से कम सार्थक हो कि अच्छे वकील निकले, अच्छे विधिवेत्ता निकलें। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे विश्नोई साहब कि न्याय पालिका का तो विश्वास जम गया और कार्यपालिका का और विधायिका का स्थान जनता की नजर में गिरा है। ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिकल में आपने भी देखा हैं और सरकार ने भी देखा है और देश ने भी देखा है। आज सारे तो जुडीशियल आफिसर खराब नहीं है, लेकिन हालात यह कर दी, कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में जिस तरह से हस्तक्षेप और जिस तरह से अतिक्रमण न्याय पालिका ने किया है, आज सरकार सरकार नहीं रह गयी। उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन वह भी आ सकता है, आज प्रशासनीय आदेश जो मंत्री करना चाहते हैं, अधिकारी करना चाहते हैं ट्रांसफर, मिसलेनियस एप्लीकेशन पर आप जाइये, हाई कोर्ट से स्टे ले आइये। यह भी कोई जूरिस्डिक्शन था ? आज मैं दूसरी बात कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। एक समय आ जाएगा, जूडीशियरी के मैं साथियों को सलाह देना चाहता हूं कि वे ईगोइस्ट न बनें। उनकों राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों से सब को नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जलन पैदा हो रही है। वे यह सोचते हैं कि जिस तामझाम से आर.ए.एस. आफिसर, ई.ए.एस. आफियर, आई.पी.एस. आफिसर रहते हैं, हमारा समाज में उतना दर्जा नहीं है। लेकिन न्याय पालिका में वही लोग जाने चाहिए जिनके दिमाग में प्रिजम्पशन नहीं हो। आज जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, एक दिन वह भी आयेगा की कारगिल में अगर पाकिस्तान ने हमला किया है देश पर तो जुडीशियरी के आफिसर हिन्दुस्तान सेना नहीं भेजे, अटैक नहीं करे, इस पर भी स्टे दे सकते हैं। जो उनका कार्य क्षेत्र है तीनों स्तम्भ है। यह आप सब जानते है कि कार्यपालिका की अपनी सीमाएं है, विधायिका की अपनी सीमाएं है और न्याय पालिका की अपनी सीमाएं है लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि न्याय पालिका ने दोनों विधायिका और कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप किया है। आज हालात न्याय की क्या हो गयी ? उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है "डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस।" आज

(श्री जगमाल सिंह यादव)

हालत यह हो गयी कि समय बीत जाता है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे भिनाय से आने वाले, दादा मुकदमा दर्ज करा जाओ और पोता और पड़पोता लड़ते रहो। मैं आपसे उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि अच्छे विधिवेत्ता आप इस विश्वविद्यालय में तैयार करेंगे, आप कोई न कोई ऐसा सिस्टम करेंगे कि वकालात के पेशे में और कानून के पेशे में जो गिरावट आ गयी, उसका राजस्थान में सम्मान बढ़ेगा, इसी उम्मीद के साथ सदन भी दुआ करता है कि आप जो बिल लाये है इस बिल का मकसद पूरा हो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : जगत सिंह दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है परन्तु जो थोड़ा बहुत भी है वह जरूर कहना चाहूंगा। यह विधि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है उसका तो स्वागत है परन्तु जगह को लेकर स्वागत नहीं है। जोधपुर में नहीं खोलना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए, जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उसमें ज्यादा खोलना चाहिए। जोधपुर तो बिलकुल कोने पर लगा हुआ है राजस्थान में। (व्यवधान) नहीं, आप बात नहीं करें। आप भी जोधपुर के हैं, मुझे पता है कि जोधपुर के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, इतनी चारों तरफ हस्तियां है। I know that very well. तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जोधपुर ही क्यों चुना ? अब अंधा बांटें रेवड़ी और फिर फिर अपनों को दें। हमारे मंत्रीजी जरूर झुंझुनूं के हैं पर मंत्रीजी इस बात को जानते हैं कि जितनी भी कोशिश हो सके, लूम लो। मुख्य मंत्री के ओर इनके भी ले लो। आपका ध्यान क्यों नहीं गया सीकर में ? आपके तो बिलकुल पड़ौस में था, सीकर में नहीं गया। आपका अलवर में जाना चाहिए था, आपका भरतपुर में जाना चाहिए था, आपका दौसा में ध्यान जाना चाहिए था। मतलब ऐसी क्या बात हो गयी कि आपको जोधपुर ही दिखाई दिया ? क्या हमारे लोग जो पिछड़े हुए हैं उसमें पढ़ने वाले लिखने वाले नहीं मिल सकते ? मैं आपको बताना चाहता हूं मुख्य मंत्री हुए हरिदेव जोशीजी, माही डैम बना दिया। पानी सारा का सारा ऐसी जगह ला दिया, ऐसा डैम कभी नहीं बना। इधर जहां झुंझुनूं में, सीकर में बनना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या मतलब है, माही नदी को अलवर लाते ?

श्री जगत सिंह दायमा : भरतपुर में बनना चाहिए, अलवर में बनना चाहिए। यह इधर तो डैम नहीं बना सकते थे। (व्यवधान) मुझे पता है, गुजरात और राजस्थान की इसमें साझेदारी है, थोड़ा बहुत तो मैं भी रहा हूं, 2–4 महीने तो मंत्री में भी रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन ज्ञान नहीं है, परन्तु वहां लिफ्ट योजना लाकर यह हुआ कि पानी सड़कों पर डोल रहा है और जहां पानी की आवश्यकता है, सीकर में

(श्री जगत सिंह दायमा)

आवश्यकता है, झुंझुनूं में आवश्यकता है, चूरू में आवश्यकता है, अलवर में आवश्यकता है, भरतपुर में आवश्यकता है वहां नहीं है। दूसरे इससे पहले मुख्य मंत्री हुए सुखाड़िया जी, सारे राजस्थान का विकास का पैसा झीलों की नगरी में जाकर ठोक दिया, सारा पैसा वहां लगा दिया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं इस मार्फत कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र है...

श्री उपाध्यक्ष : आपके भी शोभारामजी हुए।

श्री जगत सिंह दायमा : शोभारामजी भी +++ करते करते रह गये, जैसे हमारे मंत्रीजी कर रहे है, आपको बताऊं, और कुछ नहीं कर पायें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : भैंरोंसिंहजी सीकर के हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : सीकर के भैंरोसिंहजी है न तो मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले 9 साल में राजस्थान में कितनी भर्तियां हुई टोटल और कितनी भर्तियों में सीकर के कितने लोग थे ? राजस्थान में पहले नम्बर पर आ गये तो बताना।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप जो कह रहे हैं ना, हमारा एक बना था। (व्यवधान) हमारा एक बना था जगन्नाथ पहाड़िया, आपने कितने दिन बर्दाश्त किया राजस्थान में ?

श्री जगत सिंह दायमा : 6 महीने नहीं रहने दिया उनको।

श्री जगमाल सिंह यादव : जगन्नाथ पहाड़िया को कितने दिन बर्दाश्त किया। वे हमारे क्षेत्र के थे और पिछड़े थे। इसलिये आपने उनको हटा दिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमने 50 साल तक रखा उनको, पचास साल तक।

श्री जगत सिंह दायमा : इसलिये उनको नहीं रहने दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : इसलिये इस विश्वविद्यालय का तो स्वागत है परन्तु मैं यह चाहता हूं कि यह अलवर जिले में खोला जाये या सीकर में या भरतपुर में कहीं खोल दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर में कालेज की आवश्यकता है, विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : आपकी परफारमेंस देखने के बाद में सीकर, भरतपुर, अलवर में कालेज की आवश्यकता है, विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये कालेज की बात नहीं कर रहे है, ये तो डैम की बोल रहे हैं। सीकर में डैम ला रहे हैं वे, कालेज की तो चर्चा ही कहां है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह पिछड़ा क्षेत्र है, मुझे भी पता है। जोधपुर की तरफ

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगत सिंह दायमा)

कौन ध्यान नहीं देता, जोधपुर के 5–5 मिनिस्टर रहे यहां पर, चार चीफ मिनिस्टर हो गये, कौन ध्यान नहीं देता ? इसलिये मेरा यह मानना है कि इस विश्वविद्यालय को अगर जोधपुर का निर्णय ले लिया तो स्वागत है, परन्तु आगे अगर खोला जाए तो अलवर और भरतपुर की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : नाम सीकर का भी लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोले क्या ? बोलिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह महुआ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

डा. रामप्रतापजी।

विधेयक का पारण

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, इसका कंसेप्ट सिर्फ यह है कि लगातार बार कौंसिल आफ इण्डिया इस बात से चिंतित थी कि कानून के स्तर में जोर गिरावट आ रही है इसको किस तरीके से रोका जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह खोला जा रहा है। एलएल.बी. का कोर्स 3 साल का था, इसमें हायर सैकण्डरी के बाद में बच्चे काम्पीटीशन के जरिये 5 साल का कोर्स करे, इसी सोच के साथ सबसे पहले यह विधि विश्वविद्यालय बैंगलोर में शुरू किया गया। बैंगलोर का स्टेंडर्ड आज की तारीख में इतना है कि वहां पर बच्चों को कैम्पस में ही 2–2 हजार रुपये की नौकरी दी जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि ये काम्पीटिशन के जरिये आएंगे और थ्रू–आउट इण्डिया से इसका काम्पीटिशन होगा तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के बच्चों के लिये इसमें आप क्या करने जा रहे हैं ? पूरे हिन्दुस्तान से काम्पीटीशन में आएंगे और हमारे राज्य में यह बनने जा रहा है, हमारे लिये गर्व की बात है तो राजस्थान के बच्चों के लिये इसमें विशेष आरक्षण या ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। यह एक बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भवंरलालजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का विस्तार जितना हो वह हमेशा ठीक रहता है। हर व्यक्ति की इच्छा है कि शिक्षा का विस्तार हो। उस संदर्भ में ही आप बिल लाये हैं कि जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय खोला जाए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ धाराओं की तरफ भी आपका ध्यान दिलाऊंगा, आप जरा देख लें You should bear with me. आपने इसको नेशनल स्तर पर कर दिया, लेकिन जोधपुर के बाहर कहीं भी आप इसकी शाखा खोलेंगे इसका इसमें प्रोविजन नहीं है। यह जोधपुर में रहेगा और इसकी ब्रांचेज, इसकी और इंस्टीट्यूशन आप खोलेंगे, इसका प्रोविजन नहीं है।

दूसरा यह है कि, जैसे माननीय सदस्य कह रहे थे कि विश्वविद्यालय के चांसलर राजस्थान में गर्वनर हैं, आपको क्या आवश्यकता पड़ी है कि उनको हटाकर, उनको छोड़कर आप हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यहां लाएंगे ? कहां तो उनको टाइम मिलेगा, कहां हमारा विश्वविद्यालय का प्रशासन होगा, वह कैसे कंसल्ट करेगा उनसे ? यह लोगों की शंकाएं हैं। इस समय जो राज्यपाल हैं वे आपकी ...(व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : भंवर लालजी, आप इतने विद्वान आदमी हैं, सारे जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, जे.एन.यू. बनी हुई है उनके सबके विजिटर, सभी चांसलर राष्ट्रपति या....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं वह नहीं कर रहा हूं।

श्री सी.पी.जोशी : जब नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका चांसलर चीफ जस्टिर होगा। आप गर्वनर को ड्रेग करके कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी करना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं विजिटर के लिये नहीं कह रहा हूं। मैंने पहले कहा राष्ट्रपति...

श्री सी.पी. जोशी : आप बताइये गर्वनर का.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : राष्ट्रपति विजिटर हो सकते हैं। विजिटर की नहीं कर रहा हूं मैं, चांसलर की बात कह रहा हूं।

श्री सी.पी.जोशी : Because it is a national University और ला की बन रही है इसलिए चीफ जस्टिस को इन्वाल्व कर रहे हैं। इसका कोई कोरिलेशन इसके साथ नहीं है। आज जैसे मेडीकल इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अन्दर...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब यह सवाल कहां से शुरू हो गया ? यहां जवाब यहां से होगा कि वहां से होगा ?

श्री महेश जोशी : आपको तो गर्वनर साहब को खुश करना है।

श्री रामनाराण चौधरी : तो वह हालत होगी जो आपकी सरकार की, चतुर्वेदीजी की और भैंरोसिंहजी की हुई थी जयपुर की यूनिवर्सिटी बनने के बारे में। वह गति करवाना चाहते हैं क्या आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप जब बोल रहे थे ना तो आपने यही कहा था कि उनकी हालत क्यों बिगड़वाते हो। आपने यह कहा था। अब आप फिर भूल गये उस बात को। मैं तो आपकी बात को दोहरा रहा हूं, मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूं। आपके मन में क्या है, बोलते क्या हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह आपने बहुत जल्दबाजी में बनाया है, यह बात तो सही है। जल्दबाजी का इसलिये पता पड़ता है, इसलिये बता रहा हूं आपको कि आप ये सैक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी बातें ऐसी रह गयीं है जो नहीं रहनी चाहिए। उनका अमैंडमैंट करना जरूरी है। यह जो आपने हमारे को बिल दिया है, बहुत कम समय दिया है इसका अध्ययन करने के लिये। मेरा तो विश्वास है कि सदन के अधिकांश माननीय सदस्य इसको पढ़ नहीं पाये, चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाये होंगे। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

देखिये, यह जो आपका सैक्शन 12 है, मैं अंग्रेजी में निवेदन कर रहा हूं आपको

"(1) The Executive Council shall be the Chief Executive body of the University.

(2) The administration, management and control of the University shall be vested with the Executive Council, which Shall control and administer the property and funds of the University. एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी वह। यह क्या करेगी ? कंट्रोल करेगी प्रापर्टी को और फण्ड्स को। यह आपने इसमें जगह छोड़ दी। तो यह कहीं न कहीं गलती है, इसको आप ठीक करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर कभी बोल लेना ना ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर आपने यह जो जनरल कौंसिल है, इसका गठन किया है वह भी स्टूडेंट्स के साथ किया। आपने इसको स्टूडेंट्स में डाल दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर कल चर्चा नही करवा सकते क्या ?

श्री भवंरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, करवा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर आप कल पढ़ पर आ जाएं ताकि कल चर्चा हो जाए इस पर आराम से।

श्री महेश जोशी : आप तो अभी पढ़कर बोल रहे हैं। आप पढ़कर तो बोल रहे हैं ना ? आपके पहले जो लोग बोले, वे बिना पढ़े ही बोले।

(17.00 बजे)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो ज्ञान की बात है। अपन में अक्ल है, इसमें क्या करें ?

श्री जगत सिंह दायमा : आपकी नेता तो पढ़कर बोलती है इसलिए कह रहे हैं। आपकी नेता की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने अपने जनरल कौंसिल में जो सदस्य रखें हैं एटार्नी जनरल आफ इण्डिया रखें हैं एक तो आपने और एक हैं चेयर परसन आफ यूनिवर्सिटी आफ ग्राण्ट्स कमीशन। मेरी यह मान्यता है कि ये इस कमेटी की मीटिंग में कभी आ ही नहीं पाएंगे। ये इतने बड़े लोग हैं कि आपके इस काम के लिए कभी आ पाएंगे, यह बहुत मुश्किल होगा। इसलिए यह अनावश्यक है। इनके बजाए तो किसी और को जोड़ते तो ज्यादा अच्छा होता।

फिर आपका यह जो टर्म आफ आफिस मैम्बर्स आफ द जनलर कौंसिल है, इसमें सैक्शन फोर है—

"(4) A member other than ex-officio member of the General Council may resign his office by a letter addressed to the chairman and such resignation shall take effect as soon as such resignation is accepted by the chairman." अगर वे एक महीने, दो महीने एक्सेप्ट नहीं करें तो क्या होगा ?

एक माननीय सदस्य : बना रहेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यदि किसी कोई दूसरी जगह पर जाना है, और वह इस्तिफा दे देता है तो Why it should linger on ? आप इसमें यह कर दीजिए की अगर यह एक्सेप्ट नहीं हो तो एक सप्ताह में एक्सेप्ट मान लिया जाएगा।

सैक्शन 6 है आपका : "The Vice-Chancellor shall preside over the meetings;

Provided that the chancellor may attend any meeting of the General Council and if he so attends...."

यह लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर वह आएगा इसमें तो अपने नाम ही प्रिसाइड करेगा। उसको तो कानून में कुछ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि नोट कर लो।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह बात तो आते ही पूछ रहे थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब आपका सेक्शन 10 है, यह जल्दबाजी में

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कैसे आया, मैं वह उदाहरण देता हूं। अब समझ लो आप।

"Section 10. Meeting of the Executive Council. (1) The Executive Council shall meet at least once in six months and not less than fifteen days notice shall be given of such meeting.

(2) Five members of the Executive Council shall consititute a quorum."

पांच आदमी होंगे तब कोरम होगा। कुल मैम्बर कितने हैं ? 9 मैम्बर में पांच आदमियों का कोरम होगा, यह लिखा है आपने। (व्यवधान) अच्छा है, नौ में से पांच, बहुमत ही हो गया न यह तो। (व्यवधान) देख लीजिए। मुझे आपत्ति नहीं है।

फिर आपने सब सैक्शन पांच में लिखा है–

Every meeting of the Executive Council.....

श्री उपाध्यक्ष : 11 मैम्बर हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 9 हैं। ग्यारह भी हैं तो पांच...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : टोटल 11 हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : और उसमें पांच मैम्बर्स कोरम है।

श्री उपाध्यक्ष : Nine and two eminent persons nominated by the chancellor working in the field of law and education.

श्री भवंरलाल शर्मा (हवामहल) : खैर, यह पांच का जो आपने लगाया है, वह देख लजिए आप। मैं नहीं समझता। कोरम नहीं होगा पूरा, मीटिंग नहीं होती रहेगी। फिर आपने आगे लिखा है :

"Every meeting of the Executive Council shall be presided over by the Vice-chancellor and in this absence by a member chosen by the members present to preside on the occasion."

यह और कहीं नहीं लिखा है आपने, केवल यहां पर लिखा है। बाकी अगर कोई चेयरमैन नहीं आता है तो आपने यह क्लाज जोड़ा नहीं कहीं पर। (व्यवधान)

फिर आपका सैक्शन–12 है, रिजर्वेशन् आफ पोस्ट्स एण्ड सीट्स।

"(1) The executive Council may, by regulations provide of the reservation of teaching/non-teaching posts and also for seats for the students of the Rajasthan State belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes."

इसमें आप महिला को भूल गये। (व्यवधान सैक्शन 12 है न, वह आपको मिल गया ? नहीं, मेरा काम तो कहने का है, सैक्शन 12 है, पेज–67 पर है। इसमें आपने

(श्री भवंरलाल शर्मा)

बिलोगिंग टू एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. तो कर दिया पर ये जो महिलाएं हैं इनको आपने नहीं रखा। मैं समझता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वन थर्ड रख रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वन थर्ड नहीं तो कुछ तो रखिये। इनका रिजर्वेशन तो करिये। (व्यवधान)

अब आप सैक्शन 16 देख लीजिए। सैक्शन 16 में आपने लिखा है कि :

"(1) The Academic Council shall meet as often as may be necessary.

(2) One half of the total number of the academic Council shall from the quorum. One half of the total number.

जितने मैम्बर होंगे, उसके आधे लोग होंगे तब कोरम बनेगा। (व्यवधान) क्या होगा तब वे नहीं आएंगे तो ? मीटिंग ही नहीं होगा, कोरम ही नहीं बनेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : कानून तो पास ही नहीं हुआ और आपने पढ़ना भी शुरू कर दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सैक्शन 17 है। सैक्शन 17 में सब–सैक्शन चार है :

"(4) The Finance Committee shall meet twice every year. Five members of the Finance Committee shall form the quorum.

अब सिक्स तो मैम्बर हैं आपकी फाइनेंस कमेटी में और पांच का कोरम रख दिया आपने। (व्यवधान) मैं रक्षा करने के बोल रहा हूं। आपके मैम्बर तो छह हैं और पांच का कोरम कर दिया। अगर आपने यह बहुत जल्दबाजी में नहीं बनाया तो ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : छह मैम्बर हैं और पांच का कोरम है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जल्दबाजी में नहीं बनाया तो और क्या है ? जैसे रामनारायणजी कह रहे थे कि बहुत जल्दबाजी में बनाया है, देखिये आप, छह आदमी हैं और पांच का कोरम। पहली बार हो रहा है यह।

फिर आगे सैक्शन 18 है आज दी अपाइंटमैंट्स...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि सदन के अन्दर एक बहुत महत्त्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है और एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य बोल रहें और माननीय मंत्रीजी बातों में मशगूल हैं। यह कानून की बात है। मैं समझता हूं मंत्रीजी, यह जो आपने उत्तर बना...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : वे जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह लिखें तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह बता दें कि कौनसी धारा के अन्तर्गत संशोधन आपने मूव किया है। इन्होंने 11 संशोधन मूव किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वे जवाब देंगे। इनकी बात इनकारपोरेट नहीं हो जब बोल लेना आप। वे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुनो आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह मूल रूप से अव्यवस्था का प्रश्न था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सैक्शन 18.

श्री उपाध्यक्ष : पता नहीं कैसे मालूम हो गया, जादू है क्या ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कर रहे होंगे। मेरा विश्वास है कर रहे होंगे।

सैक्शन 18 लीजिए :

"(1) All the appointments to the teaching and the non-teaching posts of the University shall be made only after abtaining the prior and written approval of the state Governement and the Chancellor."

यदि आपको विश्वविद्यालय में एक चपरासी भी रखना होगा, एक चौकीदार भी रखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा ? आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले तो गवर्नमेंट और फिर चांसलर साहब से। तो इतना इसमें...(व्यवधान) हां यह लिखा है, all the appointments to the teaching and the non-teaching posts.... जिसमें चपरासी भी आता है।... of the University shall be made only after obtaining the prior and written approval of the State Government and the Chancellor.

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं तो आपके जयपुर में हुए वे हालात हो जाएंगे, इनको आजादी मिल गयी तो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यानि गवर्नमैंट से पूछ कर एक चपरासी रखना होगा ? खैर देख लीजिए इसको ।(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जो भी अपाइंटमैंट होगा, गवर्नमैंट से पहले पूछा जाएगा, डाइरेक्ट भाई–भतिजावाद नहीं होगा, जैसे बी.जे.पी. के राज में हुआ है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है। जब कोई इमरजेंसी होगी, तो क्या होगा ? आप यह कर दीजिए कि कुछ समय के लिए अपाइंट कर दें और परमिशन ले लें नहीं तो रिजैक्ट कर दें उसको। कभी–कभी आवश्यकता हागी तो आपको ही डिफिकल्टी आएगी, इसलिए आप टैम्परेरी अपाइंटमैंट

(श्री भंवरलाल शर्मा)

महीने का, दो महीने का दे दीजिए, And take the approval. It is upto you. मैं समझूंगा इसमें बहुत दिक्कत आएगी आपको। नहीं आये तो करे जाओ।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा होगा तो सब वैसे ही हो जाएंगे जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो गये ।(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दिक्कत आएगी।

श्री उपाध्यक्ष : दिक्कत आएगी तो अमैंडमैंट आ जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वापस चांसलर का अपाइंटमैंट होगा तो उसमें, 19 ...(व्यवधान) सैक्शन 19 में एक कमेटी बनेगी और वह कमेटी पैनल भेजेगी। वाइस चांसलर का पैनल बनेगा उसके अपाइंटमैंट के लिए।

"(4) The Selection Committee shall submit a panel of at least three persons for appointment to the position of Vice-Chancellor for the consideration of the Chancellor." चांसलर को आप भेज देंगे, आपने लिखा, पर क्या होगा ? पैनल चला जाएगा तो चांसलर क्या करेंगे ? अगर मान लो एप्रूव नहीं किया किसी को तो ? तीन आदमियों को एप्रूव नहीं किया तो क्या होगा ? तीन ऐसे हो सकते हैं कि उनका नाम एप्रूव नहीं हो, तो उनको कुछ तो डिस्क्रिशन दो कि मैं पैनल एप्रूव नहीं करता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : ऐसा क्यों सोचते हो ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, कई बार होता है। यह हो सकता है। क्योंकि इसमें लिखा गया है वाइस चांसलर अपाइंट होगा तो गवर्नमैंट कंसल्टेशन होगा। गवर्नमैंट को बीच में क्यों डाल दिया इसमें ? इसलिए यह इन्टरफियरेंस है, यह नहीं होना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं करोगे तो गवर्नर साहब ने जैसी आपकी हालत की, वैसी हो जाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर आपने लिखा है इसका भी आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। यह अपका सैक्शन 28 है : "Every Student of the University shall reside in a hostel maintained or recognised by the University under such conditions as may be prescribed by the regulations."

यानि कोई भी विद्यार्थी अगर जोधपुर में भी रहता है तो उसको हास्टल में रहना जरूर पड़ेगा।

"Every student of the University shall reside..."

अगर गरीब आदमी है उसका मकान है तो यह क्या बात हुई ? मान लो ओ.बी.सी. का है फिर क्या मतलब हुआ ? खैर, आपकी मर्जी है न यह तो। हम कहतें है इसका

(श्री भंवरलाल शर्मा)

विरोध है, ठीक नहीं है। यह ठीक नहीं है।

फिर आपने सैक्शन 30 लिखा है–

"The General Council may on the recommendation of the Executive Council withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on or granted to any person by a resolution passed by the majority of the total membership of the General Council and by a majority of not less than two thirds of the members of the General Council present and voting at the meeting, if such person has been guilty or gross misconduct."

आपने किसी को डाक्टरेट दे दी, कोई डिग्री कन्फर्म कर दी। तो आप उसी डिग्री वापस ले सकते हैं। ग्राउण्ड क्या दिया है। If he has been guilty of gross misconduct. ग्रास मिसकन्डक्ट क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया है आपने। ग्रास मिसकन्डक्ट क्या माना जाएगा, यह डिफाइन नहीं किया है आपने। जिस आदमी को आप सम्मानित कर देंगे, डाक्टरेट की डिग्री दे देंगे उसको मनमर्जी से हटाने के लिये आप उसकी डिग्री वापस लेंगे क्या ? यह बड़ा अपमानित होगा। इसलिए ग्रास मिसकण्डक्ट को आपको डिफाइन करना चाहिये कि what is the gross misconduct ? इसमें कहीं नहीं लिखा है आपने।

मेरा निवेदन यह है कि आपने यह ड्रफ्ट बहुत जल्दबाजी में किया है । आप भी जल्दी में थे। यह तो आपने जल्दबाजी में किया, कोई बात नहीं है लेकिन जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर आपको लगता है कि इनमें सुधार की आवश्यकता है तो इसको आप जैसे कह रहे हैं, प्रतिष्ठा का तो सवाल बनाइये मत। यह कानून की बात है, महेश जी, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर गंभीरता से विचार करके जो मैंने सुझाव रखें है उनको एक बार फिर देख लें, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी आपको और जिस मंशा से आप यह लाए हो, वह मंशा आपकी पूरी नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्षजी, नेशनल ला यूनिवर्सिटी, जोधपुर बिल का स्वागत करते हुए मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यद्यपि आपने इस बिल में रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है राजस्थान के छात्रों के लिये, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज के छात्रों और वहां पढ़ाये जाने वाले लोगों के लिए, लेकिन राजस्थान के दूसरे विश्वविद्यालयों के पिछले 50 सालों के हालात के बारे में मैं बार–बार आपके सामने तथ्य लाता रहा हूं, कम से कम यह जो नया विश्वविद्यालय बने, इसमें तो आरक्षण नियमों की कड़ाई से पालना की जाए ताकि यह देश में अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण बने। आपको मालूम

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में, पिछली बार आपने सदन में आंकड़े दिये थे कि 304 नियुक्तियों में मात्र सात अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों को नौकरी मिली। ऐसी व्यवस्था कम से कम इस विश्वविद्यालय में नहीं हो। जो राजस्थान के दूसरे विश्वविद्यालय हैं उनमें अभी हवामहल से आने वाले माननीय भंवरलालजी शर्मा कह रहे थे कि गवर्नमैंट का इन्टरफियरेंस नहीं होना चाहिये। मेरा ऐसा मानना है कि स्वायत्ता के नाम पर यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर, वहां की सिंडीकेट, ये इतनी निरंकुश होती जा रही हैं कि सरकार की किसी मंशा को, आपके किसी आदेश को, आपके किसी आर्डिनेंस को अपनी मनमर्जी से इम्प्लीमैंट करते हैं, मनमर्जी से उसका पालन करते हैं। खास तौर से यह स्थिति इन पिछले आठ–दस महीनों से रही, चाहे जो भी इसके कारण रहे हों। चूंकि हम स्थायी वाइस चांसलर नहीं बना सके, जो एडहाक वाइस चांसलर बैठे हुए हैं उन के सबके मन में बिलकुल निरंकुशता का भाव बना हुआ है। हर व्यक्ति समझता है कि वह किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता और स्वायत्ता के नाम पर मर्जी आये जो नियुक्तियां, मर्जी आये जो प्रमोशन। पिछली की गयी गलतियों को दुरूस्त करने के बजाय उन्हीं गलतियों को वापस सही करके इम्प्लीमैंट करने की जो साजिश इन यूनिवर्सिटीज में होती रही है, उस ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसी आशा के साथ में कि आपने सुधार के जो कदम उठाये हैं उनमें और ज्यादा गति लाएंगे और जोधपुर ला यूनिवर्सिटी जो बन रही है उसमें कम से कम आरक्षण के नियमों का पूरा–पूरा पहले सैशन से प्रावधान सुनिश्चित करेंगे, मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए उपाध्यक्षजी को धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर आल इण्डिया ला यूनिवर्सिटी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई और माननीय सदस्यों से भिन्न–भिन्न प्रस्ताव आए। मुख्य रूप से माननीय सदस्य जो भिनाय से आते हैं, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में स्पेशलिटी क्या होगी ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से अन्य विषयों के अलावा जो ला के डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनके बारें में रिसर्च का प्रोविजन है। जो जुडीशियरी आफिसर हैं, एडवोकेट्स हैं उनके रिफ्रेशर कोर्स है, जैसेकि भिन्न–भिन्न समय पर मेडिकल टीचर्स के और अन्य के रिफ्रेशन कोर्सेज होते हैं, जो कि अभी नहीं है और एक आपस में समन्वय की भी स्थापना होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया कि विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है वह पूरा जब इन्फ्रास्ट्रक्चर बन जाए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य राठौड़ साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आप पहले मंत्रीजी को कहते हो कि नहीं सुन रहे हैं, अब वे बोल रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हो।

डा. जितेन्द्र सिंह : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी जो मंशा और चिन्ता जतायी, वह स्वाभाविक है, ठीक है। इस स्तर के विश्वविद्यालय का इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो इसका अम्पैक्ट एक नेशनल ला यूनिवर्सिटी के रूप में नहीं होगा। उनकी यह सोच सर्वथा सत्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में पूर्व में ही जोधुपर विश्वविद्यालय के लिये अलग से 30 एकड़ भूमि अलाटमैंट के लिये कार्यवाही की जा चुकी है, यह मैं माननीय स्दस्य को अवगत कराता हूं। इस विश्वविद्यालय के लिये अलग से पांच साल का दस करोड़ रुपया बजट प्रदान है जिसमें करीबन सात करोड़ नान रैकरिंग है और तीन करोड़ रैकरिंग है। तो यह उसके लिये अलग से व्यवस्था की गयी है कि विश्वविद्यालय का यह स्वरूप हो। और जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको एक अच्छी व्यवस्था मिले।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह यूनिवर्सिटी टोटली डे–स्कालर यूनिवर्सिटी है। इसमें सभी स्टूडेण्ट्स को हास्टल में रहना जरूरी है क्योंकि वे हास्टल में रहकर उदासी एटमोस्फियर में पढ़ेंगे, वही एटमोस्फियर उनको मिलेगा। इसलिए उनके लिये यह आवश्यक है कि वे सभी वहीं विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहे। यह व्यवस्था जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर में ही क्यों। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के संस्थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में हाई कोर्ट और उनका एक एटमोस्फियर होना अत्यंत आवश्यक है। अब अगर कोई मेडिकल कालेज गांव में खोल दें तो It needs a 500 beded hospital. इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वह यूजलैस है, भले ही खोल दें। लेकिन जो लाभ मिल सकेगा, हमें एक राष्ट्रीय स्तर का लाभ मिल सकेगा। वह तो जहां हाई कोर्ट स्थापित है, वहीं से होगा। बार कौंसिल आफ इण्डिया ने 1995 में ही जोधपुर का चयन कर लिया था। यह निर्णय इस सरकार ने नहीं किया है, 1995 में बार कौंसिल आफ इण्डिया ने उत्तरी भारत में एक मात्र जोधपुर स्थान का चयन किया था।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वित्त मंत्री कटौती तो नहीं कर देंगे 10 करोड़ के अंदर ? आपको पता है न सब ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूछ तो लो।

डा. जितेन्द्र सिंह : आशा है नहीं करेंगे। (व्यवधान) हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने बहुत–से विचार प्रस्तुत किये, यह जो विधेयक बना है उसके बारे में उन्होंने तकरीबन हर पाइंट पर अपने विचार

(डा. जितेन्द्र सिंह)

रखे। उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बनने में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और न्यायाधिपति थे, जो हैड आफ दी डिपार्टमैंट थे उन सभी का सहयोग प्राप्त किया गया है और मैं समझता हूं कि उनके सहयोग से जो भी विधेयक निर्मित किया गया है उनमें निश्चित रूप से इन सभी पक्षों को देखा गया है । उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं तो सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस विधेयक को पारित कर अनुग्रहीत करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999 पारित किया गया।

शासकीय संकल्प। श्री शांतिकुमार धारीवाल, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री विचार एवं पारण हेतु संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

शासकीय संकल्प

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन विधेयक, 1999 का अंगीकरण

श्री शांतिकुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, "Whereas the Unban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976) was enacted by Parliament in pursuance to the provision of article 252 of the Constitution ;

Whereas the aforesaid Central Act was adopted w.e.f. 9-3-1976 for the State of Rajasthan by a resolution passed by the Rajasthan State Legislature;

Whereas the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976) has been repealed as respect to the States of Haryana and Punjab and all the Union territories w.e.f. 11th January, 1999 by the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Act, 1999 (Central Act No. 15 of 1999)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause (2) of Article 252 of the Constitution of India, this House adopts the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Act (Central Act No. 15 of 1999).

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : यह आप का पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप हिन्दी में पढ़ कर बताएं क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : हो गया आपका, ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह जो रिजोल्यूशन पेश किया है, मैं थोड़ा–सा इस कानून के बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। 1976 में यह कानून बना, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधान मंत्री थी। सामाजिक न्याय का एक दौर चल रहा था और सामाजिक न्याय के लिए इंदिराजी कटिबद्ध थीं। वे यह चाहती थीं कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो जो लोगबाग सामाजिक न्याय पाने से वंचित हैं उन्हें सामाजिक न्याय दिया जाए। देहाती क्षेत्र में 1974 में स्पैशल प्रोविजन कर के जो भूमिहीन, आवासीय भू–खण्ड से विहीन लोग थे उनको आवासीय भू–खण्ड आवंटित किये गये। एक अच्छा माहौल देश में बना और वह एक क्रांतिकारी कदम था।

उपाध्यक्ष महोदय, उसी सन्दर्भ में यह भी सोचा गया कि जो शहरी क्षेत्र में लोग हैं उन्हें भी कुछ राहत मिले। एक चर्चा चली कि शहरी क्षेत्रों में बड़ी–बड़ी भूमियां, आवासीय भूमियां लोगों ने दबा रखी हैं, उनका सदुपयोग किया जाए तो बहुत–से लोगों को राहत मिल सकती है। आज हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में एक असंतुलन बना हुआ है, कुछ लोग झोपड़ियों में बसते हैं, रोजाना उनको उखाड़ा जाता है और कुछ लोगों के कई एकड़ के मकान बने हुए हैं। एक मकान कुछ गज में बना हुआ है और आस–पास में कई एकड़ की जमीन पड़ी हुई है। यदि उसका उपयोग हो तो लोगों को राहत मिल सकती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिराजी ने इस कदम को उठाया है और ऐसा कानून लायीं कि जिससे आर्थिक और सामाजिक असमानता में कुछ सुधार हो।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि आज एक दूसरा विचार पनप रहा है। केन्द्र की सरकार जो इतना अच्छा कदम था उस कदम को आगे नहीं बढ़ने देकर उस कानून को ही खतम करने जा रही है। कहा जा रहा है कि वो जो कानून बना था उसकी पालना में बहुत कम जमीन मिली। यह तो देश की ब्यूरोक्रेसी का हाल है और उन राजनीतिक दलों की मानसिक रूग्णता का हाल है जो इतने अच्छे कानून का उपयोग नहीं कर पाये और जो लोग इसके अधिकारी थे उन लोगों को इसका फायदा नहीं दिया गया। किसी न किसी तरह से इस कानून से बचने की चेष्टा की गयी और वह जमीन जो अवाप्त करनी चाहिए थी, जो जमीन गरीबों में, दूसरे लोगों में बांटकर देश में जो आवासीय समस्या बनी हुई है उसको मिटाने के लिए, उस समस्या का हल करने के लिए जो कदम उठाये जाने थे वे कदम नहीं उठाये गये। आज केन्द्रीय मंत्री महोदय ने एक तरफा घोषणा कर दी कि इस कानून से कोई फायदा नहीं है, इस कानून से जो दृष्टिकोण सामने

(श्री शिवनाथ सिंह)

रखा गया था वह पूरा नहीं हो पाया, जिन्हें प्राप्त नहीं हो पायी इसलिए इस कानून को ही खतम कर दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी पीड़ादायक बात कोई नहीं हो सकती। कानून को इम्प्लीमैंट नहीं किया गया और इम्प्लीमैंट जानबूझकर नहीं किया गया। उसके बाद यह कहा जाए कि कानून की अनुपालना में हमको वांछित जमीन नहीं मिली इसलिए कानून को खतम कर दो, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि देश की सिर्फ दो सरकारों ने इस रिजोल्यूशन को एडाप्ट किया है और वह सरकार हरियाणा है । जिस वक्त यह समस्या आयी, हरियाणा की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था, उनके दबाव में हरियाणा सरकार को यह करना पड़ा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा प्रांत सामाजिक न्याय की दृष्टि से अग्रणी रहा है हमने काश्त की जमीनों पर सीलिंग लागू की और जो भूमिहीन थे उनको जमीन देने की भी चेष्टा की। कितनी मिल पायी कितनी नहीं मिल पायी, यह दूसरा प्रश्न है लेकिन आज भी वह सीलिंग कानून हमारी किताबों में मौजूद है और जहां भी संभव हो उसी पालना में जिन लोगों के पास सीलिंग से अधिक जमीन है वह ली जा सकती है। आज हम देखते हैं हमारे प्रदेश में बड़े–बड़े राजा –महाराजा, जागीरदार, सेठ–साहूकार शहरों में जो बसे हुए हैं उनके पास बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार की जमीन है जो इस कानून की पालना में ली जा सकती थी, नहीं ली गयी है। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कानून जो सेंट्रल गवर्नमैंट ने खतम कर दिया है, हमारे यहां आज भी हम इसको लागू रख सकते है। हमारे ऊपर कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है कि हम इस कानून को जो वहां रिपील किया गया है, उस रिपील को एडाप्ट करें। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इसमें थोड़ी हिम्मत दिखाएं। आज की केन्द्र सरकार जो प्रतिक्रियावादी है, सामाजिक न्याय की विरोधी है उसका दबाव हो सकता है, उस दबाव में हमें नहीं आना चाहिए और एक अच्छा कानून जो सिटीज पर है उस कानून को हमें रखना चाहिए और उसकी अनुपालना करनी चाहिए।

शहरी सम्पत्ति पर, शहरी जमीन पर आपने सीलिंग खतम कर दी। दूसरी बात में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कल मांग उठेगी कि हमारी काश्त की जमीनों पर सीलिंग क्यों है ? यह सवाल उठने वाला है और उसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये भेदभाव होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमिहीन हैं और उनको आस है कि हमें कभी जमीन मिलेगी, उनके ऊपर इसका विपरीत असर पड़ेगा। इस भेदभाव को रोकने के लिए और यह सामाजिक न्याय का अच्छा कानून है, इसको कायम रखने के लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा

(श्री शिवनाथ सिंह)

कि इस रिजोल्यूशन को यहां पास नहीं कराएं और हमारा प्रांत जो सामाजिक न्याय देने में अग्रणी रहा है उस छवि को हम बनाये रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस रिजोल्यूशन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिजोल्यूशन शहरी विकास मंत्री महोदय ने हमारे सामने रखा है केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्री जब से श्री रामजेठमलानी बने, इस देश की उन ताकतों के हिमायती हैं जिनका संग्रह के प्रति विश्वास है। जो अनाप–शनाप सम्पत्ति संग्रह करने में लगे हुए हैं, उन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए दिल्ली के इस कानून को रद्द किया गया। अब वही मंत्रालय पूरे देश के अन्दर इस बात की चेष्टा कर रहा है कि यह सब जगह अडाप्ट किया जाए और उन्हीं की तर्ज पर चला जाए। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया, पूरे देश के अन्दर सिर्फ दो ही प्रदेश हैं, एक पंजाब और एक हरियाणा, जिन्होंने इसे अडाप्ट किया हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब उन प्रतिक्रियावादी ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है जो साम्प्रदायिक हैं, धार्मिक हैं और पूंजीवादी प्रवृत्ति की पोषक हैं। उन्हीं ताकतों को बल देने वाली सरकार हरियाणा में भी थी, जो दिल्ली में है।

मान्यवर, 1976 में देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कमजोर तबके को मजबूत करने के लिए और जिनके पास अनाप–शनाप प्रापटी शहरों के अन्दर है उस पर अंकुश लगाने के लिए यह कानून बनाया था जिनके पास है उनसे लिया जाए और जिनके पास नहीं है उनको दिया जाए, इस दृष्टि से उस जमाने की जो सामाजिक शक्तियां थीं उन्होंने यह कानून बनवाया था। उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे कहते हुए दुःख होता है कि जिनके मर जाएं बादशाह उनके रूलते फिरें वजीर। आज स्थिति यह हो गयी कि गरीब तबके के बादशाह के रूप में केन्द्र में, देश में इंदिरा गांधी जो एक शक्ति थी, उसके उठ जाने के बाद धीरे–धीरे कमजोरी आयी। 1989 के बाद पूरी तरह से देश के अन्दर ये शक्तियां हावी हो गयीं, जिनका समाज के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं था। येन–केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से अपना काम चलता रहे, उस दृष्टि के लोग इसमें आये और आज तक वे विद्यमान हैं। जैसा कि पूर्व में माननीय सदस्य ने फर्माया जेठमलानीजी ने यह तर्क दिया है कि इस कानून के बनने के बाद जो वांछित उम्मीदें थी उस हिसाब से जमीनें नहीं आयीं। मान्यवर, आयी या नहीं आयीं, इस बात का मुझे नहीं पता लेकिन जिस दिन यह कानून बना, आपको तो पता है सारे देश के अन्दर एक हलचल हो गयी थी। जिनके पास अरबन लैंड थी, अरबन लैंड

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

हजार मीटर के कितने ही मकान मिल जाएंगे, ढाई हजार मीटर के भी मिल जाएंगे। होटल हैं उन पर भी लागू होना चाहिए था, पर आगे का काटकर क्या कर लोगे आप ? तो यह एक्ट बिलकुल चला ही नहीं। नरसिंह राव गवर्नमैंट जो आयी, मनमोहन सिंहजी ने खुद कहा कि यह अल्सर एक्ट तो हटना चाहिए तब ही जाकर हाउसिंग इण्डस्ट्री बढ़ेगी। हाउसिंग इण्डस्ट्री जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक अपनी इकोनोमी आगे नहीं बढ़ेगी। लिबरेलाइजेशन जब लेकर आये मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था, यह जरूरी है कि अल्सर जाना चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूं, धारीवाल साहब कि आपने हिम्मत की है, आप यह लेकर आये हैं और दूसरे भी स्टेट लेकर आएंगे। यह बहुत बड़ी हिम्मत आपने की है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप कुछ फर्माएंगे ?

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बाद में बोल लें। मंत्रीजी सक्षम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कहां है नाम ?

श्री सी.पी.जोशी : आपका तो नान स्टैंड है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने दिया है क्या नाम ?

श्री अमराराम (धोद) : कम्युनिस्ट पार्टी का तो है ही लेकिन आपका क्या हो रहा है ?

श्री सी.पी. जोशी : आपका तो नान स्टैंड है..(व्यवधान) अब तो समझ में आता है, बाकी तो मालूम है आप क्या बोलोगे।

श्री अमराराम (धोद) : आपको मालूम है तो आप बोल दो मेरी तरफ से।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो यह बोल दो कि वैस्ट बंगाल में इस एक्ट के प्रभावी होने से क्या–क्या हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमराराम जी, आर्डर प्लीज, आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : बुलवा दूंगा ना, आप बैठिये। सुमित्रा सिंहजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष जी, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 153 सीटें देकर बहुत उम्मीद और बहुत आशाएं की थीं, लेकिन सबसे पहले एक प्रतिक्रियावादी कानून लाकर आप रिपील कर रहें है अल्सर एक्ट को, यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है। इसके परिणाम चाहे कुछ भी न रहे हों, चाहे आपको कोई जमीन इससे नहीं मिल पायी हो और चाहे इससे कोई प्रभावी नहीं रहा हो लेकिन इस मामले में आपको पहल करने की क्या आवश्यकता पड़ी है। मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही है। सभी भूमि सुधारों के मामले में और सब मामलों में राजस्थान को कांग्रेस हुकूमत अब तक सारे

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हिन्दुस्तान के अन्दर एक ऐसा अपना मुखौटा लेकर आयी है कि यहां पर सुधारवादी और प्रोग्रेसिव कानून बने। जैसा कि मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, दो सरकारें जो दोनों की दोनों अपना पूंजीवादी, प्रतिक्रियावादी और धार्मिक स्वरूप रखती आयी हैं, उन्होंने इसे रिपील किया है बाकी हिन्दुस्तान के किसी और प्रान्त की किसी सरकार ने इसे रिपील किया नहीं। आप पहली कांग्रेस हुकूमत हो, पहली कांग्रेस सरकार हो जो इसे रिपील करने जा रही है। मैं आपसे अधिक न कहते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस संकल्प को वापस ले लें तो मैं समझती हूं कि पार्टी के हित में होगा, जनता के हित में होगा और आपका लोगों के सामने जिस तरह का प्रगतिशील चेहरा है, वह भी आपका बना रहेगा। इसलिए आप इस संकल्प को वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी विकास मंत्रीजी ने शहरी सीलिंग एक्ट को निरस्त करने के लिए जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं। अभी मंत्रीजी कह रहे थे कि बंगाल में क्या हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद साहब, अपना स्थान लीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : मैं बताऊंगा, आप पढ़ लें कि सीलिंग चाहे एग्रीकल्चर में हो चाहे अरबन में हो, हिन्दुस्तान में सीलिंग से जितनी जमीन ली गयी है, पूरे देश में जितनी जमीन ली गयी है उसका बीस प्रतिशत अकेले वैस्ट बंगाल में है। आप पढ़ लीजिये, निकाल लीजिये, पूरे देश में जितनी सीलिंग से जमीन अवाप्त की गयी है उसका बीस प्रतिशत अकेले बंगाल में है। एक तरफ पूरी राजस्थान की सरकार और सरकार का मुखिया, यह कहता है कि राजस्थान में बड़ा आर्थिक संकट है और दूसरी तरफ जिनके पास शहरों में बड़ी–बड़ी जमीनें हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है। अभी सत्ता के पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि जब एक्ट आया तो होटल के नाम से, गार्डन के नाम से, अन्य कुत्तों और बिल्ली के नाम से जमीनें हो गयीं, जो आज भी हैं। जयपुर शहर, कोटा शहर और राजस्थान के बड़े–बड़े शहरों में जितनी भी अरबन सिलिंग से ज्यादा जमीन है, अगर राजस्थान की सरकार उसको अवाप्त कर लेती है और उसको नीलाम करती है तो बहुत बड़ा बजट आ सकता है। लेकिन यह हिम्मत राजस्थान की सरकार नहीं जुटा सकती, केवल गरीब का नाम लेकर वोट लेने का काम कर सकती है। यह तय है, जिस तरह से मंडावा और गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में कांगेस एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट है उसको भी हटाएगी क्योंकि इस देश

(श्री अमराराम)

में कांग्रेस की सरकारें ही हैं, जिन्होंने उसको वापस लिया है। आज भी राजस्थान में अकेले जोधपुर के महाराजा के नाम पर 72 हजार 931 बीघा जमीन सीलिंग से ज्यादा है। बहुत से राजा और रानियां हैं। जयपुर शहर के राजा भवानी सिंह के खाते में 14 हजार बीघा जमीन आज भी है। यह मैं नहीं कह रहा, यह राजस्थान की कांग्रेस के राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया है, इस विधान सभा में उत्तर दिया है। राजस्थान की सरकार को अरबन सीलिंग से ज्यादा जमीन सिविल लाइन के सामने पड़ी हुई है परन्तु दिखाई नहीं देगी। हम पूरे राजस्थान की जनता पर एक–एक पैसा टैक्स बढ़ाकर खजाना भरने की बात करते हैं लेकिन जिनके पास अरबों रुपया है उनसे अरबन सीलिंग से अधिक जमीन निकालने की हिम्मत नहीं। अकेले कानून से भला नहीं हो सकता, कानून को लागू करने की इच्छा जब तक सरकार में नहीं होती, कोई कानून इफैक्टिव नहीं हो सकता। केवल गरीब का नाम लेकर वोट हासिल करने का काम यह सरकार करना चाहती है और जिनके पास पैसा है उनको और छूट देना चाहती है। इस कानून की छूट देकर करोड़ों रुपया वसूल करके अपना घर भरने का काम होगा। मैं समझता हूं अगर यह कानून की छूट राजस्थान की सरकार देगी तो राजस्थान की चार करोड़ जनता के साथ इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं होगा। यही बात कहते हुए मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी एक अलग बात कहना चाहता हूं, विशेष बात कहना चाहता हूं तीसरे मोर्चे वाली अल्सर को समाप्त करने के लिए जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया गया है, उससे क्या यह महसूस नहीं होता, यह आभास नहीं हो रहा कि बी.जे.पी. हो या कांग्रेस हो, दोनों मनुवादी पार्टियां हैं और दोनों एक दूसरे के लिए कार्य कर रही है ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केन्द्र में यह रखा तो उन्होंने कहा कि भाई, हमारी कांग्रेस पार्टी है यहां तो राज में उन्होंने कहा कि देख तो लो, हो जाए काम तो ठीक है, नहीं तो यह कर देना। तो यह बिलकुल इस तरह का कार्य है, दोनों मनुवादी पार्टियों का कार्य है। आपने मेरे खयाल से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह नहीं पूछा और बिना पूछे रख दिया, क्योंकि वह आदमी फिर भी पिछड़े वर्ग का है और गरीब का हिमायती है मुख्य मंत्री हमारा। उनको बिना पूछे यह काम किया है। एक बार आप उनसे पूछ लेते तो शायद आप रखने की हिम्मत ही नहीं करते, मैं यह बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान) मेरे से पूछ लो जब तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। मैं यह चाहता हूं कि इसको वापस लिया जाए, यह

(श्री जगत सिंह दायमा)

बेहुदा संकल्प है, इसमें किसी तरह का कोई रास नहीं है। इस तरीके से गांव और देहात और कस्बे और शहर में..., है कैसे नहीं ? इसमें जो एक तरीके से लाना चाहते हो कि देहात के साथ यह व्यवहार हो और आपके शहरों के साथ यह व्यवहार हो, यह बिलकुल गलत है और हम चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ...

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया ना।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बहुत थोड़ा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो थोड़ा ले ही नहीं सकते।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बहुत संक्षेप में। कांग्रेस सरकार जो बहुत ही बहुमत में है, वह जो कदम अभी उठा रही है बहुत ही प्रतिगामी कदम है। मुझे जानकर बड़ा दुःख हुआ । इस कानून को लाने की आवश्यकता क्या है ? प्रतिगामी शक्तियों ने यह कदम उठाया और हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, यह कौनसा अपना प्रगतिशील कदम है ? और कांग्रेस सरकार यह कदम उठा रही है। जो दूसरी सरकारों ने उठाया था वह कोई कांग्रेस सरकार नहीं थीं। कांग्रेस सरकार यह कदम उठा रही है जो कि पहले प्रगतिशील सरकार रही है, लैण्ड सीलिंग के बारे में प्रगतिशील रही है, यद्यपि उसका जितना परिपालन किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया है। इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर इसका समर्थन कर रहे हैं तो यह कदम बहुत ही प्रतिगामी है, आपको यह संकल्प विथड्रा करना चाहिए। अब हम तो अनुशासन में बंधे हुए हैं, हमें वोट देना पड़े तो दे सकते हैं परन्तु प्रश्न यह है कि इस प्रकार के प्रतिगामी कदम उठाये गये तो अनुशासन को भी तोड़ना पड़ेगा। आप यह समझिये कि इस प्रकार के प्रतिगामी कदम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिये ये मेरे विचार प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर दो तरह के मापदंड नहीं हो सकते । राजस्थान शहरों में भी बसता है, गांवों में भी बसता है । गांवों में किसान के पास जो जोत है उसकी तो अधिकतम सीमा आपने तय कर रखी है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा आप एग्रीकल्चर लैण्ड होल्डिंग नहीं रख सकते। और यहां, मंत्री महोदय, आप इस अल्सर क़ानून को यह कहकर कि यह केन्द्रीय कानून बन गया, समाप्त कर दें, मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं है। सिद्धान्त के अनुसार आधी से ज्यादा स्टेट इसको अंगीकार कर लेंगी तो आप पर भी लागू हो जायेगा परन्तु आप पहल करके करना क्या चाहते हैं ? एक तरफ तो आप यह बात कहते हैं कि बड़ी तेजी से शहरीकरण हो रहा है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आबादी का दबाव शहरों में बढ़ता जा रहा है। आबादी का दबाव बढ़ेगा तो शहरों के अन्दर जो व्यक्ति आयेगा, मजदूरी करने के लिए आयेगा या रहने के लिये आएगा उसको जमीन कहां से मिलेगी ? इस कानून के माध्यम से बड़े–बड़े लोग जो विशाल अट्टालिकाएं बनाते हैं, उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हर एक मामले के अन्दर आप यह कहें कि आपने कर दिया, आपकी सरकार ने कर दिया, मैं कहना चाहूंगा यह चिंगारी अभी आपके यहां धीरे–धीरे उठने लगी है, धुआं देख लो। ये जो वरिष्ठ सदस्य हैं बाड़मेर से आने वाले, उन्होंने हिम्मत करके कहा कि इस तरह के प्रतिगामी कानून अगर आप बनाएंगे तो इसके अंजाम ठीक नहीं रहेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दोहरे मापदंड नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आप अल्सर समाप्त कर रहे हैं तो आपको लैण्ड सीलिंग एक्ट को भी समाप्त करना पड़ेगा। किसान की अधिकतम जोत भी सीलिंग नहीं होनी चाहिए, दोहरे मापदंड बिलकुल नहीं होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला। आपको भी बुला लेंगे।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का संकल्प लिया जा रहा है उसमें हम शायद प्रतिगामी कदम उठाने जा रहे हैं। इस हाउस ने बडे–बडे एक्ट पास किये हैं–जागीरदारी उन्मूलन एक्ट इस हाउस में पास हुआ है, लैण्ड रिफर्म्स इस हाउस ने पास किये हैं, पर यह जो प्रतिगामी कदम उठाया जा रहा है यह हमारी रीति–नीति के विरुद्ध है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आप इस संकल्प को डैफर करें और आगे विचार करके फिर ले आएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आत्मा की आवाज पर इस सदन में पहली बार यह होगा कि कोई शासकीय संकल्प गिरेगा इसलिए हां और ना में जल्दबाजी में नहीं कराएं। अलग लाबी आप क्लीयर करवा लें, उसमें अगर मतदान की आवश्यकता होगी तो आत्मा की आवाज से हमारे सामने बैठे लोग भी मतदान भी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो प्रश्न आये नहीं सामने, आप जल्दबाजी में कह रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पहले से कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो जल्दबाजी में हो जाते।

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसा एन्टीसिपेट क्यों कर रहे हो ? माननीय जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष माहेदय, अल्सर को समाप्त करने का जो संकल्प आज कांग्रेस की गवर्नमैंट ने प्रस्तुत किया, पता नहीं पार्टी में दलीय स्तर पर या कैबिनेट में भी आपने इस पर

(श्री जगमाल सिंह यादव)

विचार किया या नहीं। सवाल इसके नफे और नुकसान का नहीं है। किसी भी सरकार की क्या नीयत है, क्या पालिसी है, वह क्या करना चाहती है, कौनसे वर्ग के हित में काम करना चाहती है और कौनसे वर्ग के खिलाफ काम करना चाहती है, इन नीतियों से केवल यह संकेत जाता है। मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने और सुमित्रा सिंहजी ने एक बात कही है कि यह तो बेस्ट पेपर है, पड़ा रहेगा, आपको क्या तकलीफ दे रहा है। आज इस संकल्प को प्रस्तुत करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि राजस्थान में राजे–महाराजाओं, धन्ना सेठों जिनकी सरप्लस जमीनें पड़ी हैं, उसको मुक्ति देना चाहते हो ? अभी इसका रत्ती भर डर होगा लेकिन डर है तो सही ? आप यह संकेत क्या देना चाहते हो ? इन्दिरा गांधीजी ने जब यह संकल्प पेश किया, एक मैसेज दिया कि मैं गरीबों की हिमायती हूं। पता नहीं गरीबों के हित में काम किया या नहीं किया। लेकिन १९७२ में आप केवल इस बात से सत्ता में आ गये दिल्ली में कि गरीबी मिटाएंगे। गरीबी मिटी या नहीं मिटी, एक अलग मैटर है लेकिन सोच थी इंदिरा गांधीजी की कि मैं गरीबों के हित में काम करूंगी। क्या क्रांतिकारी कदम उठाये, उनको कुछ मिला या नहीं मिला लेकिन एक संकेत दिया, हिन्दुस्तान की जनता को कि कांग्रेस की गवर्नमैंट जब तक रहेगी दिल्ली में, गरीबों के हित में सोचेगी और बड़े लोगों से ज्यादा पैसा निकालेगी। आप शायद यह बात भूल गये, इंदिरा गांधी वह शख्स थी जिसने प्रीवी पर्स समाप्त करने का साहसिक फैसला लिया। इंदिरा गांधी वह प्रधान मंत्री थी देश की जिसने राजाओं की फालतू सरप्लस जमीन को छीना, प्रीवी पर्स और उनकी सुविधाएं बंद की। आज आप इस अल्सर को समाप्त करने का जो संकल्प लेकर आ रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी शायद कालिदास का काम कर रही है जिस डाल पर बैठी है उसी डाल को काट रही है, इनके तो खेल सही हैं। ये तो जागीरदार है उनके हिमायती हैं, इन लोगों के पास है जमीन, पर आपके पास कहां है ? आपको वोट देने वाला तो वह गरीब है, वह भिखारी है जो इस जमीन में से हिस्सा मांग रहा है। उनको मिले या ना मिले लेकिन इस देश में आपने कम से कम गरीबों को यह ख्वाब तो दिखा दिये कि जो बड़े लोग हैं, जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं–चाहे वह गांव में बड़ा जमींदार है या शहर में, अल्सर में उनकी जमीन छीनकर गरीबों में वितरित की जाएगी। यह कांग्रेस का मैनीफेस्टो भी रहा है। शांति धारीवाल साहब। यह सरकार दलीय स्तर पर आज अपने स्वरूप को खो देगी। यह वेस्ट पेपर है, मैं मानता हूं कि इससे कोई उपलब्धि नहीं होगी। बल्कि आपकी रीति और नीति समाज में जाऐगी, राजस्थान में जाएगी और आपकी सोच का पता लगेगा,

(श्री जगमाल सिंह यादव)

जैसा भाई जगत सिंहजी ने कहा कि आपको नागनाथ और इनको सांपनाथ जो कांशीराम जी कहते हैं, जगत सिंहजी कहते हैं वह बात सिद्ध हो जाएगी। मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हालांकि मेरी तो कोई क्षमता नहीं है लेकिन चूंकि आपका राष्ट्रीय स्तर पर हमसे समझौता है और आपने हम पर अहसान किया है कि हमारी राबड़ी देवी सरकार को बचाया है, हम अहसान फरामोश नहीं हैं और हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो साम्प्रदायिक ताकतें हैं। चाहे राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है लेकिन बिहार की सरकार को, गरीबों, पिछड़ों, दलितों की सरकार को सुंदर सिंह भंडारी जैसा काबिल गवर्नर बना दिया। जो आज मैं कह रहा था कि वकालत के पेशे की शान डूबी है, वकालत के पेशे पर बट्टा लगा है, वहां सुंदर सिंह भंडारी, उसी ने कहा था, मैं आज कह नहीं पाया उस रेलेवेंट प्रसंग को, कि 197 का बार कोई जरूरी नहीं है, चाहे तो कोई भी इंसान किसी मंत्री के खिलाफ और मुख्य मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दे। वह सुंदर सिंह भंडारी जैसे लोगों के आप पदचिन्हों पर चल रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे पीड़ा है। इसलिए नहीं कि मैं आपकी पार्टी का हूं लेकिन मुझे पीड़ा यह है कि आप इनके कदमों पर चल रहे है और इससे राजस्थान में कांग्रेस का, सरकार का भला नहीं होगा। मैं आपका हमदर्द हूं। चाहे तो आप संकल्प को पारित कर लें लेकिन मेरा एक विनम्र निवेदन है कि राजस्थान की जनता में यह मैसेज नहीं जाना चाहिये जो काम वे प्रतिक्रियावादी लोग कर रहें हैं, वही आप करने जा रहे हैं। केवल मुझे तो इतनी नेक सलाह देनी है। नहीं मानें तो आपकी मर्जी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिग्विजय सिंहजी।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं धन्यवाद देता हूं भाई जगमाल सिंहजी को कि मेरी बात को सराहा गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। आपको बुला देंगे।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के हम भी हामी हैं कि हरियाणा में बी.जे.पी. के समर्थन से वह सरकार चल रही थी। (व्यवधान) हरियाणा में भी बी.जे.पी. के समर्थन से बंशीलाल की सरकार चल रही थी इसलिये उनकी तो मजबूरी थी। हमारी क्या मजबूरी है ? इसलिये सबकी भावना का आदर करते हुए संकल्प को वापस लिया जाए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : हम अपना +++ नहीं करना चाहते... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिग्विजय सिंहजी। माननीय सदस्य, आप बोल चुके ना।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगमाल सिंह यादव : इस संकल्प पर हम मतदान की मांग करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वह अवसर आएगा तब बात करेंगे। अभी ये बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जिस प्रकृति के हैं, जिस विचारधारा के हैं उनको देखते हुए, वे जिस प्रकार से अल्सर एक्ट का संकल्प लाये हैं वह आश्चर्यजनक है। आप इस विचारधारा के हैं कि राजा–महाराजाओं की या दूसरों की जो जमीनें ज्यादा हैं उनको सरकार अवाप्त करे और करने के बाद में उनको देनी हो तो गरीबों को दे।

दूसरा, प्रश्न यह है कि हमारे यहां राजस्थान में अल्सर एक्ट लागू हुआ है। अल्सर एक्ट लागू होने के बाद अल्सर एक्ट के अंतर्गत आने वाली अधिकांश जमीनें जो की छोटी सीमाओं में थीं, वे सब ले ली गयीं। अब ज्यादा से ज्यादा राहत मिलेगी वह उनको मिलेगी जिनके पास में बहुत ज्यादा जमीनें हैं और जिसे लेने में न पिछली सरकार ने इच्छा शक्ति जाहिर की, न आपने की और न आप करने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह पार्टी के हिसाब से एक अच्छा रिफ्लैक्शन नहीं जाएगा कि आप इस अल्सर एक्ट को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। रूढ़िवादी बी.जे.पी. वाले यह बात कह सकते हैं। आज आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बात कही अल्सर एक्ट के बारे में। अगर वे वाकई कह रहे हैं कि संकल्प वापस ले लिया जाए तो मुझे इस बात की खुशी है कि जिस पार्टी ने केन्द्र के अन्दर यह निर्णय लेकर समाप्त करने की बात कह दी, उसी पार्टी के वे आज उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप भी एक बार यह सोच लें कि हम तो कम से कम उसके भागीदार नहीं बनें और उस पाप के अन्दर हम शामिल नहीं हों। इस संकल्प को निश्चित रूप से वापस लें, मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है, आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने भू–नियमन कानून को यहां घोषित करके जो पूरे गरीबों से वाहवाही लूटी थी, इस शासकीय संकल्प के साथ उस पर एक तरह से मिट्टी डाल दी गयी। यह सही है कि अल्सर एक्ट की पालना में जो कुछ भी राज्य सरकार का खर्च हो रहा है उसका उतना लाभ इनको नहीं मिल रहा है। लेकिन शारदा एक्ट हमने लगा रखा है, शारदा एक्ट के बावजूद भी बाल विवाह हो रहे हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम शारदा एक्ट को ही समाप्त कर दें। एक्ट बना है तो एक्ट की मूल भावना क्या है, वह हमें देखना है। उपाध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र पारीक)

महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जो कुछ भी कार्य करती है वह एक ऐसा आईना है जिसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। आज हमने जो कुछ भी यहां घोषणा की है, पूरा राजस्थान एक स्वर से आपको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है, वाहवाही कर रहा है। सुबह–सुबह अखबार में ये लाइनें मिलेंगी। आपको कि अल्सर एक्ट समाप्त किया गया, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये किया गया जो इस राज के कभी हितैषी रहे ही नहीं और कभी होने की उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। राज्य सरकार की और खास तौर से कांग्रेस की जो मूल रीति–नीति है, जो उसकी मान्यताएं हैं, यदि इस कानून से कोई लाभ ही नहीं होता तो इंदिराजी जैसी राजनीतिज्ञ जिसको पूरा विश्व मानता है, वे इस एक्ट को लागू करतीं। हमें कतई इसमें भागीदार नहीं बनना है। मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि राज्य सरकार इस संकल्प, को वापस लें। इन प्रतिक्रियावादी ताकतों के हाथ का खिलौना हम नहीं बन जाएं, हम उसके भागीदार नहीं बनें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मंत्री महोदय को आदेश फर्माएं कि वे इस शासकीय सोच को वापस लें। धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया(बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शायद इस भावना को नहीं समझ पाया कि किस दबाव के कारण से इसको यहां लाने की आवश्यकता पड़ी। यह जो कहा जा रहा है कि बी.जे.पी. इन लोगों को प्रोटैक्ट करती है, इस राजस्थान की विधान सभा में भूमि सुधार को लेकर 8 एम.एल.ए. जीत कर आये थे और 8 में से 6 तो बी.जे.पी. छोड़कर चले गये तब भी हमने आपके कानून का समर्थन किया था क्योंकि हम लैंड रिफार्म्स चाहते थे। बी.जे.पी. 8 से 2 रह गयी, हमने उस बात को भी बर्दाश्त किया उस सुधार के लिये। तो यह बी.जे.पी. का कभी मानस नहीं हो सकता कि हम किसी आदमी को प्रोटैक्ट करने के लिये ऐसा करें। सदन में जैसा सब लोगों की भावना है कि आप कानून की पालना नहीं करा सके तो यह आपका दोष है। आप कानून की पालना कराओ और पालना करा कर के जिनके पास अतिरिक्त भूमि है उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। हम सब लोग आपके साथ हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : जिस तरीके से सदस्यों ने, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त कि उससे तो ऐसा लगता है कि माननीय मंत्रीजी ने कांग्रेस विधायक दल के लोगों को भी विश्वास में नहीं लिया। स्थिति साफ है। आप जरा बताओ तो सही कि आप किस दबाव में यह लेकर आये और इससे क्या सिद्धि पाना

(मोहम्मद माहिर आजाद)

चाहते हो, यह क्यों रख रहे हो। आपने विधायक दल को ही विश्वास में नहीं लिया, सत्ता पक्ष के विधायक भी यह बात कह रहे हैं। इसलिये जनहित में तो यही है कि आप वापस लें...।

श्री जगत सिंह दायमा : लोक सभा के चुनाव में कुछ लेना–देना हो गया था क्या इनसे जिससे कि मजबूर होकर आपको लाना पड़ा यह संकल्प ?

मोहम्मद माहिर आजाद : इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाओ। इसको आप विथड्रा करवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : मुख्य मंत्री के खिलाफ साजिश...

मोहम्मद माहिर आजाद : जनसंघ का विभाजन हुआ था, अगर आप अड़े रहे तो हो सकता है कांग्रेस विधायक दल में भी विभाजन हो जाए इस बात पर।

श्री जगत सिंह दायमा : सारी कांग्रेस की छवि का सत्यानाश कर दिया आपने यह कह कर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज...(व्यवधान) अब विराज जाओ। माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अल्सर विधेयक का मुख्य उद्देश्य नगरीय सीमा.. (व्यवधान) सुन तो लो...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने बड़ी तसल्ली से सुना आपको, कोई एतराज नहीं किया...

श्री जगत सिंह दायमा : हम कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, बहुत सही कह रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय जगतसिंह जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, ले लिया।

श्री जगत सिंह दायमा : परन्तु अब तो मत करो यह काम।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लीजिये ना उनको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बैठ जाओ, दायमा साहब, बिराज जाओ। मनुवादी और तनुवादी वह सब ठीक है लेकिन दायरे में ही रहो। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह था कि नगरीय क्षेत्र में जो सीमा से अधिक भूमि है उसे अर्जित कर लिया जाए और अर्जित करके सार्वजनिक प्रयोजनार्थ या गरीबों के लिए आवासीय समस्या को सुलझाने के लिये काम में वह भूमिं ले ली जाए। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब यह एक्ट आया 1976 में और उसके

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

बाद में इस पर प्रोसीडिंग्स चालू हुई तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट गये। उच्चतम् न्यायालय ने अपने निर्णय में यह समीक्षा की कि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली भूमियों में से कृषि भूमि को अलग कर दिया जाये, ज्यों ही कृषि भूमि अलग हुई, शहर की सीमाओं के अन्तर्गत जहां अल्सर प्रभावित था, कुछ भी नहीं बचा। असल में देखा जाए तो... (व्यवधान) सुनिए आप। मैंने आपको पूरा बर्दाश्त किया है और आप जितना बोले शायद मैं उससे आधा बोलूंगा, मुझे बर्दाश्त तो आपको करना ही पड़ेगा। (व्यवधान) जी हां, बड़ी कृपा है आपकी। कुल मिलाकर राजस्थान के पांच शहरों में इफैक्टिव था, सिर्फ पांच शहरों में। राजस्थान में कुल मिलाकर 446 प्रकरण इस एक्ट के तहत दर्ज किये गये थे और 769.86 हैक्टेयर जमीन पर यह चल रहा था। विभिन्न न्यायालयों में 372 मुकदमें उच्चतम न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक आज भी राजस्थान सरकार लड़ रही है और नतीजे के नाम पर कुछ नहीं मिला। आप सुनें, मुकदमा लड़ते हैं तो ऐसे ही नहीं लड़ा जाता है उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है।

प्रकरण में भूमिधारियों के द्वारा जो कुछ जमीन अवाप्त हुई वह लिटिगेशन में चली गयी, क्योंकि उन्होंने मुआवजा नहीं लिया। 1976 से लेकर आज तक कुल मिलाकर दो प्रकरण ऐसे हुए जिनमें मुआवजा लिया गया और दिया गया। बाकी सारे के सारे डिस्प्यूट आज भी अदालत में चल रहे हैं। नतीजा क्या हुआ ? सैकड़ों हैक्टेयर जमीन बिक गयी। जिसकी थी उसने बकायदा प्लाट काट–काट कर बेच दिये। उसका नुकसान यह हो रहा था कि आवासीय योजनाएं चल रही थीं, आवासीय निर्माण कोई चल रहा था उन जमीनों पर उससे राजस्थान सरकार को जो रजिस्ट्रेशन फीस मिलने वाली थी करोड़ों रुपयों की तादाद में उससे राजस्थान सरकार के खजाने को वंचित रहना पड़ रहा था। आपने बताया कि यह एक्ट हरियाणा और पंजाब ने चूंकि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर शेयर था, हरियाणा में जरूर शेयर था। लेकिन गुजरात ने इसको एडोप्ट किया, महाराष्ट्र ने इसको एडोप्ट किया।

श्री जगमाल सिंह यादव : कोएलीशन सरकार में शामिल है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरी बात भी सुनिये। और भी कई स्टेट्स ने शामिल किये हैं। मैं सिर्फ दो के नाम गिना पाया हूं आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : महाराष्ट्र में भी इनकी ही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो भी हो

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

लेकिन जैसे दिल्ली है वहां भी इसको एडाप्ट किया गया है और कई लोग और एडाप्ट करने जा रहे हैं। इस सम्बंध में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कई स्टेट्स ने इस बात के लिये राय जाहिर की थी कि चूंकि इस एक्ट से कोई असर नहीं पड़ रहा है, किसी प्रकार से गरीबों को न तो फायदा मिल रहा है न कोई आवासीय योजना बन पा रही है, न कोई मुआवजा मिल रहा है और न राज्य सरकार के पास इतने वित्तीय संसाधन मौजूद हैं कि वह मुआवजे के रूप में कराड़ों रुपये की रकम दे दे, इसलिए इसको समाप्त कर दें। बैठक करके ही इसको समाप्त करने का तय किया गया था। मेरा आपसे यही निवेदन है कि एक्ट रहते हुए उन हजारों लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है आज से 10–10 साल, 20–20 साल पहले प्लाट खरीद लिये उन जमीनों पर और आज भी काबिज हैं लेकिन निर्माण की गतिविधियां नहीं चला पा रहे हैं। उनकी निर्माण की गतिविधियां वापस चालू हो जाए। सारी की सारी हाउसिंग एक्टिविटिज पुनः शुरू हो और कराड़ों रुपये राजस्थान के खजाने में रजिस्ट्रेशन की फीस के बतौर आएं। इन सबके लिए जरूरी है कि इस अल्सर एक्ट रिपील का संकल्प एडाप्ट किया जाए। जमीनों के मूल्य भी इससे कम होंगे। गरीबों के आवास के लिये यह योजना बनाई गयी थी वह बिलकुल फेल हो गयी। इसी के भरोसे दूसरी योजनाएं जो गरीबों के आवास के लिये राज्य सरकार बनाना चाहती है, नहीं बना पा रही है। इसलिए इस संकल्प का एडाप्शन किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस संकल्प को पारित करवाया जाए।

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्री महोदय, एक चीज आप स्पष्ट कर दें, बाकी संतुष्ट हो जाएंगे..(व्यवधान) कि जो जमीनें आपने बतायी हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने बताया है कि 100 मुकदमें चल रहे हैं। लेकिन जो अभी आपने अवाप्त नहीं की और अभी आप पहले बिल लाये थे उसमें कहा था कि पट्टों के आधार पर कोई एग्रीमैंट हुआ है तो उसको भी हम नियमों के अंतर्गत नियमित कर देंगे, ऐसे पट्टे राजा–महाराजाओं की जमीनों के कई दे दिये तो उसका इफैक्ट इनके ऊपर क्या रहेगा ? अगर आप यह अल्सर एक्ट खतम कर देंगे तो वे सब रैगुलाइज हो जाएंगे ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसका इफैक्ट मैं बता देता हूं। इस संकल्प के एडाप्शन के बाद के इफैक्ट मैं बता देता हूं

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कि जितने भी मुक़दमे जैरकार हैं–चाहे वह सुप्रीम कोर्ट में हों, चाहे छोटी से छोटी अदालत में हों, वे अपने आप खतम हो जाएंगे। इससे उन लोगों को ...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : वे तो ऐसे ही समाप्त हो, जाएंगे, इसमें क्या बता रहे हो ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, आप सुनें तो सही। इफैक्ट बता रहा हूं। एक इफैक्ट यह नहीं होगा क्या ? (व्यवधान) जगमाल सिंहजी, इफैक्ट बता रहा हूं, क्या यह इफैक्ट नहीं है ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जनता ने प्रचण्ड बहुमत दिया है...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिर बैठिये ना। आप सुनिये तो सही। (व्यवधान) सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : साबित हो जाएगा...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको जो प्रचण्ड बहुमत दिया है उसका आप जवाब दे रहे हो राजस्थान की जनता को।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा अर्ज़ करना यह है कि जिन जमीनों पर राजस्थान की सरकार ने कब्जा ले लिया है उन पर यह संकल्प इफैक्ट नहीं होगा, वह राजस्थान सरकार की ही रहेगी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज बता दें। क्या यह सही है कि यह लाने के बाद में जमीनों के रेट्स जयपुर में बहुत कम हो जाएंगे ? कम हो जाएंगे, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा तो सब लोगों को लाभ होगा या नहीं ?...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, अगर अल्सर एक्ट खत्म हो गया तो गरीब को शहर की चारदीवारी में कोई नहीं रहने देगा। जब यह कानूनी बाध्यता समाप्त हो जाएगी तो गरीब को शहर की चारदीवारी से खदेड़ते हुए पैसे वालों को एक मिनट नहीं लगेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अंतरात्मा को जगाओ...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसका लास्ट इफैक्ट यह होगा कि जिन जमीनों पर कब्जा नहीं लिया गया है सिर्फ पेपर पजेशन लिया गया है लेकिन राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा दे दिया गया है, अगर वह मुआवजा राज्य सरकार को वापस दे दिया जाएगा तो उस पर कब्जा भी दे दिया जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस संकल्प को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया जाए ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(ध्वनि मतदान के पश्चात)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री जगमाल सिंह यादव : नो, लाबी खाली कराई जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : डिवीजन, डिवीजन। We seek division.

श्री उपाध्यक्ष : जो पक्ष में हों हां कहें, जो विपक्ष में हों ना कहें।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

मोहम्मद माहिर आजाद : अंतरात्मा की आवाज पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी, विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कौन सा तरीका है डिवीजन का ?

श्री उपाध्यक्ष : है, सब है, मैं बताऊंगा आपको। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई तरीका नहीं है यह। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : लाबी खाली कराओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नियमों को पढ़िये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह तो आज तक नहीं हुआ।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कौनसे नियमों के तहत आप करवा रहे हैं ? (व्यवधान)

(माननीय सदस्यों के खड़े होने के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य खड़े हुए हैं उस बहुमत के आधार पर संकल्प पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.16 बजे शुक्रवार, 24 सितम्बर, 1999 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या–35 का विवरण)

परिशिष्ट–"अ"

नागौर जिले में 31 जुलाई, 1999 तक बकाया घरेलू कनेक्शनों की तहसीलवार सूची

क्र.सं.	तहसील का नाम	बकाया कनेक्शन
1.	नागौर	1109
2.	खींवसर	1642
3.	मेड़ता	2489
4.	डेगाना	4484
5.	मकराना	2507
6.	नावां	3574
7.	परबतसर	1538
8.	डीडवाना	1942
9.	जायल	3242
10.	लाडनूं	1837
	कुल योग	24364

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या–40 का विवरण)

ANNEXURE-I

EXPENDITURE ON RELIEF WORKS SAMVAT 2055

S.No.	Name of District	Actual Expenditure on Labour (Rs. in lac)
1.	Ajmer	2839.16
2.	Barmer	2618.73
3.	Bhilwara	3212.34
4.	Bikaner	597.28
5.	Chittorgarh	2055.28
6.	Churu	910.50
7.	Dungarpur	1738.70
8.	Hanumangarh	31.05
9.	Jaipur	305.98
10.	Jaisalmer	441.58
11.	Jalore	1508.37
12.	Jhunjhunu	132.81
13.	Jodhpur	1261.74
14.	Nagour	1308.10
15.	Pali	1058.00
16.	Rajsamand	1377.31

1	2	3
17.	Sikar	427.40
18.	Sirohi	595.38
19.	Tonk	496.43
20.	Udaipur	2397.55
	Total	25313.59

परिशिष्ट–2

श्रमिकों के बकाया रहे भुगतान सम्बन्धी विवरण

(1) जिला कलेक्टर, उदयपुर :

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सलूम्बर के सराड़ा तहसील की 8 सड़कों के अवधि 1.3.99 से 15.3.99 की राशि 1,55,852 रुपये 30 मस्टररोल खो जाने से श्रमिक भुगतान बकाया है। एक सड़क कार्य के श्रमिकों का 1.5 लाख रुपये बाबत् जांच लम्बित होने के कारण बकाया है।

(2) जिला कलेक्टर, नागौर :

नागौर जिले में 62.79 लाख रुपये में से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के 21.83 लाख 15.6.99 से 30.6.99 तक, डेगाना के 5.24 लाख रुपये का भुगतान निर्धारित श्रमिकों से अधिक अतिरिक्त श्रमिक लगाने के कारण, विधान सभा क्षेत्र परबतसर के माह जून, 99 के 2.87 लाख रुपये श्रमिक सीमा से अधिक श्रमिक लगाने के कारण, विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के 15.6.99 से 30.6.99 तक के 13.77 लाख, डीडवाना के 4.32 लाख, मकराना के 1.6.99 से 30.6.99 तक 9.31 लाख तथा नावां के 5.45 लाख रुपये की राशि अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीडवाना द्वारा श्रम व्यय हेतु उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन उनके द्वारा सामग्री मद में भुगतान कर देने से श्रमिकों को भुगतान नहीं हो पाया अब भुगतान किया जा रहा है।

(3) जिला कलेक्टर, चूरू :

दिनांक 30.6.99 तक का श्रमिकों को भुगतान कर दिया गया है तथा 1.7.99 से 10.7.99 का भुगतान स्टाफ के चुनाव कार्य में व्यस्तता के कारण नहीं हो पाया है जो अब किया जा रहा है।

(4) जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ :

तहसील नोहर की पंचायत समिति नोहर तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, नोहर के 1,86,290 रुपये का श्रमिकों को भुगतान चुनाव में स्टाफ की व्यस्तता के कारण नहीं हो सका अब भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(5) जिला कलेक्टर, अजमेर :

अजमेर जिले में सा.नि. विभाग जिला खण्ड अजमेर के 44 कार्यों की 16.45 लाख रुपये, सिंचाई खण्ड अजमेर के 14 कार्यो की 3.01 लाख रुपये तथा किशनगढ़ के 5 कार्यों के 1.00, श्रीनगर के 4 कार्यों के 0.68 लाख, पीसांगन के 15 कार्यों के 4.94 लाख, मसूदा के 5 कार्यों के 1.40 लाख, केकड़ी के 20 कार्यों के 6.69 लाख रुपये का भुगतान मस्टररोल का परीक्षण व कार्यों के मूल्यांकन किया जाकर अविलम्ब कराया जा रहा है।

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला श्रीगंगानगर की कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु सर्वे

41. **श्री राधेश्याम गंगानगर**(गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला श्रीगंगानगर में कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन–कौनसी बस्ती में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में कुछ बस्तियां कृषि भूमि तथा भाखड़ा की भूमि पर बसी हुई हैं का नियमन कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त जिले की कालोनियों अथवा कच्ची बस्तियों का सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्र में पट्टे जारी करने हेतु, कितनी–कितनी राशि पट्टेधारी से वसूली गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिन–जिन बस्तियों में पट्टे जारी किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) हां यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में कुछ बस्तियां कृषि भूमि तथा भाखड़ा की भूमि पर बसी हुई है, जिनके नियमितिकरण की कार्यवाही संबंधित रूपान्तरण नियमों के अन्तर्गत विचाराधीन है।

(3) उक्त क्षेत्र में नियम की कार्यवाही कृषि भूमि रूपान्तरण के तहत की जानी है, अतः सभी पअ्टे जारी करने तथा राशि वसूल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में 15 अगस्त, 1998 तक के अनधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर बनाये गये आवासीय निर्माणों के नियमन के सम्बंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार किये गये सर्वे के अनुसार जिला श्री गंगानगर में निम्न नगर पालिकाओं के क्षेत्र में नियमन कर पट्टे जारी किये गये है :–

(स्वायत्त शासन मंत्री)

क्रम संख्या	नाम नगरपालिका	नाम कच्ची बस्ती	कुल पट्टे जारी
1.	नगरपालिका, अनुपगढ़	कच्ची बस्ती नं. 1	4
		कच्ची बस्ती नं. 2	13
		कच्ची बस्ती नं. 3	2
		कच्ची बस्ती नं. 4	1
		कच्ची बस्ती नं. 5	2
			22
2.	नगरपालिका, विजयनगर	राजीव कालोनी	4
		आनन्द नगर	1
			5
3.	नगरपालिका, सूरतगढ़	तेली मौहल्ला वार्ड नं. 2	2
		दुर्गा मंदिर के पास वार्ड नं. 076	6
		पीपल चौक के पूर्व में वार्डनं. 8	6
		धानक बस्ती वार्ड नं. 14	1
		रामनाथजी कुटिया के पास वार्ड नम्बर 16	3
		हरिजन मौहल्ला वार्ड नं. 27	5
		गुरूद्वारा के आस–पास वार्डनं. 28	1
			24

उपरोक्तानुसार कुल 51 पट्टे जारी किये गये है जिनमें नियमन उपरान्त राशि 35,727/– प्राप्त हुई है।

भवदीय

जिला कलेक्टर

श्री गंगानगर

कृषि उपज मण्डी समिति डीग की प्रस्तावित सम्पर्क सड़कें

42. **श्री अरूण सिंह** (डीग) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत दो वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति डीग का आय–व्यय कितना रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मण्डी समिति के सड़क बनाने के कितने प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं और स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण है ? विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से सम्पर्क सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो मण्डी समिति की कुल आय में से कितनी प्रतिशत राशि उक्त सड़कों पर व्यय की जावेगी ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी डीग की गत दो वर्षो का आय–व्यय विवरण परिशिष्ट–'अ' पर संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति डीग की निम्न सड़कों के बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं :–

1– डीग कुम्हेर रोड से बदनगढ़ (शेष लम्बाई 0.50 किमी) मिसिंग लैन्थ।

2– मोरोली से मवई (शेष लम्बाई 0.30 किमी) मिसिंग लैन्थ।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उक्त सड़कों के प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार सम्भव नहीं हो सका है।

(3) जी, हां। संस्थापन, देनदारियां एवं अन्य अपरिहार्य व्यय के पश्चात् शेष राशि में से 60 प्रतिशत राशि सड़कों पर व्यय किया जाने का प्रावधान है। मण्डी समिति के पास वर्तमान में बचत नहीं होने से इस मद पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ?

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति डीग की गत दो वर्षों का आय–व्यय, विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	आय मद	राशि	क्र.सं.	व्यय मद	राशि
वर्ष 1997–98					
1.	गत वर्ष का शेष	17.72	1.	संस्थापन	15.54
2.	मण्डी शुल्क से आय	33.64	2.	बोर्ड अंशदान	1.55
3.	परियोजना ऋण	49.00	3.	सुविधाएं	10.39
4.	अन्य आय	29.22	4.	ऋण वापसी	18.02
			5.	निर्माण कार्य	63.86
			6.	अन्य व्यय	15.70
	योग	129.58		योग	125.06
वर्ष 1998–99					
1.	गत वर्ष का शेष	4.52	1.	संस्थापन	22.00
2.	मण्डी शुल्क से आय	27.51	2.	सुविधाएं	12.74
3.	परियोजना ऋण	3.98	3.	परियोजना ऋण वापसी	12.99
4.	बोर्ड ऋण	18.65	4.	निर्माण कार्य	11.90
5.	अन्य आय	16.91	5.	अन्य व्यय	10.94
	योग	71.57		योग	7057

नियत समय पर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने में लापरवाही

43. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत नियत समय पर बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को सात दिन का नोटिस देकर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया जाता है ? यदि हां, तो जनवरी, 1999 के अन्त तक जिन 131 उपभोक्ताओं पर प्रत्येक में बीस लाख से अधिक राशि बकाया थी, उनका प्रत्येक का नियत समय क्या था तथा उनको कब–कब नोटिस सात दिन का दिया गया और कब–कब नोटिस सात दिन का दिया गया और कब–कब विद्युत सम्बंध विच्छेद किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नियत समय पर बकाया जमा नहीं कराने वालों को सात दिन का नोटिस देकर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया जाता तो इतनी भारी राशि बकाया नहीं होती ? यदि हां, तो यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई और समय पर कार्यवाही नहीं करने के कारण सम्बंधित अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई और अब क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1999 में जिन 131 उपभोक्ताओं में बकाया था उनमें से विद्युत सम्बंध विच्छेदित उपभोक्ताओं के नाम, बकाया राशि, नियत तिथि; नोटिस देने की तिथि व विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने की तिथि का विवरण परिशिष्ट–"अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। यह सही है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व आवश्यक सेवाओं के कनेक्शन या न्यायालय व समझौता समिति में दिये गये स्थगन आदेशों को छोड़कर, सभी कनेक्शन नियत समय पर बकाया राशि नहीं जमा करवाने पर सात दिवस का नोटिस देकर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद की कार्यवाही की जाती है। लेकिन न्यायालय के स्थगन होने, उपभोक्ताओं से विद्युत सम्बंध विच्छेद होने की तिथि से अनुबंध समाप्ति की तिथि तक राशि वसूल की जाती हैं। ईधन अधिभार के अन्तर की राशि तथा अंकेक्षण दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पिछली बकाया राशि डेबिट किये जाने के बाद प्रतिमाह बिलों में नहीं जमा कराने के कारण निरन्तर बढती रहती है।

इसके लिए किसी भी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक सिरोही के कर्मियों के विरूद्ध लम्बित जांच

44. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) दिसम्बर, 1998 से 1 सितम्बर, 1999 के मध्य सिरोही सेन्टंल को–आपरेटिव बैंक में कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के जिला स्तर पर स्थानान्तरण किए गए हैं ? उक्त कर्मी अपने कार्य स्थल पर किस–किस तिथि से कार्यरत थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बैंक के कर्मियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो कितने मामलों में जांच चल रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि. सिरोही द्वारा दिसम्बर, 98 से सितम्बर, 99 के मध्य 25 कर्मचारियों/अधिकारियों के जिला स्तर पर स्थानान्तरण किये गये कर्मचारियों / अधिकारियों के पदस्थापन अवधि की सूचना तालिका–1 पर उपलब्ध है।

(2) बैंक के एक अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई। प्रबंध निदेशक बैंक द्वारा जांच में शिकायत मिथ्या पाये जाने पर जिला सतर्कता समिति द्वारा पत्रावलित की गई।

दी सिरोही सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि. सिरोही

दिसम्बर, ९८ से सितम्बर, ९९ के मध्य बैंक के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये

क्र.सं.	नाम	पद	कहां से	कहां को	पूर्व स्थान पर पद स्थापन की तिथि	स्थानान्तरण/ क्रमांक, तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री मुरलीधर जोशी	शाखा प्रबन्धक	प्रधान कार्यालय	शाखा पिण्डवाड़ा	3.2.96	13846–68/11.12.98
2.	श्री नारायण सिंह परमार	लिपिक	प्रधान कार्यालय	शाखा कालन्द्र	3.9.97	13846–68/11.12.98
3.	श्री धीराराम भाटी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	शाखा रेवदर	शाखा कालन्द्र	19.5.98	13882–87/11.12.98
4.	श्री प्रहलाद राम आर्य	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	शाखा कालन्द्र	शाखा रेवदर	6.3.95	13882–87/11.12.98
5.	श्री नारायणसिंह परमार	लिपिक	शाखा कालन्द्र	शाखा सिरोही	12.12.98	19734–42/30.1.99
6.	श्री महेन्द्रसिंह गहलोत	लिपिक	शाखा सिरोही	प्र.का. सिरोही	28.10.95	19734–42/30.1.99
7.	श्री बालाराम रांगी	ऋण पर्यवेक्षक	शाखा सरूपगंज	शाखा रेवदर	11.7.98	870–962/9.4.99
8.	श्री अमीर खान	ऋण पर्यवेक्षक	शाखा आबूरोड़	शाखा मंडार	10.7.98	870–962/9.4.99
9	श्री अजीतसिंह	ऋण पर्यवक्षक	शाखा कालन्द्र	शाखा सरूपगंज	24.12.96	870–962/9.4.99
10	श्री युसुफ खान	ऋण पर्यवेक्षक	शाखा रेवदर	शाखा सिरोही	11.1.92	870–962/9.4.99
1	2	3	4	5	6	7

11. श्री नाथूसिंह राणावत	ऋण पर्यवेक्षक	शाखा शिवगंज	शाख आबूरोड	7.8.98	870–962/9.4.99
12. श्री महेन्द्र खत्री	ऋण पर्यवक्षक	शाखा सिरोही	शाखा सिवगंज	11.9.97	870–962/9.4.99
13. श्री रिछपालसिंह राठौड़	शाखा प्रबंधक	शाखा आबूरोड(मु.)	शाखा मण्डार	29.5.98	1324–61/22.4.99
14. श्री चन्दनसिंह चम्पावत	शाखा प्रबंधक	शाखा सरूपगंज	शाखा आबूरोड (मु)	13.8.98	1324–61/22.4.99
15. श्री नरपतसिंह बालेचा	शाखा प्रबंधक	शाखा मण्डार	शाखा कालन्द्र	27.10.97	1324–61/22.4.99
16. श्री गोपीकिशन दवे	शाखा प्रबंधक	शाखा शिवगंज(मु)	शाखा सिरोही	12.9.98	1324–61/22.4.99
17. श्री आर.के.झाला	शाखा प्रबंधक	शाखा सिरोही	शाखा शिवगंज(सायं)	22.11.96	1324–61/22.4.99
18. श्री हकीम खान	शाखा प्रबंधक	स.अ.अ.शाखा सिरोही–शिवगंज	शाखा शिवगंज (मुख्य)	12.12.98	1324–61/22.4.99
19. श्री पी.आर.मीणा	शाखा प्रबंधक	स.अ.अ.शाखा सरूपगंज–आबूरोड	शाखा सरूपगंज	12.12.98	1324–61/22.4.99
20. श्री पी.एल. मीणा	शाखा प्रबंधक	स.अ.अ.शाखा रेवदर	शाखा रेवदर	17.2.99	1324–61/22.4.99
21. श्री रोशन लाल खण्डेलवाल	कार्य शाखा प्रबंधक	शाखा आबूरोड़ (सायं)	शाखा आबूपर्वत	22.5.96	1324–61/22.4.99
22. श्री प्रशान्त कुमार प्रसाद	कार्य शाखा प्रबंधक	शाखा आबूपर्वत	शाखा आबूरो (सायं)	29.5.98	1324–61/22.4.99
23. श्री पी.एल.मीना	शाखा प्रबंधक	प्र.क. सिरोही	स.अ.अ.शाखा रेवदर	12.8.98	20765–74/17.2.99
24. श्री हकीम खान	शाखा प्रबंधक	शाखा कालन्द्र	स.अ.अ.शाखा सिरोही–शिवगंज	13.8.98	13846–68/11.12.98
25. श्री पी.आर. मीना	शाखा प्रबंधक	शाखा पिंडवाड़ा	स.अ.अ.शाखा पिंडवाड़ा–आबूरोड	13.8.98	

Sd/-

Managing Director

The Sirohi Central Boop. Bank Ltd.

SIHROHI (RAJ.)

जैसलमेर नगर की कच्ची बस्तियों का नियमन

45. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत 30 वर्षों से बसी हुई जैसलमेर नगर की कच्ची बस्तियों का सर्वे हो चुका है जो पर्यटन स्थलों से बहुत दूर है ?

(2) क्या सरकार इन झुग्गी झोंपड़ियों के नियमन हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस विभाग के आदेश दिनांक 29.5.99 द्वारा जैसलमेर नगर में दिनांक 15.8.98 से पूर्व बसी कच्ची बस्तियों का सर्वे हो चुका है। ये कच्ची बस्तियां पर्यटन स्थलों से दूर है।

(2) जैसलमेर की कच्ची बस्तियों के नियमन से सम्बंधित मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

जिला भरतपुर के विद्युतीकृत ग्राम

46. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भरतपुर में चालू वित्तीय वर्ष में किन–किन ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में जो गांव विद्युतीकृत तो कर दिये गये हैं किन्तु अभी तक लाइन खींचकर कनेक्शन नहीं दिये गये हैं उनमें कब तक कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ?

(3) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पास मीटर बक्सों व ट्रान्सफार्मर की कमी है ? यदि हां, तो इसका समाधान कब तक कर दिया जायेगा ? तहसील नगर के कस्बा सीकरी, गुलपाड़ा आदि गांवों में अनियमित आपूर्ति को कब तक नियमित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में चालू वित्तीय वर्ष 1999–2000 में माह अगस्त, 1999 तक किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया है।

(2) उक्त जिले में विद्युतीकृत घोषित गांवों में विद्युत तंत्र के अभाव में विभिन्न

(ऊर्जा मंत्री)

श्रेणियों के 1657 आवेदकों को कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं। संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार विद्युत तंत्र स्थापित कर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी। लेकिन जिन गांवों में विद्युत तंत्र अपूर्ण है तथा 50,000/– रुपये लागत तक लाईन का कार्य पूर्ण हो सके ऐसे ग्रामों में लम्बित आवेदकों को पुनः लाईन खेंच कर कनेक्शन दिये जाने के आदेश दिये गये हैं।

(3) भरतपुर वृत में ट्रांसफार्मरों की कमी नहीं है। सिंगल फेज मीटर बक्सों की उपलब्धि में कुछ कमी है। इस बारे में दिनांक 12.9.1999 को जारी आदेश में उपभोक्ता चाहे तो स्वयं का मीटर व मीटर बक्सा उपलब्ध करवाकर कनेक्शन लेने का प्रावधान है। तहसील नगर के कस्बा सीकरी एवं गुलपाड़ा आदि गांवों में मीटर बक्से उपलब्ध करवा दिये गये हैं, वहां की विद्युत आपूर्ति नियमित करवाई जा रही है। तहसील के जिन बकाया गांवों के लिए मीटर बक्से उपलब्ध नहीं हुए हैं उनके लिए व्यवस्था करवाई जा रही है।

जिला बाड़मेर के विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में विद्युत कनेक्शन

47. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अब तक राज्य के विभिन्न जिलों के कितने गांवों में से कितने गांवों को विद्युत लाइनों से जोड़ा गया है ? जिलेवार मय प्रतिशत के संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने जिला बाड़मेर के 726 गांवों को दिनांक 31 मार्च, 1994 तक विद्युत लाइनों से जोड़ने की प्रगति दर्शाई है जबकि उनमें से एक भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

(3) क्या राज्य विद्युत बोर्ड ने उक्त ग्रामों के लिये केन्द्र सरकार से आर.ई.सी. योजना के अर्न्तगत राशि प्राप्त कर उक्त राशि को दूसरे कार्यो में व्यय किया है ?

(4) क्या राज्य विद्युत बोर्ड उक्त गांवों को अब सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उन्हें इस वर्ष विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार राज्य में कुल 39810 ग्राम हैं जिनमें से माह अगस्त, 1999 तक कुल 36079 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित कर 90.63 प्र.श. विद्युतीकरण स्तर अर्जित किया जा चुका है। जिलेवार प्रतिशत विद्युतीकरण विवरण परिशिष्ट–"अ" में दर्शाया हुआ है।

(2) जनगणना पुस्तिका 1981 के अनुसार बाड़मेर जिले में 864 राजस्व ग्राम थे, जिनमें से माह मार्च, 1994 में 695 ग्राम विद्युतीकृत थे। 1980 के दशक में इन विद्युतिकृत ग्रामों को विभक्त कर 726 नये गांव सृजित किये गये जो कि पूर्व में विद्युतीकृत ग्रामों के भाग थे। इन ग्रामों के निवासियों को पूर्व में विद्युत कनेक्शन लेने की सुविधा प्राप्त थी तथा अलग गांव बंन जाने के कारण इस सुविधा से उनको वंचित नहीं रहना पड़े, इसी कारण इन गांवों को विद्युतीकृत माना गया। इन ग्रामों में अभी भी कृषि तथा अन्य श्रेणी के कनेक्शन की मांग होने पर विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनेक्शन देने के प्रावधान हैं।

(3) विद्युत मण्डल ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को स्वयं अपने संसाधनों द्वारा पूर्ण करने के पश्चात ही व्यय को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत करता है तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा क्षेत्र में कार्य का सत्यापन करने के पश्चात् मण्डल को उक्त राशि का पुनर्भरण ऋण के रूप में किया जाता है, अतः निगम द्वारा दिये गये किसी भी ऋण को किसी अन्य मद में मण्डल द्वारा उपयोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) उपरोक्त सभी स्वविद्युतीकृत घोषित गांवों को मण्डल द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रस्तुत की जाने वाली नई ऋण योजनाओं में सम्मिलित किया गया है तथा उपभोक्ताओं की मांग व मण्डल के उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप शनैः शनैः सघन विद्युतीकरण करना सम्भव हो सकेगा।

जिलेवार ग्रामीण विद्युतीकरण प्रतिशत विवरण (माह अगस्त, 1999 तक)

परिशिष्ट (अ)

क्र. सं.	Name of District	कुल ग्रामों की संख्या	मार्च, 99 तक विद्युती कृत ग्रामों की संख्या	वर्ष 99–2000 में अगस्त,99 तक विद्युती ग्रामों की सं.	अगस्त 99 तक कुल विद्युतीकृत ग्रामों की सं.	अगस्त 99 तक प्रतिशत विद्युतीकरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ajmer	1001	1001	-	1001	100.00
2.	Alwar	1991	1937	-	1937	97.29
3.	Bansware	1462	1185	-	1185	81.05
4.	Baran	1205	1098	3	1101	91.37
5.	Barmer	1634	1494	2	1496	91.55
6.	Bharatpur	1454	1378	-	1378	94.77
7.	Bhilwara	1620	1620	-	1620	100.00
8.	Bikaner	650	577	-	577	88.77
9.	Bundi	841	825	5	830	98.69
10.	Chittaur-Garh	2379	2159	-	2159	90.75
11.	Churu	965	901	2	903	93.57
12.	Dausa	1052	1046	-	1046	99.43
13.	Dholpur	569	502	2	504	88.58
14.	Dungarpur	850	808	-	808	95.06
15.	Hanuman-Garh	1906	1420	11	1431	75.08

1 2	3	4	5	6	7
16.Jaipur	2187	2186	1	2187	100.00
17.Jaisalmer	578	247	-	247	42.73
18.Jalore	676	648	4	652	96.45
19.Jhalawar	1585	1362	1	1363	85.99
20.Jhunjhunu	827	827	-	827	100.00
21.Jodhpur	863	863	-	863	100.00
22.Karauli	793	689	6	695	87.64
23.Kota	896	836	-	836	93.30
24.Nagaur	396	1393	3	1396	100.00
25.Pali	919	919	-	919	100.00
26.Rajasmand	982	982	-	982	100.00
27.Sawi-Madhopur	794	757	-	757	95.34
28.Sikar	946	946	-	946	100.00
29.Sirohi	461	461	-	461	100.00
30.Sri-Ganga Nagar	3014	2098	26	2124	70.47
31.Tonk	1089	973	-	973	89.35
32.Udipur	2225	1875	-	1875	84.27
कुल	39810	36013	66	36079	90.62

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या–38 का विवरण)

परिशिष्ट : "अ"

क्र.सं.	कृ.उ.म.स.	सम्पर्क सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	प्रगति विवरण
1	2	3	4	5
(अ)	कृषि उपज मण्डी के मद से :			
1.	सीकर	शिशु से मियां की ढाणी	3.00	3 कि.मी. में डब्ल्यू. बी.एम. कार्य आंशिक पूर्ण
		अजबपुरा	2.43	मिट्टी का कार्य प्रगति पर
		सेवद बड़ी से रूल्याना	5.75	डब्ल्यू.बी.एम. कार्य प्रगति पर
		सावलोवा से पुरोहितान	1.19	डब्ल्यू.बी.एम. कार्य प्रगति पर
2.	श्रीमाधोपुर	कल्याणपुरा से ढाबा	3.00	वर्तमान में कार्य रुका हुआ है
		पटवारी का बास	4.80	कार्य प्रगति पर है
		खंडेला से रोयल	0.73	कार्य प्रगति पर है
		मुंडरू से फुटावा	3.00	कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4	5
(ब)	मण्डी विकास निधि मद से :			
1.		गारिड़ा से अटवास	3.00	डब्ल्यू.बी.एम. कार्य प्रगति पर है
2.		बगड़ी से बाजूसर	1.00	कार्य पूर्ण
3.		रानोली से वैध की ढ़ाणी	2.43	डब्ल्यू.बी.एम. कार्य प्रगति पर है
4.		लक्ष्मणगढ़ से दूधवा	6.80	डब्ल्यू.बी.एम. कार्य प्रगति पर है
5.		पनवाला से खीवसर	5.00	कार्य प्रगति पर है
6.		दिवराला से अनन्तपुरा	3.08	कार्य प्रगति पर है
7.		उदयपुरवाटी से डेरा जोड़ा वाली	2.00	मिट्टी का कार्य प्रगति पर है
8.		भूदोली से पुतीमपुरी सड़क से झिराना	3.00	सामग्री सप्लाई का कार्य प्रगति पर है
9.		नीम का थाना कोटपूतली सड़क से खादरा	4.00	सामग्री सप्लाई का कार्य प्रगति पर है
10.		बूजीवाला से दीपावास	4.00	डब्ल्यू.बी.एम. कार्य प्रगति पर है
11.		नीम का थाना से कोटड़ा	5.70	डब्ल्यू.बी.एम. कार्य प्रगति पर है
12.		सिरोही से अगंवाड़ी	1.00	कार्य पूर्ण।

आर.आई.डी.एफ. योजना की सड़कें जिनकी नाबार्ड से स्वीकृति शेष है

क्र.सं.	विधानसभा क्षेत्र	सम्पर्क सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	राशि (लाख रुपये)	वर्तमान प्रगति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमाधोपुर	गढ़ भोपजी	1.75	16.29	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
		रामपुरा	1.85	19.83	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
		कालियावास	0.58	7.90	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
		करड़का	3.45	27.20	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
		रूपपुरा उदलवास	3.50	26.14	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
		शिमराला (कोटड़ी)	4.50	32.98	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
		मानगढ़	2.18	15.32	निविदा, आमंत्रित की जा चुकी है
		सुरानी	1.90	28.24	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
		मन्डूसिया	0.60	7.11	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
		मोडियाड़ी	1.08	10.98	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
		हरीपुरा	1.28	13.48	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
		नांगल भीम	3.00	24.80	निविदा आमंत्रित की. जा चुकी है

1	2	3	4	5	6
		कोलवा	1.75	14.16	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
2.	खंडेला	रानीपुरा	5.30	45.10	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
3.	दातारामगढ़	ठेठ	3.10	25.65	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
	दातारामगढ़	गिला की ढ़ाणी	2.00	16.30	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
4.	धोद	श्यामपुरा	2.80	20.89	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
5.	सीकर	राधाकिशनपुरा	3.00	18.27	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
6.	लक्ष्मणगढ़	राजपुरा	5.03	43.21	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
7.	फतेहपुर	जलालसर	2.98	26.18	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
	फतेहपुर	शखीसर	3.80	32.68	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
8.	नीम का थाना	बिहार	5.00	38.48	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
	नीम का थाना	मोकलवास	4.50	33.53	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
	नीम का थाना	रामसिंहपुरा	4.00	27.70	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है
	नीम का थाना	कोला की नांगल	5.40	49.88	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है

आर.आर.डी.एफ. की स्वीकृति के लिये सर्वे की जाने वाली सड़कें

1	2	3	4	5	6
9.	धोद	जाचास	3.00	24.00	
10.	लक्ष्मणगढ़	रोठबंड़ी	2.00	16.00	
	लक्ष्मणगढ़	राजास	6.00	36.00	
	लक्ष्मणगढ़	कुमास जाटान	4.00	24.00	
		कृ.उ.म.स. से स्वीकृति हेतु सर्वे की जाने वाली सड़कें			
11.	दातारामगढ़	मुड़ियावास	3.00	12.00	
12.	धोद	खांखोली	3.00	12.00	

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या–61 की प्रति

(ख) लिपिक वर्गीय सेवा

1	2	3	4	5
1.	कार्यालय अधीक्षक	–	मुख्य लिपिक	7 वर्ष का अनुभव
2.	कार्यालय सहायक (मुख्य लिपिक)	–	वरिष्ठि लिपिक	5 वर्ष का अनुभव
3.	वरिष्ठ लिपिक	–	कनिष्ठ लिपिक	स्नातक, 3 वर्ष के अनुभव सहित और अन्य 5 वर्ष के अनुभव सहित।
4.	कनिष्ठ लिपिक	मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष अर्हता	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नाकागार्ड को छोड़कर (25%पदोन्नति द्वारा) यदि अर्हता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध हो	मैट्रिक या इसके समकक्ष अर्हता, वरिष्ठता के आधार पर।

1.	2.	3.	4.	5.
5.	शीघ्र लिपिक	–	शीघ्रलिपिक कनिष्ठ	5वर्ष का अनुभव और जिसने लोक सेवा आयोग या नियमों के अधीन (नियुक्त) आयोग द्वारा आयोजित शीघ्र लिपिक ग्रेड–11 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो
6.	शीघ्रलिपिक कनिष्ठ	हायर सैकण्डरी या माध्ययमिक शिक्षा बोर्ड की कोई समकक्ष परीक्षा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की कोई तत्समान परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा या अंग्रेजी में शीघ्रलिपि में 100 शब्द प्रति–मिनट और टंकण में 40 शब्द	स्टेनो–टाइपिस्ट (50 प्र.श. सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्र.श. पदोन्नति द्वारा)	3 वर्ष का अनुभव इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि उसके पास पद के लिए विहित आवश्यक अर्हता होनी चाहिए

1.	2.	3.	4.	5.
		प्रति मीनट तथा हिन्दी शीघ्र–लिपिक में 80 शब्द प्रति मीनट टंकण में 30 शबद प्रतिमिनट की अन्तिम गति परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और परिवीक्षा काल के दौरान, लोक सेवा आयोग या नियमों के अधीन नियुक्त आयोग द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक ग्रेड–111 परीक्षा उर्त्तीण की हो।		
°(7.	सीनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर (वर्तमान पद स्टेनोटाइपिस्ट को जूनियर स्टेनोग्राफर के पद में सम्मिलित माना जायेगा)	–यथोक्त–	कनिष्ठ लिपिक, जो कालम 3 में यथाविहित गति से शीघ्रलिपिक और टंकण का जानकार हो।	3 वर्ष का अनुभव
¹(8.	लेखाकार	—	कनिष्ठ लेखाकार/	5 वर्ष का अनुभव

1.	2.	3.	4.	5.
[1](9.	कनिष्ठ लेखाकार	[3](स्नातक, वरीयता उन अभ्यर्थियों को दी जावेगी जो लेखाकार परीक्षा उत्तीर्ण हो अधवाधन बोर्ड से नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी हो ऐसे व्यक्ति को पूर्विकता दी जायेगी जिसने लेखाकार की परीक्षा उत्तर्ण की हो।	आन्तरिक संपरीक्षक लेखाकार के रूप में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक	पांच वर्ष का अनुभव
10.	आन्तरिक संपरीक्षक	—		
11.	टाइम कीपर	मैट्रिक या इसके समकक्ष अर्हता हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में से एक, हिन्दी में टंकण गति 20 शब्द प्रति	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नाकागार्ड के सिवाय, (यदि अनुभव प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध हो तो	मैट्रिकुलेट या इसके समकक्ष अर्हता, वरिष्ठता के आधार पर

1.	2.	3.	4.	5.
		मिनट या अंग्रेजी टंकण में गति 26 शब्द प्रति मिनट सहित	25 प्र.श. पदोन्नति द्वारा)	
12.	मोहर्रिर	मैट्रिक या इसके समकक्ष अर्हता	—	—
[2](13.	जन्म और मृत्यु रिकार्डर	मिडिल या इसके समकक्ष परीक्षा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नाकागार्ड के सिवाय, (यदि अनुभव प्राप्त हो तो 25 प्र.श. पदोन्नति द्वारा)	—

1. अधि.सं.एफ. 3(4) डी.एल.बी./501/508 दिनांक 29.1.1989 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. अधि. सं.एफ. 2(36) एल.एस.जी./58/1 दिनांक 17.7.1974 (राज. राजपत्र भाग 4(ग) पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
3. अधि.सं.एफ. 24 (11) नियम/लेख डी.एल.बी./89 (जी.एस.आर. 81) दिनांक 20.11.1991 (राज.राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 26.12.1991 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

° अधि.सं.एफ 1(ग)( ) क (एस.एम.ई. डी.एल.वी./93/2678 (जी.एस.आर. 15) दिनांक 21.10.1995 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।)

कार्यालय नगरपालिका, करौली (राजस्थान)

क्रमांक　　　　**दिनांक :**

कार्यालय आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनस्थ एवं मंत्रालयक सेवा नियम 1963 के नियम 27 के अर्न्तगत श्री दीनदयाल शर्मा वरिष्ठ लिपिक नगरपालिका करौली को पालिका में रिक्त कनिष्ठ लेखाकार के पद पर एक वर्ष के लिए या सेवा चयन आयोग से चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक (जो भी पूर्व हो) वेतन श्रंखला 1400–40–1600–50–2300–60–2600 में पदोन्नति की जाती है।

अध्यक्ष

नगरपालिका, करौली

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 68 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	जल ग्रहण परियोजनाओं (वाटरशेड) का नाम	निरीक्षण की दिनांक
1	2	3
1.	कोरिया	1.2.99
2.	मसूरिया	1.2.99
3.	दबड़ी	1.2.99
4.	सांगड़	25.1.99
5.	फतेहगढ़	25.1.99
6.	बरणा	27.1.99
7.	खूहड़ी–ए	27.1.99
8.	खूहड़ी–बी	27.1.99
9.	जोशिया	28.1.99
10.	अवाय	8.2.99
11.	रामदेवरा	27.1.99
12.	म्याजलार	28.1.99
		7.7.99
13.	खूहड़ी	5.2.99
14.	दबड़ी	5.2.99
15.	आंकल	18.2.99
16.	भणियाना	19.2.99
17.	मोड़रड़ी	2.11.98
18.	रामदेवरा तालाब	19.2.99
19.	सेलत–ए 1	13.1.99
20.	सेलत–ए 2	13.1.99

1	2	3
21.	सेलत—ए 3	13.1.99
22.	सेलत—ए 4	13.1.99
23.	सेलत—ए 5	13.1.99
24.	मेघा—ए	28.1.99
25.	मेघा—बी	28.1.99
26.	मेघा—सी	28.1.99
27.	बींजोता	28.1.99
28.	बड़ली—ए	5.2.99
29.	बड़ली—बी	5.2.99
30.	बड़ली—सी	5.2.99
31.	बड़ली—डी	5.2.99
32.	तेलीवाड़ा—ए	6.2.99
33.	तेलीवाड़ा—बी	6.2.99
34.	तेलीवाड़ा—सी	6.2.99
35.	तेलीवाड़ा—डी	6.2.99
36.	सांवता—ए	11.2.99
37.	सांवता—बी	11.2.99
38.	सांवता—सी	11.2.99
39.	सांवता—डी	11.2.99
40.	एकलपार—ए	16.2.99
41.	एकलपार—बी	16.2.99
42.	एकलपार—सी	16.2.99
43.	डबलापार—ए	17.2.99
44.	डबलापार—बी	17.2.99
45.	डबलापार—सी	17.2.99
46.	बोनाड़ा—ए 1	22.2.99
47.	बोनाड़ा—ए 2	22.2.99
48.	बोनाड़ा—ए 3	22.2.99
49.	बोनाड़ा—ए 4	22.2.99
50.	राजगढ़—ए	23.2.99
51.	राजगढ़—बी	23.2.99
52.	राजगढ़—सी	23.2.99
53.	राजगढ़—डी	23.2.99
54.	सोडाकोर (रेलवे)	2.4.99
55.	छोड़—प्रथम	8.4.99
56.	दिधू	3.5.99
57.	सियाम्बर (बोहा)	15.7.99

अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास)

जैसलमेर

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–71 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड सं.	विद्युतीकरण तिथि
1	2	3	4
1.	5 एमएल	1/2/198	11.2.67
2.	1 जी छोटी	232	29.2.74
3.	2 एचएम–1	233	10.5.63
4.	2 एचएम–2	234	1/92
5.	17 जी.जी.	231	1/92
6.	6 ई छोटी	156	10.6.63
7.	1 ए छोटी	157	7.7.64
8.	5 ई छोटी	186	12/79
9.	7 ई छोटी	187	30.10.64
10.	4 एमएल	185	18.7.66
11.	1 एफ छोटी	184	20.9.82
12.	4 ई छोटी	153	11.7.64
13.	2 ई छोटी	154	18.8.64
14.	3 ई छोटी	155	14.8.64
15.	2 एमएल	188	10.5.63
16.	3 एमएल	189	10.5.63
17.	8 एलएनपी	186	20.5.72

1	2	3	4
18.	10 एलएनपी	147	31.1.79
19.	9 एलएनपी	148	23.3.78
20.	7 एलएनपी	149	28.1.75
21.	6 एलएनपी	151	28.3.72
22.	15 एमएल	152	14.9.69
23.	12 एलएनपी	193	30.6.71
24.	16 एमएल	191	1.4.67
25.	11 एलएनपी	192	19.7.71
26.	17 एमएल	190	30.1.65
27.	श्यामसिंहवाला	194	6/91
28.	1 एलएनपी	109	12/85
29.	2 एलएनपी	110	24.7.71
30.	3 एल.एन.पी.	111	30.11.71
31.	1 एमएल	144	13.3.69
32.	5 एलएनपी	145	30.1.75
33.	4 एलएमपी	150	20.3.72
34.	22 एमएल	294	21.2.74
35.	....	310	31.3.71
36.	28 एलएनपी—1	309	2/92
37.	28 एलएनपी—11	308	2/92
38.	27 एलएनपी	293	9/95
39.	15 एलएनपी—11—ए	286	8.1.81

1.	2	3	4.
40.	15 एलएनपी–11–बी	239	31.3.79
41.	15 एलएनपी–1	285	2/96
42.	17 एलएमपी	289	6.5.63
43.	18 एलएनपी	288	31.3.78
44.	19 एलएनपी	1/2/290	11/90
45.	20 एलएनपी	311	2/90
46.	21 एलएनपी	312	11/90
47.	23 एलएनपी	284	27.2.71
48.	20 एमएलबी	280	29.2.74
49.	20 एमएलए	281	29.2.74
50.	25 एलएनपी	282	9/95
51.	24 एलएनपी	283	27.2.71
52	26 एलएनपी	291	8/96
53.	21 एमएल	292	21.2.74
54.	501 एलएनपी	238	....
55.	18 एमएल	235	28.2.71
56.	19 एमएल	241	8.1.71
58	13 एलएनपी–1	197	31.3.79
58.	13 एलएनपी–11	236	1/89
59.	22 एलएनपी	240	6.8.89
60.	14 एलएनपी	237	31.3.89
61.	पट्टी खैयान–1	196	30.1.71
62.	पट्टी खेयान–11	195	11/92

परिशिष्ट–ब

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में प्रश्न में वर्णित गांवों की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	हरिजन बस्ती विद्युतीकरण की तिथि
1.	2.	3.
1.	8 एलएनपी	31.1.85
2.	लाधुवाला	80–81 एवं 85
3.	मनफुलवाला	नवम्बर, 86 एवं 87
4.	6 एलएनपी	जनवरी, 85
5.	11 एलएनपी	जनवरी, 85
6.	स्यांगावाली	अक्टूबर, 86
7.	बख्तावाली	फरवरी, 86
8.	हिरणावाली	दिसम्बर, 85
9.	नेतेवाला	अगस्त, 85
10.	4 एलएन	1980–81 एवं फरवरी, 86
11.	2 ई	शहरी क्षेत्र में सम्मिलित
12.	5 ई	व विद्युतीकृत
13.	3 ई	
14.	4 ई	
15.	चक महाराज का व 2 एलएनपी एक ही हैं।	1980–81, 86 एवं 1989
16.	कालूवाला	फरवरी, 86

परिशिष्ट–8

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल,जयपुर

परिशिष्ट–अ

क्र.राराविमं./जांच/सी–प्रे2343 दिनांक 22 अप्रेल, 1999

श्री मोहन सिंह इण्डा,

सहायक अभियंता,

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, डेगाना।

विषय : अनुशासनात्मक कार्यवाही।

आपको इस कार्यालय के ज्ञापन सं. रा.रा.वि.मं./जांच/सी, डी–दिनांक 27.9.95 के द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) विनियम–1962 के विनियम 7 के तहत एक आरोप पत्र दिया गया था। आपके उक्त आरोप पत्र का लिखित अभिकथन दिनांक को प्रस्तुत कर दिया था।

सदाम प्राधिकारी ने आपके लिखित अभिकथन तथा संबंधित अभिलेखों, दस्तावेजों का निरीक्षण करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी जावे।

तदानुसार आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आज्ञा से

(एम.एल.बचानी)

संयुक्त सचिव (जांच)

परिशिष्ट–"ब"

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर

क्र.राराविमं./जांच/सी–1(5929)पू.3+89 दिनांक : 5.7.99

आदेश

श्री सुखराम विश्नोई जब कनिष्ठ अभियन्ता हरसोर कार्यालय सहायक अभियन्ता, डेगाना में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत थे, तब उन्होंने विद्युत कनेक्शन देने में गम्भीर अनियमितताएं बरती, जैसा कि उन्हें जारी रा.रा.वि.मं. कर्मचारी (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) विनियम–1962 के विनियम–7(1) के तहत आरोप विवरण पत्र ज्ञापन सं. 1 रा.रा.वि.मं./जांच/सी–5929 प्रे. 2281 दिनांक 21.9.95 में वर्णित है।

श्री सुखराम विश्नोई कनिष्ठ अभियन्ता ने उक्त आरोप पत्र का लिखित अभिकथन दिनांक 4.6.96 को प्रस्तुत कर दिया था। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही विनियम–7(1) से विनियम 6 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। तदानुसार पत्र राराविमं।जांच।सी–1(5929)प्रे. 2498 दिनांक 30.4.99 द्वारा नोटिस दिया गया था। जिसका अतिरिक्त लिखित कथन निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया। सक्षम प्राधिकारी ने श्री विश्नोई के पूर्व लिखित अभिकथन एवं सम्बंधित अभिलेखों, दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि श्री विश्नोई कनिष्ठ अभियन्ता ने एस्टीमेट गलत तैयार किया तथा गलत कनेक्शन जारी किया। फलतः श्री विश्नोई कनिष्ठ अभियन्ता पर लगाये गये आरोप आंशिक प्रमाणित पाये गये। अतः सक्षम अधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि श्री सुखराम विश्नोई कनिष्ठ अभियन्ता को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दे दिया जावे।

तदानुसार, श्री सुखराम विश्नोई कनिष्ठ अभियन्ता को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया जाता है।

आज्ञा से,

सचिव

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या–76 की सूची)

परिशिष्ट–अ

श्री गंगानगर में संचालित राजकीय छात्रावासों की सूची

क्र.सं.	नाम छात्रावास	योजना	स्वीकृत छात्र सं.	प्रवेशित छात्र सं.
1.	राजकीय छात्रावास, श्रीगंगानगर	अनु. जाति	92	48
2.	राजकीय छात्रावास, जैतसर	अनु. जाति	25	25
3.	राजकीय छात्रावास, गजसिंहपुर	अनु. जाति	25	25
4.	राजकीय छात्रावास, अनूपगढ़	अनु. जाति	25	25
5.	राजकीय छात्रावास, गंड़साना	अनु. जाति	25	25
6.	राजकीय छात्रावास, सूरतगढ़	अनु. जाति	25	25
7.	राजकीय छात्रावास, समेजाकोठी	अनु. जाति	25	25
8.	राजकीय छात्रावास, लालगढ़	अनु. जाति	25	25
9.	राजकीय छात्रावास, रावलमण्डी	अनु. जाति	25	25
10.	राजकीय छात्रावास,गंगानगर(कन्या)	अनु. जाति	25	25
11.	राजकीय छात्रावास,रायसिंह नगर(कन्या)	अनु. जाति	25	25
12.	राजकीय छात्रावास,विजयनगर(कन्या)	अनु. जाति	25	12
13.	राजकीय छात्रावास, श्रीकरणपुर	वि.एवं घु.जाति	35	35
14.	राजकीय छात्रावास, मुकलावा	वि.एवं घु.जाति	35	35
15.	राजकीय छात्रावास, रायसिंहनगर	वि.एवं घु.जाति	50	50
16.	राजकीय छात्रावास, गंगानगर	स्वच्छकार	25	21
17.	राजकीय छात्रावास, सार्दुलशहर	स्वच्छकार	25	25
18.	राजकीय छात्रावास,22पी.एस.रायसिंहनगर	स्वच्छकार	25	25
19.	राजकीय छात्रावास, 365 हैड	स्वच्छकार	25	25

परिशिष्ट–10

(अरांकित प्रश्न संख्या–78 का विवरण)

परिशिष्ट–1

अकाल राहत कार्यो के बकाया श्रमिकों के भुगतांन को विधान सभा क्षेत्रवार बकाया की सूची मय कारण के

क्र. सं.	नाम विधान सभा क्षेत्र	कब से बकाया	बकाया राशि (लाखें में)	कार्यकारी अभिकरण	बकाया का कारण
1.	मेड़ता	15.6.99 से 30.6.99 तक	21.83	विकास अधिकारी प.स. रियांबड़ी	निर्धारित श्रमिकों से अधिक अतिरिक्त श्रमिक लगानें के कारण बकाया बताया हैं।
2.	डेगाना	जून, 99 से	5.24	विकास अधिकारी प्.स. रियांबड़ी	
		योग	27.07		
3.	परबतसर	जून, 99 से	2.87	अधिशाषी अभियंता	निर्धारित श्रमिक सीमा से अतिरिक्त श्रमिक लगाने से बकाया बताया है।
		योग	2.87		
4.	लाडनूं	15.6.99 से 30.6.99 तक	13.77	अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि.डोडवाना	अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. डोडवाना को श्रम व्यय हेतु दी गई राशि को उनके द्वारा सामग्री में खर्च कर देने से मजदूरी भुगतान बकाया बताया हैं।
5.	डोडवाना	–"–	4.32	–"–	
6.	मकराना	1.6.99 से 30.6.99 तक	9.31	–"–	
7.	नावां	–"–	5.45	–"–	
		योग	32.85		
		कुल योग	62.79		

जिला कलेक्टर (सहायता)
नागौर

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या–79 की सूचना)

परिशिष्ट–1

जिला नागौर में इस वर्ष मी हुई मानसूनी वर्षा का तहसीलवार विवरण

क्र.सं.	नाम तहसील	औसत वर्षा	वास्तविक वर्षा
1.	नागौर	309.9	244
2.	खींवसर	309.9	226
3.	जायल	325.9	98
4.	मेड़ता	418.6	314
5.	डेगाना	372.0	181.5
6.	डीडवाना	309.9	125
7.	लाडनू	331.4	195
8.	परबतसर	389.3	239
9.	मकराना	389.3	165
10.	नावां	460.8	238

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–80 का विवरण)

परिशिष्ट–1

RESTORATION WORKS

S.No.	District	Panchayat	Date of Sanotion	Amount Sanotion (Rs. in lac)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	AJMER	Arai	15.9.98	6.00
		Bhinai	15.9.98	4.00
		Sarwar	15.9.98	2.00
		Kekdi	15.9.98	3.00
		Masuda	15.9.98	3.00
		Bhinai	22.9.98	1.50
		Arai	22.9.98	3.00
		Masuda	22.9.98	5.00
		Bhinai	17.10.98	2.00
		Arai	17.10.98	4.00
2.	ALWAR	Kotkasim	22.7.98	5.00
		Rajgarh	15.9.98	5.00
		Keni	15.9.98	5.00
		Kotkasim	15.9.98	3.50
		Bansoor	17.10.98	4.00
		Behror	17.10.98	3.00
		Laxmangarh	17.10.98	4.50
3.	BARMER	Pachpadra	22.7.98	20.00
4.	BHARATPUR	Kumher	22.7.98	86.00

1.	2.	3.	4.	5.
		Sewar	22.7.98	19.00
		Deeg	22.7.98	35.00
		Roopbas	22.7.98	6.00
		Nadbai	22.7.98	11.50
		Nagar	22.7.98	6.00
		Deeg	15.9.98	12.00
		Nadbai	15.9.98	8.00
		Kumher	15.9.98	3.50
		Sewar	15.9.98	2.00
5.	BHILWARA	Sahada	22.7.98	10.00
		Shahpura	22.7.98	10.00
		Hurda	22.7.98	15.00
		Jahajpur	15.9.98	6.00
		Shahpura	15.9.98	0.20
		Asind	15.9.98	10.00
6.	CHITTORGARH	Bhoplasagar	22.7.98	1.00
		Nimbaheda	22.7.98	10.00
		Gangrar	22.7.98	15.00
		Bengu	22.7.98 2.20	
		Gangrar	17.10.98	15.00
7.	CHURU	Churu	22.7.98	15.00
		Ratangarh	22.7.98	15.00
8.	JAIPUR	Dudu	15.9.98	7.00
		Fagi	15.9.98	3.00

1	2	3	4	5
		Sanganer	15.9.98	1.00
		Fagi	22.9.98	2.50
9.	JHALAWAR	Sunail(Pirawa)	15.9.98	5.00
10.	JODHPUR	Luni	22.7.98	30.00
		Bailada	22.7.98	10.00
		Luni	15.9.98	3.00
		Luni	22.9.98	5.00
11.	KARAULI	Karauli	22.9.98	4.01
		Hindon	22.9.98	4.57
12.	NAGAUR	Jayal	22.7.98	5.00
		Nagaur	22.7.98	13.00
		Deedwana	15.9.98	2.00
		Jayal	15.9.98	3.00
		Nagaur	15.9.98	16.00
		Mundawa	15.9.98	4.00
		Makrana	15.9.98	5.00
		Medta	15.9.98	13.00
		Riyabadi	15.9.98	5.00
13.	PALI	Jaitaran	15.9.98	5.00
14.	SIKAR	Srimadhopur	15.9.98	3.00
15.	SIROHI	Sirohi	15.9.98	10.00
16.	TONK	Todaraisingh	22.7.98	10.00
		Devli	15.9.98	2.00
		Malpura	22.9.98	4.0

परिशिष्ट—2

वर्ष 1998—99 में पंचायत समितियों को आवंटित राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	अब तक आवंटित (प्रथम किस्त)
1	2	3
1.	रतनगढ़	7.50
2.	शाहपुरा	5.00
3.	हुरड़ा	15.00
4.	सहाड़ा	5.00
5.	रायपुर	7.50
6.	केकड़ी	14.80
7.	भिनाय	35.25
8.	पीसांगन	15.00
9.	अराई	41.50
10.	सिलोरा	9.99
11.	चूरू	7.50
12.	डीग	14.30
13.	नदबई	5.75
14.	सेवर	10.50
15.	कुम्हेर	41.46
16.	रूपवास	2.90
17.	रियाबड़ी	2.50
18.	मेड़ता	6.50
19.	मकराना	5.00

क्षतिपूर्ति बंधक

मैं.................................. पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती ....पद .... शपथपूर्वक बयान करता/करती हूं कि मेरे जीवन पर बीमा विभाग द्वारा जारी बीमा प्रमाण पत्र संख्या .... खोगया/नष्ट हो गया है। इस बीमा प्रमाण पत्र को मेरे द्वारा न तो बंधक रखा गया है, और न ही कोई गलत उपयोग किया गया है। मैं यह भी वचन देता हूं कि इस बीमा प्रमाण पत्र से बीमा विभाग को भविष्य में यदि कोई क्षति हो तो ऐसी........................ क्षति को मेरे वेतन/पेन्शन या अन्य सेवा निवृति लाभ से पूर्ति कर ली जाये।

यदि भविष्य में उक्त बीमा प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया तो मैं उसे मूल ही बीमा विभाग को लौटा दूंगा।

बीमा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु निर्धारित शुल्क 50/– /100/– रू0 प्रतिमाह............................ के मेरे वेतन से काट लिये गये हैं। चालान संख्या............... दिनांक ....द्वारा कोष कार्यालय............................में जमा करा दिये गये हैं।

हस्ताक्षर बीमेदार

नाम

पद

विभाग

प्रमाणित

(नोटेरी पब्लिक)

25. पालिसी की द्वितीय प्रति हेतु निर्धारित फीस की कटौती बीमेदार अपने वेतन से भी करवा सकता है और चालान द्वारा भी जमा करवा सकता है। उक्त अनुसार राशि जमा करने पर यह जांच की जानी चाहिये कि राशि का समायोजन विविध प्राप्तियों की ओर कर दिया गया है।

26. टिप्पणी तैयार हो जाने के पश्चात पलिसी की द्वितीय प्रति तैयार की जानी चाहिये। विकृत पालसियों के मामले में विकृत पालिसी की संवीक्षा यह देखने के लिये की जानी चाहिये कि क्या यह संबंधित कर्मचारी की मूल पालिसी है। यदि विकृत पालिसी में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि यह कर्मचारी के पक्ष में जारी की गयी मूल पालसी है, तो इस पालिसी को खो जाना माना जायेगा तथा इस संबंध में वही प्रक्रिया

अपनायी जायेगी जो मूल पालिसी के खो जाने पर दूसरी पालिसी जारी करते समय अपनायी जाती है।

27. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि पालिसी की कार्यालय प्रति के अनुसार जारी किये गये समस्त बीमे द्वितीय प्रति में संम्यक रूप से समाविष्ट कर लिये गये हैं। द्वितीय प्रति में दर्शाये गये समस्त बीमों पर सहायक निदेशक के लघु हस्ताक्षर होने चाहियें। इसके दाहिने ऊपरी कोने पर यह तथ्य प्रदर्शित करने के लिये कि यह द्वितीय प्रति है, निम्न अनुसार टिप्पणी अंकित की जाकर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।

"पालिसी की दूसरी प्रति दिनांक ....को जारी की गयी"

हस्ताक्षर

कृते निदेशक

28. पत्रावली तथा कार्यालय टिप्पणी और "दूसरी प्रति पालिसी पंजिका "सक्षम अधिकारी के सम्मुख टिप्पणी को अनुमोदित करने तथा पालिसी पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रस्तुत की जावेगी। हस्ताक्षर के पश्चात पालिसी की दूसरी प्रति कर्मचारी को सौंपी जाने हेतु संबंधित विभाग को भेजी जायेगी।

29. **बीमा रेकार्ड बुक की दूसरी प्रति जारी करना**

बीमा रेकार्ड बुक की दूसरी प्रति जारी करने हेतु वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये जो पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने हेतु निर्धारित है। इसके नष्ट हो जाने/खो जाने पर रुपये 100/– तथा विकृत दशा में प्रस्तुत करने पर रुपये 50/– फीस निर्धारित है।

प्रारूप "दूसरी प्रति पालिसी पंजिका"

क्र.सं.	पालिसी संख्या	नाम	शुल्क की राशि	कटौति की राशि	क्या शुल्क विविधि में समायोजित किया है ?	नकद भुगतान की दशा में जमा कराने की तिथि	दूसरी प्रति पालिसी जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर लि. अधि.

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या–84 का विवरण)

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	राशि (लाख रु.)	भौतिक प्रगति	विशेष विवरण
1.	सम्पर्क सड़क जेमला	12.0	70.00	डामरीकरण का कार्य प्रगति पर	
2.	सम्पर्क सड़े जालोरा से पोकरण	4.75	28.00	डामरीकरण का कार्य पूर्ण	
3.	सम्पर्क सड़क नाड़ोन	6.00	42.00	डामरीकरण का कार्य पूर्ण	
4.	सम्पर्क सड़क डीडाणोया	10.00	80.00	डामरीकरण का कार्य प्रगति पर	
5.	सम्पर्क सड़क खेड़ी	7.00	49.00	डामरीकरण का कार्य पूर्ण	